खण्ड-315, अंक-7
बुधवार, 19 चैत्र, शक संवत् 1897
(9 अप्रैल, 1975 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 315 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

## विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ सं० |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. | .. 679–683 |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. | .. 683–726 |
| कांग्रेस शासन दल में दो गुटों की आपसी खींचतान से मंत्रि-परिषद्, सरकार और अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कुप्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | .. 726–728 |
| सामुदायिक विकास मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना | 729–730 |
| श्री हरि केवल द्वारा 'स्वतंत्र भारत' समाचार पत्र के विरुद्ध शिकायत .. | 730 |
| बिना समय बढ़ाये 5 बजे के पश्चात् सदन की कार्यवाही चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय .. .. | .. 730–731 |
| कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं | 732–734 |
| 1975–76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी (स्वीकृत) | .. 734–783 |
| नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं .. .. | .. 783–784 |
| आजमगढ़ जिले में शारदा नहर के फटने व उससे फसल के नुकसान के सम्बन्ध में वक्तव्य .. .. .. | .. 784–788 |
| टिहरी डाम से विस्थापित हजारों किसानों के पुनर्वासन की व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 53 के अन्तर्गत चर्चा .. | .. 788–798 |
| नत्थियां .. .. .. | .. 799–805 |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 9 अप्रैल, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---362

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां,
अनवार मोहम्मद, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नवातर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ सेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णा राय, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
कान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह सहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)

चन्दन सिंह, कांग्रेस
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक श्री
दीपनारायण वन साहन्य, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निजाज हसन खां, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री

बलवान सिंह, श्री
बल्देव श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बैचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भामी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह, श्री एडवोकेट
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुलायम सिंह यादव, श्री

मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद मकीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद अस्लम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पति, कुमारी
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
रावबेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर, चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार राय, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, श्री
राजेन्द्र प्रसाद मौर्य, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
रामआसीस, पंडित
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री
राम जन्म राय, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलाल सिंह, श्री

राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामरेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति ,श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शत्रुद्ध प्रकाश, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिवचरन लाल,श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम, देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द वाजपेयी, श्री
सगीर अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सरवजीत सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुखबन सिंह, श्री

सुखदा मिश्रा; श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नरायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैय्यद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल बुसिया; श्री
सोहन लाल लाठ, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम, सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:--सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री शिव प्रसाद सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

## प्रश्नोत्तर

## बुधवार, 9 अप्रैल, 1975

## तारांकित प्रश्न

[उत्तरप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली; 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

### देवरिया जिला परिषद् की जूनियर हाई स्कूल, पडरौना के सफाई कर्मचारियों का वेतन-मान

*1--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) तथा श्री कृपा शंकर आर्य (जिला देवरिया)

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जनपद देवरिया के पडरौना नगर स्थित, जिला परिषद् के जुनियर हाई स्कूल के सफाई कर्मचारियों (मेहतर) जो उक्त शिक्षण संस्था में पिछले तीस-तीस, पैंतीस-पैंतीस वर्षों से सेवारत हैं, केवल 3 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उनके वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सूचना अन्तप्रांतीय है या अन्तरराष्ट्रीय है और कब तक एकत्र की जायेगी पहले भी इसके बारे में एक प्रश्न हुआ था तो भी ग्रामक लिखित उत्तर दिया गया था कि इस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। श्रीमन्, यह एक हरिजन व्यक्ति का मामला है। वह 3 रु0 महीने में 35 वर्ष से सेवा कर रहा है और 3 रुपये में अपना जीवन कैसे वह व्यतीत कर सकता है? उसकी कठिनाई का चित्र मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। यह डूब मरने की बात है कि जो सरकार हरिजनों की हिमायती कहती है, वह 3 रु0 महीने हरिजन को वेतन दे और कहा गया कि सूचना एकत्र की जा रही है। मालूम पड़ता है कि सैकड़ों व्यक्तियों की सूचना है। मान्यवर, इन मंत्रियों को आप नियंत्रित करें, नहीं तो यह प्रजातंत्र का सत्यानाश करना चाहते हैं।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें यह कहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है, तो कितने लोगों की है?

श्री अध्यक्ष---

यह सूचना एकत्र की जा रही है शिक्षा विभाग में।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)---

मान्यवर, सूचना कब तक एकत्र होगी ?

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न ऐसा है कि एक जिला परिषद् के सफाई कर्मचारियों के बारे में है और 18 मार्च को शासन को भेजा गया था।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, पहले सत्र में यह प्रश्न आया था लेकिन सत्रावसान के कारण टूट गया। यदि सरकार चाहे तो आज ही सूचना मंगा सकती है कि 3 रुपये में वह काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन टालने की मंशा है इसलिये सूचना नहीं मंगाते हैं।

श्री अध्यक्ष---

यह ढिलाई है जो कि नहीं होनी चाहिये, इसको मैं मानता हूं। यह सूचना 15वें दिन पर आयेगी और शिक्षा मंत्री पूरा जवाब देंगे।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

मान्यवर, मैं सुझाव दूंगा कि आप गवर्नमेन्ट से यह रिक्वेस्ट करें कि 3 दिन के अन्दर टेलीफोन से इत्तिला मंगा लें। पता नहीं कैसी गवर्नमेन्ट है, कैसा इनका ऐडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि ऐसी सूचना नहीं बता सकते हैं।

श्री रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, हमारे सामने तो यह प्रश्न आज आया है क्योंकि हमारे दूसरे साथी किसी काम से चले गये हैं। यदि हमारे सामने पहले यह होता तो ऐसी नौबत न आने देता। सूचना एकत्र की जा रही है, ऐसा लिखा है। पुरुषोत्तम कौशिक जी ने कहा कि हरिजन का सवाल है तो यदि माननीय सदस्य उनसे लिखाकर दे दें तो उसकी व्यवस्था कर देंगे।

चौधरी चरण सिंह---

मान्यवर, कोई मंत्री यह नहीं कह सकता कि मुझसे ताल्लुक नहीं रखता है। मेरा तो ताल्लुक गवर्नमेन्ट से है। इसलिये अध्यक्ष जी, इनकी कोई भर्त्सना करेंगे कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

आप तो कर रहे हैं। विरोधी पक्ष के द्वारा जो मांग हो रही है वह आपकी बात के समर्थन में ही कह रहे हैं। अत्यधिक इसमें विलम्ब हुआ है और उनके पहले भी विरोधी दल के नेता का सुझाव है कि टेलीफोन से सूचना मंगा कर पहले दे दें, तो अच्छा है। चूंकि छोटी सूचना है।

श्री इन्द्र पाल सिंह (जिला अलीगढ़)---

मंत्री जी कहते हैं कि इसमें हरिजन नहीं लिखा है, जबकि मेहतर साफ लिखा है तो हरिजन के माने क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष---

वह भी ठीक कह रहे हैं। हम अब आगे चलते हैं।

## फैजाबाद जिले के माध्यमिक शिक्षकों द्वारा क्रमिक अनशन एवं उनकी मांगें

*2—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री (माध्यमिक) बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले के तमाम शिक्षक दिनांक 5 मार्च, 1975 से जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अनेक विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के अन्याय के विरुद्ध कचहरी, फैजाबाद में अनशन पर बैठे हैं और कुछ माध्यमिक विद्यालय अनिश्चित काल के लिये बन्द हैं जिससे छात्रों एवं अध्यापकों में घोर असन्तोष है? यदि हां, तो अनशनकारियों की मांगें क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

फैजाबाद जनपद के कुछ शिक्षकों ने 5-3-75 से 10-3-75 तक जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पर अनशन किया। उनकी संख्या निम्नवत् थी :—

| दिनांक | संख्या |
|---|---|
| 5-3-75 | 6 |
| 6-3-75 | 6 |
| 7-3-75 | 7 |
| 8-3-75 | 6 |
| 9-3-75 | 8 |
| 10-3-75 | 5 |

10-3-75 के अपरान्ह से 11-3-75 के सायं 5 बजे तक 7 शिक्षक कचेहरी, फैजाबाद में क्रमिक अनशन पर बैठे थे। इस समय कोई भी मध्यमिक विद्यालय बन्द नहीं है। अनशनकारियों की मांगें तथा उन पर कृत कार्यवाही की तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 799-800 पर।)

## फर्रुखाबाद जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों के वेतन का भुगतान

*3—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि फर्रुखाबाद जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत लगभग 5,000 ग्रामीण अध्यापकों को माह फरवरी, 1975 का वेतन अब तक वितरण नहीं किया गया है जिससे इन अध्यापकों में घोर असन्तोष व्याप्त है। यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार होली के त्योहार के पूर्व इस वेतन को वितरित कराने के लये अविलम्ब कदम उठायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों का माह फरवरी, 1975 का वेतन होली के त्योहार के पूर्व ही वितरित कर दिया गया था।

## बलिया जिले के बेसिक अध्यापक संघ द्वारा अनशन

*4—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या शिक्षा मंत्री को बेसिक अध्यापक संघ, बलिया के अध्यक्ष द्वारा अध्यापकों की मांगों के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बलिया के बरामदे में हो रहे क्रमिक अनशन की सूचना अभी हाल ही में मिली है? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उस सम्बन्ध में अविलम्ब क्या कार्यवाही शासन द्वारा की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

पन्द्रह दिन तक हड़ताल चली और 10-11 हजार अध्यापकों का जलूस निकला और सारे शहर का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया और मंत्री जी कहते हैं कि सूचना एकत्रित हो रही है। नेता विरोधी दल ने रिक्वेस्ट करने के लिये आपसे कहा था लेकिन मैं कहता हूं कि नियमों की अवहेलना पर आपकी तरफ से मंत्री महोदय को चेतावनी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री अपने विभाग को तम्बीह करेंगे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

## आजमगढ़ जिले के विक्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक का निलम्बन

*1---श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विक्रम उ० मा० विद्यालय, मुहम्मदपुर, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ का कोई सहायक अध्यापक दिनांक 21 अक्तूबर, 1970 को निलम्बित किया गया था और आज तक निलम्बन आदेश समाप्त नहीं हुआ है और कोई भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राम जी लाल सहायक---

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजदेव चौहान, सहायक अध्यापक बिना प्रार्थना पत्र के निरन्तर अनुपस्थित होने के कारण प्रधानाचार्य की रिपोर्ट पर 21-10-70 से निलम्बित किये गये थे। प्राप्त सूचना के अनुसार प्रबन्ध समिति ने दिनांक 18-7-71 के प्रस्ताव के अनुसार निलम्बन अवधि को अवैतनिक अवकाश के रूप में स्वीकृत करते हुए अध्यापक को एक सप्ताह के भीतर कार्य पर उपस्थित होने के लिये कहा किन्तु वे कार्य पर उपस्थित नहीं हुए। उनका मामला अब न्यायालय के विचाराधीन है। अतः शासन द्वारा कोई हस्तक्षेप सम्भव नहीं है।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

क्या शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि इस अध्यापक को किसने मुअत्तल किया था ? मेरी जानकारी है कि इसे उप प्रबन्धक ने मुअत्तल किया था जब कि नियमतः प्रबन्धक को अधिकार है, किसी अध्यापक को मुअत्तल करने का ? यदि अवैध मुअत्तली थी, तो क्यों नहीं इसको 8-9 महीने का जीवन निर्वाह भत्ता दिया गया ?

श्री राम जी लाल सहायक---

मेरी सूचना है कि प्रबन्धक द्वारा ही निलम्बन किया गया।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

जीवन निर्वाह 8 मास तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री रामजी लाल सहायक---

यह प्रबन्धक की ज्यादती है कि उनको जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

मुअत्तली के बाद इस अध्यापक ने सरकार के पास तथा अधिकारियों के पास अनेक पत्र लिखे कि हमारी मुअत्तली अवैध है लेकिन मंत्रि परिषद् से लेकर जिला स्तर तक कोई सूचना उसे नहीं दी गयी। तो यह जो 18-7-71 की सूचना उसे दी गयी थी वह उसे मिली नहीं इसलिये उसने चार्ज ग्रहण नहीं किया तो क्या सरकार इसकी जांच करेगी कि उस अध्यापक को कोई सूचना नहीं दी गयी और यह सब इसलिये किया गया ताकि वह पद छोड़ दे और अपने सम्बन्धी को उस स्थान पर रख लिया जाय और वह रख भी लिया गया; यह बात सही है ?

श्री राम जी लाल सहायक---

जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस मसले में प्रवन्धक को यहां तक लिखा है कि उनको काम भी दिया जाय और भत्ता भी दिया जाय।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

जब जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबन्धक को लिखा था और उसने उनके आदेश का पालन नहीं किया तो उस विद्यालय अथवा प्रबन्धक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामजी लाल सहायक---

मामला चूंकि न्यायालय में चला गया इसलिये हमारा हाथ रुक गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मामला अदालत में कोई नहीं है। मामला मुअत्तली तथा जीवन निर्वाह भत्ता का था और ऐसा कोई मामला अदालत में नहीं गया है। उसका एक भतीजा विद्यालय में पढ़ता था और उसने कहा कि भतीजे की फीस माफ होनी चाहिये, अध्यापक होने के नाते। उसने कहा कि मैंने एम0 ए0 प्रथम वर्ष पास किया है और द्वितीय वर्ष की इजाजत नहीं मिली। मुकदमा चल रहा है तो उसमें सरकार को हस्तक्षेप न करने का क्या कारण है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है कि किस-किस मद में मुकदमा है, लेकिन यह सूचना है कि प्रबन्धाधिकरण और अध्यापक के बीच मुकदमा है, उसमें यही समझा गया कि सरकार अपना हाथ न डाले।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय आदेशों की अवहेलना तथा इन्टरमीडिएट ऐक्ट की धारा 16 डी के अन्तर्गत. . . . . .

श्री अध्यक्ष---

यही तो उन्होंने पूछा था। इसका जवाब हो गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

इसका जवाब नहीं दिया गया है। साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति क्यों नहीं की गई ?

श्री अध्यक्ष---

जवाब हो चुका है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबन्धक को यह आदेश दिया कि जो उनका पैसा होता है वह उन्हें दे दिया जाय और उनको चार्जशीट दी जाय। प्रबन्धक ने जब जिला विद्यालय निरीक्षक की यह बात नहीं मानी तो उनकी ग्रेड को क्यों सस्पेंड नहीं किया गया ?

श्री रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, यह 8 महीने का मसला है और एक मसले को लेकर अनुदान रोक लेने में कठिनाई होगी।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, नियम यह है कि जब जिला विद्यालय निरीक्षक का आदेश प्रबन्धक ने नहीं माना तो उसका वेतन काट कर इस अध्यापक का जीवन निर्वाह भत्ता दे देना चाहिये था, वह क्यों नहीं दिया गया ?

श्री रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि अभी इसमें लिखा-पढ़ी चल रही है और कोशिश की जा रही है कि प्रबन्धाधिकरण उनको दे दे। यदि वह नहीं देता है तो आगे जो कार्यवाही करनी है, वह की जायेगी।

**फर्रुखाबाद जिले के बेसिक शिक्षा विभाग के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध की गयी जांच**

*2--श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों के खिलाफ जांच दिनांक 15, 16, 17 जुलाई, 1974 में उप शिक्षा निदेशक द्वारा की गई? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला? दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी हां, 7 अधिकारियों के विरुद्ध जांच की गई। जांच के फलस्वरूप 2 अधिकारी दोषमुक्त पाये गये और शेष 5 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई।

श्री अनवार जमील---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ये सात अधिकारी जो थे, उनमें से जो 2 मुक्त किये गये उनके क्या नाम हैं और 5 अन्य अधिकारी जो हैं, उनके क्या नाम हैं तथा इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री अध्यक्ष--

इसके बारे में बतायें कि क्या कार्यवाही इनके खिलाफ हुई?

श्री रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, इनमें 2 एस0 डी0 आई0, 1 ए0 आई0 जी0 एस0, तीन बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा एक डी0 आई, हैं।

श्री अनवार जमील---

मान्यवर, उनके खिलाफ क्या प्रशासनिक कार्यवाही की गई?

श्री रामजी लाल सहायक--

पहले वालों को चेतावनी दी गई, दूसरे और तीसरे निर्दोष पाये गय, चौथे को चेतावनी दी गई, पांचवें दोषी पाये गये को कड़ी चेतावनी दी गई और उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई, छठे का ट्रांसफर किया गया और सातवें को चेतावनी दी गई और उनकी गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई।

श्री अनवार जमील--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो 5 आदमी बतायें हैं इनके खिलाफ क्या चार्जेज थे?

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, इसमें तो कोई 9, 10 चार्जेज हैं :--

1--जूनियर हाई स्कूल छात्रवृत्ति परीक्षा, 1974 की कायमगंज की उत्तर पुस्तिकायें देर से तथा खुले पैकेट में जमा करने के सम्बन्ध में।

2--श्री लालता प्रसाद, प्रधान अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, तौरागी के वेतन में मुसफी, कन्नौज द्वारा अटैच्ड 25 रु0 प्रतिमाह की धनराशि नियमित रूप से न जमा करना।

3--96 रु0 का एरियर, इंचार्ज प्रधानाचार्य के पास जमानत में रखवाने तथा 40 दिन का अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

4--बी0टी0सी0 अध्यापकों को नियुक्ति के आदेश देर से देना तथा चुनाव समिति द्वारा अनुमोदित सूची में कुछ नाम घटाना-बढ़ाना।

5—श्री ताराचन्द्र की पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में अनिर्गत आदेश से उन्हें अवगत कराने तथा उप विद्यालय निरीक्षक की जानकारी के बिना बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश लेना ।

6—एक सहायक अध्यापक का मई मास का वेतन श्री कटियार के आदेशानुसार क्रीडा शुल्क पास बुक में रखना ।

7—सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, जैवा का वेतन भिन्न-भिन्न हस्ताक्षरों से निकाला गया जनवरी तथा फरवरी, 1973 के कब्जुल वसूल पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे ।

8—थाना शिवराजपुर के ताजीरात हिन्द की धारा 324/323 एवं 395 के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई अब वे धारा 395 से मुक्त हो गये हैं किन्तु 324/323 तथा 147/146 के अभियुक्त हैं और जमानत पर हैं । तथा उन्होंने तथ्य छिपाये, आदि ।

9—जूनियर हाईस्कूल के फर्नीचर, ताला, अलमारी, टाट पट्टी, आदि जो जिला परिषद् द्वारा दिया गया है, को न जमा करना ।

10—वर्ष 1974 की प्राइमरी मिनिमा-टेस्ट में अनधिकृत फीस की वसूली आदि।

**पी० डब्लू० डी० विभाग में जूनियर इन्जीनियरों की संख्या तथा पदोन्नति न पानेवालों में अनुसूचित जाति के इंजीनियरों की संख्या**

*3—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार जांच कर बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्लू० डी० विभाग में इस समय कुल कितने जूनियर इंजीनियर कार्य कर रहे हैं और 1946 से 1964 तक के कितने ऐसे जूनियर इंजीनियर हैं जिन्हें ए० ई०, बनने का अवसर नहीं दिया गया है? इसमें कितने अनुसूचित जाति के हैं और इन्हें ए० ई० न बनाने का क्या कारण है ?

सार्बजनिक निर्माण मन्त्री (श्री शिव प्रसाद सिंह) —

नियमों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता की उपलब्ध रिक्तियों में से 25 प्रतिशत रिक्तियों के लिए जूनियर इंजीनियरों की प्रोन्नति पर विचार किया जाता है ।

इस समय कुल 4190 जूनियर इंजीनियर कार्य कर रहे हैं और 1946 से 1964 तक के 35 ऐसे जूनियर इंजीनियर हैं जो प्रोन्नति की अर्हता रखते हैं, पर प्रोन्नति के लिये इनकी आरक्षित रिक्तियों के अभाव में अभी प्रोन्नति नहीं हो सके हैं ।

22 जूनियर इंजीनियर अनुसूचित जाति के हैं किन्तु इनमें से कोई भी प्रोन्नति की निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

अध्यक्ष जी, प्रश्न से स्पष्ट है कि 25 प्रतिशत रिक्तियां जो हैं, वह रिक्तता के आधार पर उनमें प्रमोशन होगा यह केन्द्र का भी नियम है, मैं नहीं समझता कि प्रांतीय सरकार उसे नहीं मानती है । यह वरिष्ठता का आधार जो प्रमोशन का है, यह जब देश स्वतंत्र हुआ था तब से है । तो जूनियर इंजीनियर्स के लिये जो आपने अर्हता का मापदंड बना रखा है, प्रमोशन के लिये वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

अर्हता का मापदंड क्या है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

अध्यक्ष जी, प्रमोशन पाने के लिये कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिये और वह इस पीरियड में परमानेंट होना चाहिये। तथा डिपार्टमेंटल क्वालिफाइंग इग्जामिनेशन जो होता है, वह पास करना अनिवार्य है, तभी प्रोन्नति दी जायेगी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो 25 प्रतिशत प्रोन्नति के रिक्तियों के आधार पर होनी चाहिये थी तो क्या अभी तक कोई ए0 ई0 या आगे प्रमोशन नहीं पाया है ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न साफ कीजिये।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो जूनियर इंजीनियर से ए0ई0 होंगे या एक्स ई0 एन0 होंगे तब नीचे से ऊपर को प्रमोशन होगा तो क्या इतनी अवधि में कोई ए0 ई0 या ई0 ई0 नहीं बना है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

ऐसी बात नहीं है जो प्रोन्नति के हकदार थे, वे पा चुके हैं, इसमें अभी तक 22 ऐसे हैं जो अनुसूचित जातियों में से जिनका प्रोन्नति का प्रश्न है लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि वे क्वालिफाइंग इग्जामिनेशन नहीं पास किये हैं, दो ऐसे जो स्थाई भी नहीं हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

ऐसा होता है कि शासन की नीति यह रही है कि बराबर दबाये रही और उसके कारण जब-जब परीक्षा हुई है उसमें मनोद्वेष की भावना से ऐसा होता है। तो मैं मंत्री जी से यह स्पष्ट जानना चाहता हूं कि क्या इनका दोष यही है कि ये हरिजन हैं और इसी नाते परीक्षा में पास होने से यह दबाए गये हैं और शेष लोग पास कर दिए जाते रहे हैं ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

ऐसी बात नहीं है, परीक्षा के नियम बने हुए हैं और वे सबके लिए समान हैं। बहुत से हरिजन ऐसे हैं, जो इसके पहले ए0 ई0 हो चुके हैं और परीक्षा पास कर लिए हैं। जो मैंने मापदण्ड बताया, उसके अलावा भी उनका गुड रिकार्ड वगैरह देखा जाता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, जो क्वालीफाइंग परीक्षा पास कर लेगा, 10 साल की सर्विस होगी और इस अवधि में परमानेन्ट हो जाएगा तथा साथ ही गुड रिकार्ड होगा, उसको कर लिया जाएगा।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--

क्या मंत्री जी को पता है कि 20 मार्च, 1974 का एक शासनादेश है, जिसमें प्रमोशन के सम्बन्ध में भी रिजर्वेशन कर दिया गया है। तो उसके बाद से किसी का प्रमोशन क्यों नहीं किया गया है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

इस रिजर्वेशन के शासनादेश के बावजूद भी डिपार्टमेंटल परीक्षा पास करना जरूरी है।

**बहराइच जिले के कतिपय विकास खंडों के प्राइमरी पाठशालाओं के भवन का निर्माण**

*4--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के विकास खण्ड हरिहर-पुररानी सिरसिया एवं इकौना में कितना प्राइमरी पाठशालायें हैं जिनके भवन बने हैं और

कितनी ऐसी हैं जिनके पास भवन नहीं हैं ? क्या बिना भवन वाली प्राइमरी पाठशाला के भवन निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक--
प्राइमरी पाठशाला जिनके पास--

| विकास खण्ड का नाम | भवन हैं | भवन नहीं हैं |
|---|---|---|
| 1--हरिहरपुर रानी | 29 | 29 |
| 2--सिरसिया .. .. | 33 | 28 |
| 3--इकौना .. .. | 28 | 24 |
| योग .. | 90 | 81 |

बिना भवन वाले प्राइमरी पाठ शालाओं से भवन निर्माण की योजना बनाई गई है निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--
आपने जो संख्या बताई है कि भवन बने हुए हैं मेरी जानकारी यह है कि आपने इसका उलटा उत्तर दिया है अर्थात् जो बने हुए दिखाए गये हैं वे नहीं बने हुए हैं और जो नहीं बने हुए हैं वे बने हुए दिखाए गये हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने स्कूल्स हैं जिन पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है और ये कहां-कहां हैं तथा किनके माध्यम से इनका निर्माण कार्य हो रहा है ?

श्री रामजी लाल सहायक--
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के माध्यम से कराया जा रहा है और किन-किन में कार्य प्रारम्भ हो गया है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--
मैं जानना चाहता हूं कि बहराइच जिले के दो ब्लाक-सिरसिया और पुरैनिया जो उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़े हुए हैं जिनके विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है और जहां स्कूल भी अधूरे पड़े हैं, वहां पर इन स्कूलों का निर्माण सहायता और अनुदान दे कर कब तक करा देंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक--
यह तो पूरे जिले के लिए 9 लाख 86 हजार रुपया स्वीकार किया गया था और पूरे जिले में 116 भवन बन जाने हैं, और माननीय सदस्यों ने जिन ब्लाकों के नाम लिए हैं, वहां भी बनेंगे ।

श्री दीपनारायण पाण्डेय (जिला गोण्डा)--
ये भवन जो पूरे प्रदेश में नहीं बने हैं, सब जगह बनेंगे या बहराइच जिले के लिए केवल लागू होता है ?
(कोई उत्तर नहीं दिया गया । )

*5--श्री गिरिजा शंकर पाठक--
[8वें मंगलवार में प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित । ]

**मथुरा जिले के सादाबाद इन्टर कालेज के सहायक अध्यापक का निलम्बन**

*6--श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के सादाबाद इन्टर कालेज, सादाबाद में एक सहायक अध्यापक 2 फरवरी, 1970 से निलम्बित है ? उनके इतने वर्षों से निलम्बित रहने का क्या कारण है ? क्या सरकार को निलम्बित अध्यापक के द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये गये ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी हां, विद्यालय प्रबन्धक द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही न किये जाने के कारण मामला अनिर्णीत रहा। अध्यापक ने जो आवेदन-पत्र दिये उन पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा समुचित निर्देश दिये गये ।

श्री राम प्रकाश यादव--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि निलम्बित अध्यापक ने अब तक कितने आवेदन-पत्र दिए और उन आवेदन-पत्रों पर क्या-क्या संक्षिप्त निर्देश दिए गये ?

श्री रामजी लाल सहायक--

अध्यापक ने 13 प्रतिवेदन दिये हैं। उन 13वां पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने आदेश दिये हैं, संस्था को इसके बारे में जो कार्यवाही की जाय।

श्री राम प्रकाश यादव--

क्या-क्या समुचित निर्देश दिये गये और उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम जी लाल सहायक--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

(अगला प्रश्न पुकारने पर )

श्री राम प्रकाश यादव--

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न करने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप तो बैठ रहे थे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

छोटी सी सूचना होती है। संलग्न कर देते हैं। कृपा करके पढ़ें, क्या है ?

चौधरी चरण सिंह--

पांच साल हो गये, एक आदमी को सस्पेंड किये हुए। आदेश दे दिया। क्या आदेश दिये हैं ? यह कोई संतोष जनक उत्तर नहीं कहा जा सकता। अगर मालूम नहीं है तो दो चार दिन में मालूम कराएंगे ?

श्री अध्यक्ष--

जवाब यही दिया था ।

चौधरी चरण सिंह--

कोई आपने पूछा है ? अब तक क्यों नही रिइंस्टेट किया है, पांच साल हो गये ?

श्री रामजी लाल सहायक--

कृपया दोबारा कह दें ।

चौधरी चरण सिंह--

मेरा प्रश्न यह है कि जिस वक्त जवाब आया कि आदेश दे दिये हैं, जब फाइल सामने आयी उसी वक्त गवर्नमेन्ट ने मालूम करने की कोशिश की या नहीं कि क्या आदेश दिये हैं और उन पर अमल क्यों नहीं हुआ ?

श्री रामजी लाल सहायक--

प्रबन्धक को पत्र लिखे गये। उनसे कहा गया कि इस मामले को निबटाओ। प्रबन्धक अलग-अलग काम करते हैं, कभी-कभी उन बातों को नहीं भी मानते हैं।

चौधरी चरण सिंह--

अगर नहीं मानते हैं तो गवर्नमेन्ट के पास अधिकार है या नहीं कि उनसे जबरदस्ती मनवाएं।

श्री रामजी लाल सहायक--

अधिकार तो है। लेकिन बीच-बीच में कुछ लग जाता है। उनका अनुदान भी रोक सकते हैं। उनकी मान्यता भी छीन सकते हैं।

चौधरी चरण सिंह--

तो इसमें क्यों नहीं रोका, पांच साल हो गये जिसको ?

श्री रामजी लाल सहायक--

एक व्यक्ति का मसला है। यह सोच कर, पूरे स्कूल की मान्यता रोक दें तो बच्चों का नुकसान होगा। समाज का नुकसान होगा। उनसे कोशिश की जा रही है। नहीं काम करेंगे तब हम इंतजाम करेंगे।

चौधरी चरण सिंह--

पांच साल तक कोशिश होती रही। कब तक कोशिश करेंगे? मामला तो व्यक्तियों के ही होंगे। पांच साल तक आपने कोशिश की और वह नहीं मान रहे हैं तो कब तक और कोशिश करेंगे ? मीयाद बता दीजिये !

श्री रामजी लाल सहायक--

अब तो इसका निबटारा जल्दी करेंगे।

## जौनपुर जिले की टंडवा लिफ्ट कैनाल तथा भैंसा लिफ्ट कैनाल से संबंधित पाइपों की खरीद में व्यय की गयी धनराशि

*7--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टंडवा लिफ्ट कैनाल तथा भैंसा लिफ्ट कैनाल, जौनपुर में क्रमशः 40 पाइप चालीस इंच के तथा चालीस पाइप तीस इंच के दो-तीन वर्ष से वहां पड़े हुए हैं और भैंसा की बैठा दी गयी है ? यदि हां, तो इन पाइपों को खरीदने में तथा लिफ्ट कैनाल तक लाने एवं उन्हें फिट करने में कितना रुपया खर्च किया गया है और बिला अवश्यकता के ऐसा करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी जब कि भैंसा में दो पाइप पन्द्रह इंच के तथा टंडवा में एक बड़ा पाइप तीस इंच का चल रहा है। इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का तारीख 7 जनवरी, 1974 का सिंचाई मंत्री को पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)--

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 801 पर।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

सूचना संलग्न है। सूचना वह पढ़ कर सुनाएं।

श्री अध्यक्ष--

तो पढ़ दें, इसको।

चौधरी चरण सिंह--

मेरा एक चार्ज है। उसका जवाब दें। मैनेजर आपकी पार्टी का है और अध्यापक जो है बी0 एल0 डी0 पार्टी का है।"

श्री अध्यक्ष--
अब तो आगे चले गये।

(श्री मोहम्मद महमूद अली खां ने मूल उत्तर का संलग्नक पढ़ा।)

श्री ऊदल--
मान्यवर, मेरा कहना यह है कि 40 इंच और 36 इंच की पाइप नहीं है। दूसरा मेरा कहना है यह कि 30 इंच की पाइप 858 फीट स्टील पाइप है जिसके खरीदने में 1,12,200 रुपया खर्च हुए हैं। इसके फिटिंग में 21,872 रुपए खर्च हुए। टंउवा लिफ्ट पर 36 इंच की 500 फीट स्टील पाइप लगाई गई। इसके खरीदने में 72,000 रुपए खर्च हुए और लिफ्ट तक ढोने में 1,300 रुपए खर्च हुए। इन्जीनियर ने जवाब दिया है कि 8 इंच के व्यास की दो कतारों में लगी है। जब वह चल रही थी तो 30 इंच की पाइप खरीद कर क्यों रखी हुई है? 18 और 30 इंच की पाइप चल रही थीं तो 36 इंच की पाइप जिसकी कीमत 1,12,200 रुपए है, खरीद कर क्यों रखी हुई है। चार साल से वह मोर्चा खा रही है। इनको किस ने खरीदवाया जबकि इसको इस्तेमाल नहीं किया गया? क्या मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे और दोषी व्यक्तियों को सख्त से सख्त सजा देंगे?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां --
मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष--
यह उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि इसमें गोलमाल है।

श्री ऊदल--
आपने कहा है कि माननीय विधायक को भेज दिया गया है। यह आपको भी मिल गया होगा। इसमें आफिसर ने तस्लीम किया है जो मेरे चार्जेज हैं। मैं पूछ रहा हूं कि पावर हाउस को रुपया दे दिया गया है और वहां सब-स्टेशन की आवश्यकता है और रुपया उसके पास है उससे सब-स्टेशन बन सकता है।

श्री अध्यक्ष--
माननीय ऊदल जी यह सवाल 15 दिन बाद आएगा। मेरी समझ में इसका जवाब बड़ा गोलमाल है। इसलिए मैं इसको स्थगित करता हूं।

**बस्ती जिले के महात्मा गौतम बुद्ध विद्यालय को अनुदान न मिलना**

*8--श्री प्रभु दयाल (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--
क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि महात्मा गौतम बुद्ध विद्यालय, जोगिया, बस्ती को त्रिसूत्रीय नियम के अनुसार संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए 1973-74 तथा 1974-75 सालों में अनुदान दिए गए हैं? यदि नहीं, तो अनुदान न देने का कारण क्या है?

श्री रामजी लाल सहायक--
जी नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार अनुदान सम्बन्धी विद्यालय के विवरण-पत्र उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर के विचाराधीन है।

**बस्ती जिले के जूनियर हाई स्कूलों के स्थानान्तरण की मांग**

*9--श्री प्रभु दयाल (अनुपस्थित)--
क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि बस्ती जनपद के जिन जूनियर हाई स्कूलों में निर्धारित संख्या में छात्र नहीं है उन स्कूलों को जनपद के दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर शासन विचार करेगा?

श्री रामजी लाल सहायक--
ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**मुजफ्फरनगर के कमरुद्दीन नगर स्थित जूनियर हाई स्कूल को बन्द करने की मांग**

*10---श्री मूलचन्द राजपूत (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)---

क्या बेसिक शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम राजपुर-छाजपुर के जूनियर हाई स्कूलों की कोई ब्रांच ग्राम कमरुद्दीन नगर में चल रही है जहां केवल 20-30 छात्र है और इन पर लगभग 1,000 रुपया प्रतिमास खर्च पड़ता है ? यदि हां, तो इस ब्रांच के चलाने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार इसे तुरन्त बन्द कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी---

जी हां।

जी नहीं।

यह ब्रांच ग्राम वासियों की प्रार्थना पर तत्कालीन अध्यक्ष, जिला परिषद् के द्वारा खोली गई थी।

जी नहीं।

ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के विकास हेतु इस ब्रांच का जारी रहना आवश्यक है।

[9 अप्रैल, 1975 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

**बहराइच जिले के तहसील कैसरगंज में वाटर लागिंग एवं सिंचाई से संबंधित प्रार्थना-पत्र**

*1---श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें कितने पत्र मार्च, 1974 से नवम्बर, 1974 तक बहराइच जिलान्तर्गत तहसील केसरगंज में वाटर इन्टरलागिंग (जल भराव) पुलों के निर्माण एवं सिंचाई से सम्बन्धित प्राप्त हुए और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं हुई, तो क्यों ? तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही न किए जाने पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

बहराइच जनपद के कैसरगंज तहसील में वाटर लागिंग (जल भराव) पुलों के निर्माण एवं सिंचाई के बाबत मार्च से नवम्बर, 1974 की अवधि में 8 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और उन पर सर्वेक्षण की कार्यवाही की गयी।

किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाबू लाल वर्मा---

मान्यवर, जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं उनमें किन-किन बातों की मांग की गई है और जो सर्वेक्षण कराया है उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री अध्यक्ष---

आप संक्षेप में बता दें।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

ज्यादातर इसमें बाबूलाल जी के पत्र थे। एक में उन्होंने लिखा था कि ग्राम मुंधया, नौगोइया, बडसर बिठौरा, रुकनपुर कला नन्दौर इत्यादि के रहने वालों ने मुधिया ताल से पानी निकालने को लिखा था उसका सर्वेक्षण हो रहा है। इसके अलावा इनका दूसरा पत्र 10 अक्तूबर का है।

श्री अध्यक्ष---

जब आप के ही पत्र हैं तो आप प्रश्न करें। इनको पढ़ने की क्या जरूरत है।

श्री बाबू लाल वर्मा---

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो सर्वेक्षण हुआ है उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

इसकी तो मेरे पास यहां पर रिपोर्ट नहीं है।

श्री बाबू लाल वर्मा---

मान्यवर, यह जो सर्वेक्षण कार्य है यह कब तक पूर्ण हो जायगा और सर्वेक्षण के मुताबिक कब तक कार्यवाही पूरी हो जाएगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

इसके बारे में इस वक्त शासन की नीति यह है कि 1 मील से 5 मील तक जो छोटे नाले हैं इस वक्त उनके बनाने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा---

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी को जब पत्र प्राप्त हुआ उसके पहले भी कोई सर्वेक्षण कराया गया था या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

**शारदा सहायक परियोजना खंड पच्चीस के अन्तर्गत अधिग्रहीत भवनों का मुआवजा**

*2---श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि शारदा सहायक परियोजना खंड 25 के अन्तर्गत पड़ने वाले आबादी के गांव के घरों का खाली कराया जा रहा है ? यदि हां, तो ग्राम कसरैलाडीह, तहसील फतेहपुर व ग्राम नूरपुर, तहसील रामसनेही घाट के किन-किन लोगों को कितना-कितना मुआवजा घरों का दिया गया और किन-किन लोगों को मुआवजा देना शेष है ? इन गांवों के घरों के सम्बन्ध में प्राप्त मुआवजा सम्बन्धी शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

जी हां, शारदा सहायक परियोजना खंड 25 के अन्तर्गत पड़ने वाले आबादी से सम्बन्धित 8 ग्राम अर्जन से प्रभावित हो रहे हैं।

ग्राम कसरैलाडीह, तहसील फतेहपुर व ग्राम नूरपुर, तहसील रामसनेही घाट के जिन लोगों को मुआवजा दे दिया गया है तथा जिन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है, उनकी सूची संलग्न है।

इन गांवों के घरों के सम्बन्ध में प्राप्त मुआवजा सम्बन्धी शिकायतों की जांच की जा रही है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 802 पर।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

मान्यवर, यह शारदा सहायक परियोजना में दो साल पहले यह ग्राम एक्वायर कर लिया गया था। घर इनके खाली करवा दिए गए थे, मकान भी खोद डाले गए थे। तो मैं माननीय मन्त्री जी से दो गांवों के बारे में जानना चाहता हूं कि 15 को मुआवजा दिया गया था, जब कि इन 15 में ऐसे लोग भी हैं जिनके मकान नहीं खोदे गए और 4 व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है, जब कि दो गांवों के 15 लोगों को मुआवजा दिया गया था, चार को क्यों छोड़ दिया गया जब कि उनके घर भी खोद डाले गए थे ?

श्री काशीनाथ मिश्र---

मान्यवर, इसमें केवल चार आदमियों को जो मुआवजा नहीं मिला है, और उनके घर खोद डाले गए उनके बारे में प्रश्न है। उन चारों आदमियों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष---

जिसका सवाल है, और जो पूछ रहा है उसका उत्तर माननीय मन्त्री जी दे रहे हैं।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

मान्यवर, जो चार आदमी हैं, उनके नाम हैं---मंगरे पुत्र गनेश, राम सनेही पुत्र ढोंडे, हरिभजन पुत्र गनेश और चौथा आदमी है कैलाश पुत्र नन्हूं। मंगरे और राम सनेही कसरौलाडीह के निवासी हैं और हरिभजन और राम कैलाश ग्राम नूरपुर के निवासी हैं। मान्यवर, इनको जो मुआवजा नहीं मिला है, उसके बारे में कार्यवाही हो रही है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)---

मान्यवर, चार लोगों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

मान्यवर, 4 लोगों को जो छोड़ दिया गया है, मेरी जानकारी है कि उन लोगों ने घूस नहीं दिया था। तो माननीय मन्त्री जी इस बारे में तहकीकात करके उन लोगों को शीघ्र मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

मान्यवर, मुझे तो यही बताया गया है कि इनके बारे में तहकीकात चल रही और जल्द से जल्द तहकीकात करके, इनको मुआवजा दिया जायगा।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, यह शारदा सहायक परियोजना के बारे में है। मान्यवर, जमीन ले ली जाती है, 4-4, 5-5 साल तक उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मकान उनके कब लिए गए और खुदाई कब शुरू हुई और जिन लोगों को मुआवजा दिया गया, वह कब दिया गया ?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न तो यह है कि ग्राम कसरैलाडीह, तहसील फतेहपुर व ग्राम नूरपुर, तहसील रामसनेही घाट के किन-किन लोगों को मुआवजा दिया गया और किन-किन लोगों को मुआवजा देना शेष है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

मान्यवर, जिन 15 लोगों को मुआवजा दिया गया और जिन 4 लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया, क्या इस बारे में कोई जांच की गई ? जांच के पश्चात् दोषी कितने कर्मचारी पाए गए और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

मैंने अर्ज किया कि इन्क्वायरी ए० डी० एम० कर रहे हैं और जब वह आ जाएगी तो देखा जाएगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

यह इन्क्वायरी कब से शुरू हुई थी और कब समाप्त होगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

अब यह ए० डी० एम० साहब के पास है।

श्री अध्यक्ष---

जांच या विवेचना के लिए ए० डी० एम० को कब दिया।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

ए० डी० एम० ने दिनांक 7 फरवरी, 1975 से इसकी जांच शुरू कर दी है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जमीन 3 साल पहले एक्वायर की गयी थी लेकिन उस जमीन का लगान अभी तक काश्तकारों के नाम से खारिज नहीं हुआ है और वह वसूल हो रहा है ? क्या उनका तुरन्त लगान समाप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

लगान से इनका मतलब है ? यह प्रश्न इससे नहीं उठता।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

ये राजस्व मन्त्री को लिख देंगे।

**फर्रुखाबाद जिले के राष्ट्रीय विद्या मन्दिर इन्टर कालेज के सहायक अध्यापक को पेंशन**

*3—श्री अनवार जमील—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के राष्ट्रीय विद्या मन्दिर इन्टर कालेज, अकबरपुर के सहायक अध्यापक जो कि 30 जून, 1972 को रिटायर हो गए थे, को अभी तक पेन्शन नहीं मिल सकी है और न उनके पेन्शन कागज ही विद्यालय द्वारा अभी तक भेजे गए हैं ? यदि हां, तो सरकार इस विद्यालय के प्रबन्ध आदि के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

तो 15 दिन बाद आएगा।

श्री अनवार जमील—

कब तक सूचना आएगी।

श्री अध्यक्ष—

आज के 15वें दिन।

**गंडक योजना सिंचाई विभाग (गोरखपुर) के कर्मचारी संघ की मांगें**

*4—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कार्यवाहक अध्यक्ष, गन्डक योजना (सिंचाई विभाग) कर्मचारी संघ, गोरखपुर का दिनांक 7 जनवरी, 1975 का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कर्मचारियों की छटनी की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है तथा भूख हड़ताल की चेतावनी दी गयी है ? यदि हां, तो छटनी को रोकने के लिए शीघ्र आदेश पारित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी नहीं। यह जरूर है कि इसके बारे में श्री शत्रुघन त्रिपाठी, महा मन्त्री, गन्डक योजना (सिंचाई विभाग) कर्मचारी संघ, गोरखपुर का एक पत्र दिनांक 8 जनवरी, 1975 को अधीक्षण अभियन्ता, गण्डक नहर मन्डल, प्रथम गोरखपुर को मिला था जिसमें छटनी शुदा वर्क चार्ज कर्मचारियों को काम पर वापस लेने की मांग की गई थी। इस परियोजना के अधीक्षण अभियन्ताओं और इस संघ के पदाधिकारियों के बीच दिनांक 10 मार्च, 1975 को बातचीत के बाद फैसला हो गया था और उसके मुताबिक इस संघ ने दिनांक 10 मार्च, 1975 से गोरखपुर में अपना आन्दोलन खत्म कर दिया था।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अभियन्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच जो समझौता हुआ उसकी शर्तें क्या हैं और उसका प्रारूप क्या है?

मोहम्मद महमूद अली खां--

इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरी सूचना को सही मान कर क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जो यूनियन के प्रतिनिधि हैं और जो अभियन्ता हैं के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ और आज भी मजदूर बेकार हैं और उनको वासप लेने के आदेश तुरन्त जारी करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

यह तो काम आने पर है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

प्रश्न का जो विषय है उसकी माननीय मन्त्री जी को कोई सूचना नहीं है। तो कृपा कर इसको स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

इन्होंने कहा कि दिनांक 10 मार्च, 1975 को आन्दोलन खत्म हो गया। तब क्या है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

वह अनशन प्रतीक थी वहां पर हजारों मजदूरों की छटनी हुई है। यह सरकारी आदेशों के विपरीत हुआ है। इसकी पूरी सूचना इकट्ठा करके जवाब दें और यह प्रयास करें कि मजदूरों को काम मिले .....

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

इसके बारे में जानकारी करा ली जायगी।

## ललितपुर में बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण

*5--श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)--

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला ललितपुर में बेतवा नदी पर राजघाट बांध निर्माण में पम्पिग सेट व अन्य मशीनरी की खरीद में रेट व टेंडर से कार्य कराने के बजाय वर्क आर्डर आधार पर कार्य करवा कर सरकार का लाखों रुपए का नुकसान किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस भारी क्षति को रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी नहीं।

राजघाट बांध के निर्माण के लिए पम्पिग सेट एवं अन्य मशीनें जिनकी कीमत रुपए पन्द्रह लाख है, निदेशक उद्योग विभाग, कानपुर द्वारा जारी किए गए स्टोर परचेज नोटिफिकेशन एवं डायरेक्टर जनरल सप्लाईज एवं डिस्पोजल, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर खरीदे गए है।

कुछ हाई प्रेशर पम्प एवं जनरेटिंग सेट, जिनकी कीमत पैंतालिस हजार रुपये है, निदेशक, उद्योग विभाग, कानपुर से सीधे खरीद करने का अधिकार पत्र मिलने के बाद औरटेन्डरों द्वारा, प्रोपराटरी आईटम होने के कारण, सीधे मैन्यूफैक्चरर के ही खरीदे गए हैं।

श्री गोरे लाल शाक्य--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पम्पिग सेट्स या अन्य मशीनरी खरीदी गई अगर वह टेन्डर द्वारा खरीदी जाय तो उसका मूल्य कम पड़ता है जबकि वर्क आर्डर से उस माल में कई हजार रुपया सरकार को ज्यादा देना पड़ा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मैंने यह अर्ज किया है कि जो गवर्नमेंट के निर्धारित रेट्स हैं, उन्हीं पर उनको खरीदा गया है।

श्री गोरे लाल शाक्य--

यदि इस समय माननीय मन्त्री जी के पास सूचना नहीं है तो क्या माननीय मन्त्री जी इसकी पूरी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप सवाल करें।

श्री गोरे लाल शाक्य--

क्या माननीय मन्त्री जी इसकी दुबारा जांच कराने की कृपा करेंगे कि ताकि यह सारा घपला सामने आ सके ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मैंने इस फाइल को जब देखा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इसमें जांच की कुछ आवश्यकता है। चूंकि मैंने इसमें कुछ ऐसी बातें पाई इसलिये मैंने जांच के लिए आदेश दे दिया है।

कामरेड चन्दन सिंह (जिला मथुरा)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मशीनरी खरीदी गई उनका उपयोग भी हुआ है या वे ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

यकीनन होगा।

कामरेड चन्दन सिंह--

क्या आपने दिसम्बर में राज घाट बांध के बारे में आदेश प्रसारित नहीं किए और ये मशीनरी वहां पर ज्यों की त्यों पड़ी हुई है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

अगर वह मशीनरी वहां पर इस्तेमाल नहीं होगी तो दूसरी जगह पर काम में आ जाएंगी।

**बहराइच जिले की कैसरगंज बाजार में सड़क से संलग्न भूमि पर अनधिकृत कब्जा**

*6--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में कैसरगंज बाजार में पी0डब्ल्यू0डी0की सड़क के पश्चिम सड़क से संलग्न भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है और उस भूमि पर ऊंची दूकानें और मकान बना लिए हैं जिससे वहां स्थित मस्जिद में जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है ? जिससे समाज के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच कराकर अनधिकृत कब्जा हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

बहराइच जिले में कैसरगंज बाजार में पी0 डब्ल्यू0 डी0 की सड़क के पश्चिम में सड़क से संलग्न भूमि पर 9 व्यक्तियों ने अस्थायी रूप से अनधिकृत कब्जा कर लिया है। यह कब्जे लकड़ी की गुमटी टिन शेड तथा झोपड़ियां बना कर किए गए हैं। प्रश्नगत मस्जिद को जाने का रास्ता अवरुद्ध नहीं है और न ही मस्जिदों के पास पी0 डब्ल्यू0डी0 की भूमि पर ऊंची दुकान व मकान बनवाकर अनधिकृत रूप से कब्जे किए गए हैं।

इन अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

श्री बाबू लाल वर्मा--

माननीय मन्त्री जी की यह सूचना गलत, बेबुनियाद और झूठी है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है ये झोपड़ियां, टिन शेड और लकड़ी की दुकानें 2 साल पहले रखी

गई थीं लेकिन मुस्लिम समुदाय की आपत्ति के कारण वहां से हटा दी गई थीं ? इस समय वहां पर 9 दुकानें पक्की हैं जिनसे मस्जिद का रास्ता रुक गया है तो क्या माननीय मन्त्री जी जांच करायेंगे और इन दुकानों को वहां से हटवायेगें ? वहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग और जिले के अधिकारियों ने मिल कर और हजारों रुपया लेकर ये दुकानें वहां पर लगाई और रुपए का गबन किया, तो क्या जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे और इन दुकानों को वहां से तुरन्त हटवाने की कार्यवाही करायेंगे ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

आप लिख कर भेज दें। जो आपने सूचना दी है वह तो मेरे पास उपलब्ध है नहीं। यह जरूर सही है कि 9 अनधिकृत दुकानें वहां पर हैं, जिनमें से दो जो मस्जिद की दीवाल है, जो सड़क के पास आती है उसी में बनी हुई हैं और 7 और हैं जो फैली हुई हैं। हमारे पास सूचना यही है कि झोपड़ियां हैं, टिन शेड्स हैं या गुमटी नुमा हैं। अगर आप समझते हैं कि वह बाकायदा पक्की बना ली गयी है तो मैं दिखवा लूंगा।

श्री बाबू लाल वर्मा--

मस्जिद को जाने का रास्ता जो रुक गया है, वह पतला रास्ता दो दुकानों के बीच में है, नीचे नाली है। इसलिए मैं मन्त्री जी को सही सूचना दे रहा हूं कि वहां पर पक्की दुकानें बनी हुई हैं। तो क्या माननीय मन्त्री जी कृपया जांच करवा कर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

आप कृपया लिख कर भेज दें।

**सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु बनाई गयी सूची**

*7--श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री इन्द्रपाल सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि माह जून, 1974 के तृतीय सप्ताह में सेलेक्शन बोर्ड द्वारा सिंचाई विभाग के कुछ अधिशासी अभियन्ताओं को अवीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नत करने हेतु कोई सूची तैयार की गई है ? यदि हां, तो सूची में कौन-कौन से नाम हैं ? क्या यह सच है कि उपरोक्त में से कुछ ऐसे भी अधिशासी अभियन्ताओं को पदोन्नति किया जा रहा है जिनकी वर्ष 1971-72 की चरित्र पंजिका में तत्कालीन प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश ने अनुशासन हीनता आदि के गम्भीर आरोपों का उल्लेख किया है ? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन अधिशासी अभियन्ता हैं और उन्हें किन कारणों से पदोन्नत किया जा रहा है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

प्रश्न का उत्तर देना जनहित में उचित न होगा।

श्री इन्द्रपाल सिंह --

1971-72 में चरित्र पंजिका में अभियन्ता ने गम्भीर आरोप दर्ज किए थे। उसके बाद उसी आदमी को मंत्री जी ने तरक्की दे दी और अवीक्षण अभियन्ता बना दिया और उत्तर देते हैं कि बताना जनहित में नहीं है। आपने जो उस दिन बजट भाषण में यह डींग मारी थी कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता हूं तो क्या इसी तरीके से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

एक ऊंचे दर्जे की सेलेक्शन कमेटी होती है। मैं किसी का सेलेक्शन नहीं करता। यह कमेटी ही सेलेक्शन कर के एक लिस्ट बनाती है। कुछ उसके नियम हैं सेलेक्शन कमेटी जिस आदमी का सेलेक्शन करती है वही आदमी लिया जाता है। जिसके बारे में एक भी भ्रष्टाचार वगैरह की बात होती है ऐसा कोई आदमी हुआ नहीं और होता नहीं है।

श्री ऊदल--

मैंने मन्त्री जी को 16 जून को लिखा था कि इस कमेटी में, एक श्री शर्मा हैं जो डाला चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर थे जो पहले भी एक बार एस0 ई0 के पद पर रह चुके थे और 14 जून को रिटायर हो गए और इस सर्वोच्च कमेटी ने उन्हें फिर से चुन लिया और दूसरे का हक मारा गया। तो क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी द्वारा मनोनीत एक अन्य विभाग के सेक्रेटरी होते हैं और हमारे ही महकमे के नहीं बल्कि पी0 डब्ल्यू0 डी0 के चीफ इन्जीनियर वगैरह होते हैं और यह कमेटी अधिकारियों का सेलेक्शन करती है। अब वह किस तरीके से हुआ अगर आप लिखेंगे तो मैं देखूंगा।

श्री ऊदल--

16 जून को पत्र लिखा था। क्या आप मेरे पत्र को देखेंगे ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह सवाल आप पढ़ें तो इसमें यह जानकारी मांगी है कि सूची में कौन-कौन से नाम हैं और उन्हें किन कारणों से पदोन्नति किया जा रहा है। इनके जवाब में लिखा है कि सरकार ने कुछ लोगों को गलत तरीके से पदोन्नति दे दी है . . .

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का क्या प्रश्न है? माननीय हिम्मत सिंह।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस कमेटी ने पी0 डब्ल्यू0 डी0 के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स को प्रोमोशन दिया और उसी का प्रश्न माधव बाबू ने पूछा था। उसका उत्तर दिया था और लिस्ट बतायी थी। आज यह कह कर टाला जा रहा है जनहित में नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब माननीय यादव जी ने उत्तर दिया था फिर आपको उत्तर देने में क्या कठिनाई पड़ रही है ?

श्री हरीश कुमार गंगवार--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। 'जनहित' में होने के लिए कुछ नियम बने हुए हैं। कहीं आन्तरिक सुरक्षा का मामला हो, या अन्य कोई महत्व की चीज हो तो वह जनहित में कही जा सकती है। इसमें कौन सी चीज जनहित की इन्वाल्व है?

श्री अध्यक्ष--

जवाब में हम क्या व्यवस्था दें ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जो सेलेक्शन होता है; वह कान्फीडेन्शियल होता है .... (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

नियमावली के नियम 38(3) के अन्तर्गत माननीय मन्त्री को यह कहने का अधिकार है और उसकी राय ही सुप्रीम है ....

श्री अध्यक्ष--

वह तो मैंने कह दिया, इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री इन्द्रपाल सिंह--

हम भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जनता के खजाने की लूट हो रही है और भ्रष्ट अधिकारियों को तरक्की दी जा रही है और यहां कह देते हैं कि लिस्ट को बताना जनहित में नहीं है ? हमें यह बताया जाय कि जनहित में कैसे नहीं है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

एक भी मिसाल ऐसी नहीं दी जा सकती कि किसी भ्रष्ट अधिकारी को तरक्की दी गयी है ।

श्री इन्द्रपाल सिंह--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिसको तरक्की दी गयी है उसके खिलाफ आपके चीफ इन्जीनियर ने कुछ लिखा था ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

उस कमेटी में तो चीफ इन्जीनियर खुद रहते हैं । इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी द्वारा मनोनीत एक अन्य विभाग के सेक्रेटरी, चीफ इन्जीनियर पी0डब्ल्यू0डी0 भी रहते हैं । अब उनकी रिपोर्ट अगर कान्फीडेन्शियल नहीं रहती है तो उनके लिए काम करना मुश्किल होगा, वे इन्डिपेन्डेंटली काम नहीं कर पायेंगे । इसलिए इसको जाहिर करना मुनासिब नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, उसमें जिन लोगों के नाम हैं निश्चय ही वे ठीक नहीं हैं और उनके नाम बता दिए जायें तो आपको अपना फैसला भी बदलना पड़ जाएगा । अगर मन्त्री जी उनके नाम बता देते हैं तो उससे आपको लाभ ही होगा ।

श्री अध्यक्ष--

अगर कोई यह समझता है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो उसके लिए न्याय का द्वार खुला हुआ है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, नाम बताने में क्या हर्ज है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

वे कह रहे हैं कि कमेटी उसका चयन करती है वह कान्फीडेन्शियल है ।

(शोर--व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जनहित में है या नहीं यह कौन डिसाइड करेगा... (शोर)

श्री शिव कुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, हम लोग कई बार खड़े होते हैं तब भी आप बोलने की इजाजत नहीं देते और श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी बैठे होते हैं तब भी उनको पुकार लेते हैं तो यह कुछ ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

यह आपके अव्यवस्थित व्यवहार का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है ।

श्री शिव कुमार पाण्डेय--

कायदे की बात कहता हूं तो वह अव्यवस्था हो गयी ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे कहता हूं कि यह आरोप है, अध्यक्ष के निर्णय के बारे में आरोप है । आपको समझना चाहिए कि अध्यक्ष से पूछने का आपको हक नहीं है ?

श्री शिव कुमार पाण्डेय--

अध्यक्ष चाहे, जो मनमानी करता रहे ?

श्री अध्यक्ष--

अध्यक्ष जो करता है, नियमानुसार करता है । अगर आप लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं है, और कोई राय है तो अविश्वास का प्रस्ताव लाइए या मेरे कक्ष में एक मेम्बर भी आकर कह दे तो मैं हट जाने के लिए तैयार हूं ।

श्री शिव कुमार पाण्डेय--

आप कई बार ऐसा कह चुके हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है। आपने स्वयं रूलिंग दी है कि कई मेम्बर खड़े हो लेकिन जिसके ऊपर मेरी निगाह पड़ेगी उसी को मैं पुकारूंगा। लेकिन हम लोग खड़े होते हैं तो आप पुकारते नहीं और श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी को पुकारते हैं जो कि बैठे हुए थे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, अब इनकी आंख में रोशनी न हो तो उसकी दवा हमारे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

अब यह सवाल सदन के सामने है। शासक दल की ओर से यह आरोप और शिकायत है। अध्यक्ष के निर्णय पर आक्षेप करते हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, अब उन्होंने आपके आदेश का पालन कर लिया, अब कोई सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

यह बार-बार अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं, अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती देते हैं। मैं कहता हूं कि श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी खड़े हुए थे इसलिए मैंने उनको मौका दिया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, इतने गम्भीर प्रश्न के ऊपर भी सरकार की ओर से कोई मन्त्री नहीं बोल रहा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय सदस्य इस तरह से मखौल उड़ाते हैं। मैं खड़ा हुआ था, सब लोगों ने देखा और तब आपने मुझे पुकारा लेकिन माननीय सदस्य द्वारा यह आक्षेप लगाया कि मैं खड़ा ही नहीं हुआ था, मैं बैठा हुआ था और तब आपने पुकारा। अब कोई अपनी आंख ही मूंद ले या उनकी आंखों में रोशनी ही न हो तो हम क्या करें?

श्री ऊदल--

मैं खड़ा हुआ था तो मुझे बैठा दिया और माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी को पुकारा।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष जी, मुझे खेद है कि हमारे दल के किसी सदस्य की बात से आपको आघात पहुंचा, कष्ट पहुंचा। आपकी निष्पक्षता स्पष्ट है और जिस कठिन स्थिति में आप काम चलाते हैं वह हम सब के लिये सौभाग्य की बात है और मैं आशा करता हूं कि आप अपने ध्यान से इस बात को निकाल देंगे।

(व्यवधान)

**मिर्जापुर जिले के आर्य कन्या इन्टर कालेज की छात्राओं से आर्य समाज के चन्दे की वसूली**

* 8--श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या इन्टर कालेज मिर्जापुर की छात्राओं से 20 पैसा प्रतिमाह के हिसाब से आर्य समाज का चन्दा लिया जाता है और उसकी रसीद नहीं दी जाती है तथा मांगने पर छात्राओं का नाम काट कर विद्यालय से निकाल दिया जाता है? यदि हां, तो वहां के प्रधानाचार्या के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

---

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 7 के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

छात्राओं से चन्दा वसूलने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई थी और इस शिकायत पर मन्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, पंचम मन्डल वाराणसी द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 1975 को जांच की गई। चन्दा वसूले जाने का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिला और न नाम काटे जाने का ही प्रमाण मिला। अतएव प्रधानाचार्या के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

**गोरखपुर जिले के गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इन्टर कालेज में सरकारी धन का दुरुपयोग**

*9—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इन्टर कालेज महराजगंज (गोरखपुर) की 1969 के विशेष आडिट में सरकारी धन के दुरुपयोग के तथ्य प्रकाश में आए हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने अब तक क्या कायवाही की?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, संस्था में साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति की जा चुकी हैं।

**सहायता प्राप्त गैर सरकारी जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का वेतन मान**

*10—श्री मूल चन्द राजपूत—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त गैर-सरकारी जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के नवीन वेतन-मान निर्धारण नहीं हुए? यदि हां, तो किस कारण से इन वेतन-मानों का निर्धारण नहीं किया गया और सरकार इसमें क्या उचित कार्यवाही कर रही है?

श्री अम्मार रिजवी—

वेतन आयोग के प्रतिवेदन में सहायता प्राप्त गैर-सरकारी जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन-मानों के सम्बन्ध में कोई उल्लेख न होने के कारण इनके वेतन-मान संशोधित नहीं हो सके हैं। इनके वेतन-मानों को पुनरीक्षित करने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

*11—श्री मूल चन्द राजपूत—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

**बाढ़ प्रखण्ड (जौनपुर) के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध सरकारी वाहन के दुरुपयोग करने का आरोप**

*12—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 1 अप्रैल, 1974 को जिला जौनपुर में बाढ़ प्रखन्ड के एक सहायक अभियन्ता के विरुद्ध वहां की जनता तथा कुछ राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं ने आरोप लगाया था कि वह सरकारी वाहन तथा पेट्रोल का दुरुपयोग कर रहे हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

शासन को सूचना मिली है कि दिनांक 1 अप्रैल, 1974 को बाढ़ प्रखन्ड जौनपुर के एक सहायक अभियन्ता की जीप को कुछ लोगों ने रोका और सरकारी वाहन और पैट्रोल के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया।

यह आरोप बेबुनियाद पाया गया। अत: किसी दूसरी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

**सुल्तानपुर जिले के उमा रमण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक के विरुद्ध दी गयी नोटिस और नियंत्रण की नियुक्ति पर विचार**

*13-14--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि दिनांक 26 जनवरी सन् 1973 को शिक्षा निदेशक, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या (9)/11577/14-51-(4)-72-73 द्वारा उमा रमण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जामों, सुल्तानपुर के प्रबन्धक को विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं के कारण इन्टरमीडिएट संशोधन अधिनियम की धारा 16-डी० (2) के अन्तर्गत कारण बताने की नोटिस दी ? यदि हां, तो इस नोटिस के द्वारा किन-किन अभियोगों के सम्बन्ध में जवाब मांगा गया ?

क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में नियन्त्रक शीघ्र नियुक्त कर दिए जाने के आदेश राज्य सरकार ने दिये थे जिसके अनुसार जिलाधिकारी, सुल्तानपुर ने एस० डी० एम०, मुसाफिरखाना का नाम भी भेज दिया ? यदि हां, तो नियन्त्रक वहां नियुक्त कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

उपलब्ध सूचना अस्पष्ट है। पूर्ण सूचना एकत्र की जा रही है।

**मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के लैब वियरर्स का नया वेतन-मान एवं अशैक्षणिक कर्मचारी का नगर प्रतिकर भत्ता और मकान किराया भत्ता**

*15--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मोतीलाल रीजनल, इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के लैब बियरर्स जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, के पदों का वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित नया वेतन-मान शासन द्वारा किन परिस्थितियों में अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है ? उक्त पद का नया वेतन-मान न स्वीकृत किए जाने में विलम्ब का कारण क्या है तथा कब तक स्वीकृत किए जाने की आशा है ? मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मोतीलाल नेहरू रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के अशैक्षणिक कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता तथा मकान किराया भत्ता दिनांक 1 अगस्त, 1973 के पूर्व राज्य कर्मचारियों के समान मिल रहा था ? यदि हां, तो दिनांक 1 अगस्त, 1972 के नये वेतन-मान लागू होने पर राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत दरों पर मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता कालेज कर्मचारियों का किन कारणों से अभी तक नहीं स्वीकृत किया जा सका ?

श्री अम्मार रिजवी--

मोती लाल नेहरू रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के लैब वियरर्स को शासन द्वारा नया वेतन-मान (165-215) नवम्बर, 1974 में स्वीकार किया जा चुका है। वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतन-मान (170-225) दिए जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

मोती लाल नेहरू रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के अशैक्षणिक कर्मचारियों को दिनांक 1 अगस्त, 1972 के पूर्व राज्य कर्मचारियों के समान नगर प्रतिकर भत्ता तथा मकान किराया भत्ता मिल रहा था। दिनांक 1 अगस्त, 1972 के नये वेतन-मान लागू होने पर कालेज कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत दरों पर उक्त भत्ता स्वीकार किए जाने का मामला शासन के विचाराधीन है।

**गोरखपुर जिले के मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों व इन्टर कालेजों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण**

*16—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री विश्राम (जिला आजमगढ़) तथा श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के कितने मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों व इन्टर कालेजों के अध्यापकों, गैर-शिक्षक कर्मचारियों का वेतन का निर्धारण गत 7 वर्ष की अवधि में नहीं हुआ है ? यदि हां, तो विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी है तथा कब तक यह कार्य पूर्ण हो जाएगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

**पिथौरागढ़-नैपाल मार्ग पर कालिहास नदी के पुल का ध्वस्त होना**

*17—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पिथौरागढ़ जिले को नैपाल से जोड़ने वाले कालिहास नदी पर बना पुल नवम्बर, 1974 माह में सहसा ध्वस्त हो गया ? अगर हां, तो इसका क्या कारण था ? क्या सरकार पुराने पुलों की देख-रेख के सम्बन्ध में योजना तैयार करती रहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

जी हां।

इस पुल के ध्वस्त होने के कारण निम्नवत् थे—

(1) इस पुल के रस्से एक लकड़ी के लट्ठे से बंधे थे जो चौकोर लकड़ी द्वारा जमीन में गड़ा था और उसके ऊपर पत्थर की चिनाई सीमेंट व गारे की थी। लट्ठे के ऊपर जो भार पत्थर की चिनाई द्वारा दिया गया था वह बहुत कम था।

(2) लकड़ी के चौकोर टुकड़े जो जमीन में गड़े थे वे सड़ गए थे और 50-60 आदमियों के भार को नहीं ले सकने के कारण वे टूट गए। जो चिनाई इन लट्ठों के ऊपर थी वह गारे व सीमेंट की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण टूट गई। जिस बीम को ऐंकर बनाया गया था वह बीम अपने स्थान से उखड़ कर ऊपर को चला गया जिससे पुल नदी की सतह में बैठ गया।

यह पुल नैपाल सरकार ने बनाया था और वही इसका रख-रखाव कर रही थीं सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने पुलों की देख-रेख नियमानुसार जांच करके करता रहता है।

*18—श्री कल्याण सिंह—

[6वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 76 पर स्थानान्तरित।]

**शारदा सहायक परियोजना, बिसवां उप खंड के संबन्ध में शिकायत और द्वितीय उपखंड में मिट्टी की खुदाई में अनियमितता की जांच**

*19—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना, बिसवां उप खंड में व्याप्त लोहे, सीमेन्ट आदि की चोरी तथा फर्जी भुगतान और मिट्टी की खोदाई में अधिक दर देने सम्बन्धी शिकायत 1 जनवरी, 1974 से 20 नवम्बर, 1974 के बीच मिली है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां। एक शिकायत पोषक नहर पर पुल न होने की वजह से दुर्घटना तथा पेट्रोल, डिजेल, लोहा, कोयला आदि खुले बाजार में बेचने के सम्बन्ध में थी। उसकी जांच हो रही है।

दूसरी शिकायत पोषक नहर के विभिन्न रीचों पर मिट्टी का काम कराने के लिए एग्रीमेंन्ट किए गए, बाद में इसी काम को वर्क आर्डर के जरिये कराकर दोबारा भुगतान किए जाने के बारे में थी।

इस शिकायत की जांच करायी गयी और निराधार पाया गया।

*20--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त परियोजना के खंड 12 में द्वितीय उप-खंड में मिट्टी की खुदाई का भुगतान अधिक दिए जाने का भी मामला अभी हाल में प्रकाश में आया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां। इसकी जांच करायी गयी। जांच से ज्ञात हुआ कि दर ठीक दी गयी है और काम भी ठीक तरह से हुआ है।

*21--श्री राम प्रकाश यादव--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

## फतेहपुर जिले के खागा-नौ वस्ता मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर अनधिकृत निर्माण

*22--श्री गोरे लाल शाक्य--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खागा, जिला फतेहपुर के नौबस्ता रोड पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर अनधिकृत निर्माण कुछ व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार अनधिकृत निर्माण को समाप्त करने के लिए अविलम्ब कदम उठाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

जिला फतेहपुर में खागा नौबस्ता मार्ग के किलो मीटर 1 में सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर एक अनधिकृत निर्माण किया जा रहा है। इस अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए विभाग द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

*23--श्री हरि केवल--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

## फर्रुखाबाद जिले के नलकूप खंड के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती पत्र और स्टेनोग्राफर का स्थानान्तरण

*24--श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री झामलाल अहिरवार (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खंड फर्रुखाबाद के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध अनेकों विधायकों के हस्ताक्षरों से युक्त लाखों रुपये के घोटाले तथा अन्य अनियमितताओं व भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र दिसम्बर, सन् 1974 से 15 फरवरी, 1975 तक प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

ऐसा एक शिकायती-पत्र तीन विधायकों के दस्तखतों से प्राप्त हुआ था। इस पर शासन द्वारा छानबीन करायी जा रही है।

*25—श्री राम प्रकाश त्रिपाठी तथा श्री झाम लाल अहिरवार—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खन्ड फर्रुखाबाद के अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में एक अति लम्बी अवधि से कार्यरत स्टेनोग्राफर का स्थानान्तरण आदेश माह जनवरी, 1975 में होने के बाद भी उन्हें वहां से रिलीव नहीं किया गया? यदि हां, तो उसका कारण क्या है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी नहीं। स्टेनोग्राफर को रिलीव कर दिया गया है।

**वाराणसी जिले के भदोही स्थित जिला परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों के चपरासियों के वेतन-क्रम में अन्तर**

*26—श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी), श्री राम रति बिन्द (जिला वाराणसी) तथा श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के उप जिला परिषद्, भदोही में कार्यरत जूनियर हाई स्कूल में कुल कितने चपरासी हैं उसमें से कितने चपरासियों को दो सौ रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है तथा कितने चपरासियों को पचास रुपए से भी कम दिया जाता है? इस वेतन में असमानता का क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी—

कुल चपरासियों की संख्या 67 है। उनमें से 42 चपरासियों को 200 रुपए से अधिक तथा 25 चपरासियों को 50 रुपए से कम वेतन दिया जाता है। जिला परिषद् ने उक्त 25 चपरासियों की नियुक्ति अंशकालीन पदों पर की थी जिन पदों का हस्तान्तरण बे0 शि0 परिषद् को दिनांक 25 जुलाई, 1972 को किया गया। अब भी उक्त पदों पर नियुक्त चपरासियों के वेतन का भुगतान उन्हीं दरों पर किया जा रहा है क्योंकि वेतन आयोग द्वारा अंशकालीन पदों के बारे में कोई संस्तुति नहीं की गई है।

**आजमगढ़ जिले के शिक्षक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भीमवर के प्रबन्धक के विरुद्ध तथा कथित शिकायती-पत्र**

*27—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षक हायर सेकेन्डरी स्कूल, भीमवर, जिला आजमगढ़ के प्रबन्धक श्री माया राम पास के अपर प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं और शिक्षा संहिता एवं अनुनियमों के अनुसार किसी स्कूल के प्रधानाध्यापक तथा अध्यापक हायर सेकेन्डरी स्कूल के प्रबंधक समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं? यदि हां; तो उक्त स्कूल के अध्यक्ष के लिखने के बावजूद भी जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं हरिजन समाज कल्याण अधिकारी उन्हें ही प्रबन्धक मानते हुए अनुदान एवं फीस की क्षतिपूर्ति की धनराशियां देते क्यों चले आ रहे हैं?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, यह सत्य है कि शिक्षक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीमवर, आजमगढ़ के प्रबन्धक श्री मायाराम प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं। शिक्षा संहिता एवं अनुनियमों में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है जिसके अन्तर्गत वे समिति के सदस्य नहीं हो सकते क्योंकि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अध्याय 3 का विनियम 5 केवल मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों पर ही लागू होता है। विद्यालय के अध्यक्ष की कोई शिकायत इस सम्बन्ध में प्राप्त नहीं है। अतः उन्हें प्रबन्धक मानते हुए अनुदान एवं फीस की क्षतिपूर्ति की धनराशियां न देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**एच० बी० टी० आई०, कानपुर के गैर शिक्षक कर्मचारियों का विचाराधीन सी०सी० ए० और एच० आर० एलाउन्स**

*28—श्री राम नारायण पाठक (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि "पे रेशनलाइजेशन कमेटी" (पी० आर० सी०) की संस्तुति पर राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1 अप्रैल, 1965 से पुनरीक्षित वेतन-मानों तथा सी० सी० ए०/एच० आर० ए० का भी लाभ दिया गया किन्तु उत्तर प्रदेश शासन ने पुनरीक्षित वेतन-मान 'एच० बी० टी० आई०' कानपुर के गैर शिक्षक कर्मचारियों को दो वर्ष बाद अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल, 1967 से लागू किए तथा सी० सी० ए०/एच० आर० ए० का लाभ अभी तक नहीं दिया ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी—

एच० बी० टी० आई०, कानपुर के गैर-शिक्षक कर्मचारियों को, जो राज्य कर्मचारी नहीं हैं, 'पे रेशनलाइजेशन कमेटी' की संस्तुति के सादृश्य पर पुनरीक्षित वेतनमानों का लाभ 1 अप्रैल, 1967 से दिया गया। उक्त कर्मचारियों को सी० सी० ए०/एच० आर० ए० दिए जाने का मामला शासन के विचाराधीन है।

**बस्ती जिले के किसान इन्टर कालेज में नियंत्रक नियुक्त करने की मांग**

*29—श्री दशरथ सिंह (जिला मोंहा) तथा श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि किसान इन्टर कॉलेज मरहा कटया, बस्ती के प्रबन्धकीय विवाद के सम्बन्ध में दिनांक 1 अक्तूबर, 1974 से लेकर 20 फरवरी, 1975 तक उस क्षेत्र के ग्राम प्रधानों तथा उसी विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्रों ने शासन से साधिकार नियन्त्रक नियुक्त करने हेतु कोई पत्र शासन को भेजा था ? यदि हां, तो क्या नियन्त्रक नियुक्त किए गए थे। यदि नहीं, तो क्यों और कब तक नियुक्त किए जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, विद्यालय में साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति का प्रकरण विचाराधीन है।

*30—श्री दशरथ सिंह तथा श्री श्रीनारायण—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*31—श्री हिम्मत सिंह—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

**लखनऊ खंड के नलकूप चालकों का स्थायीकरण**

*32—श्री दधीच सिंह (जिला हरदोई)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप विभाग, लखनऊ खण्ड में कार्यरत नलकूप चालकों को अभी तक स्थाई न किए जाने का कारण क्या है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

**मेरठ जिले में नहर विभाग की भूमि पर मोदी परिवार का अवैध कब्जा और मोदी परिवार द्वारा नहर विभाग के नाले का प्रयोग**

*33—श्री राजपाल (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोदीनगर, जिला मेरठ में मोदी परिवार ने नहर विभाग की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो सरकार ने उसे छुड़ाने के लिए क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी हां।

अवैध कब्जे को हटाने के लिये कानूनी कार्यवाही का इन्तजाम किया जा रहा है।

*4—श्री राजपाल—

क्या सरकार ने मोदीनगर, जिला मेरठ में स्थित नहर विभाग के नाले के प्रयोग की अनुमति मोदी परिवार को दी है? यदि हां, तो किस आधार पर? क्या उनसे कोई किराया लिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मोदी परिवार को इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गयी है।

**टिहरी-गढ़वाल, पौड़ी-गढ़वाल मार्ग पर अलकनन्दा नदी पर पुल निर्माण**

*35—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टिहरी गढ़वाल एवं जिला पौड़ी-गढ़वाल को जोड़ने वाला अलकनन्दा नदी पर, श्री नगर गढ़वाल से करीब 3 कि0मी0 की दूरी पर बद्रीनाथ की ओर जिस पुल को बनाने का कार्य सन् 1958 से प्रारम्भ किया गया था, वह अब तक किन कारणों से नहीं बन पाया है? क्या यह सही है कि जो स्तम्भ बने हुए हैं वह अनुपयुक्त हैं और जो लोहा यहां पहुंचाया गया था वह भी अनुपयुक्त होने से वापस भेजा जा रहा है? इस अव्यवस्था के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

इस पुल का निर्माण अब तक पूरा न किए जाने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) पुल की परिकल्पना में परिवर्तन तथा लोहे के मूल्य में और श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि के कारण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति दो बार देनी पड़ी।

(2) पुल के भागों (पार्ट्स) का निर्माण त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स, नैनी द्वारा किया जा रहा है परन्तु बिजली में कटौती होने के कारण निर्माण में विलम्ब हो रहा है।

इस हेतु के जो स्तम्भ बने हैं वे पूर्णतया उपयुक्त हैं तथा लोहा जो पहुंचाया गया है भी पूर्णतय : उपयुक्त है तथा उसको वापस भेजने का कोई प्रश्न नहीं है।

**आगरा जिले के माइनर चावली के रजबहा सेवऊ का निर्माण**

*36—श्री शिव चरन लाल (जिला आगरा)—

क्या सिचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला आगरा के ब्लाक एतमादपुर के रजबहा सेवऊ माइनर चावली की ओर आगे बढ़ाए जाने का निर्माण कार्य अचानक रोक दिया गया है? यदि हां, तो क्यों और उक्त माइनर कब तक बनकर तैयार हो जाएगी?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

प्रश्न का पहिला हिस्सा—

जी हां।

प्रश्न का दूसरा हिस्सा—

इस माइनर को आगे बढ़ाने का काम काश्तकारों के एतराज की वजह से रोक दिया गया है।

प्रश्न का तीसरा हिस्सा—

काश्तकारों का एतराज दूर हो जाने के बाद काम पूरा कराया जा सकेगा।

*37—श्री हिम्मत सिंह—

[स्पष्टीकरण के लिए हटाया गया।]

**सरस्वती बालिका विद्यालय, लखनऊ में दो प्रबन्ध समिति**

*38--श्री कृष्णदत्त (उर्फ बलराज) (जिला फतेहपुर)--

क्या सरकार को जानकारी है कि सरस्वती बालिका विद्यालय, नरही, लखनऊ में दो प्रबन्ध समितियां इस समय कार्य कर रही हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ? क्या सरकारएे से विद्यालयों का अनुदान बन्द कर अपने अधिकार में लेगी ? यदि नहीं तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

विद्यालय में इस समय दिनांक 18 सितम्बर, 1972 को निर्वाचित प्रबन्ध समिति कार्य कर रही है किन्तु आर्य प्रतिनिधि सभा उक्त समिति को वैध नहीं मानती।

इस संस्था में विभिन्न प्रकार की गम्भीर आर्थिक अनियमितताओं के कारण अनुदान निलम्बित है। अनियमितताओं के कारण दिनांक 23 अक्तूबर, 1973 को ऐक्ट की धारा 16-डी(5-क) के अन्तर्गत साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति की गई थी किन्तु उच्च न्यायालय के आदेशों के फलस्वरूप वह नियुक्ति समाप्त हो गई? अब पुन: साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति का प्रश्न विभाग के विचाराधीन है।

**सार्वजनिक निर्माण विभाग यूनिट नं० 1 ऐशबाग, लखनऊ में लुहार मिस्त्री की नियुक्ति**

*39--श्री छेदा लाल चौधरी (जिला लखीमपुर खीरी)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के डिस्ट्रिक्ट कान्सट्रक्शन यूनिट नं0 1 ऐशबाग, लखनऊ के कुछ दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले लुहार मिस्त्रियों को दिनांक 1 मार्च, 1958 से रेगुलर स्थान पर नियुक्त किया गया? यदि हां, तो क्या इन लुहार मिस्त्रियों को दिनांक 1 मार्च, 1966 से रेगुलर किए जाने के उपरान्त वेतन-मान दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

जी हां, केवल एक लुहार को दिनांक 1 मार्च, 1968 से नियमित अधिष्ठान में नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए।

(क) जी नहीं।

(ख) एक लुहार जो दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहा था के नियमित अधिष्ठान में दिनांक 1 मार्च, 1968 से नियुक्त के आदेश गलती से हो गए थे। गलती मालूम होने पर नियमित करने के आदेश निरस्त करने की कार्यवाही मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही है। अत: वेतन-मान देने का प्रश्न नहीं उठता।

*40--श्री हरिकेवल तथा श्री जमुना प्रसाद बोस--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*41--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

**टिहरी, पिथौरागढ़, उत्तर काशी तथा चमोली जिले के राजकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों के नये वेतन-मान का निर्धारण**

*42--श्री दया किशन पाण्डेय (जिला पिथौरागढ़)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बावजूद शासनादेश संख्या 187/27-92-28-क-68, लखनऊ, दिनांक 15 जनवरी, 1974 तथा राजाज्ञा सं0 यू0 ओ0 291-क/15-1-73, दिनांक 8 फरवरी, 1974 के सीमान्त जिले पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी तथा चमोली के राजकीय प्राथमिक शिक्षकों तथा कर्मचारियों को अभी तक नवीन वेतन क्रम क्यों नहीं दिया गया है ? कब से उनको यह वेतन देने का शासन विचार कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

टिहरी जनपद के राजकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को नवीन वेतन-क्रम देने के सम्बन्ध में 21 दिसम्बर, 1973 को आदेश जारी किए जा चुके हैं पिथौरागढ़, उत्तर काशी तथा चमोली जिले के राजकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों को नवीन वेतन-क्रम देने का प्रश्न विचाराधीन है?

**बुलन्दशहर के सेवा निवृत्त बेसिक अध्यापकों के पेंशन की स्वीकृति**

*43--श्री वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर (जिला बुलन्दशहर)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में कितने बेसिक अध्यापक ऐसे हैं जो वर्ष 1971 व 1972 में रिटायर हुए थे और उनको पेन्शन अभी तक नहीं मिली है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद बुलन्द शहर में वर्ष 1971 व 1972 में 37 अध्यापक सेवानिवृत्त हुए हैं जिनमें से 24 अध्यापकों की पेन्शन स्वीकृत हो चुकी है तथा 5 पेन्शन प्रकरण में पत्र-व्यवहार चल रहा है और शेष 8 अध्यापकों ने पेन्शन प्रपत्र सम्बन्धित निकायों को अभी तक नहीं दिये हैं

*44--श्री अंगने लाल--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*45-46--श्री पुरुषोत्तम कौशिक, श्री कृपा शंकर आर्य तथा श्री बांके लाल--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

**आगरा जिले के एतमादपुर से मथुरा जिले के बलदेव मार्ग का निर्माण**

*47--श्री शिवचरन लाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले के एतमादपुर से मथुरा जिले के बलदेव तक जाने वाली सड़क के मथुरा जिले में पड़ने वाले हिस्से में कंकड़ मिट्टी आदि पड़ चुके हैं परन्तु आगरा जिले में पड़ने वाले हिस्से में काम नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों और कब तक इस हिस्से में कार्य प्रारम्भ किया जाएगा?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

आगरा जिले के एतमादपुर से मथुरा जिले के बलदेव तक जाने वाली सड़क के मथुरा जिले में पड़ने वाले भाग का खन्दौली से मई तक का हिस्सा (7,350 कि0 मी0) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणार्थ स्वीकृत है और इस हिस्से पर कार्य प्रगति पर है परन्तु उक्त सड़क के आगरा जिले में पड़ने वाले भाग का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की किसी योजना में स्वीकृत नहीं है अत: इस भाग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भ किए जाने का प्रश्न नहीं उठता?

*48--श्री मुहम्मद मसूद खां--

[2-4-75 को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त।]

**बस्ती जिले के नौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ट्यूबवेल लगाने की मांग**

*49--श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बस्ती जिले के विधान सभा क्षेत्र नौगढ़ के टंडिया बाजार, खरखरा खुर्द, दूल्हा जनूवी, दुल्हा दर्मियानी में सरकारी ट्यूबवेल लगाने की कोई योजना जिला नियोजन विभाग ने बनायी है? यदि हां, तो योजना क्या है और उपरोक्त ट्यूबवेल कब तक लग जायेंगे?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

बस्ती जनपद में नौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के टंडिया बाजार, खरखर खुर्द दुल्हा जनूबी, दुल्हा दर्मियानी में राजकीय नलकूप लगाने की कोई योजना सिंचाई विभाग द्वारा नहीं बनाई गई है ?

**ललितपुर जिले के राजघाट बांध से संबंधित श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान की मांग**

*50--श्री भगवत दयाल (जिला झांसी)--

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला ललितपुर स्थित राजघाट बांध का कार्य दिनांक 23 दिसम्बर, 1974 से बन्द कर दिया गया है तथा हो चुके कामों का भुगतान अब तक शासन द्वारा न किए जाने के कारण इस योजना पर कार्यरत श्रमिकों की दशा बड़ी भयावह हो गयी क्योंकि ठेकेदारों ने उन्हें कोई भुगतान उसी आधार पर कई मास से नहीं किया है ? क्या सरकार श्रमिकों को भुगतान अविलम्ब कराने हेतु कोई समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

राजघाट बांध बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव है कि उसको एक कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा बनाया जाय जिसमें उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार नुमाइन्दे शामिल हों ? इसी लिए राजघाट बांध पर काम रोक दिया गया है । ठेकेदारों द्वारा किए गए कामों का भुगतान कायदे के मुताबिक कर दिया गया है ।

*51--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[ 7वें बुधवार के लिए स्थगित । ]

**नलकूप निर्माण एवं नियंत्रण खंड, वाराणसी के विभिन्न श्रेणी के अभिन्ताओं का कार्यकाल एवं उनका स्थानान्तरण**

*52--श्री गिरिजा शंकर पाठक--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के सिंचाई विभाग ने नलकूप निर्माण प्रखंड प्रथम, द्वितीय, तृतीय चतुर्थ में कितने जूनियर इन्जीनियर, असिस्टेन्ट इन्जीनियर एवं एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, ऐसे हैं जिन्हें यहां पर कार्य करते 3 वर्ष से अधिक हो गया है परन्तु इनका स्थानान्तरण अब तक नहीं किया गया ? क्या इस काल में इनके विरुद्ध कोई शिकायतें भी प्राप्त हुयी हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां --

नलकूप निर्माण एवं नियंत्रण खन्ड, वाराणसी में कोई भी अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता 3 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत नहीं है ।

इस खंड में 8 जूनियर इन्जीनियरों का कार्य काल 3 वर्ष से अधिक हो गया है इनमें से 3 स्थानान्तरण के अन्तर्गत हैं जिनमें से एक के खिलाफ शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जो जांच के बाद बे बुनियाद पाया गया शेष 5 जूनियर इन्जीनियर जिनके अभी तबादले नहीं हुए हैं उनमें से भी एक के खिलाफ शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर जांच हो रही है ।

**मुजफ्फरनगर-कांधला इसोपुर टील सड़क का निर्माण**

*53--श्री मूल चन्द राजपूत--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर कांधला इसोपुर टील सड़क बहुत दिनों से स्वीकृत है लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है ? यदि हां तो क्यों तथा इसे कब तक पूर्ण कराने का शासन द्वारा विचार है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

जी हां। मार्ग के किलोमीटर 1 व 6 में भूमि न मिलने के कारण एवं 1974-75 में समुचित धन उपलब्ध न होने के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही। यदि उचित मात्रा में धन उपलब्ध हो सका तो मार्च 1976 तक मार्ग को पूर्ण कर दिए जाने की आशा है ?

*54--श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी--

[9वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 38 पर स्थानान्तरित।]

**फर्रुखाबाद से कायमगंज सड़क पर बाई पास बनाने की मांग**

*55--श्री विमल प्रसाद तिवारी तथा श्री मानपाल सिंह (जिला एटा)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद से कायम गंज जाने वाली सड़क पर बाईपास बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

जी हां। कार्य कब तक प्रारम्भ होगा यह बताना सम्भव नहीं है क्योंकि इस प्रस्ताव पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

**निर्माण खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग (कानपुर) को दिये गये कोयले का तथाकथित गायब होना**

*56--श्री राम रेखा यादव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1974 में कानपुर में 75 टन कोयला रेलवे यार्ड से मेडिकल कालेज पहुंचाने के पूर्व ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गया ? यदि हां, तो वास्तविकता क्या है तथा उस सम्बध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिब प्रसाद सिंह--

1--जी नहीं।

2--माह जून, 1974 में निर्माण खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानपुर को कोयले की एक रैक प्राप्त हुई थी जिसमें कुल 37 बैगनें थीं, जिनमें से 26 बैगन कोयला ठेकेदारों तथा भट्ठे वालों को एवं 2 वैगन कोयला विभागीय निर्माण इकाई (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानपुर को आर0आर0 में अंकित भार के अनुसार सीधे रेलवेयार्ड से ही दे दिया गया था। शेष 9 वैगन जिनमें आर0 आर0 के अनुसार 492.50 मैट्रिक टन कोयला था उसे मेडिकल कालेज स्थित विभागीय गोदाम में ले जाया गया तथा गोदाम पहुंचने पर कोयले की मात्रा में कोई कमी नहीं पायी गयी। यह कोयला विभिन्न ठेकेदारों को नकद कीमत पर इश्यू कर दिया गया ?

**बाराबंकी जिले में निर्माणाधीन नहर के लिये ग्राम खेमापुर के काश्तकारों की अधिग्रहीत की गयी फसल का मुआवजा**

*57--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) तथा श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में जो नई नहर दरियाबाद ब्रांच के समानान्तर बन रही है उस पर स्थित ग्राम खेमापुर विकास खंड दरियाबाद के काश्तकारों को टेम्पोरेरी (फसल का) मुआवजा जो लगभग 19434.32 रुपया होता है, फर्जी आदमियों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर दोषी लोगों को दन्डित करेगी ? तथा सही काश्तकारों को उनका मुआवजा शीघ्र दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

इस सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर जांच करायी जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी

**बरेली जिले की बहेड़ी-मुड़िया-नवी बक्श मार्ग पर बिहारीपुर के पुल का निर्माण**

*58—श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

क्या सरकार को विदित है कि सन् 1963 की वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होने के कारण जिला नैनीताल स्थित ढोड़ा जलाशय के फाटक खोल देने के फलस्वरूप तहसील बहेड़ी जनपद बरेली में बाढ़ आ गयी थी और बहेड़ी-मुड़िया-नवीबक्श सड़क पर ग्राम बिहारीपुर के पास का पुल बह गया था? यदि हां, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त पुल का निर्माण अब तक न किए जाने का क्या कारण है और कब तक बनने की आशा है?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

जी हां।

वर्ष 1969 की बाढ़ से बहेड़ी-मुड़िया,-नवीबक्श सड़क पर बिहारीपुर के पास पुल बह गया था। शासन ने बिहारीपुर के पास एक नए पुल का निर्माण जनवरी, 1973 में स्वीकृत कर दिया था लेकिन धनाभाव के कारण इस पुल का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका है। पुल कब तक बन जायगा यह बताना सम्भव नहीं है।

*59—श्री इन्द्रपाल सिंह—

[9वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 39 पर स्थानान्तरित।]

**जौनपुर जिले की टण्डवा पम्प नहर की गड़खड़ा माइनर पर पुलिया तथा पुलों का निर्माण होना**

*60—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि टंडवा पम्प कैनाल, जौनपुर की नहर (माइनर) गड़खड़ा, वाराणसी अर्सा 5 वर्ष से बनायी गयी है परन्तु इसमें पुलिया एवं गूलें नहीं बनायी गयीं? यदि हां, तो क्या यह सच है कि आज तक गड़खड़ा एवं और गांवों को इससे पानी नहीं दिया गया परन्तु सिंचाई विभाग के रजिस्टर में प्रति सप्ताह इससे दो दिन पानी दिया जाना लिखा जाता है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

टण्डवा पम्प नहर की गड़खड़ा माइनर 1974 में पूरी हुई। इस माइनर पर पुलिया तथा गूलों के निर्माण का प्राविधान नहीं है। माइनर के ग्राम गड़खड़ा तथा कुछ और ग्रामों को पानी नहीं मिला सिंचाई विभाग के रजिस्टर में माइनर से हुई असली सिंचाई ही लिखी जाती है। अतः किसी और कार्यवाही की जरूरत नहीं है।

*61-62—श्री रफीउल्ला—

(7वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 65-66 पर स्थानान्तरित।)

**सुल्तानपुर जिले के बेसिक शिक्षा परिषदीय अध्यापकों का अवशेष वेतन**

*63—श्री जयराज गौतम (जिला सुल्तानपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत सुलतानपुर जनपद में सेवारत अध्यापकों को नए वेतन-मान सम्बन्धी अवशेष धन अगस्त, सन् 1972 से भुगतान नहीं किया गया है। यदि हां, तो क्यों? तथा सरकार इस एरियर का भुगतान कब तक कराएगी?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। राज्य की अर्थोपाय स्थिति को दृष्टिगत करते हुए वेतनादि के अवशेष के भुगतान पर वर्ष 1974-75 में रोक लगा दी गई थी। अब इसका भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष में यथाशीघ्र करा दिया जाएगा।

*64--श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*65--श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला--

[7वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 64 पर स्थानान्तरित।]

**बिजनौर जिले में गंगा नदी पर दारा नगर के पुल की योजना**

*66--श्री धर्म वीर सिंह (जिला बिजनौर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि पिछले वर्ष प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा विदुर आश्रम, दारा नगर, जिला बिजनौर में गंगा पुल का उदघाटन किया गया था उसमें से अब तक कोई कार्य आरम्भ नहीं किया गया है और ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा यह कब तक बनाया जाएगा?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

जी हां। केन्द्रीय सरकार से इस पुल को अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व के पुलों के अन्तर्गत स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु केन्द्रीय सरकार का निर्णय अभी तक न प्राप्त होने के कारण राज्य सरकार ने इस सेतु की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति 2,68,34,000 रु0 की लागत पर दिनांक 13 मार्च, 1975 को दे दी है।

**बलिया जिले के सहायक अभियन्ता नलकूप प्रखंड के विरुद्ध शिकायती पत्र**

*67--श्री रघुनाथ (जिला बलिया)--

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि दिनांक 1 दिसम्बर, 1974 का कोई शिकायती-पत्र बलिया जनपद के एक सहायक अभियन्ता (प्रथम) नलकूप प्रखण्ड के विरुद्ध धन अपव्यय करने के सम्बन्ध में शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां, माननीय सदस्य का दिनांक 1 दिसम्बर, 1974 का शिकायती-पत्र मिला था। शिकायतीपत्र पर जांच की जा रही है।

**सिंचाई विभाग के क्लर्कों के स्थायीकरण की लिस्ट**

*68--श्री आशाराम यादव--

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि चीफ इन्जीनियर (सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश) ने दिनांक 4 दिसम्बर, 1974 को प्रान्त भर के सिंचाई क्लर्कों की स्थायीकरण की कोई लिस्ट जारी की है? यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय यह भी बतायेंगे कि जो स्थायीकरण की लिस्ट निकली है उसमें 320 क्लर्कों के नाम है जिसमें 132 के सामने कनफर्म लिखा है तथा शेष के आगे रिक्त स्थान है? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां, चीफ इन्जीनियर सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 4 दिसम्बर, 1974 द्वारा डिवीजनल रुटीन ग्रेड क्लर्क्स के स्थाईकरण की लिस्ट निकाली गई है जिसमें 320 डिवीजनल क्लर्क में से 132 डिवीजनल क्लर्कों को दिनांक 19 फरवरी, 1974 से स्थायीकरण हेतु अनुमोदित कर दिया गया है तथा शेष के आगे रिक्त स्थान हैं। स्थायीकरण के सम्बन्ध में वांछित चरित्र पंजियों के उपलब्ध न होने की वजह से सम्बन्धित क्लर्कों के लिए जगहें सुरक्षित रखी गई हैं तथा लिस्ट में ऐसी जगहों के सामने रिक्त लिखा गया है। यह इसीलिए किया गया कि जब आवश्यक चरित्र पंजियां एवं वांछित सूचनायें सम्बन्धित अधीक्षण अभिन्ताओं से आ जायें तो बाकी क्लर्कों को मुस्तकिल करने के लिये गौर किया जाय और अगर वे मुस्तकिल करने लायक समझे जायें तो उन्हें सीनियरिटी के हिसाब से खाली जगह पर मुस्तकिल कर दिया जाय ताकि उनको कोई नुकसान न हो।

*69--श्री सत्य प्रकाश--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

**आजमगढ़ जिले में टांडा कैनाल की लछेहरा माइनर और कप्तान गंज रजवाहा से संबंधित तथा कथित मिट्टी का कार्य**

*70--श्री विश्राम--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में टांडा कैनाल की लछेहरा माइनर और कप्तानगंज रजवाहा पर टेस्ट वर्क्स द्वारा ठेकेदारों ने लगभग 3 लाख 65 हजार घन फीट मिट्टी निकालने का काम किया परन्तु दिनांक 5 फरवरी, 1974 से आज तक सहायक अभियन्ता भाग 2 तथा अन्य अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र देने के बाद भी पैसे का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां --

प्रश्न का प्रथम भाग--

जी नहीं।

प्रश्न का द्वितीय भाग--

प्रश्न नहीं उठता।

*71--श्री वेद प्रकाश अग्रवाल--

[7वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 67 पर स्थानान्तरित।]

*72--श्री राममूर्ति--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

**फर्टिलाइजर कारपोरेशन इन्डिया (गोरखपुर) के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उर्दू अध्यापक की नियुक्ति**

*73--श्री अब्दुल रऊफ लारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्टिलाइजर कारपोरेशन इन्डिया, गोरखपुर की फैक्टरी में जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल रहा है उसमें डी0 आई0 ओ0एस0 के आदेश के बाद भी प्रिंसिपल प्रबन्धक ने उर्दू टीचर की नियुक्ति नहीं की है जब कि उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की संख्या पर्याप्त है ? यदि हां, तो सरकार ने इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री रामजी लाल सहायक--

उपलब्ध सूचना के अनुसार फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोरखपुर की प्रबन्ध समिति द्वारा उर्दू अध्यापक की नियुक्ति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर अभ्यर्थियों के चुनाव के लिए दिनांक 21 अप्रैल, 1975 साक्षात्कार की तिथि निर्धारित की गयी है। साक्षात्कार के बाद नियुक्ति कर ली जाएगी ?

**बहराइच जिले के प्रान्तीय खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग के श्री बी० पी० अग्रवाल की अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति**

*74--श्री दीप नारायण पाण्डेय (जिला गोन्डा)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खंड, बहराइच (श्री बी0 पी0 अग्रवाल) के विरुद्ध वर्ष 1960 से 1974 के बीच अनेकों शिकायतें प्राप्त हुयीं, जांच भी की गयी और उनको अधिकतर चेतावनी दी गयी और ये सेंसर भी किए जाते रहे। इसके बावजूद भी उनको अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिव प्रसाद सिंह---

जी हां। श्री बुद्ध प्रकाश अग्रवाल के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र मुख्य अभियन्ता को प्राप्त हुआ था लेकिन उसमें लगाए गए आरोप अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खंड, सार्वजनिक निर्माण, विभाग अल्मोड़ा द्वारा की गयी जांच के फलस्वरूप निराधार पाए गए ?

श्री अग्रवाल को तीन बार चेतावनी दी गयी। वे कभी सेंसर नहीं किए गए।

चयन समिति ने 6 जून, 1973 को श्री अग्रवाल के प्रतिकूल एवं अनुकूल कार्यकलापों पर समग्ररूप से विचार करने पर ही उन्हें अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के योग्य पाया।

## राजकीय विद्यालयों (हाई स्कूल एवं इन्टर) के अध्यापकों के स्थायीकरण की मांग

*75---श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय विद्यालयों (हाई स्कूल एवं इन्टर) में जो अध्यापक पिछले तीन वर्ष से भी अधिक अवधि से कार्यरत हैं उनको लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन की शर्त से मुक्त करके उनकी सेवायें स्थायी करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही ? यदि हां, तो उन्हें कब तक स्थायी कर दिया जाएगा ?

श्री अम्मार रिजवी---

जी नहीं ?

प्रश्न नहीं उठता।

## हर कोर्ट बटलर प्राविधिक संस्थान के निदेशक के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*76---चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

विधान सभा के 12 मार्च, 1975 में तारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरकोर्ट बटलर प्राविधिक संस्थान के निदेशक के विरुद्ध शिकायतों की जांच कर ली गयी है ? यदि हां, तो उक्त जांच किस अधिकारी ने की है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त जांच रपट को सदन के पटल पर रखा जाएगा ?

श्री रामजी लाल सहायक---

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक संस्थान के निदेशक के विरुद्ध माननीय विधायक द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर निदेशक की रिपोर्ट प्राप्त की गयी। निदेशक की रिपोर्ट के आवश्यक उद्धरण †सदन के पटल पर रख दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों को देखते हुए निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

## कानपुर जिले के केवान नाले का निर्माण

*77---चौधरी रामपाल सिंह यादव---

विधान सभा के 12 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 31 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले केवान नाले के निर्माण का कार्य धनाभाव के कारण स्थगित कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस इलाके की हजारों एकड़ कृषि भूमि और खड़ी फसलें बरसाती पानी भर जाने से डूब जाती और भारी नुकसान हो रहा है, इस नाले का निर्माण वित्तीय वर्ष 1975-76 में करा दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

जी हां।

धनराशि मिलने पर कार्य करना मुमकिन होगा।

---

†छापी नहीं गई।

*78—श्री प्रेमदत्त तथा श्री कृष्णदत्त (उर्फ बलराज)—
[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*79—श्री कृष्णदत्त (उर्फ बलराज)—
[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

**अतारांकित प्रश्न**

1—श्री कल्याण सिंह—
[12वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 15 पर स्थानान्तरित।]

2—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—
[2-4-75 को तारांकित प्रश्न संख्या 54 पर उत्तरित।]

**बाराबंकी जिले की भवन विहीन प्राइमरी पाठशालाएं**

3—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—
क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय बाराबंकी जनपद में कितने और कौन-कौन प्रायमरी स्कूल ऐसे चल रहे हैं जिनके पास भवन, छात्रों के बैठने का सामान, अध्यापकों के बैठने का सामान, शिक्षण सामग्री नहीं है? उक्त अभाव के क्या कारण है? तथा इसे दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

श्री राम जी लाल सहायक—
बाराबंकी जनपद में 620 विद्यालयों के पास भवन, 1092 विद्यालयों में छात्रों के बैठने का सामान, 760 विद्यालयों के अध्यापकों के पास बैठने का सामान तथा 1020 विद्यालयों के पास शिक्षण सामग्री नहीं है। (सूचियां †संलग्न है)

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्था, रुड़की द्वारा उक्त जनपद के 72 पाठशाला भवनों का निर्माण कार्य वर्ष 1974-75 में प्रारम्भ किया गया जो शीघ्र पूरा हो जाने की संभावना है।

साज-सज्जा क्रय करके वितरण किये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

4—श्री मुहम्मद असरार अहमद—
(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।)

5—श्री इन्द्र लाल—
(पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।)

**मिर्जापुर जिले के मुजेहरा, जूनियर हाई स्कूल के भवन का निर्माण**

6—श्री आशा राम यादव—
26 जून, 1974 के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या 8 के क्रम में शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस संबंधित जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिये प्रश्न कर्ता ने प्रश्न किया उसका उत्तर था कि ईंटा गिरा हुआ है भवन बन जायेगा? यदि हां, तो इसके बन जाने की कब तक संभावना है?

श्री राम जी लाल सहायक—
जी हां, यह उत्तर दिया गया था कि ईंटों का क्रय किया जा चुका है तथा शेष कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु विचार किया जा रहा है। जूनियर हाई स्कूल मुजेहरा के लिये स्वीकृत धनराशि में से जिला परिषद् ने 2000 रु0 ईंटों के क्रय के लिए खण्ड विकास अधिकारी कौन (मिर्जापुर) को दिया था जिसकी ईंटें क्रय कर ली गईं। जिला परिषद् ने

†छापी नहीं गई।

शेष धनराशि अन्यत्र व्यय कर दिया है जिसे उक्त स्कूल पर व्यय किया जाना चाहिये। अब जिला परिषद् से अनुरोध किया जा रहा है कि शेष धनराशि जूनियर हाई स्कूल मुजेहरा के निर्माण पर व्यय करें।

**देवरिया जिले के गंडक नहर निर्माण खंड तीन के अनुसूचित जाति के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति**

7--श्री श्रीनारायण--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंडक नहर निर्माण खंड 3 देवरिया के अन्तर्गत कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं? उनमें से कितने अनुसूचित जाति के हैं? 74-75 में कितने अनुसूचित जाति के कर्मचरियों की सेवाएं किस आधार पर समाप्त की गई है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

**सिंचाई विभाग के अनुसूचित जाति के सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति**

8--श्री श्रीनारायण--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है तथा नवम्बर, 74 से दिसम्बर, 74 तक कितने अनुसूचित जाति के सहायक अभियन्ताओं के अधिशासी अभियंता के पद पर नियुक्ति किया गया है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

शासनादेश द्वारा 18 प्रतिशत पदों का जो आरक्षण अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की तरक्की के लिये तय किया गया है वह सिंचाई विभाग में भी लागू है। अनुसूचित जाति के तीन सहायक अभियन्ताओं को प्रभारी सहायक अभियन्ता नियुक्त किया गया है।

9--कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

[उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष पद ग्रहण करने के कारण निरस्त।]

**गोरखपुर जिले के वर्क चार्ज पर रखे गये नलकूप चालकों को नियमित करने की मांग**

10--श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद--

क्या सिंचाई मंत्री 1974 के द्वितीय सत्र के 11 वें बुधवार के ता0 प्र0 सं0 10 के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि जिन 140 नलकूप चालकों को वर्कचार्ज पर रक्खा गया है इनमें से कितने लोग 3 साल से अधिक अवधि कर चुके हैं और उनको कब तक रेगुलर पद प्रदान किया जायगा? इसमें कौन-कौन हरिजन हैं तथा इनके नाम व पते क्या हैं?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

**राम गंगा परियोजना के निर्माण में व्यय की गयी धनराशि और उसकी सिंचन क्षमता**

11--चौधरी राम पाल सिंह यादव--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि राम गंगा परियोजना का कार्य कब प्रारम्भ किया गया था और कब तक पूर्ण होना था तथा लागत का शुरू में क्या अनुमान था और अब कुल कितनी धनराशि इस पर व्यय हो गई तथा किन-किन जिलों को अलग-अलग कितनी भूमि को इससे पानी मिलेगा? इस परियोजना के समय पर पूर्ण न होने के क्या कारण है और अब कब तक पूर्ण हो जायेगी?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

पहला हिस्सा--

परियोजना का निर्माण कार्य सन् 1961-62 में शुरू किया गया था और निर्माण कार्य शुरुआत के प्रोग्राम के मुताबिक सन् 1970-71 तक पूर्ण होना था लेकिन समय-समय पर काम के तरीके और प्रोग्राम का रिवीजन किया गया। मार्च, 1974 की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी द्वारा अनुमोदित रिवाइज्ड प्रोग्राम के मुताबिक मुख्य बांध का कार्य जून, 1974 में पूरा होना था और विद्युत् गृह का कार्य नवम्बर, 1975 में।

दूसरा हिस्सा--

परियोजना की लागत का शुरू का अन्दाजा 1961 में 67.98 करोड़ रुपये था जो अब बढ़कर लगभग 133.00 करोड़ रु० हो गया है। माह सितम्बर, 1974 तक इस परियोजना पर 1,14,07,90,823.00 रुपये खर्च हो चुका है। इस परियोजना से भिन्न-भिन्न जिलों को अलग-अलग कितनी सिंचाई सहूलियत प्रस्तावित है, इसका विवरण नत्थी लिस्ट में दिया हुआ है।

तीसरा हिस्सा--

प्रोग्राम के मुताबिक सन् 1964 के कार्यक्रम से देरी खासतौर पर 1966 में खिलाफ उम्मीद बाढ़, 1967 में हुई मजदूरों की हड़ताल तथा समय-समय पर वांछित मात्रा में स्पेयर पार्ट्स एवं लोहा वगैरह न मिलने की वजह से हुई। रामगंगा परियोजना के प्रमुख कार्य जिसमें जल इकट्ठा करने से सम्बन्धित कार्य मुख्य बांध तथा सेडल बांध, रामगंगा जलाशय में एकत्र जल को गंगा नदी तक पहुंचाने वाली नहर का कार्य शामिल है जून, 1974 तक पूर्ण हो चुके हैं। इसके अलावा तीन चौथाई से अधिक नई नहरों का निर्माण हो चुका है, बाकी ज्यादातर छोटे-छोटे दूसरे कार्य जून, 1975 तक खत्म हो जायेंगे। पावर हाउस का कार्य जुलाई, 1976 तक पूरा होगा।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 803 पर।)

**कानपुर जिले के ग्राम परोख नाले का निर्माण**

12--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में ग्राम परोख नाले के निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा दी जा चुकी है? यदि हां, तो इसके निर्माण में कितनी धनराशि की लागत आयेगी और अब तक कितना रुपया इसके लिये दिया गया है? क्या यह सही है कि इस नाले का कुछ भाग इस समय खोदा जा चुका है? यदि हां, तो कितना व कहां से कहां तक? यह परोख नाला कब तक तैयार हो जायेगा?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां, स्वीकृति दे दी गयी है। इस नाले के निर्माण की अनुमानित लागत 90,000 रु० है। वर्ष 1974-75 में इस कार्य हेतु 10,000 रु० की प्रदिष्टि की गयी है।

नाले के मील 0-0-0 से 0-2-0, 0-3-0 से 0-4-0 तथा 1-3-0 से 1-6-132 के भागों में खुदाई का कुछ कार्य हुआ है। धनाभाव के कारण अब कार्य स्थगित कर दिया गया है। आवश्यक धन उपलब्ध होने पर वर्ष 1976 में कार्य कराना सम्भव हो सकेगा।

**उन्नाव जिले के विकास खंड वीघापुर के अन्तर्गत नलकूप निर्माण**

13--श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला विद्युत एवं सिंचाई सलाहकार समिति, उन्नाव ने उन्नाव जिले के विकास खण्ड वीघापुर एवं सुमेरपुर में वर्ष 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 में किन-किन स्थानों पर नलकूप लगाने के लिये अपनी संस्तुति की और उन में से किन-किन स्थानों पर नलकूप लग गये हैं और किन-किन स्थानों पर अभी नलकूप लगना शेष हैं?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जिला विद्युत एवं सिचाई सलाहकार समिति, उन्नाव के केवल वर्ष 1974-75 में बीघापुर व सुमेरपुर, जो उन्नाव जनपद की पुरवा तहसील में आते हैं, में तीन राजकीय नलकूप बनाने की सिफारिश की थी। इनमें से दो नलकूप ग्राम झारपुर व वाश में बन चुके हैं तथा एक राजकीय नवकूप ग्राम कतुबुद्दीन गढ़ेवा में लगना बाकी है।

**फर्रुखाबाद जिले में इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना की मांग**

14--श्री अनवार जमील--

क्या सरकार फर्रुखाबाद जनपद में छात्रों एवं नवयुवकों की बेरोजगारी समस्या के समाधान हेतु इन्जीनियरिंग कालेज खोलने पर विचार कर रही है? जिससे कि इस जनपद के छात्रों को टेक्निकल एजूकेशन की सुविधा प्राप्त हो सके? यदि हां, तो इसे कब तक चालू कर दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी--

इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

**गोरखपुर, बस्ती, देवरिया एवं आजमगढ़ जिले के मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों के अध्यापकों सुमोटा पद्धति के अन्तर्गत प्रदान की गयी सुविधा**

15--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, बस्ती, देवरिया एवं आजमगढ़ के मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों से सम्बन्धित अध्यापकों की सुमोटा पद्धति के अन्तर्गत शिक्षा सत्र (1973-74 एवं 1974-75) के कुल कितने अध्यापकों को सुविधा प्रदान की गयी है तथा कितने अध्यापक उक्त अवधि में इस सुविधा से वंचित रहे?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

**मेरठ जिले के टेस्टवर्क योजनान्तर्गत ली गयी सड़कों का विवरण**

16--श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला मेरठ में वित्तीय वर्ष 1972-73 व 1973-74 ई0 के टेस्टवर्क योजना के अन्तर्गत किन-किन सड़कों को लिया गया? उनमें से किन किन सड़कों में कितना निर्माण कार्य हुआ और कितना शेष है? इसे पूर्ण करने हेतु आगे कौन सी कार्यवाही की जा रही है?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

वांछित सूचना संलग्न है।

चूंकि जून, 1973 के बाद टेस्ट वर्क के कार्य बन्द कर दिये गये थे अतः इन पर अब कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 804-805 पर।)

**आजमगढ़ बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के भवन निर्माणार्थ जमा की गयी धनराशि**

17--श्री विश्राम--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि आजमगढ़ बेसिक शिक्षा परिषद्, आजमगढ़ में प्राइमरी पाठशालाओं के भवन बनवाने हेतु कितनी धनराशि विगत वर्ष करेन्ट एकाउन्ट में जमा थी और जिसका उपयोग नहीं हुआ? जिला परिषद् आजमगढ़ द्वारा स्कूल भवन बनवाने हेतु कब तक इसके उपयोग की व्यवस्था हो सकेगी?

श्री राम जी लाल सहायक--

आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु विगत वर्षों में कुल 1,13,500 रुपया बेसिक शिक्षा निधि के करेन्ट एकाउन्ट में जमा है। उक्त धनराशि का उपयोग शीघ्र किया जायगा।

## हमीरपुर जिले के निर्मित लिफ्ट नहर और नलकूप

18--श्री प्रताप नारायण (जिला हमीरपुर)---

क्य सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जनपद में कितने नलकूप और लिफ्ट नहर गत वर्ष बनाये गये और उनसे कितनी भूमि सिंचित होगी साथ ही कितने नलकूप और लिफ्ट चालू हालत में है ? और कितना रकबा पानी पा रहा है और कितना शेष है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

हमीरपुर जनपद में पिछले साल 25 नलकूप और चार नई लिफ्ट पम्प नहरों का निर्माण किया गया। नलकूपों से 7500 एकड़ तथा लिफ्ट नहर से 5,207 एकड़ (प्रथम वर्ष) भूमि की सिचाई प्रस्तावित है। इस समय 25 नलकूप तथा 8 लिफ्ट पम्प नहरों एवं एक डीजल लिफ्ट नहर चालू हालत में है। इनसे 15712.5 एकड़ भूमि सिंचित हो रही है तथा 4494.5 एकड़ शेष है।

## बहराइच तहसील के अन्तर्गत कन्या पाठशालायें

19--श्री कमला प्रसाद वर्मा---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच तहसील में कितनी कन्या पाठशालायें हैं और प्रत्येक कन्या पाठशाला में अध्यापिकाएं बालिकाओं की संख्या क्या है ?

श्री राम जी लाल सहायक--

सूचना एकत्र की जा रही है।

## मथुरा जिले के पतवाया नाले के पुनर्निर्माण की मांग

20--कामरेड चन्दन सिंह---

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मांट तहसील जिला मथुरा में बाजना व भरतिया के बीच में नाला पतवाया का पुल गत 5 वर्ष से टूटा पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो इसे बनवाने की सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली i---

जी हां।

पतवाया नाले के पुनरोद्धार की प्रायोजना में इस पुल के पुनर्निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। प्रायोजना की मंजूरी के लिये कार्यवाही की जा रही है।

## प्रदेश के कतिपय नलकूप मण्डलों के अभियन्ताओं द्वारा खरीदे गये सामान की धनराशि और सिंचाई प्रखण्ड गाजीपुर द्वारा सामानों की फर्जी खरीद

21--श्री ऊदल---

क्या सिचाई मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप मन्डल कानपुर, अलीगढ़ तथा मुरादाबाद एवं वाराणसी के अधीक्षण एवं अधिशासी अभियन्ताओं ने तथा सहायक अभियन्ताओं ने 1 जनवरी, 197 से अक्टूबर, 1974 तक कितने रुपये का सामान खरीदा एवं माहवार भुगतान किया ?

22—क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिचाई प्रखंड गाजीपुर में अप्रैल, 1974 से नवम्बर, 1974 तक सामानों के खरीदने हेतु माहवार कितने रुपये का भुगतान किया गया ? क्या वह बात सत्य नहीं है कि बिला सामान के खरीदे फर्जी तरीके पर मई, 1974 से नवम्बर, 1974 तक 10,65,000 रुपया का भुगतान सामान खरीदने का किया गया है ? तो कौन-कौन सामान किन-किन फर्मों से क्रय किया गया ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

प्रश्न में मांगी गई सूचना बहुत तफसील वाली है। इसे इकट्ठा किया जा रहा है।

**फर्रुखाबाद जिले के प्राथमिक शिक्षकों के अवशेष वेतन का भुगतान और उनके प्राविडेन्ड फंड का हिसाब**

23—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के प्राथमिक शिक्षकों का अगस्त, 1962 से जुलाई, 1974 तक का नवीन वेतन-क्रम का एरियर बकाया तथा अन्तरिम सहायताओं का एरियर आज तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इस देरी का क्या कारण है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

फर्रुखाबाद जनपद के प्राथमिक शिक्षकों को अन्तरिम सहायता के एरियर का भुगतान किया जा चुका है। नगर क्षेत्रीय अध्यापकों को नवीन वेतनक्रम के एरियर का भुगतान किया जा चुका है। केवल ग्रामीण क्षेत्रीय अध्यापकों को नवीन वेतन क्रम का एरियर का भुगतान किया जाना शेष है। इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

24—श्री बिमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के बेसिक शिक्षा अध्यापकों का प्राविडेन्ड फंड का हिसाब 1964 से नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

फर्रुखाबाद जनपद के ग्रामीण क्षेत्रीय अध्यापकों के प्राविडेन्ड फंड का हिसाब 1964 से मार्च 1967 तक तथा अगस्त 1972 से अब तक का अद्यावधिक है। मार्च 1967 से जुलाई 1972 तक का हिसाब पूर्ण कराने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। नगर क्षेत्रीय अध्यापकों का हिसाब वर्ष 1964 से बराबर रखा गया है।

**वाराणसी जिले की भवन विहीन कतिपय बेसिक प्राइमरी पाठशालायें और जूनियर हाई स्कूल**

25—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक प्राइमरी पाठशाला, मंगारी, झगौरी; भगौतीपुर बितौरा तथा जू0 हाई स्कूल, हिरामनपुर ब्लाक बिढ़रा, जिला वाराणसी के कुछ स्कूलों के पास इमारतें नहीं हैं? और जिनके पास हैं तो वे रद्दी टूटी-फूटी हालत में हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने जो मुख्य मंत्री को एक पत्र 19 सितम्बर, 1974 को लिखा था उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

**बिजनौर जिले के सहसपुर जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के वेतन का भुगतान**

26--श्री अब्दुल वहीद--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जूनियर हाई स्कूल, सहसपुर, जनपद बिजनौर में इस समय कितने अध्यापक हैं और उनको वेतन कब से नहीं मिला ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, सहसपुर, जिला बिजनौर, जो अब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर तक उच्चीकृत हो गया है, में इस समय एक प्रधानाध्यापक तथा छः सहायक अध्यापक हैं। इन अध्यापकों को अक्टूबर, 1974 से वेतन भुगतान नहीं हुआ है।

विद्यालय अभी तक अनुदान सूची पर नहीं आया है। अतः वेतन वितरण का उत्तर-दायित्व विद्यालय की प्रबंध समिति का है।

**फर्रुखाबाद जिले के मान्यता प्राप्त जूनियर एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों के क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान**

27--श्री अनवार जमील--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में मान्यता प्राप्त जूनियर एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों का क्षतिपूर्ति अनुदान 73-74 एवं 74-75 का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक--

फर्रुखाबाद जनपद में 10 सीनियर बेसिक विद्यालयों के साथ संलग्न प्राइमरी विद्यालयों को निदेशालय द्वारा कक्षा 1 से 5 की क्षतिपूर्ति अनुदान स्वीकृत की जाती है जिनमें से गत वर्ष 6 विद्यालयों को वर्ष 73-74 का क्षतिपूर्ति अनुदान स्वीकृत किया गया है। शेष 4 विद्यालयों के अब विलम्ब से विवरण-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनकी स्वीकृति संबंधी कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 74-75 के भी 9 विद्यालयों के विवरण-पत्र हो गये हैं उनकी स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त जनपद के सभी मान्यता प्राप्त सीनियर बेसिक विद्यालयों को वर्ष 1973-74 के लिये कक्षा 6 में बालकों, बालिकाओं एवं 7-8 (बालिका) की क्षतिपूर्ति अनुदान के तीन त्रैमासों का भुगतान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उस वर्ष में कर दिया गया है। चौथे त्रैमास के पत्रजात अब निदेशालय में प्राप्त हुए हैं जिस पर सभी विद्यालयों को क्षतिपूर्ति अनुदान को स्वीकृति दे दी गई है जिसका भुगतान अब हो रहा होगा।

वर्ष 74-75 के लिये मान्यता प्राप्त सीनियर बेसिक विद्यालयों में कक्षा 6 तथा 7-8 (बालिकाओं) की क्षतिपूर्ति अनुदान के प्रथम त्रैमास का भुगतान हो चुका है।

द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमासों के विवरण पत्र प्रबंधकों से प्राप्त होने पर स्वीकृति प्रदान की जावेगी।

**कांग्रेस (शासन) दल में दो गुटों की आपसी खींचतान से मंत्रि परिषद, सरकार और अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कुप्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य श्री सत्य प्रकाश मालवीय तथा श्री राम अधार ने नियम 301 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में सत्ता कांग्रेस के दो गुटों की आपसी खींचतान के कारण सरकार में पूर्णतया अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न होने तथा उसके कारण मंत्रि-परिषद, सरकार और सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर उसका कुप्रभाव पड़ने की जानकारी सदन में लाने हेतु सूचना दी है।

यह प्रश्न जो माननीय सदस्यों ने उठाया है, यह कांग्रेस की आन्तरिक स्थिति से सम्बन्धित है। कांग्रेस की आन्तरिक स्थिति के सम्बन्ध में कोई नियम 301 का प्रश्न अन्तर्निहित नहीं होता। कांग्रेस दल के किसी सदस्य ने इस का हवाला नहीं दिया है, आपका कहना है कि कांग्रेस दल के अन्दर खींचतान है।

यह विषय दल विशेष का अन्तरंग मामला है, जिसका सदन की कार्यवाही अथवा प्रक्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक शासन पर कुप्रभाव पड़ने का प्रश्न है, सामान्य प्रशासन के बजट पर चर्चा के समय यह प्रश्न उठाया जा सकता है और यदि माननीय सदस्य चाहें तो यह विषय अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा उठा सकते हैं। यह नियम 301 का विषय नहीं हो सकता। अतएव, मैं इसको उठाने की इजाजत नहीं देता हूं। हो सकता है कि हो, हो सकता है कि नहीं हो। लेकिन यह कांग्रेस पार्टी का मामला है। यह विशेषाधिकार के हनन का सवाल नहीं होता। इसलिये 301 के अन्दर भी यह नहीं उठाया जा सकता।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मैं मान्यवर, सुना रहा हूं.....

श्री अध्यक्ष—

आप क्या सुनायेंगे यह उठ ही नहीं सकता है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, कृपा करके पढ़ने की कृपा करें। मैंने चर्चा इस बात की किया है कि मंत्रि-परिषद् में इस समय 2 गुट हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठने की कृपा करें। आपने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में सत्ता कांग्रेस के दो गुट हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, 2 गुट हैं एक तो मुख्य मंत्री का समर्थक है और दूसरा श्री यशपाल कपूर जो हैं उनका समर्थन करता है।

श्री अध्यक्ष—

यह टेक्निकल बात आपने लिखी है। सत्ता कांग्रेस में 2 गुट हैं आपने लिखा है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मैंने लिखा है कि एक गुट मुख्य मंत्री का समर्थन करता है.....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, सत्ता कांग्रेस के बारे में कोई चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

हां।

(शोर)

इसी तरह बी0 एल0 डी0, जनसंघ के अन्दर क्या स्थिति है इस पर मैं कोई प्रश्न नहीं उठाने दूंगा।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, आपने उचित कहा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि इतनी बातें माननीय मालवीय जी ने कही। मैं यह नहीं कहूंगा कि किस दल में कितने टुकड़े हैं। लेकिन यह स्पष्ट कह सकता हूं कि जब जी चाहे आजमा लें हम एक मिलेंगे। हम आप लोगों के लिये एक हैं।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

चौधरी चरण सिंह ( जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी बात की, जैसे चौराहे पर खड़ा होकर कोई आदमी ताली पिटवा ले।

(सदन में व्यापक हंसी और शोर)

सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के कितने गुट हैं, हमारा कोई वास्ता इससे नहीं है। वास्ता हमारा है, मंत्रि मंडल गुट में। उन्होंने लिख कर दिया है कि मंत्रि मंडल में गुट हैं और वहां गुट बाजी हो सकती है। हो सकता है आपस में थोड़े बहुत डिफरेंसेज हों।

एक सदस्य---

जब आप थे, गुट बाजी कितनी थी। आपस में.....

(व्यापक शोर)

चौधरी चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि जो बातें गुट बाजी के ऊपर की गयी हैं और प्रेस में आ गयी हैं। मंत्रि मंडल में गुटबाजी है। उसमें मेम्बरशिप या उसमें कांस्टीट्यूशन जो है उसके मुतालिक गड़बड़ी है। अगर कोई प्राबलम्स थीं, डिफरेंस आफ ओपीनियन की, हो सकती हैं, लेकिन डिफरेंस आफ ओपीनियन भी पब्लिक में नहीं आता। डिफरेंसेज हों और वह बाहर चले जायें, यह है प्वाइंट। यानी चीफ मिनिस्टर की कयादत ही नहीं मानते। मेम्बर्स उनकी लीडरशिप को मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

(व्यापक शोर)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

अध्यक्ष जी, एक बात चौधरी साहब ने कही वह हुयी है। क्योंकि उनकी कयादत में जो एक नया दल उन्होंने जोड़ा है, 100 फीसदी उनकी बात को वह नहीं मानते।

(सब मानते हैं---सब मानते हैं की आवाजें)

(कई सदस्यों के साथ-साथ बोलने से शोर)

चौधरी चरण सिंह---

सवाल कैबिनेट के मुतालिक है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, यह असत्य है। एक भी मंत्रि मंडल का सदस्य जो है वह किसी भी प्रकार से, मन्सा, वाचा, कर्मणा, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे यह कहें कि मंत्रि मंडल में 2 राय हैं।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

सारे अखबारों में निकला है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

गुटबाजी जैसी कोई बात हमारे यहां नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

मान्यवर, यह मनसा, वाचा, कर्मणा की बात कह रहे हैं।

लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि---

मनस्येंक वाचस्येंक
कर्मण्येक महात्मनाम्।
मनस्यन्यत् वचस्यन्यत्
कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम्॥

इनके मन में कुछ और है, बचन में कुछ और है और कर्म से कुछ और हैं।

## सामुदायिक विकास मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

**श्री अध्यक्ष--**

माननीय सदस्य श्री त्रिवेणी सहाय ने माननीय सामुदायिक विकास मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 8-4-75 को श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के साथ उसमें उल्लिखित संलग्नक न लगाकर माननीय मंत्री ने सदन को गुमराह किया है। यह प्रश्न उसी समय उठा था और मैंने यह कहा था कि यह शासन की असावधानी है। माननीय सदस्य ने कोई ऐसा आधार भी प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि संलग्नक के अभाव में सदन को जानबूझकर गुमराह किया गया है। अतएव, इस पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता है।

**श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--**

मुझे श्रीमन् सुन लें। मेरा कहना यह है.....

**श्री अध्यक्ष--**

यह बात तो सही है कि असावधानी है।

**श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--**

मैंने उसी वक्त कहा था कि संलग्नक मुझे मिला नहीं और मैंने कहा था कि मैं इस प्रश्न को उठाऊंगा, लेकिन आपने कहा.....

**श्री अध्यक्ष--**

मैंने कहा उसी वक्त था कि वह अग्राह्य है।

**श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--**

आपने व्यवस्था तो दे दी लेकिन आपने यह नहीं कहा कि यह गलत बात हुई है।

**श्री अध्यक्ष--**

मैंने कहा है कि यह गलत बात हुई है और शासन को चाहिये हमारे पास जो आवे वह पूर्ण होना चाहिये, यह उसी समय मैंने कह दिया था।

**श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--**

आपने कह दिया तो उससे क्या होता है विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न कैसे समाप्त होता है। आपने कह दिया और हमने मान लिया।

**श्री अध्यक्ष--**

वह तो मैंने अग्राह्य कर दिया।

**श्री त्रिवेणी सहाय--**

मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल के यह तीन ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। ब्रह्मा विकास वाले मंत्री हैं.....

**श्री अध्यक्ष--**

यह सब दूसरी बातें हैं।.....

**श्री त्रिवेणी सहाय--**

आपने जो कहा था.....

**श्री अध्यक्ष--**

आपने जो प्रश्न उठाया था उसी पर मैंने अपना निर्णय दिया।

**श्री त्रिवेणी सहाय--**

( × × × × )

**श्री अध्यक्ष--**

आप यह समझ लें कि आपका सवाल जो आया है.....

---

[×××] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री त्रिवणी सहाय—

[ × × × ]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री त्रिवेणी सहाय—

[ × × × ]

श्री अध्यक्ष—

नहीं, बिल्कुल नहीं, यह बिल्कुल दूसरा प्रश्न है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री त्रिवेणी सहाय—

[ × × × ]

श्री अध्यक्ष—

माननीय त्रिवेणी सहाय जो कुछ कह रहे हैं वह नहीं लिखा जायगा।

(व्यवधान)

आपने एक सवाल उठाया था उसको मैंने अग्राह्य कर दिया अब उसके बाद कुछ नहीं लिखा जायगा आपका।

**श्री हरि केवल द्वारा 'स्वतंत्र भारत' समाचार पत्र के विरुद्ध शिकायत**

श्री अध्यक्ष—

अब, माननीय श्री हरि केवल ने सूचना दी है कि उन्होंने 5 अप्रैल, 1975 को सदन में नियम 56 के अन्तर्गत बारा निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम जसरा में तस्करी के विरोध पर गोली चलाकर दर्जनों लोगों के घायल होने पर बारा थाने में रिपोर्ट दर्ज होने पर वहां जन प्रदर्शन और सभा में श्रीमती कमला बहुगुणा की मौजूदगी में सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के पीटे जाने से सम्बन्धित विषय उठाया था। (श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर) आप खड़े क्यों होते हैं, पहले सुन लें। किन्तु समाचार पत्र "स्वतन्त्र भारत" ने लिखा है कि श्री हरिकेवल प्रसाद (सोपा) बाल योगेश्वर के विरुद्ध एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते थे। इस समाचार से उनकी प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचा है और वे ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि उक्त समाचार पत्र ने उन्हें जानबूझकर बदनाम किया है। कार्यवाही को देखने से स्पष्ट होता है कि माननीय सदस्य ने बाल योगेश्वर सम्बन्धी कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया था बल्कि वही विषय उठाया था जो सूचना में दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि "स्वतन्त्र भारत" समाचार-पत्र के विशेष प्रतिनिधि ने उस दिन सदन की कार्यवाही को ठीक तरह से न समझने के कारण इस प्रकार की गलत रिपोर्टिंग की।

अतः मैं "स्वतंत्र भारत" के सम्पादक से निवेदन करूंगा कि वे इस समाचार का खंडन कर दें।

**बिना समय बढ़ाये 5 बजे के पश्चात् सदन की कार्यवाही चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय**

श्री अध्यक्ष—

अब एक और निर्णय आपको सुनाता हूं।

दिनांक 2 अप्रैल, 1975 को जब बिना समय बढ़ाये 5 बजे के पश्चात् एक सरकारी संकल्प पर विचार चल रहा था और उसके बाद कार्यसूची में नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं का निस्तारण तथा बिजनौर जिले में कालागढ़ स्थित रामगंगा परियोजना हेतु

---

[× × ×] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

क्रय की गयी मशीनों को अनुपयोगी घोषित करके नीलाम किये जाने के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत दो घन्टे की चर्चा होना शेष था, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा यह आपत्ति उठायी गयी कि 5 बजे के पश्चात् नियम 15 के अन्तर्गत बिना समय बढ़ाये सदन इन मदों पर विचार नहीं कर सकता। उस समय मैंने सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था कि विभिन्न चर्चाओं का समय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है और यदि इस प्रश्न को सदन के विनिश्चय पर छोड़ा जाय तो इससे विरोधी दलों के अधिकारों की रक्षा में अध्यक्ष को कठिनाई हो सकती है। अतएव, मैंने इस विषय पर उस दिन अपना निर्णय सुरक्षित रखते हुये आगे का का कार्य चलने दिया था।

प्रक्रिया नियमावली के नियम 49 के अन्तर्गत प्रश्नों के विषय पर आधे घंटे की चर्चा की व्यवस्था है और उक्त नियम 49 के उप नियम (2) में यह दिया हुआ है कि जब इस प्रकार की आधे घंटे की चर्चा नियत की जाय तो वह किसी मंगलवार या बृहस्पतिवार के लिये सामान्य कार्य की समाप्ति के उपरान्त किया जायेगा। नियम 315 के अन्तर्गत सामान्य कार्य के पश्चात् ध्यानाकर्षण सूचनाएं ही आती हैं और उसमें नियम 49 अथवा नियम 52/53 के अन्तर्गत चर्चा के लिये कोई प्राथमिकता निर्धारित नहीं है। अतः नियम 49 के अनुसार प्रश्नों के विषय पर आधे घंटे की चर्चा सामान्य कार्य अर्थात् सदन के उपवेशन के लिये निर्धारित सामान्य कार्य के पश्चात् ही रक्खी जा सकती है। नियम 53 में यद्यपि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तथापि उसमें अध्यक्ष को यह शक्ति दी गयी है कि वे ऐसे लोक महत्व के विषय पर, जिन पर चर्चा के लिये सूचना नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी हो, ढाई घंटे से अनधिक समय नियत कर सकते हैं। नियम 315 में इस प्रकार की चर्चा के लिये कोई प्राथमिकता निश्चित नहीं है। इसका तात्पर्य नियम 49 में की गयी व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि ऐसी चर्चा भी सामान्य कार्य के उपरान्त ही दी जायेगी क्योंकि सामान्य कार्य, कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर सदन के विनिश्चय द्वारा पहले से ही निश्चित होता है और वह 5 बजे तक के उपवेशन के लिये निर्धारित होता है। यह दूसरी बात है कि उससे पहले सामान्य कार्य समाप्त हो जाय और आगे ऐसी चर्चा का कार्य लिया जा सके।

सदन की यह परम्परा भी रही है कि नियम 49 और नियम 52 के अन्तर्गत चर्चायें सामान्य कार्य के उपरान्त, यदि वह 5 बजे के उपरान्त भी चलता रहा तो उसके बाद ही ली जाती रही हैं, और उसके लिये समय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया जाता रहा है। इसके पीछे, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि यह उद्देश्य है कि चर्चा की मांग विरोध पक्ष की ओर से ही प्रायः की जाती है और यदि उस चर्चा का समय का आबंटन अध्यक्ष के ऊपर न होकर सदन पर छोड़ दिया जाय तो उसमें विरोध पक्ष के लिये कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

उपर्युक्त बातों तथा पिछली परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, जब अध्यक्ष नियम 49 या नियम 52 के अन्तर्गत इस प्रकार की चर्चा के लिये समय दें और यदि ऐसी चर्चा 5 बजे के बाद चलनी हो तो उसके लिये सदन द्वारा समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि यह समझा जायेगा कि सदन ने अध्यक्ष को इस प्रकार की शक्ति देते समय ऐसी सहमति दे दी है।

इस संबंध में यह प्रश्न पहले भी उठाया गया था और उस दिन भी उठाया गया कि नियम 15 के अन्तर्गत 15 मिनट का समय बढ़ाने की अध्यक्ष की शक्ति के लिये यह आवश्यक है कि अध्यक्ष 15 मिनट का समय बढ़ाने की बात सदन में 5 बजे से पूर्व कहें। मेरी राय में, ऐसी घोषणा यदि अध्यक्ष द्वारा कर दी जाती है तो ठीक है, परन्तु यदि नहीं भी की जाय और यदि 5 बजे के बाद भी अध्यक्ष पीठासीन हैं, तो यह समझा जायेगा कि 15 मिनट का समय नियम 15 के अन्तर्गत, अपनी शक्ति के प्रयोग में, उन्होंने बढ़ा दिया है। अतएव, मैं माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा उठायी गयी आपत्ति को अस्वीकृत करता हूं।

## कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत पहली सूचना 1 अप्रैल, 1975 से अविरल प्रक्रिया वाले उद्योगों को बिजली आपूर्ति बन्द करने से कानपुर के उद्योग मजदूरों की बेकारी के सम्बन्ध में है। यह सूचना माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी और माननीय अन्य सदस्यों की है। इसी विषय पर माननीय नियाज हसन खां की भी है। मैं समझता हू कि नियम 51 में भी कई सूचनायें इसी विषय पर हैं। तो इसको हम वक्तव्य के लिये नियम 51 में स्वीकार कर लेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, नियम 51 में कई रोज बाद चर्चा आयेगी और जब तक बिजली की कटौती आ जायेगी। यह महत्वपूर्ण विषय है। इसलिये इस पर विचार करें। वहां 7 लाख मजदूर बेकार हो गये हैं। ओबरा बन्द हो गया ऐसी सूचना मिली है। इसलिये हम जल्दी चाहते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, नियम 53 में पावर शार्टेज को स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 में जब आयेगा तो उस समय निश्चय दे देंगे।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

नियम 56 में मेरा भी है। मेरा अलग कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

सब का एक साथ जोड़ दिया जायगा। आपको अलग कैसे किया जा सकता है जबकि आप सबके बीच में रहते हैं।

एक दूसरा है श्री राम प्रकाश त्रिपाठी का श्री मोरार जी देसाई के आमरण अनशन से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के बारे में। यह किसी व्यक्ति के स्वयं के विवेक का प्रश्न होता है। यह स्थगन का विषय नहीं है।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

कब्ल इसके कि आप इस पर कोई फैसला दें मुझे सुन लें। यह देश तथा प्रदेश का मामला है। उन्होंने व्रत रखा है लोकतंत्र को बचाने के लिये, इमरजेंसी को खत्म करने के लिये। अगर लोकतंत्र की रक्षा आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा?

श्री अध्यक्ष—

आमरण अनशन के बारे में अगर बहस के जरिये से विवेक को कुंठित करने की चेष्टा की जायगी तो लोकतंत्र की संभावना की क्षीणता स्वयं सिद्ध हो जायगी।

श्री नियाज हसन खां—

बड़ी गंभीर स्थिति देश और प्रदेश में खड़ी हो गयी है।

श्री अध्यक्ष—

यह नैतिक हथियार है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आपने जो विचार व्यक्त किये अध्यक्ष महोदय, बहुत दूर तक आपने ख्याल नहीं किया। जब अस्त्र-शस्त्र काम नहीं करता, सारे वैधानिक हथियार फेल हो गये तो गांधी जी ने अनशन का हथियार चला कर दूसरों को विवेक हीन कहां बनाया? जो विवेकहीन हो गये हैं उनको विवेक में लाने के लिये देसाई जी ने अनशन को अपनाया ताकि उनका विवेक जागे और प्रजातंत्र की रक्षा हो और जो टेंशन का वातावरण व्याप्त है वह खत्म हो। यह प्रस्ताव बहु समयानुकूल और आवश्यक है। इस पर आप एडजर्नमेन्ट मोशन एलाउ करें।

श्री अध्यक्ष--

आमरण अनशन नैतिक अधिकार है जिसके बारे में किसी विधान सभा या सार्वजनिक निर्णय लेने वाली समिति या सभा द्वारा फैसले की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आपके कथन से यह समझा जाय कि अनशन करके दूसरा विवेक से दूर हो जाता है, ऐसी बात नहीं है बल्कि सोचने के लिये मजबूर कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसके बारे में कोई सम्मति नहीं दे रहा हूं। मैं तो केवल यह कहता रहा हूं कि स्वीकार करने अथवा स्वीकार न करने की परिधि में यह आता है या नहीं ?

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--

आप कार्य-स्थगन के औचित्य पर विचार करें। प्रदेश के अन्दर विस्फोटक स्थिति पैदा होती जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

यह दूसरी बात है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

अनशन का नैतिक बल होता है। इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी ? अनशन चल रहा है। एजीटेशन हो रहे हैं। प्रदेश का वातावरण गर्म होता जा रहा है। प्रदेश का वातावरण गर्म न हो इसलिये आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करें ताकि सदन अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके।

श्री अध्यक्ष--

यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं बनता।

एक सर्वश्री हिम्मत सिंह तथा कमला प्रसाद वर्मा का है बहराइच स्थित जरवल रोड चीनी मिल के बन्दीकरण से उत्पन्न संकट पर। यह 56 का विषय नहीं है। इसे नियम 51 में माननीय सदस्य दें।

एक है श्री शतरुद्ध प्रकाश का श्री जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में क्रमिक अनशन के बारे में।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

अनशन से सम्बन्धित नहीं है। जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में आन्दोलन चल रहा है उसी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जनसंघर्ष समिति द्वारा प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध दो महीने पहले मांग-पत्र सरकार को दिया गया था लेकिन उसका कोई उत्तर आज तक नहीं दिया गया। और जो मांग-पत्र रखा गया है वह लोकतंत्र की रक्षा के लिये तथा वर्तमान चुनाव प्रणाली में परिवर्तन..... (व्यवधान)

मान्यवर, दो महीने हो गये, मुख्य मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। छात्र और नागरिक क्रमिक अनशन कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

बाकी सब अस्वीकार हैं। नियम 56 का विषय होता है सरकार के काम के लिये...

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

इस सरकार की किसान विरोधी नीति है। इसका नतीजा यह होगा कि जब सदन बन्द हो जायेगा तो इस पर चर्चा नहीं हो पायेगी और पूरे प्रदेश में आन्दोलन शुरू हो जायेंगे।

735-747



श्री अध्यक्ष—
बजट सेशन में इन सब बातों को कहने का आपको अवसर मिल जाता है, लेकिन यह 56 का विषय नहीं है। ..... (व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश—
[ * * * * * * * * ]
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—
माननीय आबकारी मंत्री .....
(आबकारी मंत्री के खड़े होने पर)

श्री शतरुद्ध प्रकाश—
[ * * * * * * * * ]
(श्री सत्यपाल मलिक तथा श्री शतरुद्ध प्रकाश के एक साथ बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष—
बिना आज्ञा के किसी का कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री सत्य पाल मलिक—
[ * * * * ]

श्री शतरुद्ध प्रकाश—
इसी प्रोटेस्ट में हम लोग सदन का 10 मिनट के लिये त्याग करते हैं।
(श्री शतरुद्ध प्रकाश कुछ अन्य सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—
[ * * * * ]

अबकारी मंत्री (डाक्टर चरण सिंह)—
अध्यक्ष महोदय .....

श्री बाबूलाल वर्मा—
[ * * * * * ]

श्री अध्यक्ष—
जो बिना अनुमति के बोलेंगे, उनका नहीं लिखा जायेगा।
(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—
[ * * * * ]

**1975–76 में आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी**

आबकारी मंत्री (डाक्टर चरण सिंह)—
अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,82,02,300 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(घोर व्यवधान)

---

[* * * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

आपको (श्री पुरुषोत्तम कौशिक से) कटौती प्रस्ताव रखना है तो रखें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10 के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय—कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा पूर्ण नशाबंदी का जनहितकारी सुझाव देना।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

क्या किसी को भाषण नहीं देना है (श्री पुरुषोत्तम कौशिक से) मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको भाषण नहीं देना है। (व्यवधान)

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)—

[ * * * * ]

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

अध्यक्ष महोदय..... (व्यवधान) (कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

हम भी 10 मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(श्री राम प्रकाश त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण विषय है और केवल एक दिन चर्चा के लिये रखा है तो आप समय बतला दें कि कितना समय देंगे।

श्री अध्यक्ष—

आधा घंटा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

कम से कम एक घंटा दें।

श्री अध्यक्ष—

आप जारी करें, ठीक है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

श्रीमन्, आज देश और प्रदेश में शराब ने आतंक मचा रखा है। (व्यवधान) इसके कई नाम दिये हैं शराब, आसव, आरिष्ट, मदिरा, मद्य, मधु अनेक नाम दिये हैं लेकिन एक नया नाम है वह है अंगूर की बेटी (व्यवधान) एक शायर ने कहा है "उसकी बेटी ने उठा रखी है दुनिया सर पर, खैरियत गुजरी की अंगूर का बेटा न हुआ"।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष जी, लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण ने जनतंत्र की रक्षा के लिये अनशन रखा है। (व्यवधान) उसके लिये यहां पर चर्चा के लिये अनुमति नहीं दी, इसलिये हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री हरि केवल तथा संगठन कांग्रेस के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

श्री जय प्रकाश जी ने तो बहुत सी बातें कहीं हैं, उन्होंने तो एसेम्बली से भी चले जाने के लिये कहा है। (व्यवधान)

---

[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

सरकार की जो मद्यनिषेध नीति है वह उसे मनसा, बाचा, कर्मणा नहीं लागू करना चाहती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने मनसा, बाचा, कर्मणा की चर्चा की। महापुरुषों की नीति यह है एक श्लोक में कहा गया है--

'मनस्येकं, वचस्येकं कर्मण्येकं मनीषिणाम्' लेकिन इस सरकार की नीति है मनस्यंन्यत, वयस्यंन्यत कमस्यंन्यत दुरात्मनाम्। इस प्रकार मुख्य मंत्री जी की बात मनसा, वाचा, कर्मणा से मेल नहीं खाती।

श्रीमन्, इस सरकार को यदि नंगा करना हो चौराहे पर तो उसके कुछ गुप्त कारनामें आप देखें। मद्य-निषेध के संबंध में मैंने एक चीज देखी है और मान्यवर, आपने भी देखी होगी एक बोर्ड स्थान स्थान पर लगा हुआ है, जिसमें लिखा है कि-- 'पिता जी मेरे भविष्य के लिये शराब न पियो'। एक तरफ तो बोर्ड लगाए जाते हैं और बसों में लिखा होता है कि शराब पीना विष से भी भयंकर है और दूसरी तरफ अन्दर ही अन्दर और ही कछ होता रहता है। आए दिन ये प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन मैं इस सदन के सामने आबकारी आयुक्त महोदय का एक पत्र, गोपनीय पत्र, गश्ती पत्र पेश करना चाहता हूं, जो उन्होंने आबकारी निरीक्षकों को भेजा है, उससे इनकी असली सूरत आपके सामने आ जाएगी। श्री एन0 बी0 लाल, आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0, अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 5937-48/एम.0डी0ओ0, दिनांक इलाहाबाद 1-2-75 में समस्त आबकारी निरीक्षकों को लिखते हैं "खपत देशी शराब" के विषय में कि-- "आलोच्य मास में गतवर्ष की अपेक्षा 2.8 प्रतिशत की वृद्धि खपत में हुई। चलितयोग में गत वर्ष की अपेक्षा 10.7 प्रतिशत की वृद्धि रह गयी। प्रदेश में शराब के उपभोग में गिरावट आ रही है--" यह निर्देश हो रहे हैं, यह गश्ती पत्र है कि "शराब की खपत खूब बढ़ाओ।" --मास अगस्त, 74 तक खपत के चलितयोग में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि थी जो घटकर सितम्बर मास में 12.2 और प्रस्तुत मास अक्टूबर मे यह वृद्धि 10.7 प्रतिशत रह गयी। प्राप्त आंकड़ों को देखने से प्रकट होता है कि आलोच्य मास में 2.8 की वृद्धि रही किन्तु इन चीजों के बेरियेशन 3.5 गोरखपुर से 13.7 प्रतिशत (देहरादून) तक है। प्रदेश के केवल दो चार्जों (बरेली व गोरखपुर) में क्रमशः देशी शराब की खपत में 1.8 तथा 3.5 प्रतिशत का ह्रास है। प्रदेश में सबसे अधिक शोचनीय स्थिति गोरखपुर चार्ज की है। क्षेत्रीय आयुक्त इस दिशा में विशेष ध्यान दें और अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को कड़े निर्देश जारी करें ताकि अगले मास में इस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो जाय। चलित योग में बेरियेशन 2.7 (गोरखपुर) 22.2 प्रतिशत (देहरादून) तक है। चलित योग में औसत से बहुत कम वृद्धि मुरादाबाद (8.7 प्रतिशत), गोरखपुर (2.7 प्रतिशत), वाराणसी (5.7 प्रतिशत), इलाहाबाद (1.6 प्रतिशत) व झांसी (6.6 प्रतिशत) में रही है। एक विशेष स्थिति की ओर मैं स्पष्ट संकेत कर रहा हूं कि गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, झांसी चार्जों में शराब के चलित योग में बहुत तीव्रगति से ह्रास हो रहा है। इस संबंध में कृत-कार्यवाही से मुझे तुरन्त सूचित किया जाय। अब इसकी जो अन्तिम चीज है, वह बहुत ही बीभत्स और लज्जाजनक है, मान्यवर, आप उसे भी देखें। 'उपरोक्त क्षेत्रों में आबकारी निरीक्षकों का कार्य अत्यन्त असन्तोषजनक है। संबंधित आबकारी निरीक्षकों को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने क्षेत्र में खपत में कमी को तुरन्त दूर करें अन्यथा उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी जावेगी।' तो यह है इनका नंगा और वीभत्स चेहरा।

मान्यवर, संसार के इतिहास में आजतक जितने हीनियस क्राइम्स-जघन्य अपराध हुए हैं, उनको एक ओर इकट्ठा किया जाए और 27 वर्षों की कांग्रेसी हुकूमत ने इस देश में शराब खोरी का प्रचलन कराकर जितने अनाचार, पापाचार, व्याभिचार आदि अपराध कराए हैं--इन दोनों की तुलना की जाए तो सारे संसार के अपराध इनके जमाने के अपराधों के पांसंग भर भी नहीं होंगे।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)--

बीच में जो हुकूमत रही, उसने भी बन्द नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मैं संसार के महान धर्मग्रंथों का उद्धरण देते हुए स्पष्ट करना चाहता हूं कि दुनियां के समस्त धर्म-ग्रन्थों में शराबबन्दी के बारे में क्या बात कही है। यहूदी धर्म ने इतनी मार्मिक बात कही है--"हाय, कौन फंसते हैं झगड़े-रगड़े में ? कौन बकबक करता है ? किसे अकारण घाव लगते हैं ? किसकी आंखें लाल हो जाती हैं ? उनकी जो दारू-मधु देर तक पीते हैं। जब दाख-मधु लाल दिखायी देता है, और कटोरे में उसका सुन्दर रंग होता है और जब वह धार के साथ उड़ेला जाता है, तब उसे मत देखना क्योंकि अन्त में वह सर्प की ताई डसता है और करैत की तरह काटता है।" यह है यहूदी धर्म का उद्धरण। इस्लाम धर्म क्या कहता है ? इस्लाम धर्म शराब रोकने में धर्मों में अग्रणी है। इस्लाम धर्म कहता है "शराब और जुए के द्वारा शैतान तुम्हें एक दूसरे से लड़ाना और तुम्हारे बीच घृणा फैलाना चाहता है, जिससे तुम अल्लाह की याद और उसकी प्रार्थना से दूर रहो। खबरदार।" बौद्ध धर्म क्या कहता है, बौद्ध धर्म के छः अपायमूख ये हैं--"1 मद्यपान, शराब पीना, 2 संध्या से चौरस्ते की सैर, 3 नाच-तमाशा, 4--जुआ, 5--दुष्ट की मित्रता और 6--आलस्य।" और मद्यपान के छः दोष हैं--"1-तत्काल धन की हानि, 2--कलह का बढ़ना, 3--रोगों का घर, 4--बदनामी का कारण, 5--लज्जा का नाश और 6--बुद्धि का दुर्बल होना।" अब मैं, श्रीमन्, पारसी धर्म की बात कहता हूं। पारसी धर्म क्या कहता है--"यह साफ है कि शराब से इस बात की पहचान हो जाती है कि कौन आदमी भला है और कौन बुरा ?"

शराबी आदमी की बुद्धि मारी जाती है। उसका खून कम हो जाता है। उसका जिगर खराब हो जाता है। वह बहुत से रोगों का शिकार बनता है। उसकी आंखे कमजोर हो जाती हैं। कान कम सुनते हैं। जीभ की बोलने की शक्ति घट जाती है। वह भोजन का भरपूर आदर नहीं करता। वह आलसी बना पड़ा रहता है। उसे जो कहना चाहिये, जो करना चाहिये, सो नहीं करता। उसे अच्छी नींद नहीं आती। सुबह उठता है, तो जी भारी रहता है। वह अपने शरीर को पीड़ा देता है। बाल-बच्चों और सगे-सम्बन्धियों को सताता है। वह दुखी रहता है। दूसरों को भी दुखी करता है।

जब कोई गिरे चरित्र वाला आदमी शराब पीता है, वह अपने आपको अफलातून मान बैठता है। वह अपने साथियों से झगड़ा करता है। बेकार की जिद करता है। कड़वी बातें बोलता है। दूसरों की निन्दा करता है, चुगली करता है। झूठी बातें करता है। दूसरों पर कलंक लगाता है। वह भले आदमियों का साथ छोड़ देता है। स्त्री, बच्चों, नौकरों आदि के साथ बुरा व्यवहार करता, उन्हें दुख देता है। वह अपनी शांति को अपने से दूर भगा देता है और दूसरों से बैर मोल ले लेता है। श्रीमन्, मैं जैन धर्म का उद्धरण देता हूं--"शराब के अधीन होकर मनुष्य तरह-तरह के निन्दनीय कर्म करता है। उसे इस लोक में भी अनेक दुख भोगने पड़ते हैं, परलोक में भी। शराबी की जेब में जो कुछ रुपये पैसे होते हैं उसे दूसरे लोग ही छीन ले जाते हैं। होश में आने पर उन्हें पाने के लिये वह इधर-उधर मारा-मारा फिरा करता है।"

श्री अध्यक्ष--

पुस्तकें दे दीजियेगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

महात्मा गांधी ने स्वराज्य की लड़ाई लड़ने से बहुत पहले शराब के विरुद्ध उन्होंने आन्दोलन किया था। हम आपसे सच कहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने से शराब में ढाई सौ गुना वृद्धि हो चुकी है। मैं एक चीज भूल गया। जो वैदिक धर्म है, मनुस्मृति है, वेद

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

है, वह शराब के बारे में क्या कहते हैं। वे शराब के बारे में कहते हैं कि शराब इन्सान को जानवर बना देती है। "बुद्धि लुम्पति यह द्रव्यम् मद्य कांटि तदुच्यते।"

शराब, गांजा, अफीम, चरस और चन्डू यह सारी चीजें अक्ल को मन्द कर देती हैं। शराब में भेद हैं। "गौड़ी, पैष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। यथैवैका तथा सर्वा: न पातव्या द्विजोत्तमे।"

गौड़ी, पैष्टी और माध्वी के भेद से शराब तीन तरह की होती है। गुड़ से बनने वाली गौड़ी, मिष्ठान से बनने वाली पैष्टी, महुये से बनने वाली माध्वी होती है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, मैं यह जानना चहता हूं कि यह शराब पीते हैं या नहीं। बहुत से लोग शराब पीते हैं और शराब का घोर विरोध करते हैं। आप पीते हैं या नहीं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मंत्री लोग ही यदि शराब न पियें तो प्रदेश का बड़ा कल्याण होगा।

श्री रामप्यारे तिवारी (जिला वाराणसी)--

शराब जान बूझ कर मंत्री लोग पिलाते हैं।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय पद्धति में ऐसे सवाल किसी को किसी से नहीं करने चाहिये।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर,

यक्ष रक्ष, पिशाचान्न मद्यमांस सुरासवम्,
तद् ब्राह्मणेन नात्तव्यं देवानां मश्नता हविः॥

शराब पीने के बाद आदमी क्या हो जाता है।

"अमेध्ये वा पतेन्मर्त्यो वैदिकं वाप्युदाहरेत्।
अकार्यमन्यत् कुर्याद्वा, ब्राह्मणो मदमोहितः॥

सरां वै मलमन्नानाम्, पाप्या मल मुच्यते।
तस्माद्, ब्राह्मणराजन्यो वैश्याश्च न सुरांत्तिवेत्।

"ब्रह्मा च सुरापश्च, स्तेयी च गुरुतल्पग:।
एते सर्वे पृथक् भेया, महापातकिनो नराः॥"

मान्यवर, बहुत बड़े-बड़े पापी होते हैं जो नेशनल ब्रेन को नष्ट कर देते हैं। दूसरे टेक्नीशियन्स हैं। उनको मारने वाले तथा शराबी, चोर गुरुस्त्रीगामिनी इन सबको समाज से पृथक कर देना चाहिये। शराबी महापातकों में शुमार की गई है। कैसा व्यवहार करना चाहिये।

"ज्ञाति सम्बन्धिनस्त्वेते, त्यक्तव्या : कृतलक्षण:
निर्दया: निर्नमस्कारा: तन्मनोरनुशासनम्॥"

इन महापापियों को बन्धुवर्ग स्वजन, परिजन सब त्याग दें, इन पर दया न करें और न इनको नमस्कार ही करें। यह मनु महाराज की आज्ञा है।

"असंभोज्या ह्यसंयोज्या, असंपाठ्याविवाहिन:।
चरेयु: पृथिवीं दीना:, सर्वधर्म बहिष्कृता:॥"

उसको भोजन में निमंत्रित नहीं करना चाहिये, समारोहों में निमंत्रित नहीं करना चाहिये, पढ़ाना नहीं चाहिये। ऐसे शराबी को समाज से वहिष्कृत कर देना चाहिये जिससे वह दुनियां भर में मारा-मारा फिरे। जो शराब का प्याला है उसमें कौन सी गड़बड़ी है। वह यह है कि—

"मदः प्रमादः कलहश्च निद्रा, बुद्धिक्षयो धर्मविपर्ययश्च।
सुखस्य कथा नरकस्य पन्थाः। अष्टावनर्थाः करके बसन्ति।"

शराब के प्याले में आठ अनर्थ रहते हैं। जैसे मद, प्रमाद, कलह, निद्रा, बुद्धिदय, धर्मविषय सुख का नष्ट होना तथा नरक का रास्ता।

मैंने माननीय सदन में उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त का गश्ती पत्र पढ़ कर सुनाया कि शराब की खूब बिक्री करो नहीं तो चरित्र पंजिका में विपरीत प्रविष्टि कर दी जायेगी। हमारे यहां हिप्पी लोग चरस, गांजा और चंडू खूब फैला रहे हैं। मैं आंध्र, तामिलनाडु और रामेश्वरम वगैरह गया था तो इन सब तीर्थ स्थानों में मैंने हिप्पियों को चरस तथा चडू वगैरह पीते हुये पाया और हमारी सरकार चुपचाप बैठ कर मस्ती लूट रही है। कहा गया कि हरिद्वार और ऋषिकेश में मद्य निषेध है। यह झूठ है क्योंकि शराब का देहरादून में भंडार जमा किया जा रहा है। सबसे ज्यादा नीलामी में वृद्धि शराब में देहरादून में ही हुई है ताकि तीर्थ स्थल नन्द प्रयाग, रुद्रप्रयाग, हरद्वार, ऋषिकेश में शराब भेजी जा सके। यह हमारी राष्ट्रीय सरकार के पैशाचिक कृत्य हैं। मान्यवर, दो वर्ष में जब से माननीय बहुगुणा जी ने शासन-सूत्र सम्भाला है गांजे में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

यह रिकार्ड कहां से आप ले आये हैं? यह अभिनय कर रहे हैं क्या?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

हां, अभिनय कर रहे हैं हम। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? श्रीमन्, यदि इन सब चीजों का उल्लेख करूं तो आप देखेंगे कि 21 फरवरी, 1891 में अंग्रेजी वेजीटेरियन में मद्य सम्यता का अभिशाप। महात्मा गांधी ने मद्य निषेध आंदोलन छेड़ा था। शराब की लत से छुटकारा जो है यह अंग्रेजी ने टाल ऐडवर्टाइजर के सम्पादक के पास भेजे गये पत्र का अंश है—नेटाल एडवर्टाइजर दिनांक 1–2–1895। शराब का राक्षस—जिन स्त्रियों के पति शराबी होते हैं वे ही जानती हैं कि जो घर कभी कदाचित शांतिप्रद थे, उनमें शराब का राक्षस कैसी बरबादी करता है। उसमें महात्मा जी ने 10–5–1903 में अपने विचार रखा। 14–1–1905 में महात्मा जी ने लिखा है प्लेग और शराब। 25–3–1905 में नशीली वस्तु का प्रभाव क्या होता है, उस पर लिखा है। अंग्रेजी में लिखा है भारतीय और शराब। प्रिटोरिया जेल से ट्रान्सवाल मद्य आयोग को लिखित साक्षी से रूप में भेजे गये वक्तव्य का अंश दिनांक 10–4–1909 में है, गुजराती नवजीवन में महात्मा गांधी लिखते हैं कि चाय पीने से मनुष्य का हाजमा बिगड़ता है लेकिन शराब से तो आत्म विनाश हो जाता है। यह 31–10–1920 का है। संदेश शराब बन्दी पर लिखा है बाम्बे सीक्रेट एक्स्ट्रेक्ट्स 1921 में यह पृष्ठ 125 पर है दिनांक 23–1–1921 है। महात्मा जी ने लिखा है नशे की लत से कैसे बचें, यह 27–1–1921 का है। मद्यपान से कैसे बचें यह 1921 में लिखा है। उसमें लिखा है शराब की कमाई हराम है। मद्यपान के विरुद्ध अभियान 23–3–1921 में चला। 23–3–1921 में लिखा है—मद्यपान अक्षम्य अपराध है। मद्यपान का त्याग कीजिए यह आर्वी (वर्धा) के निकट दिये भाषण का अंश है। गांधी जी ने तो यहां तक लिखा कि समस्त शिक्षण संस्थायें भले ही बन्द कर देना पड़े परन्तु शराब की कमाई से उन्हें नहीं चलाना चाहिए। शराब की कमाई से बच्चों की दवाई भी न की जाय। कोई भी काम शराब की कमाई से न किए जायं। यदि मैं अधिनायक बना दिया जाऊं तो मैं 24 घंटे के अन्दर शराब की दुकानों को बिना मुआवजा दिए तत्काल बन्द करा दूं। जितने ताड़ के पेड़ होंगे उनको कटवा

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

दूंगा। मान्यवर, जब कांग्रेस में विभाजन नहीं हुआ था तो चन्द नेता ऐसे भी थे जो शराबखोरी के विरुद्ध बोलते भी थे। और उन्होंने बड़ी बात कही थी। हितेन्द्र देसाई ने कहा था कि जिस देश में महज 13 करोड़ व्यक्तियों को पीने के लिए शुद्ध पानी न मिलता हो और बाकी जो जनता है उसको गड़ही और तालाब का पानी मिलता हो तो यह कहां का इन्साफ है कि लोग शराब पी-पी कर आनन्द लें और स्काच ह्विसकी पिएं। अहमदाबाद में जब शराब बन्दी का आन्दोलन चला तो मन्त्री लोग शराब पीने के लिए हवाई जहाज से दिल्ली आते थे और अशोका होटल में शराब पीते थे और शराब पीकर वापस चले जाते थे। इस प्रकार से हजारों रुपया हवाई जहाज के किराए में बरबाद किया गया। यही दशा महाराष्ट्र की रही जहां दादा लोग मदिरा की स्मगलिंग में लगे हैं।

मान्यवर, कहते हैं कि शराब पीना जघन्य अपराध है और मन्त्री लोग शराब पीने के लिए दिल्ली जाते हैं। यह कैसा अपराध है। आज कल जो मदिरा मिल रही है उसको क्या कहूं। उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब हो गयी है। मैं मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि 25 पैसे में एक बोतल शराब तैयार होती है। एक प्रकार का पाउडर होता है उस पाउडर को स्प्रिट में डाल दिया जाता है और उसकी लागत 25 पैसे होती है और उसकी कीमत 18 रुपए वसूल की जाती है। आपने जहरीली शराब के सम्बन्ध में अखबारों में पढ़ा ही होगा। अखबारों के पृष्ठ भरे पड़े रहते हैं। नौसादर और हल्दी को मिलाकर नकली शराब मिल रही है। ऐसा आदेश है कि शराब की बिक्री प्रत्येक मंगलवार को बन्द रहेगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी दिन शराब की बिक्री बन्द नहीं रहती है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म दिन मनाया जाता है 2 अक्तूबर को भी शराब धड़ल्ले से बेची जाती है। सब चीज की बिक्री के लिए घन्टे निश्चित हैं, लेकिन शराब की बिक्री के लिए कोई समय नहीं है रात-रात भर शराब बिकती है। मैं 3 वर्ष पुराने आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1972 में 3 लाख अवैध शराब की दुकानें चल रही थीं। यह मुझे एक विशिष्ट अधिकारी से जानकारी प्राप्त हुई है। उसका कहना है कि अगर हम कोई कार्यवाही करते हैं तो नौकरी जाती है, उसको यह भी डर है मान्यवर, 5 लाख अवैध शराब की दुकानें चल रही हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आपके विभाग के एक उच्च अधिकारी हैं वह आपके विभाग के सचिव के0 एन0 श्रीवास्तव हैं उनका नाम ब्लिट्ज में भी छपा है। मेरा उनके ऊपर कोई लांछन नहीं है, लेकिन आपका कर्तव्य हो जाता है कि जब ब्लिट्ज अखबार में जो आरोप लगाए हैं, उनको देखें। उनके ऊपर दुश्चरित्रता का आरोप लगाया गया है। आबकारी में भयंकर भ्रष्टाचार का उन पर आरोप है। आपका तुरन्त कर्तव्य हो जाता है कि उस अधिकारी की आप जांच करायें। आप पंगु हैं आप जांच नहीं करा सकते हैं क्योंकि मुख्य मन्त्री के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप मुख्य मन्त्री को इसकी सलाह दें। मान्यवर, बिक्री की अधिकतम सीमा निश्चित है। एक-एक ठेकेदार अपने पास 10-10 और 15-15 अवैध शराब की दुकानें भी रखता है। अब कहते हैं कि इस उद्देश्य के लिए स्टेट गवर्नमेन्ट प्रयत्नशील है बावजूद इसके कि बिक्री कर विभाग के बाद आपका ही विभाग है जिसको अधिक राजस्व प्राप्त होता है।

देशी शराब की कुछ प्रणालियां हैं। एक तो इनकी नीलाम प्रणाली है, दूसरी भट्टी प्रणाली है। ताड़ी के भी एक तो फिक्स्ड सिस्टम है और दूसरा पेड वाइज होता है। कुछ मसाले वाली होती है और कुछ सादी हैं। 36 प्रतिशत वी0 वी0 मसालेदार है और 36 प्रतिशत वी0 वी0 सादी हैं। आज बीयर में भी दोष आ गए हैं। बीयर में 3 1/2 प्रतिशत फास्फेट और सिरप होना चाहिए बीयर में केवल 3 1/2 प्रतिशत अल्कोहल होता है जबकि फास्फोमिन विटामिन सिरप आदि में 17 1/2 प्रतिशत अल्कोहल होता है।

श्री अध्यक्ष---

द्राक्षासव से ज्यादा है या कम ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, बीयर का सम्बन्ध रम, ब्रान्डी, ह्विसकी और जिन आदि से रहता है। ताड़ी का महात्मा गांधी जी ने विरोध किया था लेकिन नीरा का समर्थन किया था। नीरा वह वस्तु है जो सूर्योदय के पूर्व आसूत होती है। कहा भी है चमके तब ज्यों चमके हीरा भोर में नित पी निर्मल नीरा।

अब मैं मान्यवर, एक जगह का उदाहरण देता हूं ? बांदा सिटी में 5 मार्च, 1975 को नीलाम हुआ जिसमें 88 प्रतिशत लाइसेन्स फीस में वृद्धि हो हुई है। जिलाधिकारी श्री विष्णु प्रकाश श्रीवास्तव, स्वयं पीठासीन अधिकारी थे और नियमत :बोली बोल कर दुकान लेने वालों से सन्तुष्ट नहीं थे। 18 दिनों बाद मन्त्री जी ने आबकारी आयुक्त की बिना सलाह के पुनः नीलाम का आदेश कर दिया जबकि ऐसे कई जिलों में 37 प्रतिशत तक वृद्धि होने पर भी पुनः नीलाम नहीं कराया गया। जब सौदा नहीं पटता है तो ऐसे ही धंधे चलते रहते हैं।

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

एक फारेन लीकर डीलर्स एसोसिएशन (विदेशी शराब विक्रेता संघ) है। इसके बारे में एक बड़ी विचित्र बात है। इसने एक मोनोपोली बना रखी है, जबरदस्त मोनोपोली। उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि विदेशी मदिरा की नीलामी को रुकवा रखा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने स्टे आर्डर ले लिया है। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी और उसने यहां से हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करवा दिया। और फिर वह बात रह गई जो कि फारेन लिकर डीलर्स एसोसिएशन चाहता था। हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद आप सुप्रीम कोर्ट गए, तो यह क्यों हुआ ? इसमें सीधी सादी बात है। यह ऐसा जघन्य पाप है कि शराब पीकर आदमी असहाय होता है, दुर्बल हो जाता है और तब उसकी जेब से सरकार पैसा निकालती जाती है।

बिहार में श्रमिक बस्तियों के लिए आचार्य विनोवा भावे, महात्मा गांधी और धर्माधिकारी आदि ने इस बात की चिन्ता व्यक्त की थी कि शराब की दुकानें इन श्रमिक बस्तियों में न हों। जिस दिन मजदूर अपना वेतन पाता है, उस दिन उसके बच्चे, बीबी और उसके परिवार में यह आशा लगी रहती है कि आज वेतन आएगा, तो भोजन मिलेगा लेकिन वह पैसा शराब की भट्टियों पर चला जाता है। बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक बस्तियों में यह दुर्दशा देखी जा सकती है।

यह सरकार हरिजनों और समाज कल्याण की बात करती है लेकिन श्रीमन, हरिजन कल्याण नहीं हो रहा है। वह पिछड़ा वर्ग, वह शोषित और पीड़ित वर्ग जो शिक्षा से रहित है इसे अव्वल तो सहायता पहुंच नहीं पाती और जो थोड़ी बहुत पहुंचती है भी वह शराब के ठेकों में चली जाती है। एक तरफ अनुदान देते हैं, दूसरी ओर शराब के माध्यम से लौटा लेते हैं। शराब के बारे में यह देश बड़ा मुक्त भोगी है। मैं आपका ध्यान इतिहास के 5 हजार वर्ष पहले की ओर ले जा रहा हूं। हिन्दुस्तान में एक बड़ी सशक्ति जाति थी जो आज भी विद्यमान है, उसको यादव कहते हैं। उसके दो गण राज्य थे वृष्णी और अन्धक। वृष्णी गणराज्य जिसमें भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। वह इतना शक्तिशाली गणराज्य था कि जो इन्द्रप्रस्थ व हस्तिनापुर की केन्द्रीय सरकार थी वह उनसे भयभीत रहती थी और अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए उसने वृष्णी गणराज्य से रोटी बेटी का रिश्ता किया। लेकिन बलराम जो वृष्णि गणराज्य के अगुआ और वरुणे नामक मदिरा पीने लगे थे परिणाम यह हुआ कि समुद्री क्षेत्र में प्रभास तीर्थ क्षेत्र में वरुणे मदिरा पीकर वह महान गणराज्य और उनका समस्त परिवार विनष्ट हुआ। संसार के शक्तिशाली साम्राज्य जिनमें रोमन साम्राज्य भी एक है केवल शराब से नष्ट हुआ।

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

आप सुझाव चाहते हैं। भारत के प्लानिंग कमीशन ने 1963 में एक स्टडी टीम का गठन किया जस्टिस टेकचन्द की अध्यक्षता में। हिन्दुस्तान के अधिकांश भागों में वह टीम गयी। ऐसा विश्लेषण संसार में शायद ही किसी ने किया हो। हजारों पृष्ठों की मोटी किताब है वह। कम से कम हिन्दी में छोटे-छोटे उसके अंश मैं चाहूंगा कि सरकार प्रकाशित कर दे। उन्होंने सारी स्थिति स्पष्ट की है और यह लिखा है कि यह दुःख है कि शराब से इस देश का सर्वनाश हुआ। इसके बावजूद इस देश में कोई सर्वे नहीं कराया गया। मैंने तो पता लगाया कि कम से कम जहरीली शराब से उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में कितने लोग मर गए, लेकिन आबकारी विभाग ने यह सूचना भी इकट्ठी नहीं की जबकि आए दिन कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, बनारस, फैजाबाद आदि जगहों में प्रति दिन पढ़ते हैं कि जहरीली शराब से इतने लोग मर गए। जस्टिस टेकचन्द ने बड़ा श्रेणी विभाजन किया है। एक तो हैबीचुअल ड्रिंकर होते हैं। उनको मेडिकल सहायता देनी पड़ती है। एक मौसमी पियक्कड़ होते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बड़ा सुन्दर वर्गीकरण किया है। इस देश का कितना घोर पतन हुआ एक बड़ा सुन्दर उदाहरण है। अभी हाल में मार्च में नशाबन्दी लागू न करने के लिए सरकार की आलोचना राजस्थान उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने नशाबन्दी के बारे में सरकार की आलोचना करते हुये जो कहा है वह मैं बताना चाहता हूं। न्यायाधीश श्री सोहन नाथ मोदी ने राजस्थान टेम्परेंस सोसाइटी की ओर से मद्यपान समस्या और समाधान पर आयोजित संगोष्ठी में अध्यक्ष पद से कहा कि भारतीय संविधान की रजत जयन्ती वर्ष तक भी संविधान में निर्देशित नशाबन्दी के सिद्धान्त को लागू नहीं किया जाना दुख की बात है और इसके लिए बहुत कुछ सरकार भी दोषी है। प्रजा के शारीरिक, हार्दिक और नैतिक विकास और कल्याण के लिए देश भर में सम्पूर्ण नशाबन्दी आवश्यक है उन्होंने आगे कहा है कि "जनता के व्यापक हितों की रक्षा के लिए जनता को नुकसान पहुंचाने वाली नशाखोरी की आय को छोड़ कर अन्य प्रकार के करों से उसकी क्षति पूर्ति की जा सकती है शराबखोरी से गरीब जनता का सर्वनाश हो रहा है" और इस गरीब और दलित जनता को सर्वनाश से बचाने का दायित्व सरकार का है।

उन्होंने फिर आगे कहा है "न्यायालयों में निर्णयों के आधार पर उन्हें इस बात का अनुभव है कि अस्सी प्रतिशत अपराध मद्यपान के बाद होते हैं और कई जघन्य अपराध मद्यपान के कारण ही हुए हैं। "सरकार को अपराधों की रोकथाम के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने होते हैं इससे तो अच्छा यही है कि अपराधों की जननी मद्यपान पर ही प्रतिबन्ध लगा दिया जाय। (नवभारत टाइम्स, 26 मार्च, 1975)

मान्यवर, सिक्ख धर्म वाले अमृत चखते हैं। उसके बारे में वेदों में कहा गया है —

वह अमृत या मधु पृथक चीज है—जिसे मधु या सोमरस कहते हैं वेदों में कहा है—

मधु:वाता ऋतायते मधु: क्षरन्ति सिन्धव:। माध्वीन: सन्त्वौषधी:
मधुनवतमुतोषसी। मधुमन्पार्थिवम् रज: मधु: द्यौरस्तु न: पिता
मधुअन्नो वनस्पतिर्मधुमान्, अस्तु सूर्य: माध्वी र्गावो भवन्तु न:।
मधु: मधु: मधु:।

श्री उपाध्यक्ष—

सम्भवत: आपकी इन बातों को लिखा नहीं जा रहा है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

श्रीमन्, तो मैं उर्दू के शायर की बात कहे देता हूं।

"मैंने सोचा कि अब से रहूं, बरहमन हैफ कैसे कहूं अपनी तोबा सिकन।
आ गए वो मगर आबे कौसर लिए ख्वाब में जाम ढलता रहा रात भर।"

मान्यवर, यह जाम दूसरा है और ये गरीब श्रमिक लोग जो पीते हैं वह दूसरी चीज है। मेरा सर उस समय लज्जा से झुक जाता है जब मुझे यह पढ़ने को मिलता है। विदेशों में हमारे यहां के राजदूतावासों में जब वहां के लोग हमारे यहां के लोगों को शराब पीता देखते हैं तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। होली के अवसर पर अभी कुछ लोग हमारे यहां की सभ्यता देखने के लिए जब हमारे भारतीय दूतावास में गए तो उन्होंने देखा कि वहां शराब चल रही थी।

'सौ साल चर्ख दौर है सागर का एक दौर
निकले जो मयकदे से तो दुनिया बदल गयी।'

गालिब ने भाषा में कहा है —

मैं मयकश जरूर हूं मगर हूं बा तहजीब
जुबान काट दूं अगर लफ्ज मुंह से तू निकले।
मजा तो पीने पिलाने का तब है ऐ वाइज
मैं पिऊं और तेरे मुंह से बू निकले।

तो मान्यवर, वह मय दूसरी चीज है, यह शराब जो देश का सर्वनाश कर रही है, यह दूसरी चीज है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप का समय काफी हो गया है।

श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)—

इनके विचारों को सुन कर बड़ा मजा आ रहा है। इनको समय और दे दिया जाय हमारी पार्टी का भी समय इनको दे दिया जाय।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मैं यह बातें केवल मजे के लिए यहां नहीं कह रहा हूं। यह बड़ी गम्भीर बातें हैं जिन पर विचार करना चाहिए।

"ए जलवा गाहे खास कोई आम नहीं है।
कमजोर निगाहों का यहां काम नहीं है।"

मैं कुछ गम्भीर बातें आपके सामने रख रहा हूं।

मैं एक बड़ी गम्भीर बात कह रहा हूं। मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं जिसने देश का सर्वनाश किया है। जो गंगा-यमुना का पावन प्रदेश उसकी बेहतरी के लिए आपको क्या करना चाहिये इस पर मैंने कुछ लिखा है उसे मैं पढ़े देता हूं। मान्यवर, इसके साथ-साथ दो वर्षों में जिस तरह से इस प्रदेश में शराब की सरिता बह रही है उसके लिए तो मैं युवकों के हृदय सम्राट श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा को जिनके हाथ में इस प्रदेश के शासन की बागडोर है अभिनव भगीरथ की संज्ञा देता हूं कि उन्होंने अपने शासन काल में गंगा-यमुना के इस पावन प्रदेश में शराब की तरणी बहा दी शराब की सरिता बहा दी। जो मैंने लिखा है वह इस तरह से है—गंगा-यमुना के प्रदेश में शराब की सरिता बह रही है। बहुगुणा सरकार मद्य निषेध को कड़ाई से लागू करे। "देश के लिए यह और कलंक की बात है कि आजादी के 27 वर्ष बाद भी नशाबन्दी के प्रश्न पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करना तो दूर रहा बापू की दुहाई देकर जीने--खाने व हुकूमत करने वालों के राज्य में शराबखोरी में स्वदेशी हुकूमत काल से 250 गुनी वृद्धि हो गयी है। नशाबन्दी स्वतन्त्रता संग्राम का एक प्रमुख अंग था।" शराब के ठेकों पर आजादी के सैनिक शान्तिपूर्ण सत्याग्रह व प्रदर्शन किया करते थे हमारे राष्ट्र निर्माता शराब को राष्ट्र की प्रगति में सर्वाधिक बाधक व उसे कुष्ठ की तरह मानते थे। स्वतन्त्रता मिलने पर केवल लिखावट के रूप में अन्य प्रान्तों में मद्य निषेध लागू किया गया किन्तु सरकार की दुर्नीति के कारण सफलता नहीं मिली। अखिल भारतीय नशबन्दी समिति ने भी इस दिशा में जन जागृति उत्पन्न करने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है। गांधी

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

जी के अनुयायी सर्वोदयी नेताओं के नशाबन्दी क्रियाकलाप केवल औपचारिकता मात्र रहे। जब कि उन्हें नशाबन्दी को ही अपने कार्यक्रम का मुख्य अंग मान कर उसे प्राथमिकता देनी चाहिए थी। मद्य निषेध की असफलता के लिए देश के कर्णधार व वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से जिम्मेदार हैं।

इस सम्बन्ध में भारत के भूतपूर्व उप प्रधान मन्त्री और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता श्री मोरारजी भाई देसाई और गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री हितेन्द्र देसाई ने कुछ दिनों पूर्व गुजरात के वरिष्ठ मन्त्रियों पर यह स्पष्ट आरोप लगाया था कि गुजरात में मद्य-निषेध के कारण मन्त्री लोग केवल शराब खोरी के लिए वायुयान से दिल्ली जाते हैं और शराब पीकर लौट आते हैं। यह दशा राष्ट्रपिता की जन्मभूमि गुजरात की है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ मन्त्रियों पर भी इसी प्रकार के आरोप लगाए जाते रहे हैं जिनका कभी खंडन नहीं किया गया। देश की गरीब जनता की पसीने की गाढ़ी कमाई के अरबों रुपए शराब में नष्ट हो गए। सरकार लघु उद्योग व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा न देकर बड़े-बड़े होटलों और बार के लिए ऋण दे रही है। छविगृहों के लिए भी सरकार करोड़ों रुपए का ऋण देती है। आज बड़े होटलों व क्लबों में देशी व विदेशी शराब खुल्लम खुला पी जाती है। जहां जुआ, नगा डांस व रोमांस चलता है। आपको कलकत्ते का उदाहरण दूं कि वहां 16 से 22 वर्ष की उम्र की 33 हजार लड़कियां शराब की स्मगलिंग में लगी हुई हैं और व्यभिचार में लगी हुई हैं। शराब अकेले नहीं रहती है। इसीलिए सुरा और सुन्दरी जुड़ी हुई है। बड़े-बड़े बारों में, बड़े-बड़े क्लबों और बड़े बड़े होटलों में सरकार की देख-रेख में यह सब चलता है। सुरा-सुन्दरी और शराब का बहुत साथ है। एक सुजाता कांड क्या हजारों हजारों सुजाता कांड चल रहे हैं। उसमें मन्त्री शामिल हैं जिनके हाथों में हुकूमत की बागडोर है वे भी शामिल हैं और जिन्होंने उत्तर प्रदेश की नाक कटा ली है (शेम शेम)। शराब, सुरा और सुन्दरी को सत्ता का सम्बल है। सुरा अकेले नहीं रहती। सुरा-सुन्दरी से साथ होने पर ही देश में तमाम पापाचार, व्यभिचार, अत्याचार, दुराचार, अनाचार और रिश्वतखोरी बढ़ी हुई है? इसलिए मैं राष्ट्र के गिरते हुए स्तर को रोकने के लिए और नैतिक पतन को रोकने के लिए आपसे अपील करता हूं। आज हमारे गंगा यमुना के प्रदेश में शराब की नदी बह रही है, जो एक बड़ी गम्भीर बात है? (व्यवधान)।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

माननीय, समय का भी ख्याल रखा जाय। आखिर समय की भी एक सीमा होती है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपका उत्तरदायित्व नहीं है। मैं स्वयं देख रहा हूं। आप कृपया बैठें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

माननीय, इसमें इनका कसूर नहीं है। यह शराब के विरोधी हैं और बड़ी पवित्र भूमि से आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपनी बात कहें, आपका बहुत ज्यादा समय हो गया। आप जल्दी ही समाप्त करें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

माननीय, उनका दोष नहीं है। श्रीमन्, वह शराब के विरोधी हैं। लेकिन संगत में आदत पड़ गयी है।

इन वादाकशों की सोहबत में एक ऐसी भी हैरत होती है।
तौबा भी नहीं तोड़ी जाती पीने की भी नीयत होती है॥

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला--

माननीय, बहुत लोग शराब पीते हैं लेकिन शराब के खिलाफ बोलते हैं इसलिए शंका भी हो जाती है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

माननीय, मैं कहता हूं कि जहां जुआ, नंगे डांस व रोमांस चलता है.....

श्री उपाध्यक्ष--

यह सब तो आप कह चुके हैं मुख्य बातें कहें आप तो पढ़ रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

यह जो नग्न वातावरण देखने को मिलता है इन सब अपराधों के मूल में केवल शराब है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप यह सब कह चुके हैं, कुछ सुझाव दीजिए।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

देश के करोड़ों मेहनतकश श्रमिकों के करोड़ों रुपए वेतन प्राप्ति के दिन ही शराब के ठेकों व अड्डों पर चले जाते हैं और घर पर उनके बीबी-बच्चे फटे हाल रहकर नारकीय जीवन बिताते हैं....

श्री उपाध्यक्ष--

आप यह सब कह चुके हैं, बार-बार न दोहराये, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

माननीय, शराबों पर अधिकाधिक टैक्स बढ़ाकर मद्य-निषेध नहीं किया जा सकता है। इस समय शराब को पीने की अधिकता का एक कारण यह है कि यह जो पुलिस है इस पर अंकुश लगाया नहीं गया। हर एक ठेके से पुलिस वालों का पैसा बंधा है। यही नहीं थानेदार, नायब थानेदार, हेड कांस्टेबिल उनसे शराब की बोतल ले लेते हैं। हर एक पुलिस स्टेशन का पैसा निश्चित है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे यहां पड़रौना पुलिस स्टेशन का पैसा बंधा हुआ है। ठेकेदारों से पुलिस वाले पैसा ले जाते हैं। माननीय, इक्साइज इन्सपेक्टर जो होते हैं, अच्छी जगह पर पहुंचने के लिए 20-20 हजार रुपया, अच्छी जगह पर पोस्टिंग के लिए देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

माननीय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को इसलिए रख रहा हूं कि दल विशेष से कुछ ऊपर उठकर इसके बारे में सोचें और इस प्रस्ताव को स्वीकार करें।

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

माननीय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया। अभी भाई कौशिक जी ने जो कटमोशन प्रस्तुत किया है मैं समझता हूं कि कटमोशन कम था नोटकी ज्यादा थी। कितनी बुराइयां उन्होंने शराब के बारे में की हैं मैं समझता हूं कि वह ठीक है। लेकिन एक बात अवश्य है कि शराब पीने के बाद उसका जो असर होता है, वह सदन को आज पता लगा।

(व्यापक हंसी)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गुलाब सेहरा]

तो सबसे बड़ी बात है कि जो उसका एफेक्ट होता है वह माननीय सदस्यों को आज देखने को मिला।

(हंसी)

कौशिक जी ने धर्म की बात कही। कोई भी धर्म शराब के बारे में कोई बात नहीं कहता, धर्म जितने हैं सब उसकी बुराई करते हैं। जहां तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जो लिया गया तो मैं इसके लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने हमेशा इसका विरोध किया और जब स्वतन्त्रता संग्राम के बाद कांग्रेस सत्ता में आयी तो सबसे पहले गुजरात, बम्बई, मद्रास में मद्य-निषेध किया। लेकिन 10-15 साल तक मद्य निषेध रहने के बाद भी यह बन्द नहीं हो सकी। यह ऐसे बन्द भी नहीं हो सकती है। मैं माध्यम आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर शराब बन्द करनी है तो घर-घर जाकर अलख जगानी पड़ेगी। दरवाजे दरवाजे जाकर इसको बन्द करने के लिये कहना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है। यहां सदन में बोलने से आप शराब बन्द नहीं कर सकते हैं, कानून इसको बन्द नहीं कर सकता है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

पहले सदन से तो शराब खत्म करें।

श्री गुलाब सेहरा—

मैं बताना चाहता हूं कि इसी सरकार ने आबकारी के साथ मद्य-निषेध भी खोला है। आप लोग इनके पोस्टर ही नहीं पढ़ते हैं। इसकी बुराई करना इसकी आलोचना करना अलग है। मैं जानता हूं कि मद्य-निषेध के बारे में कितना काम किया गया है। विशेषरूप से चरस, गांजा, अफीम के बारे में टोटल प्रोहीबिशन इस प्रदेश में किया गया है। इसके अलावा जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर मद्य-निषेध लागू किया गया है। यह सब काम इस सरकार की ओर से किए गए हैं लेकिन एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि हम सब को, राजनीतिक संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं को विशेष रूप से स्थान स्थान पर जाकर अलख जगाना होगा, विशेष प्रयास करना होगा तब जा कर मद्य-निषेध किया जा सकता है।

पिछले दिनों इस विभाग की ओर से इल्लीसिट लिकर के बनाए जाने की रोक-थाम करने के लिये ही 5728 केसेज पकड़े गये और लोगों को दन्ड दिए गए। इसके अलावा, जो सबसे बड़ी बात है कि रेग और रोगन के कामों में जो स्प्रिट आती थी उससे इल्लीसिट लिकर बन ई जाती थी, यह बात सरकार के विचाराधीन थी और यह किया गया कि स्प्रिट में कोई रंग मिला या जाय जिससे इल्लीसिट लिकर न बने। प्रदेश में इल्लीसिट पर प्रभावकारी कन्ट्रोल करने के लिये पूरे प्रदेश को 11 रीजन्स में बांटा गया जिनमें से एक-एक में चार-चार और 6-6 जिले रखे गये जिससे इस पर अच्छी तरह से कन्ट्रोल हो सके। विभाग की ओर से एक आबकारी ब्यूरो की भी स्थापना की गयी जिसमें इस प्रकार के अपराधों की सूचना आते ही उस पर तत्काल कार्यवाही की जा सके। इस विभाग की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में जितना भी कुछ कहा जाय थोड़ा है।

इस विभाग ने इस बीच में जो राजस्व की वृद्धि की है वह उल्लेखनीय है। मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि जो जन-जीवन के स्वास्थ्य पर असर डालती है, गलत चीज है, उसके रोक-थाम के लिए कुछ काम होना चाहिए। इस विभाग में कुछ न कुछ इस तरह का काम होना चाहिए जिससे इल्लीसिट लिकर बनती है उसकी रोक-थाम हो सके। इसमें सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि जो विभाग 50 करोड़ रुपया साल का कमा कर देता है उस पर केवल उसका 2 परसेंट खर्च किया जाता है। यह बहुत कम है और उस प्रोपोशन से यह खर्चा बिलकुल वाजिब नहीं है। मैं चाहूंगा कि यह विभाग जो 50 सालों से स्थापित है इसका पुनर्गठन किया जावे। यह देखा जाना चाहिए कि यह किस तरीके से अधिक से अधिक इफेक्टिव हो सकता है। इस सम्बन्ध में मैं दो तीन चीजों का जिक्र करूंगा।

इस विभाग के पास जिला स्तर पर मालखाने नहीं हैं। जब ये इल्लीसिट लिकर को पकड़ते हैं और गलत चीजों को पकड़ते हैं तब इनको उसको रखने के लिए मालखाने की जरूरत होती है। इनको उस माल को रखने के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता है। इसलिए इस विभाग की ओर से मालखाने की व्यवस्था जिला स्तर पर होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि प्रत्येक जिले में अब भी क्लास टू आफिसर्स की नियुक्ति नहीं हुई है, केवल दो या तीन जिलों में ही क्लास टू आफिसर्स रखे गए हैं। मैं चाहूंगा कि अगर वाकई एफैक्टिव तरीके से काम को करना है तो समस्त जिलों में क्लास टू आफिसर्स को आबकारी का इन्चार्ज बनाया जावे।

तीसरी बात, कार्यालयों की व्यवस्था इस विभाग की ओर से जिलों में बिलकुल नहीं है। जो इन्स्पेक्टर्स हैं उन्हीं के घरों पर कार्यालय होते हैं। इसलिए कार्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए।

चौथे, जो कर्मचारी इस काम पर लगे हुए हैं उनको इंसेंटिव देने के लिए, जिससे वे ठीक से काम कर सकें, ज्यादा मुस्तैदी से काम कर सकें, उनके वेतनक्रमों के बारे में भी कुछ सोचा जाना चाहिए।

पांचवीं बात जो सोचने लायक है वह यह है कि आज जब दूसरे विभागों में रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर्स को आप क्लास वन आफिसर रखते हैं तो इस विभाग में क्लास टू आफिसर क्यों रखे जाते हैं।

इसके अलावा, जिला स्तर पर वाहनों की व्यवस्था होनी चाहिये। जिससे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली या हरियाणा के बार्डर्स पर जो जिले हैं वहां से इल्लीसिट लीकर और अलकोहल स्मगलिंग हो कर आवें तो उसको पकड़ा जा सके। लेकिन इसके लिये व्यवस्था नहीं है। न उनके पास टेलीफोन की व्यवस्था है, न वाहन है, यह सब चीजें होनी ही चाहिए क्योंकि आजकल जो तस्करी करते हैं वह बड़े-बड़े कार वायरलेस सेट्स, सुसज्जित मार्डन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से हरियाणा की एक्साइज ड्यूटी में काफी फर्क है तो हरियाणा से काफी संख्या में यह इल्लिसिट लिकर यू० पी० में लाई जाती है। इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक है, साथ ही जो राजस्व की चोरी होती है, उसकी रोकथाम के लिए मार्डन इक्विपमेंट्स जिला स्तर पर एक्साइज आफिसर्स को दिए जाने चाहिये ऐसा मेरा विचार है।

दूसरी बात, जब तस्कर पकड़े जाते हैं तब आपके आबकारी अधिकारियों के पास कोई आर्म्स नहीं होते हैं। इसलिए आर्म्स की व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, 50 साल पहले जब विभाग बनाया गया था उस समय उसकी संख्या सीमित थी लेकिन अब आबादी की जितनी बढ़ोत्तरी हो गयी है उस में जितना स्टाफ है वह बहुत कम है।

मान्यवर, मुकदमें रेफर होते हैं लेकिन इनके पास कोई लीगल डिपार्टमेंट नहीं है जिससे कि पकड़े हुये माल की जांच स्वतन्त्र रूप से कर सकें। इसलिए लीगल डिपार्टमेंट होना चाहिए जो मुकदमों की पैरवी कर सके।

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि जो सहायक आयुक्त रीजन में रखे गये हैं उसमें पुरानी परम्परा चल रही है कि 50 साल से ऊपर का नहीं आ सकता है इसलिए इसको देखें।

मान्यवर, जो लीकर बनता है उसमें अलकोहल जो इन्डस्ट्रियल यूनिट्स को देते हैं वह सेन्थेटिक रम्म बनाते हैं तो उन पर एक्साइज ड्यूटी कम है। दूसरे जिस यूनिट को अलकोहल दें उस पर नजर रखें कि उसमें वह काम आ रही है कि नहीं।

[श्री गुलाब सेहरा]

मान्यवर, दुकानों की जो नीलामी अभी हाल में की गयी है उसमें मैं समझता हूं कि कुछ जिलों में काफी गड़बड़ घोटाला हुआ है। इसलिए एक सतर्कता कमेटी बनायी जानी चाहिए जो देखें कि यदि किसी जिले में नीलामी ठीक नहीं हुयी है तो उसको निरस्त करके दुबारा नीलामी कराए। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है कि जो नीलामी नहीं लेने वाले हैं उनको पार्टी बनाकर खड़ा किया गया है और इस तरह सरकार का उससे नुकसान हुआ है। इसलिए सतर्कता कमेटी बनायी जानी चाहिए। मैं दूसरी बात मन्त्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि आबकारी विभाग की जितनी दुकानें हैं यदि उनका सर्वे किया जाय तो वह सब बड़े-बड़े लोगों की निकलेंगी, गरीबों की नहीं। विशेष तौर से मैं 1970 में जो डा0 राधा कृष्णन कमेटी बनी थी जिसने हरिजनों के उत्थान के लिए सिफारिश की थी कि हरिजनों को कोटा, परमिट और लाइसेन्सों में प्राथमिकता दी जाय जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। लेकिन इस विभाग की तरफ से अभी तक कोई कोटा या लाइसेन्स नहीं नियत किया गया है। इसलिए आग्रह करूंगा कि 27 वर्षों से जो काम काफी पिछड़ा रहा है उसको वह विभाग तुरन्त पूरा करे। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आज प्रस्तुत बजट पर विपक्ष के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, संविधान ने सरकार से अपेक्षा की है कि यथासम्भव सरकार शराब बन्दी करे। किन्तु आंकड़े देखने से मालूम पड़ता है कि मानों सरकार की नीयत इसमें कुछ उल्टी ही है और बजाय शराब बन्दी के उसकी बढ़ोत्तरी की जा रही है। विगत दो वर्षों में शराब का उत्पादन जिस प्रकार से बढ़ा है, उसके प्राप्त आंकड़ों में यह है—गत वर्ष के पहले 41.5 लाख लीटर और गतवर्ष 46.6 लाख लीटर उत्पादन हुआ। इस प्रकार उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो रही है। जो संविधान की मंशा के विपरीत है।

इसके अलावा अल्कोहल उत्पादन सम्पूर्ण देश का 2/3 भाग अपना प्रदेश करता है जिसकी मात्रा 2.5 करोड़ लीटर है। इस अल्कोहल में 1.5 करोड़ लीटर केवल शराब में पीने के काम में और शेष औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल होती है। शराब की बढ़ोत्तरी के साथ सरकारी राजस्व की बढ़ोत्तरी भी दिनों-दिन होती जा रही है जैसा कि इस वर्ष की अनुमानित आय देखने से विदित होता है कि 15 करोड़ का राजस्व इससे इस वर्ष प्राप्त करने का लक्ष्य सरकार का है, राजस्व को इस विभाग के जरिए बढ़ाना बहुत ही घृणित कार्य है।

इस विभाग में भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। मैं बांदा जिले का इस सम्बन्ध में जिक्र करूंगा। वहां की नीलामी देख कर मैं स्तब्ध रह गया। मेरे अनुभव से माननीय नए मन्त्री जी के कार्य-काल में इस विभाग के भ्रष्टाचार दूर होने की अपेक्षा करना स्वप्न मात्र है। गतवर्ष बांदा जिले में शराब की दुकानों की नीलामी 5 लाख रुपए के लगभग हुई थी। इस वर्ष 15 मार्च को नीलामी होनी थी। मैंने जिलाधीश महोदय को पत्र लिख कर प्रार्थना की कि बांदा जिले में इस उद्योग में एक व्यक्ति का एकाधिकार है। मैंने अपने पत्र के माध्यम से यह प्रार्थना की कि इस एकाधिकार को समाप्त किया जाय और सभी दुकानें अलग-अलग ठेकेदारों को नीलाम की जायं। जिलाधिकारी ने इस बात को समझा और अलग अलग ठेके नीलाम कर देने का नतीजा यह हुआ कि जहां पिछले साल 4 लाख की नीलामी हुई थी, इस वर्ष वह साढ़े 10 लाख की हुई और दूसरा लाभ यह हुआ कि एकाधिकार समाप्त हुआ और अलग-अलग जगहों के कोटे विभिन्न ठेकेदारों को मिले। हमने शासन को ठीक समझा। लेकिन मेरे जिले में एक तस्कर सम्राट है जिसकी छत्रछाया में अपना प्रान्त ही नहीं मध्य प्रदेश में भी मादक वस्तुओं का काफी बड़ा तस्कर व्यापार विधिवत् रूप से होता है और इस व्यापार के माध्यम से काफी काला धन कमाया जाता है और उसी काले धन के जरिए मार्च 15 तारीख की यह नीलामी किस तरह से निरस्त कराई गयी इसे मैं सदन के समक्ष बताना चाहता हूं। उस तस्कर ने लखनऊ आकर सीधे

मन्त्री जी तक पहुंच की और इस बात पर दबाव डाला कि अगर बांदा जिले का नीलाम दोबारा किया जायगा तो 15 लाख में नीलामी होगी जिसे मैं लूंगा और उसने ऐसा करवाने के लिए न जाने कितना रुपया खर्च भी किया। मन्त्री जी ने दुबारा आक्शन के आर्डर दे दिए। मन्त्री जी को भी इसमें भारी हिस्सा मिला है और 28 मार्च को तारीख को रिआक्शन का आदेश हुआ। मैंने तथा देव कुमार जी ने फिर जिलाधीश तथा आयुक्त महोदय को पत्र लिखे कि इस व्यापार को एकाधिकार से बचाने के लिए और किए गए षड़यन्त्र से आगाह किया। जिलाधीश ने कहा कि ये लोग कुछ खुराफात करेंगे और तस्कर सम्राट का भी उनको हित साधन करना था क्योंकि उसने काफी धन उच्च अधिकारियों को पिलाया था और उनको उसकी नमक हलाली करनी थी, 28 तारीख को 11 बजे नीलामी का नोटिस निकाला गया और उस समय वह तस्कर व्यापारी अपने गुर्गों को लेकर नीलाम स्थान पर पहुंचा और वहां उसके गुर्गों तथा अन्य ठेकेदारों में बातचीत चलती रही तथा वह तस्कर जिलाधीश के निवास में आयुक्त मद्य विभाग के बीच में काफी विचार विमर्श के बाद सौदा तय हो गया और नीलामी की रूप रेखा वहीं बनी।

वहां पर फिर नीलामी का कार्य-क्रम दो बजे के बाद प्रारम्भ हुआ उस तस्कर ने शासन से कहा था कि 15 लाख की नीलामी मैं लूंगा। उसने अपने अनेक नौकरों के नाम से ठेके ले लिए और 13 लाख में नीलामी की गई। दो लाख रुपए किनकी जेब में गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितना बड़ा कुशल तस्कर है। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में मन्त्री जी कुछ बोलें और मेरे आरोप का खण्डन करें (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मुझे अभी और कहना है .....

श्री उपाध्यक्ष--
दो मिनट आपके अभी और हैं।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार--
मेरे जिले के अन्दर जो भ्रष्टाचार है उसको घटाने की बात को क्या कहा जाय ? वहीं पर शासन ने तस्करों से मिलकर इसको बढ़ावा दिया है। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि यह जो मेरे जिले में तस्कर है वह उत्तर प्रदेश में चोटी के तस्करों में एक है। करोड़ों रुपये का उसका व्यापार है लखनऊ से लेकर बांदा तक मन्त्री से चपरासी तक उसकी तस्करी बढ़ाने में भागीदार है।

श्रीमन्, अब मैं अपने जिले की कुछ समस्याओं की ओर सदन का और माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने विभाग की प्रगति रिपोर्ट में इशारा किया है कि हमने तीर्थ स्थानों की जगह पर मद्य-निषेध क्षेत्र घोषित किया है। मान्यवर, मैंने देखा है कि चित्रकूट जैसे तीर्थस्थान को इस कानून से वंचित किया गया है। मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार अन्य स्थानों पर मद्य-निषेध लागू है उसी प्रकार चित्रकूट जैसे तीर्थ स्थान पर भी मद्य-निषेध लागू किया जाना चाहिए। हरिजन बस्तियों से शराब के ठेकों को हटाना मैं समझता हूं कि उनके बड़े हित की बात होगी। इसलिए हरिजन बस्तियों से भी शराब की दुकानें हटायी जायं। इसके अलावा छोटे-छोटे गांवों में जहां पर शराब की दुकानें खुली हैं वहां से भी ये दुकानें हटायी जायं मेरा सुझाव है कि जिस गांव की आबादी 4 हजार से कम है वहां से ऐसी दुकानें हटा ली जायें। अतर्रा, बांदा, राजापुर आदि स्थानों पर जो शराब के ठेके हैं उनमें आए दिन नाना प्रकार के उपद्रव होते रहते हैं। अतः मन्त्री जी इस बारे में विचार करें और वहां के इन ठेकों को अन्यत्र हटायें ताकि कोई घटना वहां न होने पाए। इसी प्रकार सड़कों के किनारे जो शराब के ठेके हैं वहां भी आये दिन उत्पात खड़े होते हैं .....।

श्री उपाध्यक्ष--
आपका समय समाप्त हो गया, समय ज्यादा नहीं है।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार---

बहुत जल्दी समाप्त करता हूं। मान्यवर, ग्राम लामा में जिसकी आबादी 2200 है शराब की दुकान है, उसे वहां से हटायी जाय। वह इसलिए और कह रहा हूं कि वहां पर बस स्टाप है और बसों के ड्राइवर नियमित होकर शराब पीते हैं यह जनहित में नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेरे जिले में एक ही अंग्रेजी शराब की दुकान है, मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वहां पर अंग्रेजी शराब की दुकान बढ़ा दी जाय लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि उस दुकान पर एकाधिकार तीन पुश्तों से है। एक ही व्यक्ति को उसमें अधिकार है। बाबा, लड़के-बच्चे उसके मालिक बने बैठे हैं। अतः उस एकाधिकार को समाप्त किया जाय और किसी और को नीलाम किया जाय। उस व्यक्ति का नाम है नारायण सिंह और वह अतर्रा का रहने वाला है। अतः मैं चूंकि यह शराब का विषय है इसलिए एक शेर पढ़ देना चाहता हूं :---

कहते हैं सरे बाजार उतर गई सरदार की पगड़ी ....

श्री उपाध्यक्ष---

यह शेर तो माननीय पुरुषोत्तम कौशिक कई बार कह चुके हैं।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे भाषण देने का अवसर प्रदान किया। हमारे आबकारी मन्त्री जी द्वारा जो आपके सामने बजट प्रस्तुत है, मैं गहिला होने के नाते खुशी से नहीं बल्कि अपने आंचल में आंसू बांध कर समर्थन करती हूं एक स्त्री जो है वह दुनिया में मद्य के दोषों को समझती है और बिना कुछ कहे हुए बिना जबान खोले वह उसे सहन करती है क्योंकि उसका जबान खोलना भी अपराध है। जो एक स्त्री जितना इसके दोषों को जानती है जिसका पति मद्यपान करता है उसकी हालत के ऊपर अपगौर कीजिए। मान्यवर वह अपनी सखी के सामने भी कह नहीं सकती है कि मैं किस दिक्कत से पीड़ित हूं या मेरा पति शराब में दिलचस्पी रखता है। वह अपने आंसू भी जाहिर नहीं कर सकती है और उसके आंखों से उसकी आंखें झुक जाती हैं। उस स्त्री की मजबूरी को समझना आप लोगों के लिए मुश्किल है। मैं उन स्त्रियों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं जिनके तन से कपड़ा उतारकर, जिनके सुहाग की चूड़ियों को बेच कर, जिनके बच्चे के भविष्य को नीलाम कर घर का मालिक जो है बाजार में जाकर शराब पीता है। उस स्त्री के दुख को जरा आप गौर फरमायें। यह परेशानी की बात है, विशेषकर हमारे गरीब तबके के लोग हैं वह पीड़ित हैं उनको जो इस शोषण से पीड़ित हैं उनको इससे मुक्त करना है। यह समाज जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा इससे पीड़ित है। एक मजदूर को लीजिए, एक श्रमिक को लीजिए, सफाई मजदूर को लीजिए या जो मिल में काम कर रहा है उसको लीजिए, जो रिक्शा चलाता है उसको लीजिए। वह दिन में पांच रुपए कमाता है और तीन रुपए शराब में खर्च कर देता है तो वह अपने बच्चों को, अपनी स्त्री को किस तरह से वस्त्र पहना सकता है। उस स्त्री को तन ढांकने के लिए केवल लाज है या उसका आंखों का शर्मीलापन है। तो उनकी दुर्दशा देख कर रोना आता है और बड़ा अफसोस होता है कि हमने इतना वैज्ञानिक विकास किया, उससे दुनिया को चकाचौंध कर दिया है लेकिन हमारा नैतिक स्तर ऊंचा होने के बजाय गिरता चला जा रहा है यानी इन दोनों का संतुलन नहीं हुआ है। जितना वैज्ञानिक विकास हुआ उसके साथ इसका वैलेंस नहीं हुआ, हमारा नैतिक स्तर भी उसी तरह ऊंचा उठना चाहिए। लेकिन वैलेंस कायम नहीं हुआ। यह हमारी दुनियां में सबसे बड़ी बदकिस्मती है दुनियां ने जितना वैज्ञानिक विकास किया है उतना मानवता ने नहीं किया। यही जो लैक आफ वैलेंस है इसकी वजह से परेशानी हमको देखनी पड़ रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो मान्यवर यह हमारे लिए एक बड़े खेद की बात है कि हमारी सरकार चाहती है कि शराब को किसी तरह से बन्द करें, इस दोष को किस तरह बन्द करें, समाज को ऊपर उठायें, और गांधी जी ने जो मार्ग दिखाया है उस पर चलें लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी हैं जिसके कारण वह नहीं हो पा रहा है। हमारा पुरुष वर्ग, क्षमा कीजिएगा, एक बहन होने के नाते, एक मां होने के नाते कह रही हूं किसी द्वेष के कारण नहीं कि हमारा पुरुष वर्ग इतने नीचे है कि हम अपना काम करने में, मद्य-निषेध करने में सफल नहीं हो सके हैं। मैंने आज कौशिक जी की सुन्दर तकरीर सुनी। मुझे तो उसके अन्दर ऐसा लगा कि नशे में कह रहे हैं, मुझे भय हुआ कि वह मद्य-निषेध के फेवर में कर रहे हैं या उसके अगेन्स्ट में कह रहे हैं क्योंकि जब पुरुष 'हां' कहता है तो उसका मतलब होता है "न" और जब "न" कहता है तो उसका मतलब होता है "हां"। तो यह मेरे मन में डाउट पैदा हुआ। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं कि विभाजन के बाद इन्दिरा सरकार तो सन् 1969 के बाद स्थापित हुई किन्तु पिछले 22 वर्षों में, मैं चौधरी चरण सिंह से जानना चाहती हूं, अटलबिहारी बाजपेई से पूछना चाहती हूं, चन्द्रभानगुप्त से पूछना चाहती हूं जो इस प्रदेश के कर्णधार थे कि उन्होंने मद्य-निषेध के लिए क्या-क्या कदम उठाए? उन्होंने कौन सा ––

(व्यवधान)

एक सदस्य––

अटल बिहारी तो कभी सत्ता में रहे ही नहीं।

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

मैं कहना चाहती हूं कि संविद सरकार ने 300 नई शराब की दूकानें खोली थीं। यों मैं मानती हूं कि शराब सब बुराइयों की जड़ है। आज जो हम अखबारों में रोज 'सुजाता-कांड' पढ़ रहे हैं जिसे पढ़ कर हर महिला का, हर मां का दिल दहल जाता है, यह सब उसी की देन है। लेकिन एक मेरा सुझाव है जब तक हम नैतिक स्तर ऊंचा नहीं उठायेंगे, जब तक हम एक वातावरण उत्पन्न नहीं करेंगे, जब तक विचार परिवर्तन नहीं होगा, जब तक विचारों में क्रान्ति नहीं होगी, जब तक इन्सान इन्सानियत के स्तर पर ऊंचा नहीं उठेगा, तब तक आप हजारों कानून पास कर लीजिए, इसे रोक नहीं सकेंगे। आपने चोरी-डकैती के विरुद्ध कानून पास किए हैं, लेकिन आप देखिए दूध वाला दूध लाता है तो आपको उसमें पानी मिलाकर देता है। तो बेईमानी तो हमारी रग-रग में घुसी हुई है। हमको अपना नैतिक स्तर ऊंचा करना है, हमको अपने को महान् बनाना है और हमको एक आदर्श जीवन का वातावरण बनाना है, तब ही हम इस दिशा में कुछ कर सकेंगे। जब तक यह नहीं होता है तब तक घर-घर में गलत तरीके से, नाजायज तरीके से शराब बनती रही है और बनती रहेगी, जो कि सेहत के लिए बहुत घातक है; इस प्रकार से शराब बनाना क्रिमिनल है।

श्री उपाध्यक्ष––

आपका समय समाप्त, 10 मिनट हो चुका है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

मैंने जो आपके माध्यम से उधर के लोगों से जो सवाल पूछा है, उसका जवाब इनके पास नहीं है। मैंने तो चोट कस दी। मेरा सुझाव है कि आप आइए, हम भी आएं और मिलकर कदम बढ़ाइए, हम भी बढ़ाएं, हम मोहल्ला कमेटी बनाएं, इसे रोकने के लिए। लेकिन मुश्किल तो यह है कि कोई भी अच्छा कार्य किया जाए, बी0 एल0 डी0 और जनसंघ के भाई उसमें राजनीति घुसेड़ देते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है। आप आइए महिलाओं में चलकर, घर-घर पहुंच कर इसका प्रोपोगन्डा करें, जहां पर इसके अड्डे हैं, जहां औरतों के वस्त्र बेचकर शराब पी जाती है। आइए हम उनके आंसू अपने आंचल में बटोरें––
(व्यवधान) (आवाजें––शेर सुनाइए)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय जगन्नाथ जी बैठने की कृपा करें। क्यों डिस्टर्व कर रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शराब की बात सुन कर मुझे उस शराब की बात याद आती है जो दिल की गहराइयों से निकलती है, बूंदें निकलती हैं। हृदय तक जाती है। तब मनुष्य की आत्मा को और परमात्मा की आत्मा को एक कर देती है। मुझे उस शराब की याद आती और गालिब का शेर याद आता है —

मय से गरज निशात है किस रुहेस्याह को
इक गूंना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए।

*श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आबकारी के अनुदान पर कुछ कहने का समय दिया। आज सारे प्रदेश में मद्य-निषेध के सिलसिले में अनेकों कांड हो चुके हैं जहां अफसरियत की यही राय पायी गयी कि नशाखोरी से हजारों हजार जानें जा रही हैं। इस नशाखोरी के कारण तमाम लोगों ने अपनी आंखें भी गंवा दी हैं। सरकार भी लम्बे चौड़े भाषण करती है। सरकार भी कहती है कि शराब बन्द होनी चाहिए लेकिन कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है।

मान्यवर, सरकार हर वर्ष अंग्रेजी शराब की दुकानें नीलाम करने की बात करती है लेकिन लम्बी थैलियां पा जाने पर ऊपर से नीचे तक बंटवारा होता है, वह रोक दिया जाता है। अगर उन दूकानों को नीलाम कर दिया तो चार करोड़ का फायदा सरकार को हो सकता है जिससे विकास का कार्य किया जा सकता है। लेकिन सरकार अपने वादे, जैसा कि एक दिन माननीय सदस्य ने बचनभंगी सरकार कहा था, हमेशा उसी तरह करती रही। मैं विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसकी तरफ मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। चाहे वह जिले का इन्स्पेक्टर हो या सर्किल इन्सपेक्टर हो, एक जिले में पहुंच जाने के बाद वह कम से कम एक पुश्त का इन्तजाम कर ही लेता है जिसमें सिर्फ इन्सपेक्टर ही जिम्मेदार नहीं बल्कि विभाग के तमाम कर्मचारियों की जिम्मेदारी है और उसमें सभी का हिस्सा है। सभी का बंटवारा है। यों हमारे सरदार जी जो विभाग के मन्त्री हैं ईमानदार आदमी हैं उनसे हम कामना करते हैं कि वह कुछ सुधार करेंगे। लेकिन उसके साथ-साथ आम जनता की यह राय है कि सरदार लोग शराब ज्यादा पीते हैं और उनमें शराब प्रचलित है। मैं नहीं कहता कि हमारे मन्त्री जी भी शराब पीते हैं। लेकिन एक आम बात है, वह मैंने कह दी। आज जो ठेकेदार, लाइसेंसदार सरकारी गोदाम से शराब ले जाता है, उसमें पानी मिला कर रंग मिला कर, चिरायता जैसी विषैली चीजें मिलाकर 2, 4, 8 गुना पैसा वसूल करता है। इसका बंटवारा विभाग के कर्मचारियों में होता है। मान्यवर, मैं अपने जनपद बहराइच के थाना सुजौली का उदाहरण देना चाहूंगा वहां पर शराब के जो ठेकेदार हैं, वह कच्ची भट्ठी लगा कर शराब बनाते हैं। दूसरों के हाथ से बनवाते हैं और जगह-जगह पर फर्जी दुकानें बनी हुई हैं। जो स्थानीय पुलिस और आबकारी इन्स्पेक्टर की जानकारी में चलती हैं और रिश्वत और मिलीभगत से चल रही हैं। थाना सुजौली में कम से कम 25 दुकानें झोपड़ियों में मौजूद हैं और हर दुकानदार से वहां का थानेदार 200 रुपए लेता है। मन्त्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करें। बांदा जनपद में अतर्री में दिनांक 3 मार्च, 1975 से भूख हड़ताल इसलिए चल रही है कि वहां शराब की भट्टी हटाई जाय। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बाराबंकी की हालत भी इसी तरह की है जहां का ठेकेदार एक राजनीतिक व्यक्ति है, जिस दल से उसका ताल्लुक है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वह भी फर्जी भट्ठी चला रहे हैं और फर्जी तरीके से शराब बनाकर बेचते हैं। मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, बहराइच जिले की नानपारा तहसील है। इसकी आबादी 40 हजार है। मन्त्री जी का कहना गलत है कि बीच शहर में तथा स्कूल और मजहबी जगहों से शराब की भट्ठी हटाने के आदेश दे दिए हैं। यहां पर बीच शहर में शराब की भट्ठी है। इससे 20 गज की दूरी पर एक मस्जिद है, दूसरी तरफ 15-20 गज की दूरी पर एक मदरसा है। दक्षिण की ओर 15-16 गज की दूरी पर दूसरी मस्जिद है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करें और उसको हटायें।

मैं मन्त्री जी का ध्यान इसी तहसील नानपारा की ओर दिलाऊंगा जो नैपाल से मिली हुई है। यहां पर कस्टम अधिकारियों से मिल कर चरस, भांग, अफीम आदि की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि इस विभाग के सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं लेकिन अधिकांश अधिकारी भ्रष्ट हैं जिनको सदन में कांग्रेसी भाई भले ही कबूल न करें लेकिन सदन के बाहर कबूल करते हैं और कहते हैं कि सरकार है और सरकार चलानी ही है। जो सही काम करते हैं उनका मैं साथ देता हूं। अंध विरोध मेरा मकसद नहीं है। इस विभाग के आयुक्त श्री एन0 बी0 लाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कहानियां बड़े जोर-शोर से उठाई गईं। मैं मांग करता हूं कि इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच मन्त्री जी सी0 आई0 डी0 द्वारा करायें।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त (जिला देवरिया)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे इस मौके पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हू। आबकारी मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए मैं माननीय कौशिक जी को बताना चाहता हूं कि जब वह सारी बातें धर्म की दुहाई के माध्यम से शराब-बन्दी के बारे में कहना चाहते हैं तो मुझे एक शेर याद आ गया। वह इस प्रकार है कि ––

ए शाकिए दौरें मयखाना होठों से हटा ले पैमाना।
जब तू है हमारे मद्देनजर तो पीने की तमन्ना कौन करे॥

तो आपने कटौती के प्रस्ताव में जो तमाम भिन्न-भिन्न धर्म की चर्चा की और उसमें बतलाया, शराबबन्दी की वकालत की, मान्यवर, जहां-जहां यह प्राहिबिशन चाहे वह अमेरिका में लागू हुआ हो या फ्रांस में या बाम्बे में लागू हुआ हो या गुजरात में लागू हुआ हो, परन्तु वह हमेशा फेल्योर रहा, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। मैं आपके माध्यम से भाई कौशिक जी से पूछना चाहता हूं कि वह इस बात की गारन्टी ले सकते हैं कि सरकार अपना राजस्व बन्द करके शराब-बन्द कर दे तो क्या शराब बन्द हो जाएगी? जहां-जहां प्राहीबिशन हुआ है वहां-वहां तस्करी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और तमाम किस्म के अपवाद खड़े हो गए हैं। हमारी सरकार 1948 से लेकर अब तक इस दिशा में सचेष्ट रही है और बराबर इस दिशा में नए-नए कदम उठाए जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो डिनेचर्ड स्प्रिट है उसमें रासायनिक पदार्थ मिलाने से अब पीने योग्य नहीं वह रह गई है। तो यह कहना कि शराब बन्द कर देने से सुधार हो जावेगा गलत है अलबत्ता एक ओर राजस्व की कमी हो जाएगी। आप देखें कि शराब को अच्छे स्थान पर रखा जाता है और इसका समय भी निर्धारित किया जाता है। मान्यवर, मंगलवार को यह बन्द भी रहती है। यह सारी बात हो रही है। मद्य-निषेध की तरफ प्रचार भी हो रहे हैं, पोस्टर भी लगते हैं। हमारी सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है। अगर आपकी नैतिकता इस बात को गवारा नहीं करती तो आप किसी भी आदमी पर यह लाद नहीं सकते। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हू कि शराबखोरी बन्द करने के लिए दूसरें साधन भी हो सकते हैं। अभी बरेली में जो सिन्थेटिक रबर फैक्टरी खोली है, उसमें हमारा बहुत काम होता है। इस तरह से सैकड़ों उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह चाहूंगा कि इस प्रदेश में और उद्योग धंधे लगाए जायं और यह जो रा-मैटेरियल शीरा है उसको इस्तेमाल किया जाय और मद्य-निषेध की तरफ जिससे हमारा कदम आगे बढ़े।

[श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त]

मान्यवर, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी-अभी केवल एक आइटम पर लाइसेन्स आपको मिला उससे 17 करोड़ की आमदनी बढ़ी और अभी करीब-करीब 70 करोड़ की आमदनी बढ़ने की सम्भावना है। विभागीय कर्मचारियों पर केवल 2 परसेन्ट खर्च होता है। मेरा सुझाव है कि जिले-जिले में क्लास 2 के आफिसर्स रखने चाहिए और उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जाय, उनके लिए गाड़ी, जीप आदि की व्यवस्था की जाय। आजकल जो अपराधी होते हैं वे आधुनिक हथियारों के लैस होते हैं तो इस ओर आपको अपने कर्मचारियों के लिए सुविधाएं देना चाहिए। आप अपने कर्मचारियों पर जो 2 परसेंट खर्च कर रहे हैं आप उनको नगण्य सुविधाएं दे रहे हैं जब कि वे 70 करोड़ का फायदा आपको दे रहे हैं।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि मेरे इन सुझावों को ध्यान में रखा जाए। अपने भाई कौशिक जी पुजारी जी से कहते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो आज का मामला है वह मजाक का मामला नहीं था, लेकिन इसको मजाक बनाया जा रहा है। इससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं बहुत कम समय में अपनी बात कहना चाहता हूं। आबकारी महकमें की अपनी अलग दुनियां है, शराब पीने वालों की अपनी अलग दुनियां है, एक अन्डर ग्राउन्ड दुनियां है और एक कानून तोड़ने वालों की दुनियां है।

मैं कहना चाहता हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव हमारे मित्र ने रखा है उसका समर्थन करते हुए यह मांग करता हूं कि आबकारी के सम्बन्ध में एक संसदीय जांच-समिति नियुक्त होनी चाहिए। शराब बनाने वाले लोग राजनीति में जबरदस्त दखल रखते हैं। इसकी जबरदस्त जांच की जरूरत है। एक भी फैक्टरी नहीं है जहां पर छापा पड़ा हो और वहां पर अनियमितायें न मिली हों लेकिन आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मोहन मीकिन की दो फैक्टरियां हैं--एक लखनऊ में है और दूसरी गाजियाबाद में है। कई एक ब्रान्ड हैं। इनकी गोल्ड वाटर का जो कैलेन्डर है वह छपता है, उसमें भी उसका जिक्र किया गया है, बोतलों में लाखों-लाखों का घुटाला किया जाता है। फैक्टरीज ऐक्ट में है कि किसी फैक्टरी के कम्पाउन्ड में वहां के मालिकों का मकान नहीं होगा। लेकिन आप देखें कि यहां पर फैक्टरी के कम्पाउन्ड में फैक्टरी के लोग रहते हैं। लाखों-लाखों बोतलें बगैर हिसाब के बेची जाती हैं। ये ही लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को चलाते हैं। जो भी मन्त्री उत्तर प्रदेश आता है, बिना मोहन मीकिन के दरवाजे पर स्वागत कराए हुए वह आ नहीं पाता है। एक दूसरी कुलदीप सारंग फैक्टरी है। सारंग का हफ्ते में एक दिन प्रधान मन्त्री के साथ जरूर डिनर होता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हू कि करोड़ों लोगों के करोड़ों रुपए का घुटाला अकेले मोहन परिवार ने किया है। छीजन का कानून होता है। उसका लाखों रुपया बकाया है। बसूल नहीं हो रहा है। अभी आपने बियर पर 1.70 प्रति लीटर ड्यूटी बढ़ायी है। मोहन साहब हाई कोर्ट में चले गए। उन्होंने आज तक छीजन का रुपया जमा नहीं किया है और न टैक्स ही जमा किया है। मोहन बहुत से बिना लाइसेंस लिए हुए ही शराब बनाते हैं। सरकार अगर इनके यहां छापे मारे तो गोलाबजार के रेजिडेन्ट डाइरेक्टर शो केस में तमाम सैम्पिल रखे हुए हैं। मन्त्री जी ने कहा था कि वे उसको दिखवायेंगे। सारंग की फैक्टरी में छापा मारा गया। वहां पर फालतू शीरा पाया गया, बरेली में 3 साल पहले छापा मारा गया वहां पर भी फालतू शीरा पाया गया, बहुत सी नकली लेविल की बोतलें पायी गयीं। उनको इनाम जरूर मिले हैं कोई राज्य सभा का मेम्बर हो गया और कोई अन्य तरीके से सरकार में घुस आया। अभी एक महिला सदस्या हैं उन्होंने अपने विचार रखे। मैं कहना चाहता हूं कि सारे प्रदेश और सारे देश की महिलायें इसकी वजह से परेशान हैं।

मान्यवर, इस पार्टी की जो केन्द्र म सरकार है, उसने पांचवीं पंच वर्षीय योजना में प्राविधान किया है सरकारी रुपए से जनता के रुपए से, 2 कारखाने शराब के खुलवाने के लिए। तो मैं शराब बन्दी की बहस में तो पड़ना नहीं चाहता हू, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आज तीन लोग हैं एक मोहन साहब, दूसरे नारंग साहब और तीसरें संजय डालियमा जो सूबे की राजनीति को भ्रष्ट कर रहे हैं। सरकार ने एक जी० ओ० प्रसारित किया है कि अश्लील पोस्टर या अश्लील तस्वीरें विज्ञापन में प्रयोग न की जायं। मान्यवर, मेरे पास कैलेन्डर हैं और मुझे उनको देखने में शर्म आती है लेकिन जिनके हाथ में आज सत्ता की बागडोर है, जो इस सरकार को चला रहे हैं, उन्हें औरतों के नग्न शरीर की तस्वीरों को देखकर शर्म नहीं आती है। रामपुर डिस्टिलरी की 2 बोतलों वाला कैलेन्डर आज खुले बाजार में बेचा जा रहा है और तमाम अधिकारियों के यहां पर भेजा जाता है। मोहन मेकिन्स में कौक टेल की पार्टीज होती है। वास्तव म मन्त्री जी जो सदन में बैठे हैं, वे इस विभाग के मन्त्री नहीं हैं, ये तो इसी विभाग के चपरासी हैं। इस विभाग की 2 धारायें हैं, एक तो मिश्रा साहब है जो मोहन मिकिन में लेबर लीडर हैं और जिनको कोर्ट ने लेबर लीडरी के लिए नाकाबिल करार दे दिया है। पहले जो आई० ए० एस० कैडर में आकर नौकरी करते थे, उनको लोग ज्यादा पसन्द करते थे, क्योंकि उनका ऐसा ग्लेमेरस काम था लेकिन आज उन लड़कों को जो एक्साइज डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सबसे ज्यादा उनको पगड़ी और दहेज मिलता है क्योंकि उनसे ज्यादा ऊपरी आमदनी और किसी की नहीं है। इस महकमें के तबादले भी हमारे मन्त्री जी नहीं करते हैं। ऐसे कार्यों के लिए एक श्री जी० एन० मिश्रा जी हैं और एक राज्य सभा के सदस्य हैं। जिस प्रकार से जाने अनजाने में कमलापति जी के मुख्य मन्त्रित्व काल में बहू जी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थीं, उसी प्रकार से राज्य सभा के सदस्य श्री कल्पनाथ राय जी हैं वे बराबर अफसरों को कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मैं तबादला करा दूंगा। श्री जी० एन० मिश्र के हाथ में आज सत्ता है, वे अपने को माननीय मुख्य मन्त्री का रिश्तेदार बताते हैं। तो मेरा कहना यह है कि यह दुनियां इतनी बड़ी दुनियां है कि जब तक इसके लिए सदन की जांच समिति न बैठाई जायगी, इस प्रदेश की राजनीति को स्वच्छ तरीके से नहीं चलाया जा सकता है। नारंग साहब न केवल सतारूढ़ पक्ष को बल्कि हिन्दुस्तान के विरोध पक्ष को की रुपया देते हैं वह होता है इन बिना गिनी बोतलों से कमाया हुआ रुपया।

मैं जानना चाहता हूं कि जो सेल्स टैक्स विभाग ने कुछ दिन पहले मोहन पर छापा मारा था, क्या उन्होंने उस आदमी को पकड़ा? न तो वह आदमी ही पकड़ा गया और न उसके खिलाफ कोई कार्यवाही ही हुई। 2 बार मैं इस मामले को सदन में उठा चुका हू, माननीय मुख्य मन्त्री जी आश्वासन भी दे चुके हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ है। मैं केवल यह कहना चाहता हू कि इस मुहकमें ने इस सारे प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक दुनियां को भ्रष्ट कर रखा है। यह हमारे परिवारों को भी तोड़ रही है और राजनीति करने वाले और अफसरों और तमाम लोगों का नैतिक स्तर भी गिरा रही है। जो आदमी शराब पीता है, वह रिश्वत न लेता हो, ऐसा कोई आदमी नहीं है। आज कोई भी इन्सान ऐसा नहीं है जो शराब पीता हो और चरित्रवान हो। शराब इतनी ग्लेमेरस चीज बना दी गई है लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक चीज नहीं है।

मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि वे इस आबकारी के बजट को पास न करें और सब लोग कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें क्योंकि शराब बनाने वाले शराब की बिना गिनती की बोतलों को बेच कर टैक्स बचाते हैं और उस काले रुपए से इस प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक जनता को भ्रष्ट कर रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि जब तक इस विभाग के विरुद्ध सदन की एक इन्क्वायरी कमेटी न बैठे तब तक इस बजट को पास न करने दिया जाय।

श्री गौरी शंकर (जिला इटावा)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे आबकारी अनुदान का समर्थन करने के लिए समय दिया। चाहे इस पक्ष के लोगों से, चाहे उस पक्ष के लोगों से, अगर दिल से पूछा जाय तो इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि शराब जैसी बुरी चीज शायद ही कोई और हो। शराब पी कर कोई भी इन्सान होश में नहीं रहता और वह कोई भी बुराई कर सकता है। लेकिन चर्चा सिर्फ यह करनी है कि सरकार के द्वारा इस पर अंकुश लगाने से क्या हम लोगों में चेतना पैदा कर सकते हैं कि वे शराब न पियें। मैं बड़े अदब से कहता हूं कि जो लोग गांधी जी का नाम शराब के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि उन्होंने शराबके खिलाफ अभियान चलाया इतिहास साक्षी है कि हमने गुजरात में, बम्बई में और जिन प्रदेशों में मद्य-निषेध किया या विदेशों में भी जहां इस तरह के कदम उठाए गए वहां की क्या हालत रही। असलियत तो यह है कि उसका कोई भी असर समाज पर नहीं पड़ा। भाई कौशिक जी जिनका सम्बन्ध, धर्म से ज्यादा है, हर एक धर्म का अध्ययन उन्होंने किया होगा लेकिन एक विशेष धर्म से उनका रिश्ता भी है, जब उस धर्म के देवताओं के प्रसंग में, चाहे वह किसी भी धार्मिक किताब को उठा देख लें, चाहे वह इन्द्र हों, चाहे विष्णु हों, चाहे शंकर जी हों, धर्म ग्रन्थ भरे पड़े हैं कि वह भगवान फलां नशीली चीज खाते थे। आज लोग भंग की गोली खाकर 'जय शंकर' का नारा लगाते हैं। तो जब समाज के लोग उस धर्म को पढ़ते हैं जिस धर्म के भगवान--यह सच है या झूठ मैं नहीं जानता क्योंकि मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था--शराब पीते हैं तो इस बात की कल्पना करना कि धर्म के नाम पर समाज सुधरेगा यह सम्भव नहीं है। समाज के लोगों में इस बात की चेतना पैदा की जाय कि शराब एक बहुत गन्दी चीज है और उसको छूना भी नहीं चाहिए। लेकिन यदि नियम और कानून के द्वारा उस पर अंकुश लगाने की बात की गयी तो जैसे किसी बच्चे से कहो कि यह काम न करना तो वह उसे जरूर करेगा, इसी तरह से अगर सरकार की तरफ से कह दिया जाय कि यह काम मत करो तो निश्चित रूप से लोग उसे करते हैं।

एक चीज जो भाई कौशिक जी ने कही कि माननीय बहुगुणा जी के जमाने में इसकी शत-प्रतिशत वृद्धि हुई है तो इसका मतलब यह हो नहीं लिया जा सकता कि पीने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है बल्कि असलियत यह है कि पहले जो ठेके भ्रष्टाचार के जरिए उठते थे वह भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और अब वह ठेके ऊंची कीमत पर उठने लगे हैं जिसके कारण शतप्रतिशत वृद्धि हुई है और आज खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश में, जिसमें इतना बड़ा आर्थिक संकट है, आज 60-70 करोड़ रुपए इस विभाग से मिल रहे हैं। हमें 60-70 करोड़ रुपए की परवाह नहीं है बल्कि परवाह इस बात की है कि अगर हम यह रुपया न लें तो क्या लोग शराब नहीं पियेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि शराब के दाम इतने बढ़ा दिए जायं कि लोग इसको खरीदते हुए सोचें कि बहुत ज्यादा दाम हैं। और वे लोग जो देवताओं के नाम पर सोमरस का पान करना चाहते हैं, जो बड़े लोग हैं वे शराब पियें तो कम से कम यह समाजवाद की ओर एक कदम होगा और जो छोटे लोग हैं, जो कम आमदनी होने के कारण उनको नहीं खरीद सकेंगे वह निश्चित रूप से काफी उन्नति करेंगे यह मेरा विश्वास है। मैं समझता हूं कि कीमत बढ़ाने से पीने वालों की कमी होगी। हरियाणा और पंजाब जैसी जगहों में जहां सैकड़ों रुपए की आय इससे होती है वहां हमारे यहां तो इससे होने वाली आय बहुत कम है।

जैसा कि माननीय मलिक जी ने कहा कि आजकल कोई व्यक्ति अपनी लड़की को आई० ए० एस० को देना पसन्द नहीं करता, मगर वह एक एक्साइज इन्सपेक्टर को अपनी लड़की देना पसन्द करता हैं। ऐसा वह इसलिए करता है कि उसकी आय बेशुमार होती है। मैं समझता हूं कि हमारे वर्तमान मन्त्री जी निहायत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और मुझे आशा है कि उनके समय में इस विभाग में अवश्य सुधार होगा। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस बात का सर्वे कराया जाय कि पहले पीने वाले लोगों की संख्या क्या थी, दाम बढ़ाने से उनकी संख्या क्या हो गयी। कितने लोगों ने दिमागी चेतना के कारण शराब पीना बन्द किया आदि बातों का यदि पता लगाया जाय तो इससे लाभ हो सकेगा।

माननीय मन्त्री जी ने लाइसेन्स फीस में जो बढ़ोत्तरी की है उसके लिये मैं मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं। अलकोहल का प्रयोग मोटर टायर बनाने में भी किया जाता है, इसलिए उसकी उपयोगिता बढ़ रही है। एक आबकारी ब्यूरो जो खोला गया है वह भी एक अच्छा कदम है। अन्त में मैं इस अनुदान का समर्थन करते हुए इतना कहना चाहता हूं कि आज लड़ाई इस बात की नहीं है कि शराब अच्छी चीज है या बुरी, प्रश्न तो यह है कि जो रुपया हमें मिलता है उसे एक दम बन्द करें या नहीं। मेरा दावा है कि यह कभी बन्द नहीं होगी। इसलिये अच्छा यही होगा कि इसके दाम और बढ़ा दिए जायें ताकि लोग पी न सकें।

श्री श्यामबिहारी सिंह (जिला बरेली)—

आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पूज्य बापू के सिद्धान्तों पर चलने वाली यह सरकार उनके सिद्धान्तों को बिलकुल भूल गयी है। गांधी जी ने कहा था कि अगर मैं एक घंटा के लिए भारत का तानाशाह बना दिया जाऊं तो मेरा पहला काम पूरी नशाबन्दी करना होगा। यह बात बापू जी ने आजादी मिलने के पहले कही थी। उनकी यह बात आज सभी राजनीतिक पार्टियों को भली प्रकार याद है। गांधी जी के नेतृत्व में शराब बन्द कराने के लिए हमने डन्डे खाए थे। परन्तु आज हरसाल सरकार की नीति हमारी समझ में नहीं आती है। एक ओर सरकार शराब बन्दी का प्रचार करती है। नुमाइशें लगायी जाती हैं और लाखों रुपए प्रचार में खर्च होते हैं। दूसरी ओर हमारे मित्र श्री चरणसिंह कानपुर में जाकर अपने भाषण में कुछ और कहते हैं। उन्होंने भाषण दिया कि शराब की भट्टियां सुन्दर बनायी जायेंगी और मधुशालायें भी बनायी जायेंगी और उत्पादन बढ़ाने के लिए दूकानें बढ़ायी जा रही हैं। सरकार ने तय किया था कि विलायती शराब की दूकानें नीलाम की जायेंगी परन्तु सरकार नीलामी नहीं कराती क्योंकि वह कुछ बड़े-बड़े व्यापारियों से मिली हुई है। पैसे की लालच में सरकार अपने ही किए हुए पर पानी डाल रही है। विलायती शराबों पर टैक्स बढ़ा है तो दुकानों की नीलामी की जाय। सरकार ने कभी त्योहारों पर, कभी धार्मिक स्थानों पर शराब-बन्दी की बात की थी लेकिन वह सब भ्रष्टाचार के कारण बेकार हो गया है। मन्दिरों के पास, स्कूलों के पास तथा हरिजन बस्तियों में भी सब जगह दूकानें खोली जा रही हैं। मैंने खुद अपने आंवला के बारे में कई बार जिले के अधिकारियों को लिखा कि मंगलवार को भी दूकानें खुली रहती हैं लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिला। मेरे कस्बे आंवला में मन्दिर के पास ही भट्ठी है और वहीं पर स्कूल भी हैं। जब कि संविधान के अनुसार उपरोक्त स्थानों पर भट्ठी नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रदेश में शराब की बदौलत कई घर बर्बाद हो गए हैं और शराब की वजह से बहुत से मनुष्य मौत के घाट उतार दिए गए हैं। इसलिए सरकार को चाहिये कि वह शराब पीना बन्द करा दे और शीरे से कोई पौष्टिक पदार्थ बनाने का तरीका निकाले, जिसे जानवरों को खिलाया जाय और दूध की मात्रा बढ़ायी जाय। मैंने कई जगह देखा है कि शराब पीकर बुरी तरह से लोग मरा करते हैं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री महावीर प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के आधार पर आबकारी विभाग की नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए यह निर्देशित है। आबकारी विभाग की बातों को जब हम देखते हैं तो उस पर दो पक्ष पाते हैं। एक पक्ष तो है मद्य-निषेध और दूसरा पक्ष है राजस्व की प्राप्ति। इस विभाग में दो प्रकार की कर-पद्धति अपनायी गयी है। एक तो यह कि किस तरह से मद्य-निषेध करें और किस प्रकार से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए राजस्व की प्राप्ति कर सकें। मान्यवर, महात्मा गांधी जी इस मामले में अग्रदूत थे। और लोक तन्त्र की स्थापना के लिए उन्होंने जो साधन अपनाए थे,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महाबीर प्रसाद]

जैसे अहिंसा, सत्यम्, अस्तेयं, शौचं इन्द्रियनिग्रहं, धीविधा, ब्रह्मचर्य, अक्रोध, अपरिग्रहं, आदि आदि। इनमें से उन्होंने मद्य-निषेध को लागू करने की तरफ काफी तवज्जह दी।

मान्यवर, यह जो हमारी मद्य-निषेध की पद्धति है जो 1946 अर्थात् स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व से स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इसमें आमूल परिवर्तन हुआ है। मान्यवर, जैसा कि विभाग की रिपोर्ट है उसके आधार पर 1946 में चरस के मामले में आमूल परिवर्तन किया गया और इसके आयात और निर्यात को समाप्त किया गया यह एक उल्लेखनीय बात है। इसके पश्चात् 1949 में विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थानों पर मद्य-निषेध किया गया है। 1956 में इसी तरह से गांजे के ऊपर, इसको अनोषधीय करार दिया गया और मद्य-निषेध का कानून लागू किया गया। इसी तरह से अफीम जो कि एक बहुत मादक वस्तु है इस को भी सरकार ने एक प्रकार से अनोषधीय करार करके इस पर भी मद्य-निषेध लागू किया है। इस तरह से आप देखें कि हमारे जो अनेक तीर्थ स्थान हैं जैसे हरिद्वार, बृन्दाबन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री यह जो हमारे तीर्थस्थान हैं यहां पर इस प्रकार के कानून को लागू किया गया। मद्य-निषेध किया गया। मान्यवर, वर्तमान सरकार ने इस पर बहुत ध्यान दिया है इसलिये मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

दूसरे रूप में मैं इस सरकार से, मन्त्री जी से मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व के मामले की बात की जाती है। वह कहते हैं कि मद्य-निषेध करते हैं तो राजस्व पर असर पड़ सकता है। मान्यवर, यह एक परिकल्पना है। तो इस परिकल्पना को दूर करने की जरूरत है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन के मामले में विश्व में सर्व-प्रथम है। पहले स्थान पर है। यहां पर 74 चीनी मिलें हैं जिनसे शीरा पैदा होता है। इसमें 23 डिस्टिलरीज हैं जहां पर अल्कोहल पैदा किया जाता है तो यह अल्कोहल जो पैदा होता है इसका विशेष प्रयोग मादक वस्तुओं और शराब बनाने के काम में किया जाता है। मान्यवर, अल्कोहल शराब में न खर्च करके अन्य कामों में लाया जाय, मान्यवर, बरेली में एक सेंथेटिक रबड़ बनाने का कारखाना खोला गया है और जिसमें 1971-72 में काफी रबड़ पैदा की गयी है। यह उत्तर प्रदेश को आगे उठाने में एक कदम है। यहां पर ट्रेक्टर, ट्रक, जीप, कार, स्कूटर के टायर बनते हैं। तो मैं यहां मान्यवर, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि शराब बन्द कर दें तो राजस्व तो एक तरफ कम पड़ता परन्तु दूसरी तरफ इसी अल्कोहल से अन्य उद्योग धन्धे खुलेंगे जिससे आप राजस्व प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये इस बात को मैंने आपके बीच रखा है। अल्कोहल से अन्य उद्योग धन्धे काम करने लगेंगे तो प्रदेश में जो विपन्नता है, जो लोग बेरोजगार हैं उनको इन उद्योगों में काम मिलेगा वह इसमें कार्यरत होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस तरफ ध्यान दें। मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं एक सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहता हूं शराब से हमारा नैतिक पतन होता जा रहा है। मानवता का ह्रास हो रहा है। बौद्धिक बल विकास रुकता चला जा रहा है। चारित्रिक बल और शारीरिक बल गिरता चला जा रहा है। मैं गोरखपुर का उदाहरण देना चाहता हूं। मान्यवर, वहां पर एक हरिजन बस्ती है। श्रमिक लोग वहां पर ज्यादा रहते हैं। हमारे मोची, मेहतर और इसी तरह का काम करने वाले, श्रमिक वहां पर ज्यादा रहते हैं। आप शाम को देख लें वह दिन भर में जो 2-4 रुपए कमा कर लाते हैं उससे वह शराब पी लेते हैं। इस तरह से उनका पैसा व्यर्थ चला जाता है और उनके परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नशाबन्दी के ऊपर अवश्य ध्यान दें।

मान्यवर, दूसरा मेरा निवेदन है और सुझाव है कि शहरी क्षेत्र में मान्यवर, कुछ दूकानें खोल सकते हैं। यहां पर प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं। मेरा एक निवेदन है कि देहाती अंचलों में शराब की दूकानें खुलवाकर अराजकता ही फैलेगी, जितने कत्लेआम आज वहां हो रहे हैं उनके और कारणों में एक कारण शराब की दूकानों का होना भी है। इसलिए मेरा निवेदन है

कि देहाती अंचलों में शराब की दूकानें न खुलवाई जावें। मेरा पुनः निवेदन है कि इसमें विपक्ष और सरकारी पक्षके सदस्यों को मिलकर विचार करना चाहिए। मुझे इस समय मैथिलीशरण जी की वह कविता याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था:

"हम कौन थे क्या हो गये हैं और क्या होंगे अभी,
आओ विचारें आज मिल कर ये समस्यायें सभी।"

इसलिए विपक्ष के और इस पक्ष के सभी माननीय सदस्य, सभी लोग एकजुट हो कर आगे कदम बढ़ायें तभी काम चल सकता है। इन शब्दों के साथ जो आबकारी का अनुदान है उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और आपने जो इसके लिए मुझे अवसर दिया है उसके लिए आपका मैं मशकूर हूं।

उपाध्यक्ष जी, सामने गांधी जी की तसवीर है और हम सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं जो मद्य-निषेध के लिए कमिटेड है और आबकारी का बजट पास करने जा रहे है, यह एक विडम्बना है, कांस्टीट्यूशनल इम्प्रोप्राइटरी है। क्या किया जाय? जो सरकार कभी-कभी संविधान की दुहाई देती है और यह बराबर कहा करती है कि विरोध पक्ष के लोग संविधान की हत्या कर रहे हैं लेकिन वही सरकार संविधान की मंशा के विपरीत कब तक आचरण करती रहेगी यह कहना मुश्किल है। प्लेटो, जो राजनीति शास्त्र के फिलासफर थे उन्होंने एक किताब लिखी है। उसमें लिखा है कि किसी सरकार के पतन के क्या कारण हैं। उन्होंने लिखा है कि जो सरकार शराब पीने पर पाबन्दी नहीं लगाती, जिस शासन में शराब पीने की छूट हो, जहां पर जुए के लिए छूट हो और जहां पर वेश्यावृत्ति की छूट हो, इन तीनों पापों को कराने वाली सरकार का निश्चित रूप से अन्त होता है, कभी भी हो जाय। आज लाटरी के नाम पर जुआ सड़कों पर खेलवाया जा रहा है। गरीबी और गुर्बत के नाम पर गांवों में दूर-दूर गांवों में हरिजनों की बस्तियों में प्रास्टीट्यूशन या व्यभिचार के अड्डे चलावने के लिए लोगों को मजबूर कर ही रही है और आज वही सरकार शराब पीने के लिए, उसको इन्करेज करने के लिए यह बजट लायी है। इसलिए यह लाजिकल ऐप्रिहेनशन है कि इस सरकार का पतन अनिवार्य है।

अब मैं दो-तीन बातों की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे मित्रों ने उधर से बड़ी दुहाई दी कि कानून से कुछ नहीं हो सकता है। हमसे तीन साल बाद चीन, जहां पर आज जो व्यवस्था है उससे हम आप सब सहमत नहीं होंगे लेकिन तीन साल के बाद वह हमसे, आजाद हुआ। जिस को अफीमचियों का देश कहा जाता था ऐसा हम सभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे और सारे विश्व के लोग जिसे अफीमचियों का देश जानते थे वहां जिस दिन माओ-त्से-तुंग की सरकार पेकिंग की गद्दी पर आयी उसी दिन यह आदेश जारी हुआ कि कोई अफीम की खेती चीन में नहीं कर सकता। और आज परिणाम क्या है कि आज वह अफीमचियों का देश दुनिया का सबसे ताकतवार देश बन गया है। तो आपका यह कहना कि कानून से शराब बन्दी नहीं हो सकती है, यह केवल अपने पापों को छिपाने के लिए, अपने मन के दुष्कर्मों को छिपाने का बहाना मात्र है। सारा प्रशासन जो सोशल रिफार्म को करती है या जो सोशल स्ट्रक्चर बदल रही है वह कानून के माध्यम से ही बदल रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार कानून के द्वारा शराब बन्दी नहीं कर सकती। हकीकत यह है कि हम शराब बन्दी करना ही नहीं चाहते हैं। राजस्व की बात कही जाती है, पैसे की बात की जाती है। बहुत से निकम्मेपन के काम हैं, ऐसे असामाजिक काम हैं जिनसे राजस्व बढ़ सकता है फिर उनका भी सहारा लीजिए और फिर उन पर आप क्यों पाबन्दी लगाते हैं। अगर पैसा प्राप्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]
करना ही हमारा कर्तव्य मात्र रह गया है तो बहुत से घिनौने रास्ते हैं जिनको अख्तियार करके सरकार पैसा ले सकती है। मैं उपाध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि दो तीन बातों की तरफ मंत्री जी तवज्जे करें। शराब बन्दी की नीति फेल हो चुकी है, गांधी जी का कमिटमेन्ट खत्म हो चुका है किन्तु गांधी जी जिन्दा हैं वोट के लिये और बाकी उनकी आस्था खत्म हो चुकी है। वोट के नाम पर यह सरकार केवल दुहाई देती है।

मान्यवर, बांदा जिले में एक नेहरू सेवा समिति है जो अनशन चला रही है लेकिन दुकानें नहीं हटाई गयी हैं। इसी प्रकार कानपुर रोड पर एक बंथरा गांव है। वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है गुरु बियर। एक साधु की तस्वीर है और एक लड़का है। उसमें लिखा हुआ है कि गुरु बियर पीजिये। यह सरकार है जहां मुनियों के नाम पर शराब है। इसी प्रकार गांधी जी के नाम पर आ जायेगा कि गांधी जी बियर पीजिये। तो मान्यवर, यह सब चलेगा यहां।

मान्यवर, अब मैं कुछ कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं कि आबकारी विभाग के पीछे एक शैडो कैबिनेट काम कर रही है। उस कैबिनेट को तोड़ने का एक ही तरीका है कि जगह-जगह पर गैर सरकारी समितियां बनावें। बिना उसके शैडो कैबिनेट का खात्मा नहीं होगा। अब मैं सर्विस कैडर के बारे में कहना चाहता हूं कि 1962 में कुछ आबकारी निरीक्षक के पद सृजित हुये। उप आबकारी निरीक्षक भी इस विभाग में हैं। लेकिन वे आबकारी निरीक्षक नहीं हो सकते हैं जबकि क्लर्क इन्सपेक्टर हो सकते हैं। उप आबकारी निरीक्षकों के प्रमोशन के चान्सेज नहीं हैं, उनका परसेन्टेज फिक्स नहीं है। इसलिये मंत्री जी से निवेदन है कि इस कैडर के संबंध में विचार करें।

मान्यवर, हमारे जिले गोरखपुर, देवरिया में कप्तान डिस्टिलरी है और बाराबंकी में सुमैय्या आरगैनिक है। कप्तान और सुमैय्या आरगैनिक इन दोनों के मालिक एक हैं। इनसे लाखों रुपयों की इक्साइज डयूटी, सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स नहीं लिये जाते हैं और छिपाकर लगभग 10 लाख रुपये सुमैय्या आरगैनिक खा लेता है। इस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस भ्रष्टाचार के जो अड्डे हैं उन पर अंकुश रखें। यदि यह संभव नही है तो कम से कम जो हाथ पैर फैलाते चले जा रहे हैं उनको रोकने के लिये गैर सरकारी समितियों की स्थापना करें जो सुझाव देंगी। अपने क्षेत्र में इनके जो आदेश हैं उनका कतई पालन नहीं हो रहा है। महाराजगंज तहसील में मैजिस्ट्रेट को लिखा कि गांव और मन्दिरों तथा मस्जिदों के पास शराब की जो दुकाने चल रही हैं उनको बन्द किया जाय लेकिन इक्साइज इन्सपेक्टर ने एक भी दुकान नही बन्द करवायी। तो यह कोई आदेश है जिनका मजबूती से पालन न हो। इसलिये उनका मजबूती से पालन हो वरना उनको वापस ले लें। इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय आबकारी मंत्री ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मेरे भाई ओझा जी ने अभी कहा कि चीन जैसे देश में लोगों ने अफीम की खेती बन्द कर दी, सरकार के माध्यम से नैतिकता की बात यहां की जाती है। मुझे बड़ा दुख है उनकी बात को सुन कर। उनको जानकारी नहीं है कि चीन में खेती अब भी होती है लेकिन बड़ी नैतिकता से वह उसे बाहर भेजे देते हैं, खुद नहीं खाते। चीन में प्रजातंत्र नहीं, तानाशाही है। भारत प्रजातंत्र देश है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

द्विवेदी जी ने मेरा नाम लिया। चीन के सम्बन्ध में मुझे बहुत अच्छी जानकारी है। 1949 में चीन में जब माओत्सेतुंग की हुकूमत हुई तो कानूनी तौर पर चीन में प्रतिबन्ध लगा दिया गया खाने पर, अफीम के बोने पर नहीं।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

मैं यही समझा था कि बोने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि पीने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था तो मुझे कोई एतराज नहीं है। यह प्रजातंत्र का मुल्क है। नैतिकता की बात हम करते हैं। आज बड़े दुख की बात है कि लोग नैतिकता पर भी छींटा कसते हैं। विज्ञान के युग में जितनी तेजी से विज्ञान बढ़ रहा है हमारी मानवता उतनी ही तेजी से घट रही है। इसके बहुत से कारण हैं, उन पर मैं नहीं जाना चाहता।

आबकारी बजट के तीन मुद्दे हैं। मद्य-निषेध, राजस्व और उसके अन्तर्गत चलने वाले विभिन्न उद्योग धंधे। जहां तक मद्य-निषेध का ताल्लुक है हमारे प्रदेश में बहुत से स्थानों पर मद्य-निषेध किया गया है लेकिन देखने में यह आया कि जहां-जहां मद्य-निषेध किया गया वहां-वहां मद्य की उपयोगिता बढ़ती ही चली गयी। मैं पहाड़ी जिलों को ले लूं वहां पर टिंचर जिंजर के नाम पर इफरात से अल्कोहल मिलता है। न जाने कितनी प्राइवेट भट्टियां हैं, निजी भट्टियां हैं अथवा सरकारी भट्टियां हैं वहां पर इत्मीनान से हर चीज मद्य की मिल जाती है। मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और इसे रोकने की कोशिश करेंगे।

वीकर सेक्शन के लिये कमिटेड हैं लेकिन होता यह है कि दो बोतल शराब किसी गरीब के यहां मिल जाय तो पुलिस वाले और आबकारी इंस्पेक्टर उसे पकड़ कर ले जायेंगे लेकिन उसी स्थान पर दूसरी ओर अंग्रेजी शराब की पेटी की पेटी मिल जाय किसी वकील, जज अथवा नेता के यहां तो सरकार का ध्यान उस ओर नहीं जाता और उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती। मंत्री जी इस तरफ भी ध्यान देंगे। एक आध माननीय सदस्यों ने इस बात का भी जिक्र किया कि कई बार सरकार की ओर से यह कहा गया कि अंग्रेजी शराब की दूकानों का भी नीलाम किया जायगा लेकिन ऐसा किया नहीं गया। आबकारी विभाग के राजस्व में वृद्धि हुई है। मैं राजस्व की दृष्टि से इस विभाग को नहीं लेता। सवाल यह है कि खुलेआम आज शराब बिक रही है। उसे कोई रोकने वाला नहीं है। अगर बड़े लोगों को नीलाम ठेके किये जांय तो जितना राजस्व है हमारे यहां उससे दुगुना तिगना राजस्व हमारे यहां हो जायगा। इस पर भी माननीय मंत्री ध्यान देंगे।

एक हमारा पुराना कमिटमेंट है। हमारी जो चीनी मिलें हैं, उनमें सीरे का बहुत बड़ा घुटाला होता है। जितना सीरा हमारे पास है जो कि कायदे से आना चाहिये उससे बहुत ही कम हमारी एक्साइज ड्यूटी में जाता है और वह दूसरे रास्ते से निकल जाता है। इस ओर मंत्री जी ध्यान देने की कोशिश करें। जैसा कि बजट में कहा गया है कि सिन्थेटिक और रबर आदि उद्योगों में इस अल्कोहल की मात्रा को बढ़ाकर हम अपने उद्योग-धंधे बढ़ा सकते हैं। इसलिये मंत्री जी को और सरकार को इस ओर निगाह रखनी चाहिये।

जहांतक राजस्व का सवाल है, उसमें अटूट वृद्धि हुई है इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने बताया हमारी केवल देशी शराब की दुकानों की लाइसेंस की फीस में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठेकों में भी वृद्धि हुई है और बोली में भी वृद्धि हुई है। आगे भी यही आशा की जाती है वह बढ़ती रहेगी लेकिन गांधी जी के नाम की दुहाई देने वाले लोग ही खुद ड्रम के ड्रम शराब पी जाते हैं तो नैतिकता कहां रहेगी? मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह चीज सरकार के माध्यम से रुकने वाली नहीं है। जिलों में एक या दो आबकारी इन्सपैक्टरों के रखने से शराब बन्दी नहीं हो

[श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी]

सकती। इसमें नैतिकता का प्रश्न है जिसको सख्ती के साथ देखना होगा। चीन की दुहाई न दें, भारत की दुहाई दें, तानाशाह की दुहाई न दें, प्रजातंत्र की दुहाई दें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। जयहिन्द।

श्री रामप्यारे तिवारी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह आबकारी विभाग आज लालच और लाभ का एक जरिया बन रहा है। एक पुरानी मसल है, लालच बुरी बला है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी देश और प्रदेश की हुकूमत इस लालच की बुरी तरह शिकार होती जा रही है। अभी हमारे द्विवेदी जी ने कहा है कि चीन में चूंकि तानाशाही सरकार है इसलिये वहां अफीमचियों के लिये अफीम कम हो गई है और भारत वर्ष में चूंकि प्रजातंत्र है इसलिये यहां पर नैतिकता नहीं रुक सकती है.....

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

मेरी बात का आप गलत इन्टरप्रिटेशन न करें। मैंने कहा है कि चीन के लोग नैतिक हैं क्योंकि वहां पर तानाशाही सरकार है .....

श्री उपाध्यक्ष—

आपने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं। हो सकता है आप सही हों।

श्री रामप्यारे तिवारी—

चीन में माओत्सेतुंग की हुकूमत आने से पहले बहुत से अफीमची थे और जब माओ-त्सेतुंग की सरकार आई तो उसने लोगों का अफीम खाना बन्द करा दिया।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

क्या आप चाहते हैं कि यहां पर भी तानाशाही सरकार हो.....

श्री रामप्यारे तिवारी—

हमको बीच में टोकने का आपको क्या अधिकार है? आप अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तो हैं नहीं। तो मान्यवर, मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी देश या प्रदेश की हुकूमत की सबसे पहले नीयत यह होनी चाहिये कि समाज में जो अच्छाइयां हैं उनको प्रोत्साहित किया जाय, उनको बढ़ावा दिया जाय और जो समाज के अन्दर बुराइयां हैं उन पर अंकुश लगाया जाय, उन्हें नियंत्रित किया जाय तथा उनको समाप्त किया जाय। लेकिन हमारे देश में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। यहां पर नशा-निसेध की कई बातें हैं लेकिन सबसे संगीन और गम्भीर बात शराब की है जिसके बारे में बहुत दिनों से चर्चा होती चली आई है। महात्मा गांधी की दुहाई हम लोग तो देते ही हैं लेकिन आप लोग भी देते हैं। लेकिन ऐसा है कि एक साधु भी भगवान का स्मरण करता है और सबरी लेकर नकब काटने वाला भी भगवान का ध्यान करता है। हम लोग महात्मा गांधी जी का ध्यान इसलिये करते हैं कि उनके गुणों को अवतरित करें सामाजिक जीवन में लेकिन आप लोग उनका ध्यान इसलिये करते हैं कि आपको वोट मिल सके। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी परिवार की, किसी भी समाज की वास्तविक संपत्ति रुपया पैसा या दौलत नहीं होता वही एक ताकत नहीं होती है सबसे बड़ी जो ताकत है वह उसका नैतिक बल है, चारित्रिक बल है, उसका सदाचार है जिस किसी भी कारण से देश में या समाज में नैतिक बल का ह्रास होता है, चारित्रिक बल का ह्रास होता है या सदाचार का ह्रास होता है उसका कारण उस देश का या प्रदेश की सरकार को समाप्त कर देना चाहिये। क्योंकि हुकूमत का जन्म इसलिये हुआ है कि वह सारे समाज के ऊपर नियंत्रण करे, नियमन उसका काम है बुराइयों का नियमन करे और अच्छा-इयों को स्वच्छता से पनपने दे। बुराइयों को रोकना उनको खतम करना सरकार की ड्यूटी है। आज यह सरकार केवल राजस्व को बढ़ाने की होड़ में लगी है उसे मालूम नहीं है कि

इसके पीछे क्या क्या दोष हैं। इसलिये यह सरकार आज शराब बंदी को लागू नहीं कर रही है। यह बात इसने अपनी रिपोर्ट में दिया है जिसे मैं बाद में कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

बाद में कब कहेंगे, समय आपके पास कितना है।

श्री राम प्यारे तिवारी—

थोड़ा ज्यादा समय दीजिये। तो यदि आप चाहते हैं कि सचमुच देश तरक्की करें देश की ताकत बढ़े तो देश की असली ताकत उसके नागरिक होते हैं। अगर देश के नागरिकों का चारित्रिक पतन होगा, उनमें सदाचार का पतन होगा तो सारा देश लुंज पुंज होकर बैठ जायेगा नागरिक देश की ताकत हैं और अगर नागरिकों की ताकत खतम होगी तो सारा देश खतम हो जायेगा। मैंने तो प्रेक्टिस में देखा है शराबी जो होते हैं वह अपनी हजारों लाखों की सम्पत्ति को बेच डालते हैं। वह अपने बीवी बच्चों को नहीं देखता है जैसा कि श्रीमती बख्शी जी अपने आंचल में आंसू छिपाकर रो रहीं थी। शराबी अपनी बीवी को नहीं देखता है, अपने बच्चे को नहीं देखता है, अपने भाई को नहीं देखता है और न ही अपने परिवार को देखता है। वह तो शराब के नशे में अपना विनाश करता चला जाता है। उसको रोकने की ताकत किसी को नहीं है। एक बार एक आदमी शराबी हो गया तो उसको रोकने की किसी में ताकत नहीं रह जाती है। इसीलिए आज यह सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देती है कि हमारा राजस्व बढ़ रहा है लेकिन राजस्व बढ़ाने के लिये देश के नैतिक बल को, चारित्रिक बल को, सदाचार को विनष्ट करके यह सरकार रुपया बढाना चाहती है। यह सरकार के लिये बड़ी लज्जास्पद बात है। यह सरकार अपनी रिपोर्ट में खुद कहती है कि विभागीय नीति के बारे में—'संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार आबकारी विभाग की नीति मादक वस्तुओं के उपयोग के निषेध के उन्नयन, प्रवर्तन तथा प्रभावीकरण की है, किन्तु मद्यनिषेध नीति के क्रियान्वयन के साथ-साथ विभाग का प्रयत्न वैध साधनों द्वारा स्टैन्डर्ड एवं स्वच्छ मादक वस्तुओं की बिक्री से अधिकतम राजस्व सुनिश्चित करना है'।

यह सरकार कड़वा तेल स्वच्छ दे नहीं पाती, तिल्ली का तेल स्वच्छ दे नहीं पाती, आटा स्वच्छ दे नहीं पाती, औषधि स्वच्छ दे नहीं पाती है लेकिन स्वच्छ मादक वस्तु देने का प्रयत्न करती है इसलिये देश का राजस्व बढ़ाने की बात करती है। इससे तो देश बरबाद होगा। इस सरकार के हाथी की तरह चार दांत हैं दो दिखाने के दो खाने के। सरकार ने अपनी बसों में लिख रखा है कि "शराब पीना विष से भी भयंकर है"। भला बताइये कि इस तरह से सरकार प्रचार करती है कि शराब पीना विष से भी भयंकर है। तो वह हुकूमत समाज की कितनी बड़ी शत्रु है. . . कि आड़ में उस शराब को पिलाने का प्रयास करती है और लोगों को शराब के नये लाइसेन्स देती है। केवल अपना राजस्व बढ़ाने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो रहा है, आप जल्दी समाप्त करें।

श्री रामप्यारे तिवारी—

मान्यवर, थोड़ा समय आप हमें और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, 10 मिनट हो गये हैं, मैंने 3 मिनट पहले ही आपको अतिरिक्त दिए हैं।

श्री रामप्यारे तिवारी—

विषय कुछ ऐसा है कि समय आपको देना चाहिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, आबकारी अनुदान पर बहस में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी चर्चा करने से इस सदन का वातावरण नशीला हो गया है। माननीय सदस्य जितने बोलते हैं. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

आप तो नशे में नहीं हैं, आपके होश-हवाश तो ठीक हैं। बैठिए आप।

श्री बाबू लाल वर्मा--

सदन में कोरम है या नहीं, यह भी हम भूल गये हैं। और महंगाई के जमाने में जब 30 पैसे की एक कप चाय मिलती है और 5 पैसे में एक कप ठर्रा मिलता है, तो कटौती का प्रस्ताव मैं यह पेश करता हूं, कि ठर्रे का दाम एक रुपया और चाय का दाम 5 पैसा कर दिया जाए।

श्री राम प्यारे तिवारी--

मद्य-निषेध के उद्देश्यों के लिये सतत् प्रयत्नशील रहने के बावजूद विभाग सरकार के लिए भारी धनराशि इकट्ठा कर रहा है। सरकार निन्दा की बात को अपनी रिपोर्ट में सराहना के रूप में देख रही है। सरकार ने पुस्तिका में जो आंकड़े दिए हैं, उसके अनुसार 64-65 में 4,760 मामले पकड़े गये, 73-74 में 9,431 मामले पकड़े गये और 74-75 में 15,728 अभियोग पकड़े गये। तो मैं इसके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जब अभियोग होंगे ही नहीं तो अभियोग पकड़े कैसे जाएंगे। इनकी संख्या सतत बढ़ने से अपने आप यह सिद्ध हो रहा है कि शराब की वजह से प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं और समाज के विनाश के दिन समीप आते जा रहे हैं। इसलिये निवेदन है कि इस शराब बन्दी को जितना जल्दी हो सके, जल्दी से जल्दी आप लागूकरें और अपनी कायरता को त्यागें। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रामजी लाल केन (जिला आगरा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आबकारी बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। विरोधी दल की तरफ से कटौती का प्रस्ताव रखते हुए श्री कौशिक जी ने दुनियां के सारे धर्मों का हवाला दिया और कहा कि शराब बहुत ही अनैतिक चीज है, बुराई है और सारी दुनियां और सारे धर्म इसे मानते हैं। शराब को कोई भी अच्छा नहीं कह सकता है। किसी भी युग में इसको अच्छो नहीं कहा गया है। लेकिन मैं और आप सभी जानते हैं कि तमाम युगों में तमाम धर्मों में और ऐसे धर्म भी हैं जहां शराब पीना कुफ्र के बराबर समझा जाता है, बावजूद तमाम बंदिशों के वे शराब को कानून के जरिए बन्द नहीं कर सके। श्रीमन्, जिस धर्म से कोशिक जी का संबंध है, उससे मेरा भी सम्बन्ध है और मैं जानता हूं कि चाहे सतयुग रहा हो, द्वापर या त्रैता युग रहा हो, कभी भी शराब बन्दी नहीं हुई है। यद्यपि शराब को बुरा समझा जाता था, पाप समझा जाता था। लेकिन शराब फिर भी थी।

आज हम गांधी जी के आदर्श इस देश में स्थापित करना चाहते हैं। सारे लोगों के दिमाग में है कि समाज में जो बुराई पैदा करे उस चीज को नष्ट कर दिया जाय। हम सब उसके हामी हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज विरोधी दल कांग्रेस शासन पर यह इलजाम लगा रहा है कि यह इस बुराई को बढ़ा रही है। 1969 में जब उनकी सरकार थी तो क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश में शराबबन्दी का ऐलान कर दिया था? नहीं किया। श्रीमन्, आज हम सट्टा और जुआ को बड़ा बुरा समझते हैं। हमारे समाज में एक बुराई है। लेकिन आज इसी के नाम पर महाराष्ट्र प्रान्त रेसकोर्स में करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त कर रहा है। हमारे यहां चमड़ा, जिन जानवरों को काटना धार्मिक रूप से मना है, यहीं के लोग रेलों में भर कर कलकत्ता पहुंचाते हैं, वहां वह कटते हैं और कटने के बाद पकता है। उसको हमारा प्रदेश खरीदता है।

श्री उपाध्यक्ष--

विवाद आबकारी पर है, जानवरों के कटने पर नहीं हो रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

श्री रामजीलाल केन—

पंजाब में राजस्व से हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा आय हो रही है। लेकिन वहां कोई कुछ नहीं कहता। श्रीमन्, चाहते हम भी हैं लेकिन आज भी आबकारी विभाग है, आबकारी मंत्री है और शराब है। हमने कई बार शराब बन्दी करके कई शहरों में देखा। शराब बन्दी करने के बाद वहां पर शराब के ऐसे अड्डे पैदा हुए जिनसे सैकड़ों, हजारों की आमदनी हुई। बंगल में कानपुर में शराबबन्दी हुई लेकिन गंगा में हजारों बोतलें दबी रहती थीं। लोग शाम को नहाने जाते थे, और वहां से शराब पी कर लौटते थे। हम जानते हैं कि शराब बन्द नहीं हो सकती। हमारे बन्द करने के बाद इस का अनुपात और बढ़ा जैसा कि अभी एक विरोधी दल के सदस्य ने कहा कि महाराष्ट्र में जब शराब बन्द हो गयी तो लोग दस दस हजार रुपये खर्च करके आते थे दिल्ली में शराब के पीने के लिये। इसका मतलब यह हुआ कि शराब पीने वाला शराब बन्द नहीं करेगा। आज जो स्थिति है प्रदेश की हमें हजारों लोगों की छटनी करनी पड़े। हमारे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा पांच फीसदी लोग भी नहीं जो शराब पीने वाले हैं। 80 फीसदी लोग देहाती हैं। उन पर अंग्रेजी शराब का कोई असर नहीं पड़ेगा। हां, मैं चाहता हूं कि देशी शराब के नाम पर शराब का अनुपात बढ़ाना और आबादी में रखना ठीक नहीं है। देहातों में कम होना चाहिये। लेकिन अंग्रेजी शराब का प्रभाव केवल कुछ ही प्रतिशत लोगों पर पड़ेगा। अगर हम चाहें तो इससे पचास करोड़ के बजाय दो सौ करोड़ तक का राजस्व पैदा कर सकते हैं। और जो हमारी योजनाएं, हैं, पानी की और बिजली की, और दूसरी दिक्कतें हैं, उन योजनाओं को पूरा करके इस प्रदेश के किसान और दूसरे भाइयों को बहुत मदद पहुंचा सकते हैं, छटनी रोक सकते हैं और प्रदेश का बहुत बड़ा भला कर सकते हैं। और दूसरी तरफ यह सचाई है कि अगर हम इसको कानूनन भी बन्द कर दें तब भी यह रुकेगी नहीं। इसलिये मेरा कहना यह है कि जो अंग्रेजी शराब है उनका फी लाइसेंस पंजाब की तरह से किया जाय और राजस्व बढ़ाया जाय। इससे जो आय हो उससे अपने यहां की योजनाओं को चलाया जाय। यह विभाग बड़ा अपंग है। विरोधी दल के लोगों ने भी इसकी शिकायत की है। यह विभाग नियंत्रण नहीं कर पाता है। जितना राजस्व यह विभाग पैदा करता है उसके अनुपात में इस विभाग के ऊपर बहुत कम खर्च किया जाता है। यह विभाग बिलकुल अपंग है और पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा कहना यह है कि आबकारी विभाग को सुदृढ़ बनाया जाये और और इसके स्टाफ की कमी को पूरा किया जाय। सही तरीके से इसका नियंत्रण किया जाय।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस आबकारी विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि सरकार की नीयत पूर्ण नशाबन्दी की नहीं है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसके पहले वातावरण बनाया जाय। मेरा आरोप है कि सरकार नशाबन्दी करना नहीं चाहती है। हमारे यहां उद्योगों और खेती की पैदावार अन्य प्रदेशों से कम हो रही है लेकिन इसके विपरीत हमारे यहां अल्कोहल का उत्पादन बढ़ रहा है। पहले हमारे यहां अल्कोहल का उत्पादन 80 मिलियन लिटर था जो बढ़ कर 120 मिलियन लिटर हो गया है। आप चाहते हैं कि शराब बढ़े, शराब पीने वाले बढ़ें और राजस्व में वृद्धि हो। 1946–47 में इससे 6 करोड़ 47 लाख रुपये की आय होती थी जो अब बढ़कर 47 करोड़ हो गई है। ऐसे अनैतिक कार्य करके राजस्व को पैदा करना उस सरकार के लिये जो अपने को गांधी जी की विचारधारा वाली कहती है, अच्छा नहीं है। गांधी जी शराब को बहुत बुरा बताते थे। दिल्ली में अभी मद्य पीने आदि समस्याओं के ऊपर एक गोष्ठी हुई थी। उसमें राजस्थान के एक जज ने विचार व्यक्त किये थे कि 80 प्रतिशत अपराध शराब के कारण ही होते हैं। हर अपराध के पीछे शराब का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[
श्री बेनी प्रसाद वर्मा]

हाथ होता है। भ्रष्टाचार जो सरकार की नस-नस में समाया हुआ है, उसके पीछे भी शराब का ही हाथ है। शराब आर्थिक जीवन, नैतिक जीवन और राजनीतिक जीवन को समाप्त कर रही है। आप भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुके हैं, आपको नशाबन्दी करनी चाहिये थी लेकिन आपकी नीयत नहीं है। मेरा स्पष्ट आरोप है कि सरकार और सरकार के समर्थक ज्यादातर शराब के आदमी हैं। (अवाजें विरोध में भी हैं) जी हां विरोध में भी हैं लेकिन मैं उनको अच्छा नहीं मानता और उनकी निन्दा करता हूं। चुनाव में शराब का कितना हाथ होता है, इससे सब लोग परिचित हैं। विरोधी दलों के पास इतना पैसा नहीं होता और न उनके पास एक्साइज स्टाफ होता है, जिससे वह शराब का प्रबंध कर सकें। आप इस कुर्सी पर शराब की बदौलत ही बैठे हुये हैं। इसलिये आपकी नीयत शराब बन्द करने की नहीं हो सकती है।

आपने इस रिपोर्ट में बताया है कि तीर्थस्थल, स्कूलों तथा धार्मिक स्थानों पर शराब की दुकानें नहीं हैं। लेकिन यह कहना गलत है। हरिद्वार और ज्वालापुर वगैरा में जितनी चाहें उतनी शराब ले लीजिये। नकली कानून से क्या मकसद हल होता है। तीर्थ स्थानों पर शराब पहुंचती ही है। आपका कानून बना है कि शराब तीर्थ स्थानों पर न पहुंचेगी, वैसे आपका कानून बना हुआ है कि स्कूलों के पास शराब नहीं बिकेगी और न स्कूल के पास शराब रखी हो जायगी, लेकिन ज्यादातर आपकी दूकानें स्कूलों के पास खुली हुई हैं। एक सीमित क्षेत्र में जो ग्राम सभाएं होती हैं। जहां पर ये स्कूल होते हैं। वहां शराब की दूकानें ज्यादातर नहीं खोली जाती हैं। लेकिन जो ग्राम सभाओं में शराब की दूकानें चल रही हैं वे निकट हैं वहां पर स्कूल भी हैं और शराब की दूकानें भी चल रही हैं तो आपकी जो रिपोर्ट है। यह बिलकुल गलत है। शराब पीना विष से भी भयंकर है। यह बस में पोस्टर लगवाये हुए हैं लेकिन उसके विपरीत आपके जो कार्य हैं दिन प्रति दिन आपकी शराब की बिक्री बढ़ रही है। शराब पीने से शराब की बिक्री बढ़ रही है। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो आपकी कथनी और करनी में बिलकुल मेल नहीं है। माननीय कौशिक जी ने जो अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उनके पक्ष में यह भी कहना चहता हूं कि आपकी नीति और नियत बिलकुल अलग-अलग है। आपकी नियत बिलकुल नहीं है शराब बंद करने की। इस तरह से जो आपकी नीतियां हैं वे बिलकुल नहीं चलेंगी। ग्राम समाओं के क्षेत्रों में नये-नये लाइसेंस दिये न जायं। गांवों में अभी कुछ ईमानदारी शेष है, उसको आप बचायें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय कौशिक जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

मान्यवर, यह जो माननीय आबकारी मंत्री जी ने बजट पेश किया है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जहां तक शराब की दुकानों का प्रश्न है वहां तक मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष के लोग भी तैयार हैं। मान्यवर, एक बार अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कहा था कि शराब को समाज से दूर करने के लिये क्या किया जा सकता है। इस पर मेरे देश के लोगों को और संसार के लोगों को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मान्यवर, मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई, केवल इस बात से नहीं कि मैं शराब नहीं पीता हूं, यूरोप के लोग बहुत शराब पीते हैं, गोश्त और शराब उनके जीवन के आवश्यक अंग हैं। ऐसे अमेरिका का राष्ट्रपति भी शराब का विरोध करता है। एक बार हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि राज्य में राजस्व बढ़ाने के लिये राज्य कर लगा हुआ है लेकिन इससे इस अल्कोहल से क्या असर पड़ता है, इसका कोई ध्यान नहीं है। मान्यवर, हमें विरोध यहां पर होता है जहां पर हमारे विरोध पक्ष के भाई कहते हैं कि यह गिरी हुई सरकार है, यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसी सरकार है। मान्यवर, मैं आपको बता दूं कब-कब किन-किन प्रदेशों में किन-किन विरोधी दलों की सरकार बनी हुई है, एक बात इतिहास में है, कि किसी आदमी को ढाई घंटे का शासन मिला, तो उसने कहा कि ढाई घंटे में क्या कर सकते हैं ? तो उसने ढाई घंटे में कहा कि मैं चमड़े का सिक्का चला सकता हूं। तो उसने चमड़े का सिक्का चला दिया।

मान्यवर, वह लोग जो कभी सत्ता में न रहे हों वह ऐसा बोल सकते हैं लेकिन जिनके हाथ में सत्ता रही हो और वह ऐसी बात कहते हैं तो दुख होता है। वह अपने समय में कुछ नहीं कर पाये। श्रीमती इन्दिरा गांधी जी कहती हैं कि राज्यों को अपने राजस्व की वृद्धि के लिये जो समाज का नुकसान हो रहा है उसे नहीं करना चाहिये। समाज की ओर भी राज्यों को ध्यान देना चाहिये। मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश, पंजाब और सारे प्रान्तों से एक साथ शराब हटायी जाये तभी इसमें सफलता मिल सकती है। मेरे जिले को ड्राई एरिया घोषित कर रखा है लेकिन वहां पर घरों में शराब बनायी जाती है। जिन्जर वहां पेरा जाता है। मैं कहता हूं कि आप इसे कानून बनाकर नहीं रोक सकते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि आबकारी विभाग की नीति ऐसी होनी चाहिये जो राजस्व वह प्राप्त करता है, उस राजस्व से समाज की सेवा करे और शराब के विरोध में खर्च करे। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जो व्यक्ति या महिलाएं शराब रोकने में आगे आवे उनके बच्चों को आप सुविधायें दें और जो शराब के विरोध में काम करे उनको सुविधाये दे। चीन का सवाल खड़ा किया गया। वहां पर स्मगलिंग की जाती थी। बहुत कोशिश की गयी कि स्मगलिंग बन्द हो, वहां पर पिस्तौल के आधार पर उसको बन्द किया गया क्योंकि उससे देश का सम्मान घटता है। कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भाषण दे उससे कुछ होता नहीं है जब तक कि इस पर अमल नहीं किया जाता है। यही समस्या उत्तर प्रदेश के सामने है और पूरे देश के सामने है।

मान्यवर, सभी लोग कहते हैं कि शराब बन्दी होना चाहिये। मैं सबसे पहले कहता हूं कि जो एम0 एल0 ए0 लोग हैं वह शराब पीना बन्द करें तो जनता के सामने एक उदाहरण पेश होगा और उनमें शराब बन्दी की एक भावना बढ़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले आप अपना संकल्प प्रस्तुत कीजिये।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

मैं कहना चाहता हूं कि शराब के तमाम अड्डे हैं वहां पर पुलिस वाले जाते हैं और आबकारी वाले जाते हैं और काफी पैसा कमाते हैं। आप बजट में इसके लिये प्राविधान करें। मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री दल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कौशिक जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में दो पहलू बताये गये हैं। एक तो यह कि आबकारी विभाग से हमको बहुत बड़ी आमदनी होती है और राजस्व मिलता है और दूसरा यह आबकारी विभाग कोशिश कर रहा है। जहां तक राजस्व प्राप्ति का सम्बन्ध है, मुझे कहना है कि इन्होंने बड़े ही अच्छे शब्दों में कहा है कि सन् 1947 में हमारे प्रदेश की आबकारी विभाग से जो 7 करोड़ की आमदनी थी वह आज 47 करोड़ हो गई है। इसके द्वारा माननीय मंत्री जी ने इस विभाग में बढ़ते हुए कदमों का औचित्य सिद्ध करने की कोशिश की है। इस विभाग में कुछ ऐसी बातें हैं जैसे उद्योग के द्वारा और दवाइयों के द्वारा जो विभाग की आमदनी हो रही है, उसका हम ही नहीं सभी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दल सिंह यादव]

समर्थन करते हैं लेकिन जहां तक शराब के उत्पादन को बढ़ाकर नैतिक पतन किया है, राजस्व प्राप्ति को लेकर वाहवाही लूटना चाहते हैं, वह देश के हित में न होगा इस विभाग द्वारा जो प्राप्ति हो रही है, उसका 70 प्रतिशत पैसा कर्मचारियों के खर्चे पर व्यय हो जाता है और केवल 30 प्रतिशत पैसा उत्पादनों में प्रयोग होता है। जो 47 करोड़ रुपया आप आबकारी विभाग से प्राप्त करते हैं और जो कि बिक्री करके बाद सबसे बड़ा कर है यह गरीब घरानों का पैसा होता है। न जाने कितनी बोतलों के पिये जाने से प्राप्त होता है इससे यह सिद्ध करना कि राजस्व बढ़ाया गया है, वह उचित नहीं है।

जहां तक मद्यनिषेध का सम्बन्ध है, आपका दल गांधी जी के नाम की बड़ी सराहना करता है। आजादी के पहले उन्होंने एक ही सेन्टेन्स कहा था अगर उसको सुनेंगे तो आपको मालूम हो जायगा कि मद्य-निषेध की गरिमा और महानता उनके दिल में कितनी अधिक थी। उन्होंने कहा था कि यदि मुझे एक घंटे के लिये भी इस देश का डिक्टेटर बना दिया जाय तो मैं सबसे पहले मद्य-निषेध को सारे हिन्दुस्तान में लागू करा दूंगा। जिस गांधी जी द्वारा एक घंटे की डिक्टेटरशिप में यह पहली योजना बनाने की बात कही गई हो उसके अनुयायी आज आजादी के 27 वर्ष बाद भी अपने राजस्व को 7 करोड़ से बढ़ाकर 47 करोड़ रुपये की बात करते हैं। आप इसको अपनी प्रगति का नमूना देना चाहते हैं। आप कहते हैं कि मद्य निषेध के लिये कानून बनाने से मद्य निषेध नहीं होता है। दुनियां में कानून बनाने से वे चीजें खत्म नहीं होती हैं। आपने कानून बनाये हैं लेकिन फिर भी चोरी, डकैती, कतल आदि होते रहते है। जिनके लिये कानून बने हैं, प्रोसिजर और तौर तरीके हैं, उनके तहत आप उन जुर्मों को भले ही न रोक सकें लेकिन समाज के हित में आपने कानून बनाये हैं। आपने मद्य निषेध की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। आपके विभाग की ओर से उपलब्धियों एवं नई दिशाओं के सम्बन्ध में जो पुस्तिका बंटी है उसके दूसरे पन्ने में आपने लिखा है कि आपका विभाग मदिरा सेवियों को स्वच्छ तथा स्टैन्डर्ड स्तर की मदिरा उपलब्ध कराता है। इसके बाद आपने लिखा है कि मद्य निषेध के उद्देश्यों के लिये सतत प्रयत्नशील रहने के बावजूद विभाग राज्य सरकार के लिये भारी राजस्व अर्जित कर रहा है। बिक्री कर के बाद आबकारी राजस्व ही प्रदेश का अधिकतम राजस्व है। यह वैसे ही है कि हम रात भर जागते रहे लेकिन हमारे घर में चोरी हो गई। एक ओर तो मद्य निषेध की बात कही जाती है और दूसरी ओर राजस्व के बढ़ाने की बात करते हैं।

मेरा यह भी कहना है कि जब आप केवल 2 प्रतिशत अर्थात् 8 लाख 78 हजार 300 रुपया संगठन पर लगाते हैं जो बहुत कम है। यह इस बात का द्योतक है कि सरकार ने मद्य-निषेध की ओर कोई कदम नहीं उठाया है। आपने कोई कमीशन भी मुकर्रर नहीं किया है, आपने इसके लिये कोई संगठन भी नहीं बनाया है? बड़े अफसोस की बात है कि आपने मदिरा का प्रचार किया है। न जाने आपके यहां पर कितने कमिश्नर हैं, सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं, कितने इन्सपेक्टर्स हैं। सारे के सारे मद्य के प्रयोग को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसके निषेध के लिये गिने-चुने 50–60 आदमी ही है जो कि 9 करोड़ जनता के लिए पूर्णतया अपर्याप्त हैं।

अब मैं थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूं। आपने उपलब्धियों के विषय में कहा है कि मदिरा की कोई भी दुकान अस्पताल या स्कूल के पास नहीं होगी। मैं आपको बताऊं कि हमारे शाहजहांपुर मे पुवायां तहसील में बड़े गांव में एक इंटर कालेज है। उस कालेज के गेट से पांच कदम की दूरी पर अगर शराब की दुकान न हो तो आप कहियेगा कि मैंने यह बात गलत कही थी। कटरा ब्लाक, तहसील तिलहर में शराब की दुकान 15–20 कदम की दूरी पर है। यही नहीं, मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, उन्होंने जो अपना कार्यालय बनाया था वह शराब के ठेके के पास बनाया था जिसमें एक तरफ आपकी नेता इन्दिरा गांधी की फोटो थी और दूसरी तरफ शराब का ठेका था।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री दल सिंह यादव—

मैं इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मेघनाथ सिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आबकारी मंत्री द्वारा जो यह बजट पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं। पक्ष और विपक्ष की ओर से यह तर्क आया है कि एक चीज समझ ली गयी है कि आबकारी विभाग जितने प्रकार के मद हैं सबको प्रोत्साहन दे रहा है। जो पुस्तिका आयी है इसके अन्दर साफ लिखा है: "यदि हम दूसरे देशों को देखे तो अमरीका के अन्दर चरस, भांग और गांजा, यह तीन चीजें ऐसी हैं जो अरबों रुपये का, समूचे राष्ट्र का हनन करती है। इस पुस्तिका के अन्दर मंत्री जी ने साफ कह दिया है कि सारे प्रान्त में चरस, भांग और गांजा का इस्तेमाल निषेध कर दिया गया है। पहाड़ी प्रदेश में मद्य निषेध है। हमारे जितने धार्मिक तीर्थ हैं उनमें मद्य निषेध मौजूद है। और मद्य निषेध के लिये एक डिपार्टमेन्ट भी काम कर रहा है। तो यह कहना कि हमारा यह विभाग मद्य को प्रोत्साहन दे रहा है यह गलत है। प्रश्न यह है कि यदि यह विभाग न हो तो प्रान्त को खुला छोड़ दिया जाय तो क्या विपक्ष वाले गारन्टी लेते हैं कि सारा समाज सुधर जायगा। मैं समझता हूं कि फिर तो यह और ज्यादा चलेगी। सरकार ने इधर कंट्रोल करने के लिये अगर राजस्व बढ़ाया है तो कोई बुराई नहीं की। यदि शराब न चलायी जाय तो हमारी सैकड़ों इन्डस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके लिये हमें अल्कोहल पैदा करना होगा, जैसे रबड़ फैक्टरीज हैं, प्लास्टिक के कारखाने हैं, पालिश है, इन सब के लिये शीरे से अल्कोहल पैदा करना होगा। यदि इस पर कंट्रोल नहीं रहेगा तो यह खुले तौर से बाजार में आ जायेगी। और नतीजा यह होगा कि जितने आदमी आज पीते हैं उससे दूनी संख्या में पीना शुरू कर देंगे। कौन कहता है कि शराब अच्छी चीज है और आबकारी विभाग की ओर से यह कब कहा जा रहा है। वह तो यह कहता है कि इससे आमदनी ज्यादा इसलिये बढ़ी है कि यह बुरी चीज है, इसका फैलाव न हो इसलिये टैक्स बढ़ाया है। साथ ही मेरा सुझाव मंत्री जी को यह है कि जो यह बात कही गयी है कि स्कूल और कालेजों के सामने दुकानें नहीं होनी चाहिये इसका तो मैं समर्थन करता हूं। हमारे यहां पिलखुआ में एक इन्टर कालिज है और उसी के सामने शराब का ठेका है। वहां हजारों रुपयों रोज की शराब बिकती है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि स्कूल और कालिजों के पास से शराब के ठेके उठा लिये जाने चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री तेज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैं मान्यवर, कौशिक जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अफसोस इस बात का है कि सरकार की ओर से जो भी भाषण हुये उसमें यह कहा गया कि पहले की सरकारों ने यह नहीं किया वह नहीं किया। किस ने क्या किया, कैसे किया या नहीं किया, यह बात करने से क्या लाभ है। आने वाला समय तो यह बतायेगा कि आपने क्या किया? इसका जवाब देने के लिये कि आपने क्यों नहीं किया, आप जिम्मेदार होंगे। जिस चीज को आपको रोकना चाहिये था उसे आप और आगे की ओर ले जा रहे हैं। पिछली सरकारों ने तो मद्यनिषेध का कार्य करने के लिये आपको दिया। आपने यह काम सरदार जी के जिम्मे डाल दिया जो शराब पीना तो दूर रहा, सिगरेट तक पीना गलत समझते हैं। आपने एक बेचारे भले आदमी का गला घोट कर उसके जिम्मे यह शराब का विभाग दे दिया। आपने उनके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है? मैं उनसे आशा रखता हूं कि वे कम से कम नयी दुकाने खोलने के लिये बढ़ावा न देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री तेज सिंह]

यह कहा गया कि इस सरकार के पास पैसा नहीं है। मान्यवर, यह सरकार दीवालिया हो गयी है। रोज कहते हैं कि पैसा नहीं है। यह 1 करोड़ 82 लाख रुपये की ग्रान्ट किस लिये मांग रहे हो। इस बजट पर भी मैं देख रहा हूं कि पक्ष के काफी लोग समर्थन करने के लिये खड़े हो रहे हैं। 4-4 लोग एक साथ खड़े हो रहे हैं। अगर चोरी और डकैती कराने का भी बजट रख दिया जाय तो भी ये लोग (सत्ता पक्ष) भारी तादाद में समर्थन करने के लिये खड़े हो जायेंगे। बीच-बीच में धर्म की बात भी याद करते हैं और बजट का समर्थन भी करते हैं। कहते हैं कि शराब पीना बुरी चीज है, फिर तो उसका समर्थन करते हैं। दोस्तों, आपके ऊपर 10 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है, 10 करोड़ जनता के आप प्रतिनिधि बन कर यहां बैठे हैं, आ चाहे कैसे भी हो गये हों, मगर आज आपकी जिम्मेदारी पूरी है कि देश को बरबाद होने से बचायें। शराब सभी बीमारियों की जड़ है। और उसके बाद क्या आप उन दरोगा की तरह कहते हैं कि जो खुलेआम रिश्वत लेते हैं आपकी सरकार को चलाने के लिये और झगड़ा बोने के लिये, क्या इसलिये आप शराब का बना रहना आवश्यक समझते हैं कि शराब पीने के बाद झगड़ा हो और हमारी सरकार चले? इसी के लिये पुलिस रखेंगे? मैं आशा करता हूं कि इस बजट से सरदार जी का मुक्ति दिलाने के लिये आप इनको दूसरा मोहकमा दे देंगे। अब तो बिना विभाग के मंत्री रखने का भी प्रोग्राम चल रहा है। तो आप कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें और इस ढंग से समर्थन करें कि यह सारा ही हाउस जिम्मेदार है और इस बात को मानता है कि शराब नहीं पीना चाहिये लेकिन जो भाई शराब पीते हैं वे यहां तो न पीने की बात करते हैं लेकिन हाउस के बाहर शराब पीने वालों के बच्चे कहते हैं कि आप हमारा खून पीते हैं। आप लोगों से मेरी यह करबद्ध प्रार्थना है कि एक-एक लाख के प्रतिनिधि होने के नाते आप यहां आये हैं और अगर आप फिर यहां आना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपने फर्ज को पूरा करेंगे और यहां आने के लिये अपने को ऐसा सिद्ध करेंगे कि जनता आपको हाउस में आने दे। मैं आपसे आशा करता हूं कि पूरा हाउस मेरे साथ इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेगा।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जिस माननीय सदस्य की बहस को मैं सुन रहा था, इस आबकारी विभाग की तरफ से एक बुलेटिन निकला है, इसको बड़े गौर से देखने पर मुझे ऐसा लगा जैसे शराब की बिक्री के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता। जिस तरह से आदमी शराब पीकर नशे में होने पर ठीक से चल नहीं सकता, उसी तरह से यह आबकारी विभाग भी नशे में मालूम होता है। कोई भी निश्चित नीति इस विभाग की नहीं है। यह तो आप तय करें कि सारे उत्तर प्रदेश को खुल कर शराब पिलानी है या बुलेटिन के पहले ही पृष्ठ पर जो संविधान की धारा 47 का हवाला दिया गया है उसके अनुसार काम करें। धारा 47 का मतलब क्या है? उसमें डाइरेक्शन है कि मादक वस्तुओं का प्रयोग कम कर दिया जाय। इतने दिन होने को आये, कभी इस तरह का डाइरेक्शन सरकार की तरफ से आया कि मादक वस्तुओं का प्रयोग इतने दिनों में बन्द हो जाये? आखिर किस नीति पर सरकार चल रही है? पिछले 27 वर्ष से मुतवातिर शराबबन्दी के लिये कहा जाता है लेकिन शराब की खपत बढ़ी है और इससे राजस्व की बराबर वृद्धि हो रही है। सन् 46-47 में जितनी शराब की खपत थी उसके सातगुना, आठगुना शराब की खपत हो गयी है और उसी हिसाब से राजस्व की प्राप्त भी बढ़ गयी है। एक तरफ मद्यनिषेध हो और दूसरी तरफ शराब की दुकानों का ठेका हो और शराब पीने से राजस्व की प्राप्ति भी हो, ये दोनों चीजें साथ-साथ नहीं चल सकतीं। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति इस मामले में बिलकुल स्पष्ट होनी चाहिये लेकिन आबकारी विभाग की कोई नीति नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक तरफ तो मद्य निषेध की आप चाहें और दूसरी तरफ शराब पिलाने की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नीति पर भी चलते रहें तो यह बहुत ही निन्दनीय नीति है और यह किसी भी सरकार के लिये शर्म की बात नहीं है। अगर राजस्व की कमी है तो आपको कानून बनाना चाहिये और शराब पीने वालों की आदत पर आप काबू नहीं पा सकते तो इस बात को आपको कबूल करना चाहिये कि हम शराबखोरी को नहीं बन्द कर सकते हैं। एक तरफ तो खुले आम आप ऐसा कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसमें जिक्र है मद्यनिषेध अधिकारी का। अन्तिम चैप्टर में है–मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान संगठन की गति विधियां–रचनात्मक कार्यक्रम। इसमें आपने 75–76 में इस संगठन के लिये 8,78,300 रुपया दिया है। मद्यनिषेध हो कहां रहा है। जो यह 8 लाख 78 हजार रुपया दिया जा रहा है हो सकता है कि कुछ खास चट्टे बट्टे हों जो कमरे में बैठे हुए हों और उनको तनख्वाह दे रहे हों। मुझे पता लगा है कि सारे उत्तर प्रदेश में जो शराब के ठेकेदार हैं वे सब प्रदेश भर के गुंडे, बदमाश और लफंगे किस्म के ही लोग हैं जो शराब की ठेकेदारी कर रहे हैं। और एक-एक उनका हर जिले में अड्डा है। हमारे जिले में भी गुण्डे आ-आ करके शराब की दुकानों पर इकठ्ठा होते हैं। शराब की दुकानों पर उनका अड्डा है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज से 10–15 साल पहले जिनकी हैसियत कुछ नहीं थी आज शराब का ठेका लेकर वह लखपती हो गये हैं। वह अधिकारियों को और कर्मचारियों को घूस देते हैं। इसके अलावा एक ही ठेकेदार हर साल ठेका लेता है। उनके साथी बंदूक लेकर तहसील में जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कोई दूसरा ठेका ले ले। हर साल एक ही ठेकेदार ठेका लेता है। अधिकारी और कर्मचारी उससे मिले होते हैं। किसी दूसरे की मजाल नहीं है कि वह ठेका ले ले। कई-कई हजार रुपया अधिकारी लोग घूस लेते हैं। हमारे यहां पिछले साल 12 लाख का एक ठेका नीलाम हुआ और इस साल वह 15 लाख रुपये में नीलाम हुआ है और उसी ठेकेदार ने लिया है। कहीं कोई बदली नहीं हुयी है। तो अगर आप पैसा चाहते हैं तो खुले आम विलायती शराब की छूट दे दीजिये। मैं समझता हूं कि विलायती शराब से सरकार की आमदनी 5–6 करोड़ रुपये बढ़ जायगी। आज यह मोनोपोली क्यों हो रही है? शहरों में ही क्यों बड़े-बड़े लोग कमा रहे हैं? अगर इसके भी लाइसेंस दे दें तो मैं कहता हूं कि 8–10 करोड़ रुपये की आपकी आमदनी और बढ़ जायगी। इसको भी खुले आम कर देना चाहिये। मैं तो कहता हूं कि कमिश्नर और अन्य अधिकारी आज रिश्वत लेते हैं। भ्रष्टाचार मचा हुआ है।

आप कहते हैं कि 1946 में हमने चरस पर रोक लगायी। 49– में हरिद्वार में किया, 67 में केदारनाथ में मद्यनिषेध किया तो इसका क्या अर्थ है? अगर सचमुच आपकी नीति है तो एक-एक जगह के लिये आपने क्यों आदेश निकाले कि फलां-फलां जगह पर मद्य-निषेध रहेगा? यह नीति आपकी कैसी है कि एक-एक जगह के लिये आदेश निकाले गये हैं। मेरा तो कहना है कि अगर आपकी बन्द करने की नीति है तो एक ही साथ क्यों नहीं आदेश निकाला? एक बार आपने बद्रीनाथ के लिये निकाला, एक बार गंगोत्री के लिये निकाला, फिर आपने जमुनोत्री के लिये निकाला और अगले साल केदारनाथ के लिये आदेश निकाला तो यह आपका कौन सा नियम है। इस तरह से काम करने से इस विभाग की कोई नीति नहीं बनती। राजस्व कमाने की बात है तो शराब को आप खुले आम कर दीजिये। पर मेरी तो निजी राय है और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना कहता हूं कि अगर आपको 48–50 करोड़ रुपये न मिलें, जहां पर अरबों रुपये आप खर्च करते हैं तो इस राजस्व के न मिलने से आपका काम बन्द होने वाला नहीं है। आप का काम चलता रहेगा। तो अगर आपकी नीति है तो आप इसको बिल्कुल बन्द करें। स्थिति आज यह है कि गरीब का धन लूटा जा रहा है। ठेकेदार उसको लूट रहे हैं। अगर आप बन्द कर दें तो वह शराब पीने से छुटकारा पायेगा। उसका पैसा बचेगा। अमीर आदमी तो कानपुर से आकर शराब पी जाते हैं, अमीर आदमी पीते रहेंगे लेकिन बेचारा जो गरीब है, शराब बन्द करने से इसका पैसा बचेगा।

*श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया है, इसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। देश की आजादी के संबंध में हमारे राष्ट्रपिता, जो हमारे ही पिता नहीं आपके भी पिता हैं बल्कि संसार भर के पिता हैं, सबसे पहले आजादी की लड़ाई के लिये उन्होंने शराब को अवैध घोषित किया। सत्याग्रह किया। सत्याग्रह में अनेक जानें गयी। अनेक माताओं का सुहाग उतर गया। अनेक माताओं की कोखें खाली हो गयी। अनेक लोग अंग विहीन हो गये तब जाकर कहीं देश आजाद हुआ। आजादी के बाद कुछ दिनों तक शराब बंद रही। लेकिन आज हम गांधी जी की संतानों ने साबित कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि जितनी शराब की, अंग्रेजों के राज्य में खपत नहीं होती थी उससे ज्यादा शराब हमारी सरकार ने खपत करके दिखला दिया। इसको आमदनी का जरिया बताते हैं। हमारे कौशिक जी ने कहा कि आमदनी हराम की नहीं पैदा करनी चाहिये। इस आमदनी से समाज दूषित हो जायेगा, लोगों के स्वास्थ्य गिरेंगे, बीमारियां पैदा होंगी और अनेक झगड़े होंगे जो आज हमारे देश में हो रहे हैं। आप यह जानते हैं कि पहले शराब स्प्रिट से बनती थी लेकिन अब शराब स्प्रिट से नहीं बनती है क्योंकि वह महंगी पड़ती है। शराब के दुकानदार लोग मेंडेक्स की गोलियां या एल० एस० डी० की गोली जो 35 पैसे में आती है एक बोतल शराब में घोल देते हैं और शराब की खुशबू पैदा करके लोगों को पिलाते हैं अगर शराब की एक बोतल में दो गोलियां मिला दी जावें और खाने को दी जावें तो मौत हो जावेगी और इस तरह से अनेक लोगों की जानें गयी हैं लेकिन उसकी जांच आज तक नहीं हुई।

अंग्रेजी शराब के सम्बन्ध में मैंने माननीय मंत्री जी को सुझाव दिया था कि अंग्रेजी शराब की दुकानें भी आप नीलाम करें क्योंकि अंग्रेजों ने अपने पीने के लिये ये दुकानें मुकर्रर की थीं, आज वही हमारे भाई भी कर रहे हैं। हम क्या कहें, अंग्रेज तो चले गये लेकिन उन अंग्रेजों से ज्यादा हमारे देश में आज अंग्रेजियत पैदा हो गयी है, इसलिये वे स्वयं अपने और अफसरों के पीने के लिये, मंत्रीगण को पीने के लिये अंग्रेजी शराब की दुकानों का नीलाम नहीं करती हैं क्योंकि फिर वह महंगी मिलेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि उसमें कानूनी अड़चनें हैं। हम यह कहते हैं कि जमींदारी खात्मे के लिये बिना मुआविजा उसको लेने के लिये अध्यादेश करके कर दिया। अभी देर की बात नहीं है चुनाव के खर्चे के सम्बन्ध में इंदिरा गांधी ज्यादा खर्चे में चुनाव याचिका में आई जा रही थीं। इसलिये फौरन अध्यादेश जारी करके यह कर दिया कि अब खर्चे पर चुनाव का कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। तो उसी तरह से अध्यादेश जारी करके अंग्रेजी शराब की दुकानों की नीलामी क्यों नहीं कराई जा सकती है? उससे नहीं हो सकता तो सदन से प्रस्ताव पास करके क्यों नहीं नीलामी कराई जा सकती।

एक बात और, अफीम से मदक बनती है। अफीम की गोलियों से मदक बनाकर आज शराब की दुकानों पर बिक रही है, गांजा बिक रहा है। दुकानदार गांवों में जाकर मदक, गांजा और शराब वगैरा का ठेका अपने आदमी मुकर्रर करके बिकवा रहे हैं।

एक तरफ यह शराब है, दूसरी तरफ कच्ची शराब गांवों में बन रही है और उससे पुलिस पैसा पैदा करती है। उनका चालान करती है, पैसा लेकर छोड़ देती है। अगर आप दरअसल गांधी जी के सपूत हैं, राष्ट्रपिता के सपूत हैं जिनके कारण ही आपको आज यह दिन देखने को मिला है कि आप आज इन कुर्सियों पर बैठे हुये हैं तो आपको लज्जा और शरम आनी चाहिये। यह सब आप क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं शराब पीना बन्द करवा रहे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी, आपका समय समाप्त हो गया है। आप अब अपना भाषण समाप्त कर दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जंग बहादुर वर्मा—

इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर समय दिया है। आज जिस विषय पर मैं बोलने जा रहा हूं यह वह विषय है जिस पर कि हम कांग्रेसियों ने गांधी जी के आदेश पर शराब बन्दी के लिये सत्याग्रह किये थे। आशा यह थी कि आजादी मिलने के बाद शराब की दुकानें बन्द हो जावेंगी लेकिन उसके बावजूद शराब के ठेके बन्द नहीं हुये बल्कि बनाने वालों की तादाद काफी बढ़ी। राजस्व के नाम पर जो बात कही जाती है वह सही है लेकिन मैं सरकार से आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार से और स्रोत आमदनियों के लिये ढूंढे जाते हैं। उसी प्रकार से क्या इस स्रोत का समाप्त करके कोई दूसरे स्रोत नहीं ढूंढे जा सकते हैं ?

मद्य-निषेध के नाम पर जो पैसा रखा गया है। उसकी एक मिसाल मैं आपको अभी बताता हूं कि अभी एक मीटिंग सोमवार को मद्य सेल के आदमियों को बुलाकर की गयी। मैं भी उसमें पहुंचा और एक घंटे जिलाधिकारी के वहां बैठने के बावजूद जो उस बैठक के मंत्री थे उस मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सके। तो एक तरफ लम्बी-लम्बी रकमें मद्य निषेध के नाम पर रखी जाती हैं और दूसरी तरफ जो मीटिंग बुलाई जाती हैं, लोगों को बुलाया जाता है लेकिन उसके मंत्री महोदय उपस्थित नहीं होते हैं। मेरा सुझाव है कि जो रकम रखी गयी है। उस पर विचार किया जाय और इस रकम को किसी जनहित में लगाया जाय। दो–चार ठेके जो हुये हैं उनको समाप्त कर के जनहित में खर्च किया जाय बजाय मद्य निषेध में खर्च करने के एक बार एक शराबी से बात हुयी कि वह शराब पीने के बाद पकड़ लिया गया और उसके बाद जब मुकदमा उस पर चले तो मैंने पूछा क्यों पकड़े गये तो उसने एक ही जबाब दिया कि गुनाहगारों में शामिल हूं गुनाहों से नहीं वाकिफ, सजा पाने को हाजिर हूं खुदा जाने क्या होगा। इसलिये शराब का नशा पीने के बाद पाया जाता है और उसका दोषी कौन है और जिम्मेदार उसका कौन है ? वह अलग बात है। चूंकि यह अनुदान यहां पेश किया गया है इसलिये मेरा सुझाव है कि इसके जो आंकड़े हैं उनको देखने से मैं समझता हूं कि आम अपराध भी 1964–65 में 4760 थे और वह बढ़कर 1974-75 में 15,728 हुये हैं। इस प्रकार अपराधों की संख्या को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिये मैं मंत्री जी को यह सुझाव दे रहा हूं कि इस आइटम के लिये कोई दूसरे स्रोत ढूंढे जायं, और गांधी जी के स्वप्न को साबित करने के लिये मद्य निषेध पूर्ण रूपसे लागू किया जाय। इसके साथ ही देशी शराब के ठेकों की तरह अंग्रेजी शराब के भी ठेके उठाये जायं जिससे मैं समझता हूं कि राजस्व बढ़ेगा और देशी शराब बन्द होने के साथ–साथ अंग्रेजी शराब से स्रोत भी बढ़ जायेगा इसके साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष जी, कुछ सरकारी बेंच की तरफ से और खासतौर से श्री काशी नाथ मिश्रा ने काफी जोरदार तकरीर किया जिससे साबित हुआ कि वाकई वह लोग ईमानदारी से यहां मद्य निषेध चाहते हैं। लेकिन मैं उसको वैसे ही समझता हूं, वह दिखावे की चीज है। यदि वह सचमुच चाहते हैं तो अभी उनको 2 मिनट में मौका मिलेगा कि शराब बन्दी चाहते हैं कि नहीं उस वक्त मालूम हो जायेगा कि मद्य-निषेध चाहते हैं कि नहीं। यह हकीकत है कि यह सरकार मद्य निषेध के मामले में पब्लिक को बेवकूफ बना रही है। रोडवेज में बसों पर भी लिखा रहता है कि मद्य-निषेध हो। रेलवे स्टेशनों पर भी और रेलवे स्टेशन से अमीनाबाद जायें तो बोर्ड लगे हैं कि बच्चे बाप को पकड़े हैं कि शराब पीना छोड़ दीजिये, हमारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ श्री मुहम्मद मसूद खां ]

किस्मत को देखें। इसलिये अभी 2 मिनट में शराब बन्दी का नियम पास किया जा सकता है। लेकिन यह लचर दलील दी जाती है कि मिसाल के तौर पर कुछ मुकर्ररीन ने यह कहा जब तक पूरे मुल्क में न हो तब कैसे इस प्रदेश में नशा बन्दी का कानून बनाया जा सकता है। क्या और कानून बनाने के लिये यह सोचा था ? बहुत से कानून इस प्रदेश में बनाये हैं जो दूसरे प्रदेशों में नहीं है। अच्छी चीज आप बनायेंगे तो काबिले मुबारकबाद होंगे।

एक दलील यह दी गयी कि नशाबन्दी लागू कर दी जायगी तो करप्शन बढ़ जायगा और शराब अधिक बनना शुरू हो जायगी तथा शराब बन्दी नहीं होगी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप कानून बनाते हैं कत्ल, डकैतियां खत्म करने के लिये लेकिन कत्ल, डकैतियां खत्म नहीं हो पाती तो आप इसके लिये जिम्मेदार नहीं होते। इस प्रदेश का माहौल ऐसा हो गया है कि कोई चीज लाख समझाइये, समझाने के बावजूद वह दूर नहीं हो सकती। अगर आप वाकई नशाबन्दी चाहते हैं तो समझा कर, पोस्टर चिपकाने से, बसों पर लिखने से या दूसरी चीजों से नशाबन्दी नहीं हो सकती जब तक कि आप कानून नहीं बनायेंगे। आपको इसके लिये कानून बनाना होगा और उस पर सख्ती से अमल करना होगा तभी नशाबन्दी इस प्रदेश में कामयाब हो सकती है। वर्ना शराब वह चीज है कि जब शराब का नशा उतर जाता है तो शराब पीने वाला तक यह कहता है कि शराब, नशा गलत चीज है। सब लोग मुत्तफिक हैं, हर पार्टी मुत्तफिक है और यहां तक कि नशा पीने वाले भी मुत्तफिक हैं कि शराब बुरी चीज है लेकिन देरी आप कर रहे हैं यह कि आप कानून बनायें। अगर आप कानून नहीं बनायेंगे तो मुस्तकबिल में मुहर्रिर लिखेगा कि इस वक्त वह सरकार थी जिसको मौका मिला था दूसरी नस्ल को नशे में रोकने के लिये कानून के जरिये से लेकिन इस सरकार ने ऐसा बन्दोबस्त इन्तजाम किया, जिससे दूसरी नस्ल इस प्रदेश की तबाह व बरबाद हो गयी। समझाने से यह मामला ठीक नहीं हो सकता। शराबी यह कहता है " जानता हूं शबाबे तातुजहद पर तबियत इधर न आती।" यह हालत है। आपको कोई रुकावट नहीं है। सत्ता पार्टी के साथी हैं वे अगर इससे मुत्तफिक हैं तो जिस समय कटौती पर राय मांगी जाय वे यही राय दें कि एक रुपये की जो कटौती पेश हुई है वह एक रुपया भी इस काम में खर्च हो कि नशाबन्दी की जाय, उसे दूसरे इन्तजाम में खर्च न किया जाय। मैं मंत्री जी की नजर एक शेर करना चाहता हूं :—

नशा पिला कर गिराना तो सबको आता है।
मजा तो जब है, गिरतों को थाम ले साकी।

इस वक्त आपका इम्तिहान है। इस नस्ल की दूसरी नस्ल को गिरने से रोकना है। यह कह कर मैं कटौती के प्रस्ताव की ताईद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह एक रुपया भी नशाबन्दी में इस्तेमाल होना चाहिये न कि दूसरे इन्तजाम के तहत।

श्री धर्मपाल सिंह (जिला अलीगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आबकारी बजट का समर्थन करता हूं और शराब के अलावा अन्य नशीली वस्तुओं का जिक्र करना चाहता हूं। आज सदन में शराब की बहुत चर्चा की गयी लेकिन मैं समझता हूं उन चीजों का किसी ने जिक्र नहीं किया जिनसे सही मानी में जन जीवन बरबाद हो जाता है और वे हैं अफीम, चरस, गांजा तथा चंडू। ये चीजें ऐसी हैं जो बाजार में धड़ाधड़ बिकती हैं और लोगों के जन जीवन को खतरे में डालती है और सरकारी इंस्पेक्टर हाथ पर हाथ धरे बैठे देखा करते हैं। हाथरस में एक एक्साइज इंस्पेक्टर हैं। कुर्सी डाल कर ठेके पर बैठते हैं। उनके सामने ही ये चीज खुले आम बिकती हैं और वह दनादन अपनी चौथ वसूला करते हैं। काफी सालों से वहां यह हो रहा है लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी

दिलाना चाहूंगा कि शराब में एक केमिकल पाउडर मिलाया जाता है। प्रयोग करने वाले लोग बताते हैं कि इसमें वे पाउडर मिला देते हैं जिससे लोगों की मौतें हो जाती हैं और बीमारियां हो जाती हैं। वहां पर आपके अधिकारी बैठकर चौथ वसूल करते हैं, कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है।

मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि एक ऐसा उड़न दस्ता बनाया जाये जिससे जहां पर इस प्रकार की खराबियां मिलें, समाज-विरोधी तत्व मिलें, अनधिकृत रूप से इसको बेचने वाले मिलें उनके ऊपर तुरन्त वह छापा मार सकें। तो ऐसे कुछ अधिकारियों का गठन किया जाय जो तमाम प्रदेश के अन्दर ऐसी सूचना मिलने पर मौके की छानबीन कर सकें। इसका हेड क्वार्टर इलाहाबाद, कानपुर या लखनऊ में कहीं पर बनाया जाय और अपराधियों को जेल में ठूंसा जाय। अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी। खुले आम ये चीजें बिकती रहेंगी तो दिन दूने रात चौगुने इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग चलता रहेगा। इससे तमाम जनता में असंतोष फैला हुआ है। अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मथुरा में गोवर्द्धन दाऊजी, हाथरस एक ब्रज क्षेत्र है वहां पर शराब की दुकानें खुली हुई हैं, उनके लाइसेन्स तुरन्त सरकार रद्द करे। यह हिन्दुस्तान का माना हुआ ब्रज और तीर्थ स्थान है। नशीली वस्तुओं की दुकानें वहां पर नहीं खोली जानी चाहियें। आपको रुपये की ही आवश्यकता है तो अन्य माध्यमों से आप रुपया पैदा कर सकते हैं लेकिन अनैतिक चीजों से, समाज विरोधी चीजों से आमदनी सरकार को नहीं करनी चाहिये। मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी कहूंगा कि इस प्रोग्राम को प्रदेश से हटायें। समाज की उन्नति करना हमारा कर्त्तव्य है हमें उसका समर्थन करना चाहिये। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आबकारी इन्सपेक्टर को तुरन्त हटाया जाय और इस तरह के जो अनैतिक लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री गोरेलाल शाक्य (जिला इटावा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं सबसे पहले किसी राज्य सरकार की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वह अपने नागरिकों को तन और मन से स्वस्थ रखने की होती है। अगर कोई सरकार तन और मन से अपने नागरिकों को अच्छा नहीं बना सकती है तो वह अच्छी सरकार कदापि नहीं कही जा सकती है। मेरा अपना अध्ययन है कि इस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को तन और मन से अच्छा नहीं बनाया है। इसलिये पिछले 27 सालों से जो भी सरकारें आई हैं, उनको अच्छी सरकार नहीं माना जा सकता है। नशा करने से तन और मन दोनों की खराबी होती है। इसलिये सरकार ने नागरिकों को अच्छा बनाने का कार्य नहीं किया है।

(इस समय 4 बजकर 14 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसके अलावा मुझे बहुत अफसोस है कि मद्यनिषेध के लिये सरकार ने एक अलग से मंत्रालय खोला हुआ है। इसकी क्या जरूरत है? एक डिप्टी मिनिस्टर को यह काम सौंपा जा सकता था। इससे हमारा जो एक्सचेकर है, हमारी जो आमदनी है उस पर बर्डन पड़ता है। उससे गरीबों के लिये कोई अन्य निर्माण कार्य किये जा सकते हैं। इसी में बड़े-बड़े अफसरों की तनख्वाह के रूप में ही इसकी आमदनी निकल जाती है। इसके साथ ही साथ अगर मद्य निषेध की सरकार पूर्णतया व्यवस्था नहीं कर सकती है तो उसके सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इन नशीली वस्तुओं की इतनी कीमतें बढ़ा दी जायं जिससे दो सौ, पांच सौ या सात सौ रुपया पाने वाला व्यक्ति इसका इस्तेमाल न कर सके। वह

[श्री गोरे लाल शाक्य]

इस ओर आंख उठाकर भी न देख सके। इसके अलावा इसकी दुकानें हर जगह नहीं खोली जानी चाहिये। ऐसी जगह पर यह दुकानें खोले जहां पर बड़े-बड़े लोग रहते हों। इससे उनकी आमदनी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जहां पर गरीब लोग रहते हैं, वहां ये दुकान न खोली जायं। किसी माननीय सदस्य ने इसमें "ऐतिहासिक वृद्धि" शब्द का इस्तेमाल किया है और कहा है कि कि लाइसेन्स से इतनी आमदनी में वृद्धि हुई है उसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक शब्द इस्तेमाल किया है। मुझे अफसोस है कि इस वेलफेयर स्टेट में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ 'ऐतिहासिक' शब्द का इस्तेमाल तो अच्छे कार्य सम्पन्न होने के लिए इस्तेमाल होते हैं। शराब के लाइसेन्स से राजस्व में वृद्धि के लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था।

इसके साथ-साथ हमारी सरकार ने तीर्थों में मद्य निषेध करने की बात कही है। हमारी समझ में नहीं आता है कि सरकार वहां पर पंडे और पुजारी होते हैं। उन्हीं को तीर्थ-स्थान मानती है क्या वही तीर्थ की परिभाषा में आते हैं क्या मथुरा, वृन्दावन, हरिद्वार आदि ही तीर्थों में आते है? क्या लखनऊ को देवालय नहीं कहा जा सकता है? जहां से सारे प्रदेश का शासन होता है, जहां पर यह विचार होता है कि कैसे लोगों को खुशहाल करें। इसको देवालय कैसे नहीं कहा जा सकता है? केवल हरिद्वार को ही जहां पर 10, 20 हजार की आबादी हो तीर्थ कहा जाय और मद्य निषेध किया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा और पहले मद्य निषेध वहां करना चाहिए जहां पर सबसे ज्यादा आबादी हो और जहां पर सबसे कम हो वहां कम होना चाहिए। तो यह नियम होना चाहिए।

इसी तरह अपराध भी साधारण लोग नहीं करते हैं। ज्यादातर अपराध वही करते हैं जो गांजा, भांग, शराब और चरस पीते हैं। बहुत से व्यक्ति अपराधी दिमाग के नहीं होते हैं। लेकिन नशा करने के बाद जब उनका दिमाग विकृत हो जाता है तो नशे में अपराध करते हैं। आप प्रदेश के आंकड़े उठा कर देख लीजिए ज्यादा वही अपराधी हैं जो दिमाग से नशे में विकृत होते हैं। सैकड़ों हजारों मुकदमें आज इसी के मिलेंगे।

मेरा सरकार को सुझाव है, मन्त्री जी से कहूंगा तो वह तो मंत्रालय को खत्म करने की बात मानेंगे नहीं, वह नहीं चाहेंगे कि यह मन्त्रालय खत्म हो लेकिन सरकार से कहूंगा कि इतने छोटे काम के लिए एक मन्त्रालय अलग से खोलने की आवश्यकता नहीं है। एक डिप्टी मिनिस्टर से काम चलाया जा सकता है। इसलिए सरकार इस पर गौर करे यह कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने मेरे कटौती पर बहुमूल्य सुझाव दिए हैं मैं उनका बड़ा आभारी हूं और खास कर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े साहस का परिचय दिया जैसे माननीय काशीनाथ मिश्र जिन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य किया है। सचमुच एक भाई ने शराब का घोर विरोध करके ऐतिहासिक काम किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।

मान्यवर, शराब एक ऐसी चीज है जो इन्सान को जानवर बना देती है इससे हमारे देश का पतन हुआ है। उधर से भी प्रकारांतर में बहुत से लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से मेरे कटौती का प्रस्ताव का नैतिकता की दृष्टि से समर्थन किया है। लेकिन श्रीमन्, कुछ तथ्य दिये गए, कुछ मित्रों ने बताया श्री गुलाब सेहरा जी ने बताया कि नीलामी में किस तरह से गड़बड़ी होती है। यह भी कहा गया कि हरिजनों को लाइसेन्स दिए जाने चाहिए, उनको यह क्यों नहीं दिया जाता है? तो मान्यवर, यह एक विचित्र बात है उनको तो इस लत से छुड़ाना है। श्री जगन्नाथ जी ने अधिक राजस्व के लाभ की प्रशंसा की। फिर आदरणीया स्वरूप कुमारी बख्शी ने कठिनाई बताई और आंचल में आंसू समेटते हुए महिलाओं की विचित्र स्थिति बताई।

तो मुझे एक शेर याद आ गया —

तरदामनी पै शेख जी उनके न जाइए ।
दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें ।।

उन्होंने महिलाओं की स्थिति बतलाते हुए कहा उस महिला से पूछें जिसका पति शराब पीता है उस पर क्या गुजरती है । लेकिन श्रीमन्, आज देश का दुर्भाग्य यह है कि जिस पति की पत्नी शराबिन हो उस पर क्या गुजरती होगी ? मान्यवर, महिलाओं की स्थिति यह हो गई है यह एक नशाबन्दी सन्देश पत्रिका है, उसमें है . . . .

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

क्या ऐसा कोई पति है जिसकी पत्नी शराब पीती हो ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा हूं । हमारी युवा पीढ़ी किधर जा रही है उसे आप जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसके सम्बन्ध में दी गई एक रिपोर्ट में देखें । उस दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र जीवन के सम्बन्ध में प्रेस एशिया इन्टरनेशनल ने एक सूचना दी है, जो इस प्रकार है—"इस विश्वविद्यालय में हर प्रकार की सुविधायें मौजूद हैं, एक लड़की प्रति दिन कसिस और गांजे का प्रयोग करती है । वह विस्की के 4-5 पैग तो पानी की तरह पी जाती है ।"

यह जवाहर लाल नेहरू के नाम पर चलने वाले विश्वविद्यालय की स्थिति है । आज शराब भी फैशन का रूप धारण करती जा रही है । सरकार इसे जिस तरह से ले रही है, आज शराब की वही स्थिति रही तो जैसे हम कोको-कोला और अन्य पेय पदार्थ खुले रूप में पीते हैं, वैसे ही यह भी बेरोकटोक शुरू हो जाने वाली है । यदि इस पर तत्काल रोक न लगाई गई । जैसे अनेक मित्रों ने अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं, मैं उनके सुझावों को कई श्रेणियों में रख सकता हूं, जैसे ड्रिंकर्स की कई श्रेणियां हैं । इसका जिक्र "स्टडी टीम आन प्राहिबीशन" नामक पुस्तक में चेप्टर 8—क्लासीफिकेशन आफ अल्कोहल ड्रिंकर्स, में किया गया है, जिसमें अकेजनल ड्रिंकर्स, माडरेट ड्रिंकर्स, हैन्चुअल ड्रिंकर्स डायट्री ड्रिंकर्स, हैवी ड्रिंकर्स और अडेक्टिव ड्रिंकर्स आदि श्रेणियां बताई गई हैं ।

मान्यवर, कुछ लोगों ने पूर्ण मद्यनिषेध की बात की है, कुछ लोगों ने कह दिया कि आंशिक हो जाना चाहिए । मैं आदरणीय बख्शी जी का आभारी हूं कि उन्होंने स्वीकार किया कि महिलाओं की इसके कारण बड़ी मुसीबत है । फजलुर्रहमान भाई ने इसका पूर्ण विरोध किया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । मेरे मित्र, राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता जी बड़ी रंगीन तबियत के आदमी हैं । उन्होंने धर्म की बात की । मैं तमिलनाडु की बात इस सम्बन्ध में कहता हूं, वहां बीच के 5-6 महीनों में शराब का चलन शुरू हो गया तो वहां पर जगह-जगह चोरी-डकैती, लूटपाट, बलात्कार और राहजनी के अपराध होने लगे । विवश होकर वहां की जनता ने आवाज उठाई कि फिर पूर्ण शराब बन्दी लागू करो । और वहां की सरकार ने इसे जनहित में तुरन्त स्वीकार कर लिया । तो क्या वहां राजस्व की हानि नहीं हो रही है ? उन्होंने इस चीज को पूर्ण रूप से रोका, यह चीज एक नजीर है हमारे मन्त्री जी के लिए । ये कहते हैं कि इसके लिए कांग्रेसी क्यों दोषी है । मैं बताना चाहता हूं कि करुणानिधि मन्त्रिमन्डल गैर-कांग्रेसी है और उसने एक आदर्श चीज करके दिखाई है ।

मेरे मित्रों ने बहुत से सुझाव दिए । सबसे गम्भीर बात जो है वह कही है सत्यपाल मलिक जी ने, वह साधारण बात नहीं है, कि राजनीति और शराब का जबरदस्त गठबन्धन हो गया है । उन्होंने जिस संसद सदस्य, श्री कल्पनाथ राय तथा मिश्रा का जिक्र किया है, मोहन मेकिन, गोल्डवाटर व नारंग का नाम लिया जो मदिरा का उत्पादन करते हैं और नारंग का जो नाम है वह कोई साधारण बात नहीं है । मेरी आपसे अपील है और मन्त्री जी से कि इस प्रदेश की 10 करोड़ जनता के भले के लिए आप सदन की एक कमेटी गठित कर दें, जो उसकी जांच करे ।

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

मैं एक व्यक्ति और श्री दौनेरिया जी को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बड़े साहस के साथ इस तथ्य को सदन के सामने रखा है। मैं एक चीज और कह दूं सन् 1937 में जब देश के कई सूबों में कांग्रेसी मन्त्रि-मन्डल गठित हुए थे और महात्मा गांधी जी जिन्दा थे, शराब का उस समय ऐसा प्रचार भी नहीं था, तो भी उस दूरदर्शी महात्मा के सामने यह बात थी और इसीलिए उन्होंने कहा था कि राजस्व का नुकसान आप बरदाश्त कर लो, लेकिन पूर्ण निषेध लागू करो। सन् 1937 में पूर्ण मद्य-निषेध लागू हुआ था। अब से आप इस चीज को स्वीकार करें, मानें।

मान्यवर, यह आए दिन कहा करते हैं कि लोग सुझाव नहीं देते। जस्टिस टेकचन्द ने और उनकी सारी टीम ने इतने सुन्दर सुझाव दिए हैं इतना महान अध्ययन किया है। सेक्शन 6 है--इम्प्लीमेंटेशन आफ प्राहिबिशन पालिसी। उसके चैप्टर 30 में है--दि नेचर आफ रेमेडीज। हम लोग इसे प्रामाणिक समझते हैं। लीगल सोल्युशन, दि कन्टेन्टमेंट आफ भोलासेज ऐन्ड अदर रा मैटीरियल्स, मोलेसेज ऐसी चीज है, 74 चीनी मिलें हैं। वही प्रमुख इसके उत्पादन केन्द्र हैं। आप अल्कोहल का उत्पादन करें। लेकिन उसका प्रयोग दूसरे प्रकार से होना चाहिए। उसका दूसरी चीजों के निर्माण में होना चाहिए। उसका शराब पीने पिलाने में न हो। आगे कहते हैं---मास एजूकेशन ऐन्ड सिस्टेमेटिक पब्लिसिटी। जनता को शिक्षित करना होगा। ऐसी पब्लिसिटी होनी चाहिए! ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बसों में लिखा है शराब पीना विष से भी भयंकर है और बड़े-बड़े बोर्ड लगे हैं पिता जी बस करो भविष्य के लिए, और उधर एक्साइज कमिश्नर गश्ती पत्र जारी करते हैं कि शराब का अधिक से अधिक उत्पादन और खपत हो। (व्यवधान) पांचवां है--इफेक्टिव इनफोर्समेंट थ्रू इम्प्रूव्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन। छठा है--दि इकानामिक कांटेम्पट आफ इल्लिसिट डिस्टीलेशन। सातवां है--दि यूज आफ माडर्न साइंटिफिक ऐप्लीएन्सेज फार डिटेक्शन आफ इनेब्रेटी चैप्टर 31 में...

श्री अध्यक्ष--

आपकी हिन्दी अंग्रेजी से कहीं अच्छी है। हिन्दी ही बोलिए।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

कुछ ऐसी टेक्निकल बातें होती हैं, कुछ पारिभाषिक कठिनाइयां होती हैं, एक संकेत के रूप में कह सकते हैं।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला--

ऐसा मालूम हो रहा है कि महाभारत की कथा हो रही है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

प्राबलम आफ ला इनफोर्समेंट--ला ऐन्ड लिकर। अमेंडमेंट्स इन अदर लाज, चेंजेज इन अदर लाज, चेंजेज प्रोपोज्ड इन ला आफ एविडेंस, न्यू सिविल डैमेज ला रिकमेंडेड, स्पेशल लाज फार हैवीचुअल ड्रिंकर्स, रिट्रीट्स ऐन्ड रिफार्मेटरीज, हिट्स फार इनवेस्टिगेटिंग आफिसर्स।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उस स्थिति का मैं जरा जिक्र कर देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 940 लाख लीटर देशी शराब की खपत गत वर्ष हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 940 लाख लीटर देशी शराब पी और इस प्रकार उसने गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक शराब पी। राज्य का राजस्व भी इस अवधि के दौरान 43 करोड़ रुपए से बढ़कर 60 करोड़ रुपया हो गया। ये तो सरकारी आंकड़े हैं अवैध व जहरीली शराब कई सौ गुनी खपत हुई जिसमें कन्ट्री शराब भी है। शराब और ताड़ी की बिक्री का यहीं का उदाहरण देता हूं। लखनऊ में अलकार टाकीज के पास, सामने ही ताड़ी का दुकान है, बगल में शराब की दुकान है। वहां पर एक मन्दिर है, वह मन्दिर की दीवार से सटी हुई है। पवित्र स्थल के पास ताड़ी व शराब की दुकान है। मान्यवर, मैं

गोरखपुर जनपद का हवाला दूंगा। वहां पर एक दरकुहा देवी का स्थान है जहां अमर शहीद बंधूसिंह हुए हैं। वहां खुलेआम शराब पी जा रही है और खूब प्रचार हो रहा है।

एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि मद्यपान के विरुद्ध जनमत जाग्रत करने के लिए एक संगठन का गठन किया गया है। इस संगठन के खर्च के लिए 8,78,300 रुपए रखे गए हैं। शराब रोकने के लिए इतना खर्चा हो रहा है। उधर शराब पिलाने वालों में 1,82,00,000 (एक करोड़ बयासी लाख) रुपया खर्च हो रहा है। मेरे एक मित्र ने कहा कि यह केवल दो प्रतिशत ही आय का खर्चा है। लेकिन यह तो देखिए कि आय बहुत जबरदस्त है इसलिए यह कम नहीं है। इसमें लिखा है कि एक राज्य मद्य निषेध अधिकारी, उसके अन्तर्गत 6 मद्य निषेध अधिकारी हैं जो बहुत कम संख्या में हैं। यह शराब रोकने का काम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ शराब पिलाने वालों में एक्साइज कमिश्नर, असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज अधीक्षक, एक्साइज इन्सपेक्टर्स, सुपरवाइजर्स, पुलिस वाले और दुगुनी, तिगुनी ठेकेदारों की लम्बी वाहिनी है। यह स्थिति है।

एक बात कही गई कि कानून से शराब नहीं रोकी जा सकती है। यह केवल कानून से ही रोकी जा सकती है। गांधी जी ने भी शराब को कानून से रोकने के लिए कहा है। अगर कानून से नहीं रोकी जा सकती तो चोरी, डकैती, रहजनी, नकबजनी वगैरह भी नहीं रोके जा सकते हैं तो आप सारे कानून समाप्त कर दीजिए और कहिए कि जनता के मनोबल को ऊपर उठाया जाए। जब सारे अपराधों की जननी शराब है। माननीय टेकचन्द जी ने लिखा है कि अल्कोहल इंडस्ट्रियल प्राबलम्स, लेबर प्राबलम्स, फरप्शन प्राबलम्स, हेल्थ प्राबलम्स यानी सारी समस्याओं की जननी शराब है। जितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनके मूल में शराब ही है। इससे मोडक्शन घट जाता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ठंड के लिए यह एक रेमेडी है। शीत प्रधान देश अमरीका वगैरह के विशेषज्ञों ने कहा है और गांधी जी को लिखा था कि शीत प्रधान देशों में शराब आवश्यक नहीं है। शराब भीतर की गर्मी को खाल की सतह पर गर्मी पैदा करती है। इसके बाद यह और घातक हो जाती है। हमारी स्थिति तो और भी खराब है। इस विभाग ने ड्राईएरिया और वेट एरिया का वर्गीकरण किया है। सारा संसार जानता है कि यह गरम देश है। लेकिन शराब को जारी रखने के लिए इसका विभाजन ड्राई एरिया और वेट एरिया में किया है। यह बिलकुल शुष्क मुल्क है। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। प्रभाव तो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश को इसमें पहल करनी चाहिए। एक अगुआई करनी चाहिए। मेरे मित्र ने जो सुझाव दिया मैं उनका बहुत आभारी हूं। राजेन्द्र प्रसाद ने जो सुझाव दिया मैं उनका बहुत आभारी हूं। उन्होंने कहा कि आय के दूसरे स्रोतों से इसकी पूर्ति की जानी चाहिए। लॉ एन्ड आर्डर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शासन इस मद में जो करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, उससे उसका बचाव हो जायगा।

जो आजकल भ्रष्टाचार की बहुत चर्चा है, यह 50 प्रतिशत भ्रष्टाचार अपने आप दूर हो सकता है यदि शराब रोकी जाय। बड़े-बड़े अधिकारी रिश्वत पैसे के रूप में न लें लेकिन शराब उन्हें जरूर चाहिए और जब शराब उन्हें चाहिए तो फिर यह कपूर होटल, क्लार्क होटल, अशोका होटल, बाम्बे के तमाम होटल जो हैं उनमें जो रंग रेलियां होती हैं, देश का जो चरित्र गिराया जाता है वह न हो? सबसे घातक चीज तो मान्यवर, यह है कि जहरीली शराब, टिचर जिंजर व फेन्टा वार्निश तक पीकर लाखों बे मौत मर रहे हैं। आपने लिखा है इसमें कि हमने एक्साइज इन्टेलीजेन्स ब्यूरो की भी स्थापना कर रखा है। इसकी क्या उपयोगिता है? इन सफेद हाथियों से इस गरीब देश की जनता का पैसा नष्ट करने के लिए आपने बैठा रखा है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये जब से इनके नए-नए ब्यूरो बैठ रहे हैं तब से जहरीली शराब पैदा होती जा रही है जिसे पीने के बाद कफन-दफन में कोई फर्क नहीं पैदा होता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के 27 वर्षों के बाद भी इन्होंने आश्वासन दिया था कि

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक ]

कि महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी तक हम समाप्त कर दगे ! ये कहते हैं कि हम धीरे-धीरे समाप्त कर देंगे । कल, कल-कल मान्यवर, ये कल-कल कहते हैं । इनका कल कल नहीं आएगा ।

आपकी कल ने कल से है बेकल किया, कल को फिर कल पे टाला गजब हो गया ।

कल का वादा न कर, कल की बातें न कर, कल से पहले मेरा वक्फ अंजाम है ।।

मान्यवर; यह बात सही है । इस देश में तो भगवान ने ऐसी चीज बना दिया है समुद्रतट प्रदेश में, नारियल के पानी से, गन्ना के रस से और मान्यवर, जो तमाम पेय पदार्थ हेतु हैं उनको वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित करना चाहिए । यह राजनीति से परे एक प्रश्न है । इतिहास साक्षी है । इतिहास आपको क्षमा नहीं करेगा । यह बहुत ऊंचा सवाल है । इसमें सरकार के करने, छूने, बैठने का सवाल नहीं है । आप हर बात में जो यह कह जाते हैं, यह आज आपकी कसौटी है । आज उसका आंकना परीक्षा है । जिन मित्रों ने परोक्ष में या प्रत्यक्ष में मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं । मैं सदन से यह अपील करूंगा कि मेरे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे ।

डाक्टर चरण सिंह—

मैं माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मेरे आबकारी के बजट पर अपने विचार व्यक्त किए और अच्छे सुझाव दिए तथा आलोचना भी की । मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आबकारी विभाग की बुनियादी पालिसी मद्यनिषेध की है और जैसा कि संविधान के अन्दर यह उल्लेख है कि आहिस्ता-आहिस्ता हम नशीली चीजों को खत्म करेंगे । उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है । जब कि आप जानते हैं कि मद्य-निषेध की मद में लगभग 4 लाख रुपया रखा जाता था पहले वर्ष में, लेकिन इस वर्ष इस मद पर 8 लाख रुपया रखा गया है और मद्यनिषेध के सम्बन्ध में बहुत से प्रयत्न भी किए हैं । मद्य-निषेध का प्रचार किया जाता है । मैं बताना चाहता हूं कि अगर लोगों में, सामने अखबारों में, और जगहों पर मद्यनिषेध का प्रचार होगा तो लोगों के दिमाग पर जरूर असर पड़ेगा । अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो किस तरह से होगा । मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बता देना चाहता हूं कि देशी शराब या विलायती शराब की कोई भी नयी दुकान इस साल नहीं खोली गयी है । इसलिए मेरा निश्चित मत है कि आहिस्ता-आहिस्ता यह खत्म होगी । इसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है । शराब के पीने से घर का सारा सुख छिन जाता है, फिर कोई साहब पीते हैं तो उसके लिए क्या किया जा सकता है । "किसी के दस्ते नाज से उड़ा गये जनाबे शैख, हजार हम कहा किये शराब है शराब है ।" हम तो कहते हैं कि न पियें यह बुरी चीज है लेकिन अगर कोई पीना ही चाहता है तो हम उसको अच्छी चीज देंगे और उसको इस पर रेवेन्यू देना पड़ेगा । माननीय कौशिक जी ने कमिश्नर के लैटर के बारे में कहा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरा आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि मेरी एक सूचना को दे दें । परसाल बहुत सी एप्लीकेशन्स इनवाइट की गयी थी बिलायती शराब की दूकान खोलने के सम्बन्ध में । हजारों लोगों ने एप्लाई किया था । सरकार अगर लाइसेंस नहीं दे रही वह तो अच्छी चीज है लेकिन उन लोगों से जो रुपया जमा करवाया गया था उसका क्या हुआ ?

डाक्टर चरण सिंह—

मैं अभी इसकी सूचना देता हूं । पिछले साल एप्लीकेशन्स मंगायी गयी थी और 25 रुपया हर एप्लीकेशन पर रखा गया था । लेकिन आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि इस पर निर्णय हो गया है और हमने डी0 एम0 से कह दिया है कि उनका रुपया वापस कर दिया जाए और कोई दुकान नहीं खुलेगी । आगे क्या होगा उसके लिए मैं बचनबद्ध नहीं हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

पुराने शराब के लाइसेन्सी हैं क्या उनकी मोनोपली को बरकरार रखा जाएगा ? ठेकेदारों को देने में क्या एतराज है ?

डाक्टर चरण सिंह—

जवाब मिलेगा। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि अल्कोहल के मुतल्लिक माननीय सदस्यों की भावना है कि यह जितना उत्पन्न होता है, वह सब शराब के बनाने के काम आता है और शराब के नशे में बढ़ोत्तरी हो रही है। यह ठीक बात नहीं है। मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। पिछले साल 1973-74 में 103 मिलियन लीटर अल्कोहल बना था। वर्ष 1974-75 में 120 मिलियन लीटर अल्कोहल बना था जिसमें से सिर्फ 20 मिलियन लीटर मदिरा बनाने के काम आया और बाकी 100 मिलियन लीटर में से 35 मिलियन लीटर दूसरे प्रदेशों को जा रहा है और शेष जो 65 मिलियन लीटर अल्कोहल रहा वह प्रान्त के उद्योगों को जिनमें अल्कोहल की आवश्यकता पड़ती है, और फार्मेसीज को दिया जाता है। जितना भी अल्कोहल हमारे प्रदेश में तैयार होता है उसका केवल 16 प्रतिशत ही पेय मदिरा के लिए प्रदेश में रहता है और उसमें भी उस मदिरा की सारी खपत हमारे प्रदेश में नहीं होती है और बाहर भी जाता है। हमारे यहां पर जो वृद्धि हुई है उसके कई कारण है। एक तो यह है कि डिनेचर्ड स्प्रिट जो पहले गरीब लोग इस्तेमाल करते थे, उसमें प्रोटन एलडिहाइड, पिरिडीन तथा मैथिलीन ब्लू का प्रयोग किया जा रहा है तो अब लोग उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से भी शराब का प्रयोग बढ़ा है। क्योंकि इन चीजों के मिश्रण वाली जो डिनेचर्ड स्प्रिट पीते हैं, उनको उल्टी होने लगती है। इसके साथ-साथ जो अवैध शराब बनायी जाती थी उस पर भी बहुत से प्रतिबन्ध लगाए जा रहे हैं और इसकी वजह से उस वैध शराब की खपत बढ़ी है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने यह भी शिकायत की है कि शराब के ठेके या दुकानें, स्कूल, कालेजेज, मंदिरों, मस्जिदों के पास या लेबर कालोनीज में हैं हालांकि वह नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा निवेदन है कि जो पहले की दुकानें थीं, उनको वहां से हटाना मुश्किल है लेकिन जो नई दुकानें खुलेंगी, उनके लिए हम वचनबद्ध हैं। इस बारे में जहां से शिकायत आती है, उसको भी दूर करने का हम प्रयास करते हैं।

बांदा के बारे में शिकायत आई कि वहां पर एक गांव में दुकान चल रही है। इस साल तो नहीं लेकिन उसके लिए हमने आर्डर दे दिया है कि अगले साल से वहां पर नहीं खुलेगी। इसके लिए आर्डर हो चुके हैं।

इसी जिले बांदा में जो देशी शराब की दुकानों का नीलाम किया गया है उसके मुतल्लिक यह कहना चाहूंगा कि इसके लिए हमारी यह नीति रही है कि अलग-अलग तरीके से अलग-अलग इन्डीविजुअल आक्शन्स हों और इसके ऊपर कार्यवाही भी हुई है बहुत सी जगहों पर लेकिन कुछ जगहों पर जहां नहीं हो सकी है, मोनोपोली चल रही है, प्रयास है कि वह न चले।

अलीगढ़, हाथरस, बांदा और झांसी में रिआक्शन की बात भी आई। अलीगढ़ के बारे में यह शिकायत थी कि जो ठेका 5 लाख में छोड़ा गया वह 7 लाख में छोड़ा जा सकता था। हमने उस पर डी0 एम0 की रिपोर्ट मंगाई और यह कहा कि अगर वे 1/6 हिस्सा जमा कर दें तो रिआक्शन करा दिया जाय लेकिन जिन्होंने तार दिया था, उन्होंने वह रुपया ही जमा नहीं किया इसलिए रिआक्शन नहीं हुआ।

बांदा में दूसरी पार्टी ने 1/6 हिस्से का 2 1/2 लाख रुपया भी जमा किया और डी0 एम0 ने सिफारिश की थी कि दुबारा नीलाम किया जाय इसलिए हमारे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन एकाधिकार को समाप्त करने के लिए सरकार ने आर्डर कर दिया कि एक-एक का नीलाम हो, लाट्स में नीलाम न किया जाय। हमारी नीति भी है कि एक-एक दुकान को

[डाक्टर चरण सिंह]

नीलाम किया जाय। इस रिआक्शन के डेढ़-दो लाख बड़ा भी है। लेकिन झांसी में रिआक्शन में 10 लाख बड़ा और अब वहां पर तीसरी बार भी फिर, आक्शन होने वाला है, शायद कल ही होगा। दो-तीन जगह छोड़ कर बाकी हर जगह आक्शन ठीक हुआ और उस आधार पर हुआ जैसा उनको सूचित किया था ?

एक बार एक माननीय सदस्य ने कही थी कि सिन्थेटिक केमिकल्स को 1972 में एक सेक्रेटरी ने नाजायज तौर से अल्कोहल भेजा है जैसा कि अखबारों में छपा है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैंने जो पूछा था कि मन्त्रि-परिषद् का निर्णय भी हुआ था कि नीलाम किया जायगा, तो नीलाम की पालिसी का सवाल है कि सारे उत्तर प्रदेश में विलायती शराब की मोनोपली को खत्म किया जायगा। फिर नीलाम करने में क्या कठिनाई है ?

डाक्टर चरण सिंह—

सिन्थेटिक केमिकल्स की बाबत यह कहूंगा कि जो पहले सचिव थे उनका भी कोई कसूर नहीं है। 1972 में ऐसा हुआ कि यहां अल्कोहल का उत्पादन कम हुआ और गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने इजाजत दे दी बाहर से अल्कोहल सिन्थेटिक रबर वालों को देने की। यह सचिव सन् 1973 में आए हैं, एक साल बाद। तो इनका उसमें हाथ नहीं हो सकता।

जो काशीनाथ जी ने फरमाया कि अंग्रेजी शराब की दुकानों की नीलामी होनी चाहिए, उसमें पहले तो हमारे ऊपर स्टे आर्डर था। वह खत्म हुआ। लेकिन विचार करने के बाद यह महसूस किया गया कि इसमें कई दिक्कतें होंगी। पहली दिक्कत तो यह होगी कि ये दुकानें शहरों में वाकय हैं और अगर दूसरों को ठेका मिला तो उनको दुकान मिलनी मुश्किल हो जायगी। दूसरे, देशी शराब के बारे में तो हमारे बांडेड वेयर हाऊसेज हैं, हम वायदे के मुताबिक उनको शराब दे देते हैं लेकिन विलायती शराब की दुकानों की नीलामी के वक्त हम यह आश्वासन नहीं दे सकते कि इतनी शराब हम देंगे क्योंकि यह बाहर से आती है। इसलिए उसकी पूर्ति करनी मुश्किल हो जायगी। इसलिये इनकी नीलामी करना मुश्किल होगा।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

कच्ची शराब जो बन रही है, जो शीरे से तैयार करते हैं। उस पर कोई पाबन्दी नहीं है। तो क्या उस पर पाबन्दी लगायेंगे ?

डाक्टर चरण सिंह—

मोलैसेज हमारे प्रदेश का एक खास प्रोडक्शन है और उस पर नियन्त्रण रखने के लिए कुछ कायदे बने हैं जिससे उसके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों पर नियन्त्रण रखते हैं। 1973-74 में 65 लाख क्विन्टल मोलैसेज हुआ था और 1974-75 में साढ़े 56 लाख क्विन्टल हुआ था। डेढ़ लाख क्विन्टल बाहर देते हैं जिस पर 10 रुपये प्रति क्विन्टल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज करते हैं। इस पर नियन्त्रण रखने से लाभ होता है। हमने 1 करोड़ रुपया मांगा है। इसमें यह है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल बढ़ाने जा रहे हैं, असिस्टेन्ट कमिश्नर और क्लास 1 आफिसर डिस्टिलरी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रखेंगे ताकि वह नियन्त्रण रख सकें। इससे जो इन्डस्ट्रीज अल्कोहल पर आधारित हैं उनको सप्लाई कर सकेंगे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दीनेरिया (जिला आगरा)—

अभी मन्त्री जी ने बताया था कि यह ठेके स्कूल, मस्जिद, मन्दिर के पास नहीं होंगे। तो इसका कोई फासला भी है कि कितनी दूरी तक यह ठेके नहीं होंगे ?

डाक्टर चरण सिंह—

लगभग 200 मीटर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह आपस में बातचीत कृपया न करें।

श्री देव बहादुर सिंह—

मन्त्री जी ने कहा कि अगर विदेशी शराब हम नीलाम करेंगे तो यह हो सकता है कि जितनी क्वान्टिटी हमको सप्लाई करना चाहिए वह हम न कर पायें। इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि जब आप उतनी क्वान्टिटी जितनी कि आवश्यक है सप्लाई न कर पायें तो उसी हिसाब से आप ठेके के पैसों में कमी कर दें।

डाक्टर चरण सिंह—

इस पर विचार किया जाएगा। अब मैं माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वे अपनी कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और यह सदन इस अनुदान को पास करे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

वापस लेने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,82,02,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में सुजाता कांड की चर्चा है। उसमें बड़े-बड़े आफिसर और दिल्ली तक के लोग शामिल हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्यामा मिश्र, माननीय हरिकेवल, माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा तथा माननीय काशीनाथ मिश्र की सूचनायें एक ही विषय से सम्बन्धित हैं, कानपुर में बिजली की पूर्ति बन्द होने के सम्बन्ध में, उसको मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है ...(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

हमने एक नियम 56 में जो दिया था .....

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैंने सवेरे बता दिया। कह दिया कि वह जुड़ जाएगा।

अब एक और माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह, माननीय सत्यपाल मलिक, माननीय सत्य सिंह का है, अग्नि कांड के सिलसिले में, उसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। दोनों एक में मिला कर। (व्यवधान) आज दो को तो स्वीकार किया। ...

(व्यवधान)

एक की जगह दो स्वीकार कर लिया। फिर दोहराते रहें, आपका भी नम्बर आ जाएगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैंने भी कल दिया था और दोहराया भी था।

श्री अध्यक्ष—

आप फिर उसे दोहराइए।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने एफ नियम 51 में दिया था, प्रभात अखबार जो मेरठ से निकलता है उसके एक सम्वाददाता के सम्बन्ध में। पुलिस और असामाजिक तत्वों ने उनके ऊपर प्राण-घातक प्रहार किया था जब वे मेरठ अपने छोटे भाई के पास गए थे जो टाइम्स आफ इंडिया और नवभारत टाइम्स के सम्वाददाता हैं। वे मेरठ अस्पताल में पड़े हुए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए इसे आप स्वीकार कर लें। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

आप कल दीजिएगा।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मैंने 24 मार्च को नियम 56 और नियम 51 में दिया था और 2 अप्रैल, 1975 को नियम 52 में दिया था, इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी, लखनऊ के बारे में। अभी तक उस पर आप का कोई निर्णय नहीं हो पाया है।

श्री अध्यक्ष—

नियम 52 में जो आपने दिया है वह तो आपको लिख कर गया होगा। 52 पर तो वहीं निर्णय करके उसे भेज दिया जाता है। उस पर निर्णय कर चुका हूं, वह आपको जाता होगा।

श्री राम अधार—

मान्यवर, मैंने सुजाता कांड के सम्बन्ध में दिया था।

श्री अध्यक्ष—

उस पर असरार साहब का भी है, दोनों को मैंने स्वीकार कर लिया है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि आमतौर से यह चर्चा हो रही है कि इसमें मन्त्री, विधायक तथा अन्य लोग शामिल हैं, और इसलिए इसको छिपाने की कोशिश होगी, तो क्या इस परिस्थिति में गवर्नमेंट इसकी इन्क्वायरी सी0 बी0 आई0 से कराएगी, यह मैं केवल जानकारी के लिए जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपने तो बयान के लिए मांग की है? इस वक्त अलग से कोई चीज हम कैसे कर सकते हैं।

**आजमगढ़ जिले में शारदा नहर के टूटने व उससे फसल के नुकसान के सम्बन्ध में वक्तव्य**

सिंचाई मन्त्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)—

आजमगढ़ जिले में शारदा सहायक नहर के 28/29 मील पर खन्डवारी मौजा स्थित है। इसके आस-पास धान का एक बहुत बड़ा चक है जिसकी सिंचाई के लिए प्राय: काश्तकारान नहर काट लिया करते हैं। यह रजबहा बहुत मरोव में है। इसलिए इसके स्वयं भी टूट जाने की सम्भावना रहती है। इस क्षेत्र में अधिकतर धान की खेती होती है अतएव नहर टूटने या कटने से धान की ही सिंचाई हो जाती है।

दिनांक 16 अगस्त, 1974 को इस स्थान पर नहर टूटी थी परन्तु वर्षा न होने के कारण खेतों में पानी की अत्यन्त आवश्यकता थी और 128 एकड़ जड़हन धान की

सिचाई हो गई। शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत पोषक नहर चलने पर इन नहरों में इस वर्ष काफी मात्रा में पानी आया तथा आरम्भ के दिनों में काश्तकारों ने जगह-जगह नहरें काट कर सिचाई की।

दिनांक 12/13 नवम्बर, 1974 की रात्रि को आजमगढ़ रजबहे के मील 28/29 पर स्थित खन्डवारी ग्राम के पास नहर टूटी थी। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार पहले कुछ व्यक्तियों ने नहर काटी थी किन्तु पानी अधिक होने के कारण काश्तकार नहर पर नियन्त्रण नहीं कर सके तथा उसने एक बड़ी खांदी का रूप धारण कर लिया। विभाग द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 1974 को खांदी को बन्द कर दिया गया परन्तु इस बीच करीब 9 घंटे तक पानी चला।

अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खन्ड-32, आजमगढ़ ने दिनांक 17 नवम्बर, 1974 को खाँदी के मौके का निरीक्षण किया तथा नुकसान के बारे में प्रारम्भिक जांच की। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, शारदा ने भी दिनांक 20 नवम्बर, 1974 को स्थल का निरीक्षण किया तथा खांदी से प्रभावित लोगों से बातचीत की। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, शारदा ने स्थानीय अधिकारियों को आदेश दिया कि सम्बन्धित काश्तकारों को उचित मुआवजे का भुगतान कर दिया जाय तथा उक्त स्थान पर नहर 1975 में पक्की कर दी जाय ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

उक्त खांदी से काश्तकारों को कुल 2160 रुपये की हानि हुई है जिसमें से 1958 रुपया सम्बन्धित काश्तकारों को दिनांक 23 फरवरी, 1975 तक वितरित किया जा चुका है। शेष रुपया 202 की धनराशि सम्बन्धित काश्तकारों की अनुपस्थिति के कारण वितरित नहीं की जा सकी। उन्हें भुगतान प्राप्त करने हेतु पुनः सूचित किया जा चुका है। क्षति का मुआवजा तहसीलदार द्वारा अनुमोदित मुआवजे की दरों के आधार पर निश्चित किया गया है।

रीवां और खन्डवारी ग्राम में कुल 26.11 एकड़ क्षेत्रफल में खांदी का पानी पहुंचाने के कारण गेहूं, चना व लतरी का बीज नष्ट हो गया। इस सूची पर ग्राम प्रधान, खन्डवारी की भी तसदीक है तथा हानि प्रमाणित की गई है कि इसके अलावा और कोई हानि नहीं हुई है। धान की फसल के करीब 25 एकड़ में पानी चला गया था परन्तु उससे कोई हानि नहीं हुई।

विभागीय अधिकारियों ने सहानुभूतिपूर्वक क्षेत्र का दौरा किया और जो राहत काश्तकारों को पहुंचाई जा सकती थी, पहुंचाई गई।

श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़)— मान्यवर, यह मन्त्री महोदय ने जो रिपोर्ट पढ़ी है वह बिलकुल हकीकत के खिलाफ है। 26 नवम्बर को मैंने उनको एक रिपोर्ट दी जो 13 पेज की थी, 13 पेज में लिख कर दिया था। जिसमें काश्तकारों के नाम, खेत का नम्बर, रकबा, नुकसान जितना हुआ और मालियत क्या थी, वगैरह उसमें सब बातें थीं। 13 पेज की रिपोर्ट दी थी। जिस पर आपने हुक्म दिया कि 10 दिन के अन्दर एडीशनल चीफ इन्जीनियर जो हैं जाकर मौके पर देखें। लेकिन उसके बावजूद चीफ इन्जीनियर साहब नहीं गए। 3 जनवरी, को मैंने, श्री रामअधार और बहुत लोगों ने लिखकर दिया कि अब तक कोई नहीं गया। तो मैंने फिर 30 जनवरी को लिखा कि मौके पर चल कर देखें कि क्या हालत है। तो आपने आदेश दिया कि इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर मौके पर जायं और मुझे भी साथ बुला लें। लेकिन इसके बावजूद वह नहीं गए तो मैंने एक काम रोको प्रस्ताव पेश किया था, उसमें हुआ यह कि 18 फरवरी को जिस दिन असेम्बली खुलने वाली थी, आप वहां रहें वह जायेंगे। तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 26 नवम्बर को मैंने दरख्वास्त दिया, और आपने आदेश किया कि इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर साहब जायं तो

[ श्री मुहम्मद मसूद खां]

वह किस दिन गए, कब गए। दूसरी बात, 13 पेज की रिपोर्ट दी गयी है जिसमें सब कुछ तफसील से लिखा है कि इतना नुकसान हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो यह 13 पेज की रिपोर्ट दी गयी उस पर किसी ने कुछ आपको बताया कि यह सही है, यह गलत है, अगर नहीं गया तो भी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जहां तक इसका सवाल है, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर वह तो फौरन मौके पर अगले रोज पहुंच गए।

श्री मुहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, 26 नवम्बर को मैंने रिपोर्ट दी है और मैं चैलेंज करता हूं। (कुछ रुक कर)

मैं फिर सवाल को दोहराता हूं। 26 नवम्बर को जब हमने रिपोर्ट दिया जिस पर आपने आदेश दिया कि 10 दिन के अन्दर जायं। उसके बाद भी दरख्वास्तें दी लेकिन कोई नहीं गया। तो मान्यवर, मुझे यह बतायें कि कब वह गए, किस दिन गए, किस तारीख को वह गए ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

चीफ इन्जीनियर दिनांक 1 मार्च, 1975 को खुद गए और आपको इत्तिला दी कि आप मेहरबानी करके आ जायं। तेजपाल सिंह, ब्लाक प्रमुख पडरौना को अपने साथ ले लें। लेकिन वह प्रमुख थे इसलिए वह भी चीफ इन्जीनियर को मिलें आजमगढ़ में लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वहां नहीं जा सकता। तो चीफ इन्जीनियर दिनांक 1 मार्च, 1975 को वहां मौके पर गए और खन्डवारी ग्राम के प्रधान और ब्लाक प्रमुख और अन्य लोगों के साथ मिल कर उन्होंने पूरी जांच की.....

श्री मुहम्मद मसूद खां—

मैंने कहा कि अगर वह एक महीने के अन्दर भी जाते जब कि मैंने आपको लिखा था नवम्बर के महीने में तो कोई सबूत या शहादत की जरूरत नहीं थी। मैं जानना चाहता हूं कि जब आपके स्पेसिफिक आर्डर्स हों, तीन-तीन मरतबे तब भी, उसके बावजूद भी दो-ढाई महीने के अन्दर नहीं जाते और उसके बाद जाकर रिपोर्ट जो उन्होंने दी तो उसका आधार क्या है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

उसके बारे में मैं जरूर मालूम करूंगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष जी, माननीय मसूद खां ने आरोप लगाया है कि माननीय मन्त्री जी ने 28 नवम्बर को आदेश दिए कि 10 दिन के अन्दर जाकर रिपोर्ट दो। मगर वह नहीं जाते हैं और बाद को अब थोड़े दिन पहले जाते हैं और आपने उसके आधार पर डेढ़ पृष्ठ का वक्तव्य पढ़ा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उनको कैसा लगता है कि उनके आदेश का पालन उनके अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो वह क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मैंने अर्ज किया कि उन्होंने मसूद साहब को इत्तिला दी कि मैं 18 फरवरी को जाना चाहता हूं और आपने तब यह फरमाया कि असेम्बली हो रही है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तब फिर चीफ इन्जीनियर ने दिनांक 1 मार्च, 1975 की तारीख मुकर्रर की।

श्री मुहम्मद मसूद खां—

मुझे इसकी कोई इत्तिला नहीं दी।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

उसमें तो उन्होंने यह लिखा है कि आपकी उनकी जबानी गुफ्तगू भी हुई।

श्री मुहम्मद मसूद खां—

मेरी उनकी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मैं उनको पहचानता भी नहीं हूं कि कौन इन्जीनियर साहब हैं।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

अब उसके बाद वे श्री तेजपाल सिंह, जो प्रधान पड़रोना के हैं.....

श्री मुहम्मद मसूद खां—

पड़रोना हमारे जिले में कोई जगह ही नहीं है (हंसी) वह गोरखपुर या देवरिया पहुंच गए होंगे ।

श्री अध्यक्ष—

यह आजमगढ़ का मामला है। मसूद साहब, आपका मामला तो आजमगढ़ का है.. ..

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

पड़रोना नहीं, बतरौना मैंने कहा है। यह गांव आपके जिले आजमगढ़ में है

श्री मुहम्मद मसूद खां—

वह चिरैकोट में कोई गांव होगा जो एक दूसरी तहसील है जहां से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

कहीं मैं मन्त्री होता इनकी जगह पर तो मैं इस्तीफा देकर चला जाता। (हंसी)

श्री अध्यक्ष—

अच्छा हुआ जो आप नहीं हैं। बहुत छोटी-छोटी बात पर इस्तीफा देने से कहीं काम चल सकता है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

श्रीमन्, यह छोटी बात नहीं है। इस पर इनको लज्जा आनी चाहिए कि इनके अधिकारी इनकी बात, इनके आदेश का पालन नहीं करते। माननीय मन्त्री जी इतने सीधे हैं कि इनके आफिसर इनकी आज्ञाओं का इस तरीके से उल्लंघन करते हैं। तो इसमें आपको उनको कुछ ऐसा दण्ड देना चाहिए जिससे वे आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन न करें । तीन बार आपने लिखकर दिया, आपने आदेश दिए और उसने तीन बार अवहेलना की। आप इस बात को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं । इस तरह से हल्के तौर से बात को टालने से काम नहीं चलेगा। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या उस चीफ इन्जीनियर के खिलाफ कोई ऐसा डिसिप्लिनरी ऐक्शन लेने के लिए वह तैयार है जिसने मन्त्री जी के आदेशों का तीन-तीन बार पालन नहीं किया?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मैंने तो अर्ज किया कि 2-3 आर्डर्स दिए गए हैं और अगर पूरी तरह तामील नहीं किया गया तो यकीनन ऐक्शन लिया जाएगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, क्या मन्त्री जी इस बात को जानते हुए कि माननीय सदस्य आजमगढ़ ने इस सम्बन्ध में कोई मौखिक बातचीत नहीं की और इन्जीनियर ने स्टेटमेंट में बताया कि मौखिक बात किया। तो सफेद झूठ बोलने वाले इन्जीनियर को तत्काल मुअत्तल करने के क्या आदेश देंगे?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अब्दुल बाकी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से मन्त्री महोदय से एक सवाल करना चाहता हूं कि यही इन्जीनियर हैं जिसने हमारे परदहा ब्लाक के गांव; हरपुर में जहां सरकारी ट्यूबवेल लगा हुआ है। सवाल पूछे जाने पर जवाब दिया कि उससे सिचाई हो रही है और मैंने इन्क्वायरी किया तो उस ट्यूबवेल से साल भर से सिचाई हुई ही नहीं। सिर्फ हैन्ड पाइप से पानी आता है उसने फिर घपला किया है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो इन्जीनियर लगातार जनता को और हाउस को गुमराह कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

उसका तो इससे ताल्लुक नहीं है। फिर भी मैं देख लूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि कोई बात नहीं हुई और इन्जीनियर ने कहा कि बात हुई। तो क्या उसको मुअत्तल करने के आदेश देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी कह तो रहे हैं कि दिखवा लेंगे। पता नहीं अभी यहां पढ़ने में भूल हो या क्या हो तो उसको देखने के लिए कह तो दिया है।

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)—

मान्यवर, 20 नवम्बर को एडीशनल चीफ इन्जीनियर ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और आदेश दे दिया। दुबारा भेजने का सवाल इसलिए होता है कि एम० एल० ए० सन्तुष्ट हो जायं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है .....

**टिहरी डाम से विस्थापित हजारों किसानों के पुनर्वासन की व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 53 के अन्तर्गत चर्चा**

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने टिहरी की 35 हजार दुखी जनता की कथा सुनने का मौका इस सदन को दिया है। मान्यवर, चर्चा हो रही थी तो मैं उम्मीद करता था कि माननीय मुख्य मन्त्री सदन के अन्दर होंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे, मुझे यह भी उम्मीद थी कि पर्वतीय क्षेत्र से आने वाले हमारे वित्त मन्त्री जी तो होंगे ही चूंकि मुख्य मन्त्री जी नहीं हैं। वह भी गायब हैं। एक दूसरे मन्त्री हमारे यहां के थे श्री बलदेव सिंह आर्य जी तो वह अभी बैठे थे लेकिन इसका सवाल आया तो वह भी चले गए। यह हमदर्दी है पर्वतीय क्षेत्र से। हमसे कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए टिहरी में एक विशाल डाम बनाया जाएगा, महत्व पूर्ण लक्ष्य रखे गए थे। एशिया के अन्दर सबसे ऊंचा बांध बनाया जाएगा जो कि दूसरे नम्बर का बांध होगा। यह बांध साढ़े आठ सौ फीट ऊंचा बनने जा रहा था। इन्कोचमेंट एरिया 7 हजार वर्ग किलो मीटर होगा। सिचाई की क्षमता नई भूमि की 60 लाख एकड़ जमीन होगी। और 35 लाख एकड़ जमीन ऐसी होगी जिसमें सिचाई के साधन हैं लेकिन इस डेम से उन सिचाई के साधनों में वृद्धि होगी और इस डेम से साढ़े 6 सौ मेगावाट बिजली पैदा होगी और उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी मांग यह टेहरी का डैम पूरा करेगा। यह सारी बिजली टेहरी डैम से पहाड़ों को नहीं मिलेगी। जब पहाड़ों का जिक्र आता है तो काशी नाथ मिश्र के कथनानुसार ऐसा प्रतीत होता है मानो उत्तर प्रदेश का सारा बजट हेमवती नन्दन बहुगुणा और नारायणदत्त तिवारी जी पहाड़ों को भेज देंगे। सिचाई इस टेहरी डैम से पहाड़ों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में नहीं होगी ; पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगी। 60 लाख एकड़ जमीन को टेहरी का डैम सिंचित करेगा जो पहाड़ों में नहीं होगी और 35 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई में जो वृद्धि होगी वह जमीन पहाड़ों में नहीं होगी, वह उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में होगी। बिजली जो बनेगी मैं यकीन के साथ कहता हूं कि वह बिजली पहाड़ों को न मिल कर मैदानों में नए-नए कारखानों को मिलेगी। कालागढ़ का जो डैम बना उससे कितनी बिजली गढ़वाल को मिली तथा कितना पानी टेहरी को मिला। टेहरी की बिजली तथा पानी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके को मिलेगा लेकिन टेहरी की जनता का क्या होगा ?

एक सदस्य—

टेहरी भी तो उत्तर प्रदेश में है ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

22 गांव वहां के पूरी तरह से जलमग्न हो जायेंगे। 70 गांव आंशिक तरीके से जलमग्न हो जायेंगे और 9 गांवों की जमीन ले ली जायगी। जिन लोगों ने टेहरी को नहीं देखा है उनको जरूर यह अहसास नहीं हो सकता टेहरी की जनता का दर्द। टेहरी के अन्दर सबसे उर्वरक जमीन घाटियों के अन्दर है और आपको ताज्जुब होगा कि गेहूं की पैदावार प्रति एकड़ रिकार्ड टेहरी तथा उत्तर काशी ने कायम किया है और ऐसी उर्वरक धरती को आप डुबाने जा रहे हैं, टेहरी के इतिहास, संस्कृति को डुबाने जा रहे हैं और आज हमारे सामने प्रश्न टेहरी के भविष्य का है। टेहरी की जनता ने कुर्बानियां दी हैं और वहां की जनता आज भी कुर्बानी देने को तैयार है। देश की रक्षा के लिए हमारे यहां के नौजवान ने हमेशा कुर्बानी दी है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी टेहरी तथा उत्तर काशी की जनता कुर्बानी देने के लिए तैयार है लेकिन क्या यह प्रदेश भी वहां की जनता के साथ कोई हमदर्दी रखता है। आखिर 35 हजार घर वहां के बेघर हो जायंगे जब कि रहने के लिए पहले से ही लगातार 10 वर्षों से सवाल आ रहा है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

एक जानकारी करना चाहता हूं। डैम के बनने से हजारों किसान विस्थापित हो गए हैं अथवा होने वाले हैं इस पर जरा माननीय सदस्य रोशनी डाल दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अफसोस तो यह है कि काशीनाथ मिश्र अपने को सुपर मिनिस्टर समझ बैठे हैं, यह मुगालता उनको हो गया है वे समझते हैं कि मन्त्री जी को अक्ल नहीं है, जवाब उन्हीं को देना है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

अगर वहां के लोग विस्थापित नहीं हुए हैं तो भविष्य में क्या होगा, इस पर कैसे बहस हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष—

आप जानकारी प्राप्त कर लें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, पिछले सालों जब माननीय कमलापति जी मुख्य मन्त्री थे, तब काशीनाथ जी नहीं थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस डैम पर काम होना तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि वहां के विस्थापितों के पुनर्वासन की पूर्ण व्यवस्था नहीं हो जाती। वहां की तमाम जमीन एक्वायर कर दी गई, टेहरी शहर की तमाम जमीन एक्वायर हो गई है, इस बात को मंत्री जी इकबाल करते हैं। टेहरी का विकास रुक गया है कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है। टेहरी ऐसे स्थान पर बसा है जहां कि गंगा और भिलंगना का संगम है, तीर्थ स्थान है, वह इस डैम से डूब जाएगा। उस घाटी के अन्दर आप नहर नहीं खोद सकते हैं, सड़क नहीं बना सकते हैं, स्कूल नहीं बना सकते हैं, भवन नहीं बनवा सकते हैं, पुल नहीं बना सकते हैं और यह इसलिए कि

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

कहा जाता है कि ये सब डैम के बनने के कारण डूब जायेंगे। एक तरफ टेहरी के अन्दर डैम बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इसके लिए केन्द्रीय सरकार पैसा देने वाली नहीं है। लगातार आपकी कोशिशों के बावजूद, मुख्य मन्त्री की कोशिशों के बावजूद पैसा नहीं मिल रहा है। प्लानिंग कमीशन से बात हुई लेकिन एक भी पैसा वह इसके लिए देने के लिए तैयार नहीं है। तीन सौ करोड़ रुपए की यह योजना है और इतनी बड़ी रकम आपके पास नहीं है। आज प्रदेश और देश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसके बारे में कहा जा सकता है कि आने वाले जमाने में भी यह वित्तीय संकट सुधरने नहीं जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी यह प्रायोजना है इसमें हजारों इन्सानों के भविष्य का सवाल है किन्तु इस प्रदेश का कोई भी सिंचाई मन्त्री टेहरी नहीं गया है। उनको कोई अन्दाज नहीं है, उनको वहां की भौगोलिक स्थिति का कोई ज्ञान नहीं है।

मान्यवर, हकीकत इसकी क्या है ? कोई मन्त्री वहां इसलिए नहीं जाना चाहता है वहां जाने की किसी की हिम्मत ही नहीं है। उनको डर है कि कहीं टेहरी के अन्दर जाकर उसके निर्माण के बारे में कि वह कब शुरू होगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। उसके निर्माण के बाद वहां के विस्थापितों को बसाने का सवाल आएगा उसके बारे में वे वहां जाकर कुछ नहीं बता सकते हैं। इस डर से कोई मन्त्री वहां नहीं जाता है और न जाने की ही हिम्मत करता है। माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि यह 300 करोड़ की योजना है और बाकी जो धन मिलेगा उसमें प्रायोजना को पूरा करने में लगभग 10 वर्ष लगेंगे। जब इनको पैसा मिल जाएगा तब 10 वर्ष लग जायेंगे और अभी से बल्कि पिछले दो-तीन सालों से आपने पूरे जिले का विकास अवरुद्ध कर रखा है। वहां मकानों की मरम्मत नहीं हो सकती है, नोटिफिकेशन दिए हुए 2 वर्ष हो गए हैं। जब आप जानते हैं कि आप डैम बनाने की स्थिति में नहीं हैं तो क्यों आप जमीन को एक्वायर कर रहे हैं। क्या आप उन पर अफसरों के क्वार्टर बनायेंगे ? मान्यवर, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप 35 हजार इन्सानों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ न करें। काशीनाथ मिश्र जी को क्या मालूम है कि वहां क्या स्थिति है। अगर उन्हें उस जमीन को छोड़ना पड़े जहां उनके बाप-दादा और वे पैदा हुए हों तो उनके दिल पर उसका क्या असर पड़ेगा ....

श्री काशीनाथ मिश्र—

कई बार गंगा की धारा में विलीन हो चुका हूं। मैं स्वयं विस्थापित हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

इनको मजाक हो रहा है और हर चीज को हल्के ढंग से ही लेना चाहते हैं।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)—

माननीय नेगी जी, माननीय काशीनाथ जी का कहना है कि वे काशीनाथ हैं, बदरीनाथ नहीं हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

वे हो भी नहीं सकते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा आप स्थिति को साफ कर दीजिए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जो जमीन आपने एक्वायर की है उसको डीनोटिफाई कर दें। जब आपके पास साधन नहीं हैं तो कृपा करके पूरी की पूरी पीढ़ी और पूरे जिले के विकास को अनिश्चित काल के लिए अवरुद्ध न करें। हमारे यहां स्कूल खुलने दीजिए, सड़कें बनने दीजिए, नहरें बनने दीजिए। तो इन सब कामों को बन्द मत कीजिए क्योंकि आप जानते हैं कि कम से कम 5 साल तक आप तीन सौ करोड़ नहीं जमा कर सकेंगे। तीन सौ करोड़ का तो आज एक एस्टीमेंट है जब 10 साल बाद आपको रुपया मिल जाएगा तो तीन सौ करोड़ से 30 हजार करोड़ हो जाएगा जिस तरह से आज कीमतें बढ़ रही हैं। मैं निवेदन करूंगा उस वक्त तक आप उस डैम को खत्म कीजिए जब तक आपके पास साधन न हों, जब तक आपको वर्ल्ड बैंक से पैसा न मिल जाय या जब तक आपको सेंटर से पैसा न मिल जाय।

तो मेहरवानी करके मैं निवेदन करूंगा कि हमारी जनता के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर इस ढंग से यही हालत रही तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हमको इस डैम का विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, पुलिस का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और उसमें केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही के लोग नहीं होंगे उसके अन्दर आपकी पार्टी के लोग भी होंगे उस आन्दोलन में जनसंघ के लोग भी तैयार होंगे। बी0 एल0 डी0 के तो सदस्य यहां पर हैं नहीं।

मैं समझता हूं कि इसमें हजारों लोगों के भविष्य का प्रश्न है आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपा करके बहाने बाजी न करें वास्तविकता को देखें। अगर आपकी हैसियत नहीं है तो फिलहाल टेहरी बांध का निर्माण रोक दिया जाय।

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)--

मान्यवर.....

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, आप ही देखें कि इनका भविष्य क्या होगा? मन्त्री जी वह हैं नहीं, जिनको उसकी जानकारी नहीं, वह जवाब देंगे।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

हमारा तो भविष्य ठीक ही है और अब आप अपने भविष्य के बारे में सोचें।

मान्यवर, नेगी जी ने जो कुछ बातें कहीं उसके सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं इस मौके पर और वह मुनासिब भी होगा कि जब कभी भी किसी प्रदेश के किसी अंचल का विकास होता है तो उसमें कुछ न कुछ कुर्बानियां भी करनी आवश्यक होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम विकास भी करें और जिनका विकास करना है वह केवल सरकार की बदौलत पर जिन्दा रहें। उन्हें कुछ अपनी भी कुरबानी देनी होगी। उससे टेहरी वालों को भी लाभ होगा और प्रदेश को भी लाभ होगा। बिजली जो हमारे जीवन के लिए एक कीमती और उपयोगी चीज है जिसके आधार पर हमारी छोटी तथा बड़ी इन्डस्ट्रीज कायम रखनी है आज जिसके न होने से हमारी यह हालत है इन्डस्ट्रीज बन्द हो रही हैं। तो इससे करीब 6 सौ साढ़े 6 सौ मेगावाट बिजली पैदा होगी। हमें दस वर्ष बाद और 15 वर्ष बाद कुर्बानी का पता चलेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए यह कुर्बानी कितनी लाभदायक सिद्ध होगी यह आप कल्पना करते तो आप इस तरह की बात न करते। कुर्बानी की जहां तक बात है वह आप उन लोगों की भी देखें जो घाघरा और यमुना नदी के किनारे बलिया के आस-पास लोग बसे हैं। आज वह लोग बाहर चले गए हैं, बिहार में चले गये हैं। उनकी हजारों एकड़ जमीन मय फसल के दूसरी तरफ चली गई है। वहां पर कितनी लाशें हुई हैं और दोनों प्रदेशों की पी0 ए0 सी0 वहां पर मौजूद है। यही नहीं हरियाणा के साथ जो हमारे इलाके हैं वहां भी यही हालत हुई है। लाशों को वह घसीट कर ले गए। मान्यवर, जहां पर इस प्रकार की परिस्थितियां हों वहां लोगों को कुछ कुर्बानियां देनी ही पड़ेंगी। उनकी भी हम व्यवस्था करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

वह डैम बन भी रहा है या नहीं?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मान्यवर, निश्चित रूप से मैं घोषणा करता हूं कि सरकार पूरी प्रयत्नशील है, जहां से भी होगा गवर्नमेंट आफ इन्डिया से हमारे मुख्य मन्त्री जी एक दफा नहीं, दो दफा नहीं तीन-तीन दफा मिले हैं और हमारे वित्त मन्त्री मिले हैं, उन्हें किसी न किसी प्रकार से इस बात का आश्वासन मिल रहा है कि रुपया मिलेगा और टेहरी डैम की व्यवस्था की जाएगी। मान्यवर, उन्होंने कहा 9 गांव पूरी तरह डूब जायेंगे सड़क, डूब जायेगी। तो आपकी जो नहर हैं उनको जब लोग नाजायज रूप से काटते हैं तो हजारों एकड़ जमीन बह जाती है। आप आजमगढ़

[श्री राज मंगल पाण्डेय]

की बात जानते हैं। तो उससे तबाही हो गई है। नहरों में जब बहाव कम होता है या पानी का फलों कम होता है तो लोग उसे काट देते हैं और बाद में जब पानी बढ़ता है तो कितना नुकसान होता है, इसी तरह से बांध टूट जाते हैं तो हजारों एकड़ जमीन डूब जाती है। यह स्वाभाविक है, जहां-जहां विकास होगा, उस विकास के साथ-साथ हमें कठिनाई भी उठानी पड़ेगी। जब हम जहाज पर चलते हैं तो हमें रिस्क भी उसी प्रोप्रोशन में लेनी पड़ती है? जिस जमीन की नेगी जी ने चर्चा की अगर हम किसी की जमीन लेंगे तो उसे जमीन के बदले जमीन देंगे। जमीन नहीं चाहता तो 12 हजार रुपया फी एकड़ हम उसे देंगे, जो कहीं भी सिंचित जमीन के लिए नहीं है। हम लोगों के यहां सरकार ने 3-3-सौ प्रति एकड़ पर अच्छी से अच्छी जमीन ली है। उसी प्रकार से असिंचित जमीन के लिए 6 हजार रुपया एकड़ पर लेंगे। फिर भी यह कहा जाए कि यह सरकार उदासीन है या वह कहें कि मुख्य मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं—(व्यवधान) और मैं कहूं कि नेगी जी को इतना विश्वास है कि उनके न होने पर भी उनका कार्य अवश्य होगा? इसलिए उनको भी विश्वास है और मुझे भी विश्वास है, जो कुछ कार्य है वह अवश्य पूर्ण होगा। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, जहां तक हम जानते हैं कि धन की व्यवस्था करके सारी प्रोजेक्ट को ठीक से पूरा किया जाएगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—
माननीय, टिहरी डैम....

एक सदस्य—
टिटिहरी नहीं टिहरी है।

श्री ऊदल—
मैं टिहरी ही कह रहा हूं, टिटिहरी जो टांग उठाकर पहाड़ को पैरों पर रखती है, समझती है कि हम रोके हैं वही काशीनाथ मिश्र का हाल है। माननीय, इस टिहरी डैम की महत्ता पूरे देश और प्रदेश के लोग स्वीकार करते हैं। इसमें किसी को—ना तो हमारी पार्टी को और न माननीय नेगी जी को कोई आपत्ति है। यह बनना चाहिये, मैं इसे साफ करना चाहता हूं। कहीं राजमंगल पाण्डेय जी यह न समझें कि कम्युनिस्ट पार्टी या नेगी जी उसका विरोध कर रहे हैं। अक्तूबर, 1974 में मैं टिहरी गया था, वहां नोटीफिकेशन दो साल पहले हो गया, जमीन एक्वायर हो गई, 35 हजार आदमी जो डूब में आयेंगे, उनके बसाने का अब सवाल है। ये ऐसे सवाल हैं जिनका हल करना अभी से जरूरी है। इनको पहले ही से न हल किया गया तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। थम्बा एक जगह है, जहां पर टिहरी के ऊपर कुछ चट्टानें लोगों को पुनर्वासन के लिए बनाई जा रही थीं। लेकिन वह पर्याप्त नहीं हैं। टिहरी डैम को यदि आप बना सकते हैं वह कितने दिनों में पूर्ण होगी यह हम और आप दोनों नहीं कह सकते हैं। जिस तरह से मंहगाई बढ़ रही है और नित्य नई समस्यायें पेश आती हैं इस बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता लेकिन पाण्डेय जी और उनकी सरकार से निवेदन है कि यदि आप मुतमईन हैं इस बात से कि उसे बना सकते हैं, वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकते हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट आपको मदद कर सकती है, तब ठीक है आप इसे बनवाइए नोटीफिकेशन चालू करवाइए। लेकिन बनने की बात है तो 35 हजार लोग जो निकलेंगे, उनके पुनर्वासन के लिए अभी से आप भरसक कोशिश कीजिए। क्योंकि जब दो समस्यायें एक साथ पैदा हो जायेंगी तो उनको हल करना आसान नहीं होगा। सरकार ने यह सबसे ज्यादा बुद्धिमानी का काम किया है, जिसके लिए वह बधाई की पात्र है। रिहन्द डैम के बारे में तमाम रिपोर्ट खराब होते हुए, उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारा पूरा प्रदेश भुगत रहा है। किन्तु इस टिहरी स्थान के बारे में जो सर्वे किया है, उसके बारे में जो स्कीम बनाई है, इसमें से पूरे साल भर हमेशा पानी मिलेगा और बिजली मिलती रहेगी। क्योंकि बर्फ पिघल पिघल कर आती रहेगी बड़ी-बड़ी पहाड़ी नदियों से। यह संकट वहां पर नहीं रहेगा। हम राजस्थान और हरियाणा तक को भी विद्युत संकट से मुक्त कर सकते हैं। इतनी अक्ल हम लोगों

को है। लेकिन जो संकट पैदा हो गया है, जिसकी तरफ माननीय नेगी जी ने टिहरी की जनता की तरफ से मांग की है, मैं उन्हीं बातों को कहना चाहता हूं। आप घोषणा कीजिए कि हम बनायेंगे, साल, दो साल, तीन साल में लेकिन जो 35 हजार विस्थापित होने वाले लोग हैं उनका प्रबन्ध अभी से कीजिए। टिहरी शहर बनना है। वहां अदालतें हैं, सब कुछ है, एक शहर है। कहीं ले जा कर शहर बसायेंगे। उसके लिए भी कोई रूपरेखा आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसका प्लान अभी से करना चाहिए।

मैं माननीय राजमंगल पाण्डेय और उनकी सरकार से चाहूंगा कि वह इस बात की घोषणा आज करें। मैंने व्यक्तिगत तरीके से घूम कर देखा है, शहर और गांवों में जा कर देख आया हूं। जहां तक बारह हजार रुपए प्रति एकड़ का सवाल है, उस पर शंका मत करें, माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह ने कहा कि हमको 6 हजार एकड़ मिल जाय तो हम अपनी सारी जमीन बेच दें। पहाड़ की जो जमीनें है वह नालियों में चलती हैं। वह घाटियों में होती है। उसकी कीमत 12 हजार एकड़ से भी ज्यादा है। मैंने हिमाचल प्रदेश की घाटियों में, गंगोत्री की घाटियों में देखा है। वही उनके पास सब कुछ है। उसके अलावा जमीन ही नहीं है। यह ज्यादा नहीं है। मैं उस पर आपत्ति नहीं करता। उससे भी ज्यादा सहायता आप कर सकते हैं तो करें। उनकी रोजी-रोटी का सवाल है। हम समझते हैं कि बारह हजार भी कुछ कम है। उनकी ज्यादा सहायता कर सकतें हों तो बहुत बड़ी सेवा उस पहाड़ की जनता की हो सकती है जो 35 हजार विस्थापित हो रहें हैं मुझे उम्मीद है कि माननीय राजमंगल पाण्डेय सरकार की तरफ से टिहरी डैम के बारे में और वहां के विस्थापित होने वाले नागरिकों के सम्बन्ध में सही घोषणा करेंगे।

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, टेहरी बांध बनने से विस्थापितों की जो समस्या पैदा होने वाली है, कुछ हो रही है, उसके सम्बन्ध में नेगी जी ने ध्यान आकृष्ट किया है। ऐसा प्रश्न आज हमारे सामने है जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा है किसी भी प्रदेश की, किसी भी क्षेत्र की जब प्रगति होती है तो उसके लिए कुछ न कुछ लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। सही बात है प्रदेश या देश की तरक्की के रास्ते में पहाड़ के लोग कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं तैयार रहे हैं और रहेंगे, लेकिन दूध का जला छाछ को भी फूक-फूक कर पीता है। हमारे राजमंगल पाण्डेय जी का सम्बन्ध नैनीताल जिले से भी है? नैनीताल जिले में जो बांध बने हैं उन बांधों के बनने से जो लोग विस्थापित हुए उनको अभी बसाया नहीं जा सका है, वहां का सारा पानी वह कहीं काम में नहीं आता है। सिंचाई उससे होती है बाहर उससे द्वेष नहीं है। लेकिन जब कोई योजना बन रही है, वह इतनी आवश्यक प्रदेश के फायदे के लिए, देश के फायदे के लिए और उस क्षेत्र के फायदे के लिए हैं, मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि उससे पहाड़ी प्रदेश को लाभ नहीं होगा। चाइटूरिट्स के तौर पर ही इन्डस्ट्री के तौर पर, बिजली के तौर पर दस तरह के लाभ पहाड़ी जनता को होगा और वहां विकास भी होगा तीन सौ करोड़ की योजना है। दस साल में बनने की बात है। माननीय मन्त्री जी ने अपने बयान में धन के अभाव की बात कही है! दस साल में बांटें तो 30 करोड़ रुपया साल आता है। अगर प्रयास किया जाय, जैसी विद्युत की कमी है, पन बिजली सबसे सस्ती बिजली होती है। इसका मुझे व्यक्तिगत अनुभव है नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते, पांच या तीन पैसे यूनिट बिजली बनती थी। जब कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 16 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से लाइसेंसीज को देता है। हाइडिल तथा थर्मल की बिजली सस्ती पड़ेगी। अगर 30 करोड़ रुपया सालाना सरकार निकाल सके तो मैं अनुरोध करूंगा कि वह फिर से प्रयास करें और सदन की राय होगी कि जल्दी बांध बने जिससे विद्युत उत्पादन की भी वृद्धि हो और बांध भी बने जिससे वहां की जनता को भी राहत मिले।

बयान से स्पष्ट नहीं है कि जो केन्द्रीय वाटर पावर बोर्ड है उसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है या नहीं। इस पर प्रकाश डालने की कृपा कीजिए। अगर स्वीकृति मिल गई

[श्री बालकृष्ण सनवाल]

हो तो कार्य प्रारम्भ होना चाहिए अगर नहीं मिली हो तो जनता को असमंजस में नहीं डाले रहना चाहिए।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

माननीय, यह प्रश्न पहाड़ का था दूसरे स्थान का नहीं है बल्कि जो राप्ती, गन्डक और घाघरा के किनारे बसे हुए हैं और जिनके गांव के गांव विलीन हो गए हैं उनको स्वयं अपने कष्ट की अनुभूति हो जाती है जब आप बोलते हैं। क्या सरकार की निश्चित राय हो गई है कि बांध बनना है और जैसा कि आप कहते हैं कि बनना है तो जो विस्थापित लोग हैं, उनको जहां पर स्थापित होना है, ऐसे स्थान का निरीक्षण और सर्वे कर लिया गया है। इनको जहां बसाना है वहां लागू करने में क्या दिक्कत है? जमीन ले ली गई है। इसका जवाब मन्त्री जी दे दें तो प्रश्न हल हो जाता है?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

माननीय, प्लानिंग कमीशन से इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। केवल धन की व्यवस्था की बात है। इधर डी0ए0 वगैरह के बढ़ने से वित्तीय कठिनाइयों का सरकार के ऊपर कितना बोझ पड़ गया है इससे सारा सदन परिचित है। हम सदन की भावना से अवगत हैं और 1200 एकड़ भूमि बादशाही थर्मल में ले ली गई है और टेहरी गढ़वाल में 140 एकड़ भूमि ली गई है। जो लोग विस्थापित होंगे उनको हम बसायेंगे, उनको सुविधाजनक स्थान पर ले जायेंगे ताकि उनको किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। लोग कहेंगे कि उनकी जमीन लेकर के सारे प्रदेश का भला किया और उनका अहित किया।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय जो आज माननीय नेगी जी ने उठाया यह सारे प्रदेश में एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। जैसा कि मंत्री जी ने बतलाया कि जिस क्षेत्र का विकास होता है उसको कुछ न कुछ कुर्बानियां देनी होती हैं। इससे हम शत प्रतिशत सहमत हैं। लेकिन जो उदाहरण उन्होंने दिया अगर हम उसकी ओर ध्यान दें तो आफत और कुर्बानी की बात पहाड़ों में जाने कितनी बार आ चुकी है। पिछले दो वर्ष पहले गोंडा ताल का पहाड़ जहां गांव के गांव बह गए और कितनी जन धन की हानि हुई यह सारे देश की चर्चा का विषय रहा है। बेलाकूची की बाढ़ प्रति वर्ष आती है और साल भर तक जिन खेतों को सींच कर तैयार करते हैं साल भर बाद पहाड़ की चट्टान के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता है। यह कुर्बानी पहाड़ी इलाके बराबर देते चले आये हैं। जहां तक कुरबानी का प्रश्न है पहाड़ी अंचल सदैव देश और प्रदेश के सम्मान को रखने के लिए 80 प्रतिशत कुरबानी जन, बल, धन की दे रही है। माननीय, 80 प्रतिशत वह अपने लोगों के प्रति कुरबानी देता रहा है। पिछले चान और पाकिस्तान के संघर्ष में मरने वालों की संख्या अगर देखें तो उसमें सबसे ज्यादा पर्वतीय अंचल, गढ़वाल के सैनिकों की सबसे बड़ी भारी संख्या है। माननीय, यदि यह विकास के लिए कार्य किया जा रहा है तो टेहरी की जनता, गढ़वाल की जनता, इसको सहर्ष स्वीकार किया। जैसा माननीय नेगी जी ने कहा कि टिहरी में मकान नहीं बनाने दिए जा रहे हैं। टेहरी में दो नदियां मिलती हैं। वहां पर गांवों में लोगों को अपने आगे पत्थर खसकाने की आज्ञा नहीं है। अगर वह सब्जी बोना चाहते हैं तो उनके लिए आदेश दिए गए हैं कि वे सब्जी नहीं बो सकते हैं। उनके सामने रोटी खाने की बड़ी भारी समस्या बन गई है। ऐसी दुविधा की स्थिति में वहां के लोगों में असन्तोष पैदा होगा कि नहीं? अगर आप डाम बनाना चाहते हैं तो आप उन लोगों की व्यवस्था पहले कर दीजिए? आपके पास जब धन हो तब आप व्यवस्था कर दीजिए? मैं इस माननीय सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे उस घाटी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर रहने वाले लोगों की 5 प्रतिशत आमदनी होती है। पानी भर-भर कर देश के कोने-कोने पर जाते हैं, मान्यवर, आज उनको जिनका जीवन का साधन गंगा का पानी है उनको घर बेघर करने के बाद सरकार के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है तो वह असन्तोष प्रकट नहीं करेंगे? अभी कहा गया कि 12 हजार के करीब हम उनको देंगे। ऐसी कितनी भूमि है जिस पर कि 12 हजार प्रति एकड़ मुश्किल से देंगे? 100-150 एकड़ से ज्यादा नहीं है। गंगा का पानी बेच कर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। पहाड़ के जीवन में एक बात और है। हमारे खेती के ऊपर छोटे-छोटे कार्य और करते रहते हैं जिनके कारण वहां सब्जी उगाने का काम होता है। यह बहुत भारी विकट प्रश्न है। यदि इसका हल नहीं किया गया यदि सरकार इसको बनाना चाहती है तो आज निर्णय इसके बारे में स्पष्ट निर्णय हो जाय और यदि धन की कमी है तो कोई बात नहीं, करते रहे, लेकिन उन विस्थापितों की समस्या का हल पहले हो जाना चाहिए। स्कूल की व्यवस्था नहीं हो रही है, सड़कों की व्यवस्था नहीं हो रही है। सब लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त है। अभी तक मान्यवर, पहाड़ों के उस अंचल में पटवारी राज्य है। जहां पटवारी ने डंडा फेंका नहीं, उससे वे लोग डर जाते हैं। तो उन लोगों के लिए स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए कि वहां पर उनको बसाया जायेगा। यह मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला पौड़ी-गढ़वाल)—

मान्यवर, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माननीय मंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया कि टिहरी बांध बन रहा है। जहां तक टेहरी के लोगों का बांध के लिए कुरबानी का प्रश्न है, वहां पर यह कहना है कि अमर शहीद श्री देव सुमन के नश्वर शरीर के टुकड़े उस भिलंगाना में पड़े हुए हैं। टेहरी आज भी चाहता है कि जिस तरह से सुमन ने देश को अपनी कुरबानी देकर प्रकाश दिया। उसी तरह यह बांध भी लोगों को प्रकाश दे सिंचाई के साधन दे। प्रश्न केवल यही था कि पहले दुविधा थी। अब आश्वासन मिला है कि बांध बनेगा हम लोग मुक्त भोगी हैं। गढ़वाल में मयार नदी पर मरोड़ा बांध बनाने का प्रश्न था तो वहां अमेरिका के इन्जीनियर आए और यहां के भी अभियन्ता गए और उस पर लाखों रुपया खर्च हुआ आज वहां पर बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन चलते-चलते कह दिया कि अब बांध नहीं बनेगा। उसके सम्बन्ध में मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता इतना ही कहूंगा कि —

लुटते अगर खिजां में तो कुछ बात ही न थी।
हमको तो रंज है कि लुटे हैं बहार में॥

हम बहार में लुटे हैं। कहीं टिहरी बांध की भी यही स्थिति न हो जाय। मान्यवर, अगर किसी मुकदमें में यह तय हो जाता है कि अमुक को फांसी की सजा दी जायगी, लेकिन कब फांसी दी जाएगी, कल दी जाएगी या परसों दी जाएगी तो इस दिविधा में उस आदमी पर क्या बीतेगी यह सोचने की बात है। आज टिहरी के बच्चे, वहां की महिलायें सोच रही हैं कि अब हमारे पास यह घर नहीं रहेगा, यह जमीन नहीं रहेगी। हम विस्थापित होने जा रहे हैं या होने वाले हैं। विस्थापित हो जायें तो कोई बात नहीं है लेकिन वह विस्थापित कब होंगे, कल होंगे या परसों होंगे? यह भयानक बात है अधर में उनका भाग्य लटका हुआ है। तो मैं आज चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी निश्चित रूप से यह आश्वासन दें कि कितना समय लगेगा उनके पुनर्वास की व्यवस्था में एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां गढ़वाल में डाम शब्द का अर्थ बहुत बुरा होता है डाम माने होता है कि किसी शरीर को गरम लोहे से दागना तो उनके दागने से जलन होने लगती है उसी प्रकार से यह डाम वहां के लोगों को तपा रहा है। अतः वहां बांध बनाना चाहिए डाम नहीं और स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। (धन्यवाद)

श्री अध्यक्ष—

माननीय गोविन्द प्रसाद गैरोला, आप संक्षेप में कहें।

*श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी जिले का रहने वाला हूं। मान्यवर, जब माननीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने एक समिति का गठन किया था, जिसमें वहां का ब्लाक प्रमुख, एम0एल0ए0 और कुछ टेहरी नगर पालिका के सदस्य थे। टिहरी में जो कटी काटा बागी जो गांव थे इन्हीं में टिहरी नगर को बसाने की बात थी। इस समिति के 14 सदस्यों में से 12 सदस्य उपस्थित थे और उसमें 10 सदस्यों की राय थी कि टिहरी को टिपरी में बसाया जाये और इसके कुछ सिद्धान्त बनाये कि नगर झील के किनारे होगा। इससे अच्छा विकास होगा, खेल के मैदान होंगे और झील से बहुत दूर नहीं होगा। इससे 10 मील या 5 मील दूर नहीं होगा। यह ऐसी जगह पर बसाया जायगा जहां पर लोग झील देखने आयेंगे और उसी स्थान पर हमारा टिहरी नगर भी बसा होगा। प्रश्न यह है कि टिहरी के बसाने के सम्बन्ध में सरकार ने जो स्टेटमेन्ट दिया है उसमें अधिकारियों ने हमारी इस भावना का अनादर करते हुए ऐसा स्थान चुना है कि जिसका हम लोगों ने कभी जिक्र भी नहीं किया। उस समिति में मैं भी सदस्य था। मैंने भी अनजनी सैन, पोरवाल और बादशाही थाल को स्वयं देखा है। बादशाही थाल बहुत ही ठंडा स्थान है। वह स्थान बरीबों के लिये उपयुक्त नहीं है और झील से भी दूर पड़ गया है। मान्यवर, जिस कमेटी का मैंने जिक्र किया उसकी एक मत राय होने पर भी उसकी सिफारिशों को क्यों ठुकराया गया? जब हम इन्हें कोई पत्र लिखते हैं, चाहे उस पर गांव वालों 1 1/2 या 2 सौ लोगों के दस्तखत हों तो हमें सूचित कर दिया जाता है कि हम डी0एम0 से जांच करवा लेंगे। ये अधिकारी लोग टेक्नीकल के नाम पर हमें बेवकूफ बना देते हैं। भले ही हम घड़ी की टैकनीक न जानते हों लेकिन इसको इस्तेमाल करना और इसको पहनना तो अवश्य जानते हैं। सरकार के लिये ऐसा करना उचित नहीं है। हम मंत्री जी की इस बात से सहमत हैं कि यहां के विस्थापितों को बसाया जाय। इसके लिये कुछ जमीन देहरादून में दी जायगी इसके लिये वहां पर जंगल भी कटवा दिए हैं। लेकिन जैसा कि माननीय मंगल देव विशारद की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट है, उसमें दिया हुआ है कि हम लोगों को वहां पर न बसाकर देहरादून में, सहारनपुर में, और बिजनौर में पंजाब के विस्थापितों को बसा दिया गया है और जो दूसरे लोग हैं, होशियार लोग हैं, उन्होंने उन जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया है। वहां पर हम लोगों के लिये बोर्ड भी लगाये गये थे उस भूमि को ट्रैक्टर से साफ भी कराया गया लेकिन लोग अवैधरूप से उस पर कब्जा किए हुए हैं।

यही नहीं यदि आप टिहरी में जायं तो आप पायेंगे कि छोटे-छोटे कमरों में कई-कई लोग रहते हैं। मुझे एक गांव के लड़कियों के विद्यालय में जाने का मौका मिला। वहां की प्रिंसिपल ने मुझ से कहा कि तुम यहां पर क्यों आये हो और फिर मुझे उस स्कूल के एक कमरे में ले गई जहां पर 7-8 लड़कियां मुश्किल से बैठ सकती थीं। उनका कहना था कि अगर वह उनको अपने स्कूल में दाखिल न करें तो लोग उसे डांटने लग जाते हैं और अगर भर्ती भी कर लेती हैं तो उनके बैठने के लिये स्थान उपलब्ध नहीं है। श्रीमन्, वहां पर डिग्री कालेज हैं, इन्टरमीडिएट स्कूल्स हैं। तो कम से कम उनमें टीन ही डलवा दें ताकि जो लड़कें और लड़कियां वहां पर पढ़ रहे हैं, वे आसानी से बैठ तो सकें। टेहरी के विस्थापितों को बसाने के लिये सरकार की नीति काफी उदार है लेकिन टेहरी नगर को बसाने के लिये और टेहरी की वर्तमान परिस्थितियों को उदारतापूर्ण ढंग से सुलझाने के लिये मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी अपनी ओर से पूरा आश्वासन देंगे।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, यहीं पर नेगी जी और माननीय सदस्य में इस बात का मतभेद हो गया। गैरोला जी मानते हैं कि सरकार की नीति विस्थापितों के बारे में बड़ी उदार है और सरकार की नीति इस माने में ठीक है। तो मेरी बात की सफाई तो सदन में ही हो गयी। वैसे,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक छोटी सी कहानी कह कर मैं नेगी साहब के जो भ्रम हैं उनका निवारण करूंगा। एक कहानी है कि भगवान भी किसी का लेते हैं तो किसी को देते हैं। ऐसा नहीं है कि वह सबको देते ही हैं। शंकर भगवान और पार्वती की कहानी है। जाति के एक तेली थे वह शंकर भगवान को रोज गाली देते थे और जो पूजा करता था उसको भला बुरा कहते थे। उनकी रोज तरक्की होती थी। उनका धन, व्यापार, रोज दुगुना, चौगुना होता जाता था। और एक बाबाजी थे जो रोज शंकर भगवान की पूजा करते थे। उनकी रोज अवनति होती जा रही थी। एक दिन जब शंकर भगवान और पार्वती चलने को हुये तो पार्वतीजी ने शंकर भगवान से कहा कि तुम यह क्या करते हो, तुम्हारी जो पूजा करते हैं उसको तो दरिद्र बना रहे हो और जो तुमको गाली देते हैं उसको आसमान पर चढ़ा रहे हो। शंकर भगवान ने एक रात को दोनों को स्वप्न दिया। तेली को स्वप्न दिया कि धन, बच्चे वगैरह सब बेकार है और भगवान की पूजा ही ठीक है। ब्राह्मण को स्वप्न दिया कि भगवान की पूजा बेकार है, धन धान्य ही सब कुछ है। उसके बाद दोनों की शक्लें बदल गयीं। तेली ब्राह्मण की शक्ल में आ गया और ब्राह्मण तेली की शक्ल में आ गया। फिर जब शंकर भगवान और पार्वती गये तो उन्होंने देखा कि रहो बदल है। तो उन्होंने, जैसा कि कथा में है, कहा कि तुम हो औरत जात। हम भी किसी का लेते हैं तब किसी को देते हैं। यह इस बात का सूत है कि तभी किसी को मिलता है जब किसी का लिया जाता है। कुछ लोगों को विस्थापित करने के बाद ही अगर टेहरी के ज्यादातर लोगों की समृद्धि हम कर सकते हैं तो करेंगे। बादशाही ठोर के बारे में टेहरी म्युनिसिपैलिटी ने खुद प्रस्ताव पास किया है कि जितने लोग हैं, उनको वहां बसाया जाय

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

सरकार ने जो एक कमेटी बनायी थी उसमें टेहरी म्युनिसिपैलिटी के भी प्रतिनिधि थे। तो बहुमत से लिया गया निर्णय क्यों ठुकरा दिया गया ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

यहां पर उस कमेटी में जो 12 व्यक्ति थे वह हैं नहीं जो टेहरी की 30 हजार जन संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं टेहरी म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर वही यह प्रस्ताव करते हैं कि बादशाही ठोर में ही बसाया जाय तो हमें उनकी बात पर अविश्वास करने का कोई अवसर नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

(श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला से) आपका जवाब मिल गया कि कमेटी की बात क्यों नहीं मानी।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

नेगी जी और अन्य मेम्बर अगर आज भी सदन में कह दें कि यह जगह उपयुक्त नहीं है तो मुझे यह घोषणा करने में संकोच नहीं होगा कि टेक्निकल लोगों के साथ बैठकर किसी और जगह का चयन कर लें। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि टेहरी बांध का बनना निश्चित है। कुछ परिस्थितियां हमारी ऐसी हैं, जिनका हमको खुद बड़ा दुःख है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को जो समृद्धि हम दे सकते हैं टेहरी बांध और बिजली की परियोजना से वह नहीं दे पा रहे हैं। तो केवल टेहरी के विस्थापितों की समस्या उतनी नहीं है जितना इस प्रदेश की समृद्धि का प्रश्न है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह तो आपने घोषणा कर दी कि डैम बनेगा, विस्थापितों को आप बसायेंगे। लेकिन आप एक और आश्वासन देने की कृपा करें कि जबतक वह नहीं बनेगा तब तक इस पूरी घाटी का जो विकास बन्द कर रखा है, वह न रुके।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मैं माननीय नेगी जीको बता दूं कि घरों की रिपेयरिंग वगैरह को करने के आर्डर नहीं हैं, मैं उनकी सूचना के लिये बता दूं कि वह आर्डर वापस हो गय हैं और उनको अब सब्जी वगैरह बोने की इजाजत है । वे अपनी सब्जी आदि बो सकते हैं । सरकार की यह स्पष्ट घोषित नीति है कि जब तक हम विस्थापितों को दूसरी जगह बसा नहीं लेंगे उनको उजाड़ा नहीं जायेगा । हम उनको कभी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे जो हमारे लिये कलंक की बात हो ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जो और विकास के कार्य हैं वे क्यों नहीं शुरू किये जाते ?

श्री राजमंगल पांण्डेय--

मैंने कह दिया कि हमारे टेकिनकल आफिसर्स आपकी सलाह लेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 13 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया । )

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
9 अप्रैल, 1975 ।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम 29 (4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 685 पर।)

प्रश्नों के उत्तर में उल्लिखित तालिका

| सम्बन्धित मांगें | कृत कार्यवाही का विवरण |
|---|---|
| 1—विद्या मन्दिर इन्टर कालेज, मिल्कीपुर, फैजाबाद के अध्यापकों का निलम्बन आदेश तत्काल वापस कराया जाय एवं वहां के अध्यापकों से ली गयी विभिन्न प्रकार की कटौतियों की धनराशि अध्यापकों को वापस कराई जाय तथा नियुक्ति के समय ली गयी धनराशि भी वापस की जाय एवं उक्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति, कु-प्रबन्ध के कारण भंग की जाय तथा 15–2–75 को हुये अग्निकांड की न्यायिक जांच कराई जाय एवं अध्यापकों पर से मुकदमें वापस लिये जायं। | 1—निलम्बन आदेश वापस करा दिए गए हैं। शेष शिकायतों की जांच की जा रही है। प्रमाणित होने पर कार्यवाही की जायगी। अग्निकाण्ड की जांच जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है। |
| 2—राम नारायण जायसवाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फूलपूर, फैजाबाद की प्रबन्ध समिति भंग कर के वहां रिसीवर नियुक्त किया जाय और वहां के नवनियुक्त सहायक अध्यापक श्री आद्या प्रसाद दूबे को कार्यरत करा कर दिसम्बर, 1974 से उनका वेतन दिया जाय एवं उक्त विद्यालय के सभी अध्यापकों से कार्यरत होने के पूर्व लिये गये सभी प्रकार के दिनांकित अथवा अदिनांकित त्याग-पत्र अवैध घोषित किये जायं एवं वहां के अध्यापकों की सेवा सुरक्षा का आश्वासन दिया जाय। | 2—संस्था के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि मांग के अनुसार कथित अनियमितताओं की जांच करा र आवश्यक कार्यवाही की जायगी। श्री आद्या प्रसाद दूबे का प्रकरण उनकी इच्छानुसार मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को सन्दर्भित कर दिया गया है। |
| 3—गांधी स्मारक इन्टर कालेज, राजेसुल्तानपुर के अध्यापकों को 9 माह का पुराना बकाया वेतन, जिसके जिम्मेदार जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, को अविलम्ब भुगतान कराया जाय। | 3—यह प्रकरण अध्यादेश लागू होने के पूर्व का है। अवशेष देयों के सत्यापन के पश्चात् यथासम्भव भुगतान हेतु कार्यवाही की जायगी। |
| 4—आर0 वी0 एन0 इन्टर कालेज, गोसाईगंज, फैजाबाद के प्रधानाचार्य श्री नन्द कुमार सिंह एवं मनोहर लाल के प्राचार्य श्री रामहेत सिंह को तत्काल वापस कराया जाय। | 4—दोनों प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन हैं। |
| 5—मालीपुर एवं जवाहरनगर आदि में जहां निकट भविष्य में कटौती अथवा एरियर | 5—संबंधित संस्थाओं के अध्यापकों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। फिर |

| सम्बन्धित मांगें | कृत कार्यवाही का विवरण |
|---|---|
| की धनराशि वापस न करने के कारण अध्यापकों के निलम्बन की संभावनायें हैं, अभी से प्रभावशाली कदम उठाये जायं। | भी शिक्षक सघं की मांग के अनुसार जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जायगी। |
| 6—जो प्रबन्ध समितियां अभी तक स्थायी अध्यापकों को भविष्य निधि योजना में निधि सम्मिलित नहीं करा सकी हैं उन प्रबन्धकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाय। | 6—सभी स्थायी अध्यापकों को भावी योजना में सम्मिलित कराने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं और उससे सम्बन्धित पत्रादि मांगे गये हैं। पत्रादि प्राप्त होते ही तत्काल कार्यवाही की जायेगी। |
| 7—प्रस्तावित रिक्तियों की समुचित जांच पड़ताल के बाद ही पद सृजन किये जायं और नियुक्ति पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से दिये जायं। | 7—समुचित छानबीन के पश्चात् ही विभाग द्वारा नए पद सृजित किए जाते हैं। नियुक्ति पत्र देने का अधिकार प्रबन्धक को ही है। |
| 8—विद्यालयों में भेजे गये अनुमोदन तत्काल निर्गत किये जायं और नियुक्ति पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से दिये जायं। | 8—अनुमोदन के प्रकरणों पर अवधि के भीतर ही निर्णय प्रदान किया जाता है। |
| 9—अध्यापकों एवं कर्मचारियों के प्रति प्रबन्धकों द्वारा दमन चक्र बन्द कराया जाय और मनमाना करने वाली प्रबन्ध समितियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाय। | 9—यह सामान्य आरोप है। विशिष्ट शिकायतों के प्राप्त होने पर ही जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। |
| 10—शिक्षा संहिता के नियमों की उपेक्षा करने वाली प्रबन्ध समितियों को तत्काल भंग किया जाय। | 10—शिक्षा संहिता के नियम के विरुद्ध कार्य करने वाली प्रबन्ध समितियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जाती है। |
| 11—जनपद के समस्त निलम्बित शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों के मामले शिक्षा संहिता के अनुसार निर्धारित अवधिके भीतर तय कराये जायं। उनसे संबंधित सूचनायें समय-समय पर संघ को दी जायं और मनमानी करने वाली प्रबंध समितियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय। | 11—जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं को निलम्बन प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही के हेतु सामान्य निर्देश दिए जा चुके हैं। |
| 12—कर्मचारियों की सेवा पंजिका विधिवत् तैयार की जाय और प्रबन्धकों एवं प्रधानाचार्यों द्वारा उनका निजी कार्यों में उपयोग बन्द कराया जाय। | 12—सभी कर्मचारियों की सेवा पंजिकाएं बनचुकी हैं। संस्थाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का निजी कार्यों में उपयोग न करें। |

## नत्थी 'ख'

देखिए नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ (693 पर)

टंडवा लिफ्ट कैनाल पर 40 इंच नाप की कोई पाइप नहीं है। भैंसा लिफ्ट कैनाल पर 30 इंच नाप की लगभग 850 फीट स्टील पाइप थी जो लगा दी गयी हैं। इनको खरीदने में 1,12,200 रु0 और उन्हें पम्प नहर तक लाने व फिट कराने में कुल 21,878 रु0 खर्च हुए। टण्डवा लिफ्ट नहर पर 36 इंच नाप की लगभग 500 फीट स्टील पाइप लगाई गयी। इनको खरीदने मे 70,000 रु0 और लिफ्ट नहर तक लाने में 1,300 रु0 खर्च हुए। यह फिटिंग जरूरत के मुताबिक ही की गई है। भैंसा में 15 इंच और टंडवा में 30 इंच की कोई पाइप नहीं चल रही है। प्रश्नकर्ता का 7 अक्टूबर, का पत्र प्राप्त हो चुका है और उसका उत्तर भी माननीय विधायक को 5 अप्रैल, 1975 को दिया जा चुका है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 696 पर)

संलग्नक

ग्राम कसैलाडीह, तहसील फतेहपुर व ग्राम नूरपुर, तहसील रामसनेहीघाट के जिन लोगों को मुआवजा दे दिया गया, उनकी सूची

| काश्तकार का नाम | धनराशि |
|---|---|
| | रु० |
| 1--सिरताजी बेवा महादेव .. .. | 6,268.85 |
| 2--मेवालाल पुत्र रामअधार .. .. | 9,014.43 |
| 3--सूधर पुत्र बेचू .. .. .. | 2,821.00 |
| 4--हनोमान पुत्र रामभरोसे .. .. | 14,432.51 |
| 5--राम सनेही पुत्र हनोमान .. .. | 3,054.30 |
| 6--रामसरन पुत्र हनोमान .. .. | 477.17 |
| 7--भगौती पुत्र गनेशी .. .. .. | 3,337.10. |
| 8--पुत्ती लाल पुत्र छेदू .. .. | 6,634.15 |
| 9--सहजराम पुत्र रामऔतार .. .. | 2,718.47 |
| 10--जगतपाल पुत्र बोधे .. .. | 1,910.15 |
| 11--जोधे पुत्र लीला .. .. .. | 4,364.25 |
| 12--नान्हू पुत्र गुरुदीन .. • | 3,045.20 |
| 13--तिलक पुत्र सुखई .. | 3,639.75 |
| 14--ढोडे पुत्र सुखई | 3,887.00 |
| 15--बनवारी पुत्र धनी | 207.00 |

जिनको मुआवजा नहीं दिया गया, उनकी सूची

| काश्तकार का नाम | धनराशि |
|---|---|
| 1--मगरे पुत्र गनेश | 6,258.30 |
| 2--रामसनेही पुत्र ढोडे . .. | 5,430.30 |
| 3--हरभजन पुत्र गनेश .. .. .. | 4,054.50 |
| 4--राम कैलाश पुत्र नान्हू .. .. .. | 3,191.25 |

अनुबंध 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 722 पर।)

रामगंगा परियोजना यूनिट 2 (बी) के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में प्रस्तावित वार्षिक सिंचाई का विवरण

| जिले का नाम | सिंचाई का क्षेत्र-फल (लाख हैक्टेयर में) |
|---|---|
| 1—सहारनपुर | 0.02 |
| 2—मुजफ्फरनगर | 0.05 |
| 3—मेरठ | 0.02 |
| 4—बुलन्दशहर | 0.20 |
| 5—अलीगढ़ | 0.30 |
| 6—मथुरा | 0.65 |
| 7—आगरा | 0.24 |
| 8—एटा | 0.29 |
| 9—मैनपुरी | 0.26 |
| 10—फर्रुखाबाद | 0.40 |
| 11—इटावा | 0.20 |
| 12—कानपुर | 0.60 |
| 13—इलाहाबाद | 1.01 |
| 14—फतेहपुर | 0.39 |
| 15—मुरादाबाद | 1.16 |
| 16—बिजनौर | 0.12 |
| योग | 5.75 |

**नत्थी 'ङ'**

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 723 पर।)

**जिला मेरठ में टेस्ट वर्क योजना के अन्तर्गत वर्ष 1972–73 व 1973–74 में किये गये कार्यों का विवरण**

| क्रम संख्या | मार्गों का नाम | कुल लम्बाई कि0 मी0 | वर्ष 1972–73 में कुल किया गया कार्य ल0 कि0 मी0 | 1973–74 में कुल किया गया कार्य ल0 कि0 मी0 | शेष कार्य ल0 कि0 मी0 | प्रत्येक सड़क पर वर्ष 1972–73 व 1973–74 में बनी कुल पुलियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | पंचगांव से कायस्थ बढ़ढा परीक्षितगढ़ मार्ग का निर्माण। | 8.00 | 2.75 | 0.50 | 4.75 | 5 |
| 2 | रटौर–लोनी मार्ग | 10.00 | 1.50 | 2.40 | 6.10 | 13 |
| 3 | मऊखास–नगंला मल गुडाली मार्ग | 3.60 | 3.00 | 0.80 | | 4 |
| 4 | हापुड़–गिरधरपुर सयाना मार्ग | 18.00 | 14.40 | .. | 3.60 | 4 |
| 5 | किठौर–बछरोड़ा मार्ग | 4.00 | 1.85 | .. | 2.15 | शून्य |
| 6 | फतेहपुर–जढौड़ा–अलीलपुर मार्ग | 3.00 | 2.00 | . | 1.00 | 5 |
| 7 | महलवाला–लीलयाना मार्ग | 4.50 | 3.50 | .. | 1.00 | 5 |
| 8 | बहसूमा–मोहम्मदपुर सिखेड़ा मार्ग | 2.50 | 1.50 | .. | 1.00 | शून्य |
| 9 | जईसे-मुबारक पुर मार्ग .. | 3.00 | 1.10 | 0.60 | 1.30 | उपलब्ध नहीं है |
| 10 | अमरपुर–परवाड़ा मार्ग .. | 5.60 | 3.00 | 1.20 | 1.40 | 4 |
| 11 | अहम्मदपुर–मलियाना मार्ग .. | 3.00 | 2.50 | .. | 0.50 | 3 |
| 12 | डासना-हसनपुर मार्ग .. | 12.00 | 5.56 | .. | 6.04 | शून्य |
| 13 | मलेहटा–लिंक मार्ग .. | 2.00 | 0.70 | .. | 1.30 | 2 |
| 14 | परीक्षितगढ़–साद्दतपुर–शिवपुरी मार्ग | 8.00 | 2.50 | 2.30 | 3.20 | उपलब्ध नहीं है |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | छपरौली–तलमासपुर मार्ग | .. | 0.50 | 0.50 | .. | .. | शून्य |
| 16 | छजारसी–जलालाबाद मार्ग | .. | 13.00 | 3.80 | .. | 9.20 | 2 |
| 17 | मेरठ-शोभापुर मार्ग | .. | 2.00 | 0.10 | 0.30 | 1.60 | शून्य |
| 18 | दौलतपुर–ढिकरी मार्ग | .. | 0.50 | 0.45 | .. | 0.05 | 2 |
| 19 | नाईफल–बामहेटा मार्ग | .. | 5.00 | 1.50 | 2.25 | 1.25 | शून्य |
| 20 | डासना–लिंक मार्ग दयाल–कनीजा मार्ग | .. | 11.00 | 0.50 | 0.50 | 10.00 | शून्य |
| 21 | गालन्द–भावेपुर मार्ग | .. | 10.50 | 7.10 | .. | 3.40 | 8 |
| 22 | हापुड़–सयनावत मार्ग | .. | 13.00 | 7.50 | 1.60 | 3.90 | 11 |
| 23 | छोठा मवाना–बहसूमा मार्ग | .. | 16.00 | 2.50 | 2.00 | 11.50 | 3 |
| 24 | फरीदनगर–पिलखुवा मार्ग | .. | 8.00 | 1.75 | 0.45 | 5.80 | शून्य |
| 25 | डासना–रघुनाथपुर मार्ग | .. | 1.25 | 1.25 | .. | .. | शून्य |
| 26 | सनौता–अमरौली मार्ग | .. | 1.20 | 0.78 | .. | 0.42 | 1 |
| 27 | निधावली–ध्यावली मार्ग | .. | 7.00 | 5.70 | 0.30 | 1.00 | 2 |
| 28 | मुरादनगर–रावली मार्ग | .. | 1.00 | 0.40 | .. | 0.60 | शून्य |
| 29 | परतापुर–महरौली मार्ग | .. | 0.70 | 0.70 | .. | .. | 2 |
| 30 | गगयसोना–धकावली मार्ग | .. | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | शून्य |
| 31 | फलावदा मार्ग फलावदा कस्बा तक | .. | 0.55 | 0.55 | .. | .. | शून्य |
| 32 | हापुड़-गौदायार नगर मार्ग | .. | 8.00 | 1.50 | 3.00 | 3.50 | 2 |
| 33 | तिलवाड़ी से लूम मार्ग | .. | 3.00 | 0.70 | 2.30 | 0.00 | 7 |
| 34 | बांतनौर से फलवदा मार्ग | .. | 13.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 | शून्य |
| 35 | रावली–ग्यासपुर मार्ग | .. | 3.00 | 1.20 | 0.40 | 1.40 | शून्य |
| 36 | दबथूवा–मलसौना मार्ग | .. | 1.27 | .. | 1.27 | .. | शून्य |
| | योग | .. | 213.87 | 88.34 | 25.17 | 100.36 | 85 |

पी0 एस0यू0 पी0—एल0 120 वि0 सभा—(535)—1976—840।